कटघरा

मितर सैन मीत

हिंदी रुपांतरण
डॉ. किरण बंसल

1

सरकारी वकील की प्रतीक्षा कर रहे थानेदार को लग रहा था, जैसे तीसरा दिन भी बेकार जाएगा।

दोषियों को गिरफ्तार हुए पच्चासी दिन हो गए थे। यदि पाँच दिन के अन्दर-अन्दर चलान पेश न हुआ, तो उनकी जमानत हो जानी थी। दोषियों की जमानत का मतलब था, फांसी का फंदा उनके गले से निकल कर, तफ्तीशी के गले में पड़ जाना।

तफ्तीश नब्बे दिन में पूरी क्यों नहीं हुई? नाजर सिंह थानेदार की जवाब तलबी होनी थी। कई महीने अफसरों ने उसे परेशान करना था। पीछा छुड़ाने के लिए, उसको हजारों रुपये चढ़ावा चढ़ाना पड़ना था। छोटी-मोटी सजा तो होनी ही थी। बड़ी सजा भी हो सकती थी।

विरोधी पक्ष के एक विधायक ने असैंबली में प्रश्न पूछा था। निर्दोषों को छोडा क्यों नहीं जा रहा? असली दोषी क्यों नहीं पकडे जा रहे? वह उत्तर चाहता था।

थाने के छोटे मुलाजिम से लेकर मुख्यमंत्री तक, सब इस प्रश्न से बचना चाहते थे। कानून विशेषज्ञों ने एक ही सुझाव दिया था। केस को जल्दी से जल्दी अदालत के सर्पुद कर दिया जाए। अदालत के विचार अधीन (सब ज्युडीशियस) मामले पर उसके अतिरिक्त कहीं और विचार नहीं किया जा सकता। विधान सभा में भी नहीं।

यह अहम् जिम्मेवारी किस को दी जाए? पुलिस कप्तान ने थाने में तैनात, सब तफ्तीशियों के नामों पर विचार किया ।

डिप्टी ने पाखर का नाम सुझाया।

वह लिखा-पढ़ी का माहिर था। उसकी ज्यादातर सर्विस सी.आई.ए. स्टाफ की थी। वह एक ही दोषी पर, तीन-तीन एक्टों के अधीन, केस फिट करने में निपुण था। सिर पर चोरी किए बर्तनों वाली बोरी, हाथ में बर्छा और जेब में अफीम। कमी रह जाए, तो कंधे पर लटकाए थैले में, नाजायज शराब की बोतलें। लिखा-पढ़ी इतनी साफ सुथरी, कि बड़े से बड़े वकील को भी बरी राह नहीं मिलती। उसके सारे केसों में सजा निश्चित थी।

यह नाम कप्तान को ठीक नहीं लगा। अफीम शराब के केसों की लिखा पढ़ी भी, कोई लिखा-पढ़ी होती है। ऐसे केसों के ब्यान एक जैसे होते हैं। छोटी-मोटी तब्दीली से काम चल जाता है। तफ्तीशी की होशियारी का पता तब चलता है, जब उसके हाथ में, गबन, कत्ल या बलात्कार जैसे केसों की तफ्तीश

हो। पाखर ने आज तकएक भी ऐसे केस की तफ्तीश नहीं की। बेसिर पैर वाला यह कत्ल केस उसके वश का नहीं।

कप्तान को ऐसे तफ्तीशी की जरूरत थी, जिस की बुद्धि तीक्ष्ण और कल्पना शक्ति तीव्र हो। उलझनदार केसों में तफ्तीशी के पास घटित घटनायों के कुछ सूत्र होते हैं। कानून के सांचे में फिट करने के लिए, कहानी का बाकी ताना-बाना, उसे खुद बुनना पडता है। इस केस में, तफ्तीशी को कहानी भी घडनी पड़नी थी और सबूत भी।

कप्तान को लगता था, इस डूबती नैया को, यदि कोई पार लगा सकता है, तो वह नाज़र सिंह ही है।

बलात्कार के एक केस में उलझी गुत्थी को, जिस अक्ल और दिलेरी से उस ने सुलझाया था, वह कप्तान की नजरों में ऊँचा उठ गया था।

अनाथ आश्रम की एक वार्डन के भाई ने, पन्द्रह साल की एक लड़की से, दिन दिहाड़े बलात्कार किया था। लड़की की बिगड़ी हालत देखकर, वह घबरा गया और घर से फरार हो गया।

ऐसी घटनाएं आश्रम के लिए नयी नहीं थी। लड़कियां रो-धोकर चुप हो जाया करती थीं। वार्डन ने इसी आशाा से, तूफान के गुजरने तक, चुप रहना उचित समझा।

किन्तु, कुछ ही घंटों में बिल्ली थैले से बाहर आ गयी। खबर प्रबंधकों तक पहुंच गयी। वे कार्यवाही के लिये उतावले होने लगे। इसके कई कारण थे। पहला यह कि लड़की की उम्र छोटी थी। दूसरा, बलात्कारी एक साधारण आदमी था, कोई प्रबंधक नहीं। इस तरह तो हर किसी को, मुंह मारने की आदत पड़ जाएगी। तीसरा कारण, वार्डन खुद थी। वह बहुत सुन्दर थी, किन्तु प्रबंधकों को, उसकी सुंदरता का कोई लाभ, नहीं पहुंच रहा था।

परंतु अब बटेर मुश्किल से पैरों तले आया था।

अपनी नौकरी छिन जाने और भाई को सजा होने के डर से, वार्डन ने हालात काबू करने की कोशिश की। वकील की सलाह ली। एक ओर, वह प्रबंधकों को टालती रही। दूसरी ओर बलात्कार के सबूत मिटाती रही।

सप्ताह में, जब सारे सबूत मिट गए, एक रात वह भी गायब हो गयी।। प्रबंधकों के तन-बदन में आग लग गयी। क्रोधित होकर, उन्होंने केस पुलिस को दे दिया।

पुलिस इस मुर्दा केस का क्या करे?

पहले तो केस ही एक सप्ताह बाद दर्ज करवाया गया था। यह देरी दोषियों को बरी होने में सहायक थी। बलात्कार के समय, लड़की ने जो कपड़े पहने थे, वे जलाए जा चुके थे। पुलिस के लिए उन कपड़ों को कब्जे में लेना जरूरी था। उन पर दोषी का वीर्य था। दोनों के गुप्तागों के बाल थे।

लड़की के शरीर पर, लगी खरोंचे ठीक हो गई थीं। ताजे जख्मों के बिना भी, केस कमजोर हो जाना था। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। अकेली लड़की के ब्यानों के आधार पर, सजा असंभव थी।

कप्तान उन दिनों इस इलाके का डिप्टी था। मामले की नजाकत को देखते हुए, तफतीश उसको सौंपी गयी। डिप्टी की तफतीश हो, और दोषी को सजा न हो। यह कैसे हो सकता था? किन्तु सबूतों के बिना सजा संभव नहीं थी। डिप्टी करे तो क्या?

नाजर सिंह उस समय डिप्टी का रीडर था। उसकी सलाह ली गयी।

उसने घंटे में सबूतों के ढेर लगा दिए।

ब्यान लिखने के बहाने, वह लड़की को अपने क्वार्टर में ले गया। घंटे बाद जब वे वापिस आए, तो लड़की की हालत वैसी ही थी, जैसी बलात्कार के समय थी।

केस सफलता की सीढ़ियां चढता गया।

सोच समझकर, नाजर सिंह के कंधों पर भार डाला गया ।

उस समय नाजर सिंह ने इस जिम्मेवारी को, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया था। अफसरों ने उस पर विश्वास किया था। यह उसके लिए गर्व की बात थी।

किन्तु ज्यों-ज्यों तफतीश आगे बढ़ रही थी, उसका जोश ठंडा पड़ रहा था।

पड़ताल पर आए डिप्टी ने, अपनी तरफ से तो नाजर सिंह पर कृपा की थी। वह तफ्तीश बिना किसी रुकावट पूरी कर सके, इसलिए बाकी की ज़ेरे तफतीश मिसलें, उससे लेकर दूसरे थानेदारों के हवाले कर दी गईं। उसका इलाके में जाना भी बंद। चुप करके मेज पर बैठे और इस केस की लिखा पढ़ी करे।

डिप्टी की यह मेहरबानी, नाजर को महंगी पड़ रही थी।

वह आप हेरा फेरी न करे, तो भी चालान के अदालत को सपुर्द होने तक, हजार पन्द्रह सौ खर्च होने मामूली बात थी। इतना खर्च अच्छे भले केस में हो जाता है। इस मृतप्राय केस में सब कुछ नए सिरे से होना था। स्केली नक्शा चाहिए था। फोटोग्राफर को पैसे देने थे। हस्तलिपि विशेषज्ञ से रिर्पोट ठीक करवानी थी। ब्यानों, जिमनियों की रद्दो-बदल करनी थी। सरकारी वकील को सलाम करना था। नायब कोर्ट को चाय पानी पूछना था। पैरवी करने वाला साथ होता, तो सारे काम फटाफट हो जाते। नाजर सिंह की यही समस्या थी, न जेब से खर्च कर सकता था, न खर्च किए बिना चलान पास होना था। परिणाम स्वरूप केस लटक रहा है।

उससे दूसरी तफतीशें न छीनी होतीं, तो वह कहीं और हाथ मार लेता। भदौड़ कत्ल केस के मुद्दई को बुलाता या सहकारी सभा के फंद को गबन करने वाले मुलजिम को! किसी को क्या पता, किस को कितनी फीस देनी है। एक ही पक्ष से दुगने पैसे दिला कर, वह पीछा छुड़ा लेता।।

इसी तरह, एक बार तीन सौ छब्बीस का केस फंस गया था। भाइयों का आपसी झगड़ा था। रिश्तेदारों ने मध्यस्थता करके समझौता करवा दिया। समझौता करवाने की सारी फीस, थाना प्रभारी खुद डकार गया। ऊपर से सरपंच को कह दिया, ''किसी हरामजादे को दुअन्नी न दो, कोई तंग करे तो मेरे पास आ जाना।'' भाऊ चुप करके घर बैठ गए। सरकारी वकील ने मिसल दबा ली। न कोई सरकारी वकील को पैसे दे, न वह चलान पास करे। हर मीटिंग में नाजर को जूते पड़ते, केस में देरी क्यों हो रही है?

एक दिन जुआ खेलते सेठ उसके हाथ लग गए। जुए के दोष में दोषी अपने जुर्म का इकबाल कर जाएं, तो भी पचास रूपये से ज्यादा जुर्माना नहीं होता। ऐसे चलानों पर सरकारी वकील ज्यादा ध्यान नहीं देते। सरसरी सी नजर मारी और चलान पास।

नाजर ने सेठ धमकाए। सरकारी वकील का रौब डाला। अगर मुट्ठी गर्म न की, तो कैद करवा देगा। जज से अच्छे संबंध हैं। आंखें ठंडी हो गई, तो माफी दिला देगा।

डरे सेठों ने सौ-सौ के पांच नोट पकड़ा दिए। दो उसने अपनी जेब में डाले, एक नोट इस केस के खाते और दो छब्बीस के खाते। तुरंत सब काम पूरे हो गए।

यह पैसे की कमी से ही थी कि चलान पच्चासी दिनों से लटक रहा था।

कत्ल रोज़ रोज़ तो होते नहीं। कभी हो जाएँ तो हर एक को फीस मिलने की आशा बंधती है। यही आशा सरकारी वकील को थी। उसने पूरे तीन घंटे माथा पच्ची करनी थी। मिसल का अक्षर-अक्षर पढ़ना था। ब्यानों का मिलान करना था। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट देखनी थी। नक्शे की पड़ताल करनी थी। सब दस्तावेजों का आपस में तालमेल बिठाना था। सरकार उनको खाने के लिये बादाम तो देती नहीं। कोई पक्ष जेब करेगा, तभी माथापच्ची करेगा! न नाजर ने उसके हाथ पर कुछ रखा, न सरकारी वकील ने चलान दराज़ से बाहर निकाला। तीन दिन से वह जहां था, वहीं पड़ा था।

पहले दिन जब वह चलान लेकर आया था, सुरेन्द्र कुमार बड़ी नम्रता से मिला था। नाजर सिंह कत्ल केस लाया है, सुनकर उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। कमजोर से कमजोर केस में भी, चार पांच सौ मिलने तो पक्के थे।

काफी देर, सुरेन्द्र कुमार मिसल के पन्ने पलटता रहा। नाजर सिंह सब समझ रहा था। उसको फीस की प्रतीक्षा थी। उसे चाहिए था, मिसल के साथ फीस सरकारी वकील के हवाले कर देता। नाजर के पास कुछ होता तो देता। वह चुप चाप बैठा रहा। कोई जरूरी नहीं, हर केस में पैसे दिए जाएं। आखिर चलान चैक करना उसकी डयूटी थी।

थानेदार को बेशर्म होते देखकर, सरकारी वकील ने भी मुंह पर मिट्टी मल ली। बिना भूमिका बांधे, सीधे ही पूछ लिया-

''क्यों, मुद्दई साथ लाए हों?''

''मुद्दई लाला जी हैं, युवा संघ है, उनका आपको पता है। पहले ही पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं। शिकायत करने का बहाना ढूंढते हैं।

''फिर मुलज़िमों का कोई होगा?''

''उन का भी आपको पता ही है। समिति वाले हर रोज पुलिस का जलूस निकालते हैं। मामला पार्लियमेंट तक पहुँच चुका है।

''फिर तुम तो कहीं नहीं गए।'' झल्लाए सरकारी वकील ने कटाक्ष किया या मजाक, उस को समझ नहीं आया था ।

'हम कब भागे हैं।' उस ने कहा जरूर पर जेब में हाथ न डाला।

'कोई नहीं, मैं मिसल पढ़ लूं। तुम ग्यारह बजे ले जाना।' सरकारी वकील कौन सा कम था। बहाने से उसने नाजर को टाल दिया। नकद नहीं तो बेगार सही। बेगार भी नहीं करेगा, तो धक्के खाएगा।

सुरेन्द्र को फंसे तफतीशी से काम लेना आता था। और नहीं तो बिगड़ी घड़ी ही पकड़ा दो, ठीक करवाओ। सिनेमा के टिकट लाओ। बच्चों को सैर करने जाना है, कार मँगवाओ। जितनी देर बेगार पूरी नहीं होती, थानेदार सरकारी वकील के मुँह नहीं लग सकता।

किन्तु शुक्र था, पहले दिन नाजर सिंह को ऐसी कोई बेगार नहीं पड़ी थी ।

बेगार न पड़ने का जो कारण उसे समझ आया, शायद वह यह था कि वह दोनों पक्षों से सीधा संपर्क करना चाहता था।

अभी तक उसने किसी से संपर्क न किया हो, यह भी संभव नहीं था। मुंशी, वकील, कर्मचारी, पंच, सरपंच और प्रधान, सब उसके यार दोस्त थे। अब तक वे दोनों पक्षों को, सरकारी वकील के आगे पीछे घुमा-घुमा कर, थका चुके होंगे। कुछ ने लम्बी-चौड़ी भूमिका बांधकर, लाला जी को समझाया होगा 'सरकारी वकील ने मिसल बांधनी है। अच्छा है, उसको मिल लो। न मिले तो काम ढीला छोड़ देगा।''

कुछ मुलजिमों के पास गए होंगे। उनके मोटे दिमाग में बात डालने के लिए, बार-बार समझाया होगा। थानेदार ने बहुत मदद की है। उस सहायता का लाभ तब होगा, जब सरकारी वकील केस ज्यों का त्यों पास कर देगा। जेब भर दोगे तो हाथी भी सामने से निकलने देगा। नहीं तो पूंछ भी नहीं निकलने देगा।

घबराए दोनों पक्ष सुरेन्द्र के पास आए होंगे।

ठंडा पानी पिला कर सुरेन्द्र ने लाला जी का सीना ठंडा किया होगा।

'फिक्र न करो सेठ जी। ऐसी मिसल बांधूगा, साले मेरे, हाई कोर्ट तक बरी नहीं होंगे।'

मुलजिमों के वारिसों को उस ने घर बुलाया होगा। उनकी पीठ थपथपा कर कहा होगा-

'फिक्र न करो। केस में बरी होने के लिए बीसियों बचाव के रास्ते हैं। यदि मैंने दरारें न भरी तो जज चाहे मुद्दई का साला लगता हो, तो भी लड़कों को सजा नहीं कर सकता।'

बातों में आए सायलों ने उसकी जेबें भरने का वादा किया होगा। किन्तु सुरेन्द्र की बातों से लगता था, जैसे नाजर की तरह, उस की भी मुट्ठी गर्म नहीं हुई थी।

मुँह मीठा हुआ होता, तो मिसल का अक्षर-अक्षर पढ़ता। मुलजिमों को बेकसूर और बेकसूर को मुलजिम बनाने के राह ढूंढता। मुद्दई, मुलजिमों से किए वादे को निभाने के लिए मिसल में रद्दो बदल करवाता।

नाजर के एक केस में उसने ऐसे ही किया था!

नम्बरदारों के शराबी लड़के ने नशे में, अपने पड़ोसियों पर हवाई फायर कर दिया था। पुलिस ने पर्चा दर्ज करके गोली चलाने का कारण लड़के की लापरवाही लिखा था। इस तरह तीन सौ छतीस का मामूली सा केस बना था। वह भी काबिले जमानत। नम्बरदार ने मुख्य अफसर से गिटपिट करके लड़का सीधा अदालत में पेश कर दिया। अदालत से फौरन ज़मानत ले ली। विरोधी पक्ष देखता ही रह गया।

अपने वकील से सलाह करके आया मुद्दई पक्ष, सुरेन्द्र कुमार के हाथों का खिलौना बन गया। उसने पहले खुद नोट लिये, फिर तफतीशी को दिलाये। गवाहों के ब्यानों में मामूली सी रद्दो-बदल करने से मुकद्दमा तीन सौ सात में तब्दीलल हो गया। पहले बंदूक का मुंह आसमान की ओर था, फिर मुद्दई की ओर कर दिया गया। काबिले-जमानत जुर्म, न-काबिले जामनत बन गया। महीना जेल की हवा खा कर लड़के की जमानत हुई, वह भी हाई कोर्ट से।

सरकारी वकील जो मर्जी करे। नाजर सिंह को कोई सरोकार नहीं। वह लाला जी को बुलाए या दोषियों के वारिसों को। गवाहों के ब्यान बदले या दफाओं को कम ज्यादा करे। बस, चलान पास कर दे।

किन्तु अगले दिन भी बात वहीं की वहीं रही।

नाजर को चलान ग्यारह बजे मिलना था। वह दस बजे ही आ धमका।

धोबी के कुत्ते की तरह, वह न घर का रहा न घाट का।

थाने जाता, मुख्य अफसर खाने को दौड़ता। 'यहां क्या अंडे देते हो? उस भड्डुए के सिर पर बैठो।' डाँट कर मुख्य अफसर उसे कचहरी भेज देता।

कचहरी आए को, सरकारी वकील राह न देता।

नब्बे में से पच्चासी दिन गुजर चुके थे, किन्तु नाजर ने अभी पहला पड़ाव भी पार नहीं किया था। पहले सरकारी वकील कमी निकालेगा। फिर चलान इससे बड़े सरकारी वकील के पास जाएगा। वह अपनी अक्ल दिखाएगा। फिर जिला अटार्नी नोक झोंक करेगा। यही स्पीड रही तो चलान नब्बे दिन और इधर उधर घूमता रहेगा।

दस बजे सरकारी वकील कचहरी में पेश हुआ था। ग्यारह बजे पता लगा, वह बार रूम में बैठा ताश खेल रहा है। नाजर ने कई संदेश भेजे, उसके कान पर जूं न रेंगी!

वहाँ से उठ कर, भोजन करने चला गया! नाजर सिंह लुका छिपी का कारण समझता था। वह नाजर का काम नहीं करना चाहता था। जानबूझ कर टाल रहा था। तीन बजे, वह सैनी वकील के चैम्बर में जा बैठा। नाजर को कुछ राहत महसूस हुई। सैनी लाला जी के नजदीकी मित्रों में से था। शायद कुछ ऊपर नीचे करने गया हो। कुछ देर बाद, नाजर की खुशी गम में बदल गयी। खोखे में खारे सोडे जाने लगे। खोखे का दरवाजा बन्द हो गया। अंदर से कहकहे सुनायी देने लगे।

जब चार बजे तक कुछ समझ न आया तो मजबूर हुए नाजर सिंह ने सैनी वकील के दरवाजे पर दस्तक की। सुरेन्द्र को जैसे उसी की प्रतीक्षा थी। बड़े अदब से नाजर को अंदर बुलाया गया। पहले कुर्सी पेश की, फिर जाम उसकी ओर बढ़ाया गया। नाजर पीने के मूड में नहीं था। पीने बैठ गया तो काम बीच में रह जाएगा। उसने गिलास एक ओर कर दिया। इससे से पहले, नाजर चलान के बारे में पूछता, सैनी ने सुरेन्द्र को आँख मारी। व्हिस्की की बोतल खाली हो गयी है। यह समझाया।

'तुम शाम को कोठी आ जाना। आराम से बैठ कर चलान निकालेंगे। अब तुम ऐसे करो... दो व्हिस्की की बोतलें, दो चिकन और एक किलो मछली पकड़ लाओ।'

यह चीजें लाने में उसको कोई एतराज नहीं था। उस ने हुक्म आगे कर देना था। शराब ठेकेदारों से मुफ्त मिल जानी थी और मछली अजीत से। फिक्र था तो इस बात कि शराबी हुआ सुरेन्द्र चलान कैसे चैक करेगा?

नाजर को एक बार पहले, उसके साथ बैठने का मौका मिला था। आधी बोतल में ही वह शराबी हो गया था। शराबी हुए सुरेन्द्र को कोई सुध नहीं थी, वह कहां बैठा था और किस के साथ। पहले वह होटल वाले से लड़ा, फिर होटल से निकल कर ऐसे व्यवहार करने लगा, जैसे अनपढ़ गंवार हो। राह जाती लड़कियों पर आवाज़ें कसने लगा। रिक्शा में चढ़ते हुए रिक्शा वाले के थप्पड़ लगा दिया। नाजर साथ न होता, तो कोई न कोई उस की भुगत संवार देता।

नाजर के पास अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के सिवा कोई चारा नहीं था।

हुक्म का पालन हुआ। मुंह अंधेरे वह सुरेन्द्र की कोठी गया। चलान एक ओर रहा, वह खुद भी घर नहीं पहुँचा था। क्रोध के मारे वह वापिस लौट आया।

आज तीसरे दिन ी कहानी वहीं खड़ी थी। सरकारी वकील का इन्तजार करता नाजर, अपने मुख्य अफसर को कोसने लगा। लाल सिंह को उस थाने का मुख्य अफसर बने, कई महीने हो गए थे। उस मां के पुत्र ने, एक बार भी कचहरी चक्कर नहीं मारा था। सरकारी वकीलों और जजों के मुंह फुले हुए थे। दस बीस दिनों के बाद अगर वह अफसर को सैल्यूट मार जाए कौन सा उसकी शान में फर्क पड़ जाएगा। छोटे मुलाजिमों को आसानी रहती। अब गिरा गधे से, गुस्सा कुम्हार पर वाली बात थी। अफसर

लाल सिंह का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नजला नाजर सिंह जैसों पर झाडते हैं। पहले वाला मुख्य अफसर समझदार था। गर्मी में गेहूँ भिजवा देता। लोहड़ी दिवाली को चार-चार बोतलें व्हिस्की की। कभी गांव जाना हो, गाड़ी भेज देता। बस अफसर बागो-बाग। जहां मर्जी अंगूठा लगवा लो।

लाल सिंह को कहें तो बुरा मान जाएगा। गर्दन में मुख्य अफसर की अकड़ होगी। कहेगा-

'स्वयं पहले उसको सिर चढ़ाते हो, फिर रोते हो। यदि चलान चैक नहीं करता, रोज नामचे में रिपोर्ट डाल दो। कापी डी.ए. को भेज दो। लिख दो, पैसे मांगता है। अपने आप पड़ताल होती रहेगी, साले की।' दूसरों को नसीहते देनी आसान थी। खुद अमल करना पड़े। फिर आटे दाल का भाव पता लगे। नाजर ने अभी नौकरी करनी है, घर नहीं जाना।

नाजर को अपने उस्ताद की दयनीय हालत भूली नहीं थी। इसी तरह बातों में आकर उस्ताद ने, एक बार एक सरकारी वकील की शिकायत कर दी। जिला अटार्नी ने अपने सरकारी वकील की डांट डपट की या नहीं, यह किसी को नहीं पता, किन्तु उसने पुलिस कप्तान के कान जरूर भर दिए। उस्ताद के लेन देन के सारे किस्से, साहिब को जा सुनाए। उस्ताद को जान छुड़वानी मुश्किल हो गयी थी। साहिब की अलग चापलूसी की और सरकारी वकील की अलग। सरकारी वकीलों में उसका प्रभाव खत्म हो गया। वह उसको दफतर में न घुसने देते। चलान न पास करते। एतराज पर एतराज लगा देते। फिर साहिब न सुनता। क्या करे, कहते, देख अफसरों से बिगाड़ने का मजा।

शिकायत नाजर के मामले का हल नहीं था। गले पड़ा ढोल उसको बजाना ही पड़ना था।

आज वह फैसला कर के आया था। यदि अभी तक चलान चैक न हुआ, सौ का एक नोट सरकारी वकील के मुंह पर मारना था। यहां सौ से पीछा छूट जाना था। चलान लेट हो गया, तो राई का पहाड़ बन जाना था। सोच समझ कर नाजर ने, सौ का एक नोट बटुए में से निकाला और सामने वाली जेब में डाल लिया।

नायब कोर्ट को समझाया। ज्यों ही सरकारी वकील दफतर में आये, वह जूस का जग भरवा लाए!

आज मेहनत रंग लाएगी या नहीं? सोच में डूहे नाजर को पता नहीं लगा, कब सुरेन्द्र कुमार उसके सामने आ बैठा था। ''क्यों आंख लग गयी?'' एक घूंट में जूस का आधा गिलास खत्म करते, सुरेन्द्र ने नाजर का सपना तोडा! नहीं जनाब....शायद....! एक हाथ से आंख मलते और दूसरे हाथ से ढीला सा सैल्यूट मारते, नाजर ने अपने आप को संभाला।

'अच्छा व्यक्ति है आपका मुख्य अफसर। केसों की पैरवी के लिए पैरवी अफसर नहीं भेजता। गवाह धड़ाधड़ मुकर रहे हैं। और तो और, पुलिस वाले भी मुकर जाते हैं।' माल मुकद्दमे का ख्याल रखना या सम्मन तामील करना, नाजर सिंह का काम नहीं था। यह मुख्य अफसर जाने या मुंशी। नाजर यह जवाब देना चाहता था। किन्तु चलान चैक होने तक उसने चुप रहना ठीक समझा।

''कोई बात नहीं जनाब, आज ही थाने जा कर मुंशी और तामीली को खींचता हूँ।'

'कल से सब ठीक हो जाएगा!'

कुछ देर दोनों में खामोशी छायी रही।

फिर सुरेन्द्र कुछ मिसालों को दराज में से निकाल कर उलट-पलट कर देखने लगा।

'मेरा काम हुआ जनाब?'' पहले नाजर को लगा, जैसे सरकारी वकील उसी की मिसल निकाल रहा हो। जब उसने कोई और मिसल चैक करनी शुरू कर दी, तो मजबूरन नाजर को अपनी उपस्थिति जतानी पडी।

'कौन सा काम?'

'बंटी कत्ल कांड वाला चलान, जो मैं परसों दे गया था।''

'तुम कहते थे, मैं लाला जी को भेजूंगा। मैं इंतजार करता रहा। न लाला जी आए, न तुमने कुछ किया।'' सुरेन्द्र के पास इधर-उधर की बातें करने का समय नहीं था। वह सीधा असली मुद्दे पर आ गया।

'आपको बताया तो था...। दोनों पक्ष कमजोर हैं...!''

''किन्तु तुम तो नहीं कमजोर। जरूरी नहीं, आप हमें उसी केस में फीस दो, जिसमें आपको मिली हो। बहुत से केस होते हैं, जो आप बिना बताए डकार जाते हो। हमारे तक न केस आता है, न पार्टी। इस जैसे केस में, उस कोटे से फीस दे दिया करो।''

'कहां जनाब। डिप्टी बहुत बुरा है। पता नहीं, कैसे सुराग निकाल लेता है। बीस रूपये भी किसी से ले लो, वह भी अगले दिन मेज पर रखवा लेता है। मुश्किल से दिन कटते हैं जनाब, फिर भी ले लो..''

कहते नाजर ने वहीं सौ का नोट निकाला, जो उसने इसी उद्देश्य से जेब में डाला था।

'बस!' सौ का एक नोट देखकर सुरेन्द्र अपमान महसूस करने लगा।

'बहुत है जनाब दे रहा है। कमी फिर पूरी कर देंगे।'' नोट मेज पर पड़ी किताब के नीचे रखते नाजर के मिन्नत की।

'बाद की बाद में देखी जाएगी। इतने से काम नहीं चलना।'' किताब नाजर की ओर करते सुरेन्द्र ने नाराजगी दिखाई।

'आप रखो भी। कल भी तीन चार सौ लग गया था।'' नाजर सुरेन्द्र की सौदेबाजी से चिढ़ने गला। पहली बेगारें कुएं में पड़ गईं थीं। कल के खर्चे की बात पर सुरेन्द्र, कुछ ढीला तो पड़ा। वह और नोट और बटोरने चाहता था ।

सुरेन्द्र ने दराज़ खोला। एक ढेर और चलानों का निकाल कर, मेज पर सजा लिया।

'ये सारे चलान तुम्हारे चलान से पहले आए हैं। यदि क्रमानुसार निकालने लगा, तुम्हारी बारी दस दिन नहीं आनी।''

'किन्तु जनाब, मेरा चलान बहुत जरूरी है। पांच दिनों के अंदर-अंदर चलान पेश न किया गया, मेरी पेटी उतर जाएगी।''

'पच्चासी दिन मिसल बगल में दबा कर घूमता रहे! पाँच दिन रह गए, हमें फांसी पर चढ़ा दिया। आखिर कत्ल का मुकद्दमा है। अक्षर-अक्षर पढ़ना होता है।''

'कौन सा एक काम था जनाब! पहले मिसल की लिखा-पढ़ी की। दस दिन चंडीगढ़ बैठ कर, अंगुलियों के निशान और मोल्ड बदलवाए। मैं तो पहले दिन से इसी मिसल पर हूँ।'' नाजर के सब्र का प्याला भर गया। वह गुस्ताखी पर उतरने लगा।

'फिर मैं कौन सा खाली बैठा हूं। दो कचहरियों का काम है। सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं।''

'आप ठीक फरमा रहे हो जनाब। कल मीटिंग में यही बात चली थी। डिप्टी साहब कहते थे, ज्यादा काम होने से आप से निबटता नहीं। वह कहते थे, डी.ए. से बात करके, आपका भर हल्का करवाएंगे। मैं भी कह दूंगा, जल्दी चिट्ठी लिखें।''

आखिर नाजर के पैरों नीचे बटेर आ गई। नाजर को सीधी अंगुली से घी निकलता नजर नहीं आ रहा था। उसने दुखती रंग पर अंगुली रखी!

सरकारी वकील त्यागपत्र दे गया था। उस की जगह किसी को नहीं लगाया गया था। उसकी कचहरी का चार्ज लेने के लिए, यहां के सरकारी वकीलों में होड़ लगी हुई थी। कोई डी.ए. को घी या कनस्तर भेजता था, कोई व्हिस्की की पेटी।

किन्तु बाजी सुरेन्द्र ने जीती थी।

एक बार डिप्टी ने शिकायत कर दी तो कचहरी भी छिन जानी थी और बदनामी भी होनी थी।

'डी.ए., को लिखने की क्या जरूरत है। लो, पहले तुम्हारा चलान निकालूं। दोषियों की सच में, कहीं जमानत न हो जाए।''

नाजर का तीर सही निशाने पर लगा। बुड़ बुड़ाते सरकारी वकील ने मिसल खंगालनी शुरू की

नोट उसी तरह किताब नीचे पड़ा रहा। न सुरेन्द्र ने उठाया और न नाजर ने।

कचहरी छूटती नजर आते ही सुरेन्द्र कुमार के होश ठिकाने आ गए। शरीफों की तरह वह अपनी डयूटी निभाने लगा। आंखे मिसल पर थी, किन्तु जेहन में डिप्टी द्वारा लगाए गए दोषों की जांच कर रहा था।

देखा जाए तो डिप्टी की बात सच थी। सब डिवीजन के छः में से चार थाने अब उसके पास थे। थाने भी एक दूसरे से बढ़-चढ़कर। ऐसे थाने जहां दो-दो चार चार केस हर रोज दर्ज होते थे। काम इतना बढ़ गया था कि सुरेन्द्र को सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। वह एक थानेदार को विदा करता था, दो और आ जाते। कभी अन्दर वाली अदालत में आवाज पड़ जाती, कभी बाहर वाली में।

यह अतिरिक्त जिम्मेवारी अपने आप उसके कंधो पर नहीं आई थी। इस जिम्मेवारी को हथियाने के लिए उस को कई दिन भाग दौड़ करनी पड़ी थी। वजीर से सिफारिश करवाई थी। साथ में डी.ए. को पांच हजार के नोट भी भेंट किए थे। इन दिनों राज्य में सरकारी वकीलों की कमी थी। कई पद खाली पड़े थे। अप्रैल तक यहां किसी ने नहीं आना था। जिस तरह से पहले सरकारी वकील के पास लोगों की भीड़ लगती थी, उस से स्पष्ट था कि इतने पैसे तो पहले महीने ही बन जाने थे।

अतिरिक्त मिली कचहरी के साथ शहर का थाना लगता था। शहर का सरकारी वकील होने से थाने का स्वाद सुरेन्द्र कुमार कई बार चख चुका था। बठिंडा उसकी बहुत चढाई रही थी। एक ओर उस का स्थानीय लोगों का उससे काम पडता था से सीधा संपर्क हो जाता था। दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस उसके अधीन होती थी। इसलिये उसका कहा नहीं टाल सकती थी। थाने ले जाने वाला कोई न कोई दर पर खड़ा ही रहता था। कभी डॉक्टर दरवाजा खटखटा देता।' कार का एकसीडैंट हो गया है। कार छुड़वाओ।' कभी मास्टर जी आ गए, पड़ोसी के साथ बच्चों के लिए झगड़ा हो गया। 'पड़ोसी थाना चढा लाया, समझौता करवाओ।' कभी सेठ जी जुआ खेलते पकड़े गए, केस दर्ज होने से बचाओ।

दारू तो उसी समय पक्की हो जाती, जब वह आसामी के साथ चल पड़ता। एहसान अलग। बाद में चाहे चौथे दिन गाड़ी वाले से गाड़ी मंगवा लो और राशन वाले से राशन। कोई त्योरियां नहीं डालता था।

रामपुरा उसका वास्ता बड़ी बड़ी आसामियां से पडा था। गुप्ता एस.डी.ओ. का चोरी का सीमिंट पकड़ा गया और ग्रेवाल ओवरसियर की तारकोल। जैनियो की बहू जल कर मरी, तो हैडमास्टर की लड़की प्रेमी के साथ भाग गई। उसने दोषियों को छुड़वाने के लिए अहम भूमिका निभायी। उन से मोटी फीस उगाही। आधी स्वयं रखी, आधी पुलिस को दी।

आज कल उसकी पूछ एम.एल.ए. से अधिक थी। यह महत्व प्राप्त करने के लिए उस ने पैसा पानी की तरह बहाया था। कहीं यह मनहूस बंटी कत्ल केस उसकी जड़ों में न बैठ जाए। जब से डिप्टी की नाराजगी वाली बात सुनी थी, तब से उस को यही चिन्ता सताए जा रही थी।

उसको समझ नहीं आ रही थी, वह डी.ए. का हाथ अपने सिर पर समझे या नहीं? अफसर की शह पर वह मनमानी करे या नहीं?

यदि डिप्टी ने सुरेन्द्र की सचमुच शिकायत कर दी, तो डी.ए. उसकी मानेगा या नहीं?

यदि बेगारों के हिसाब से सोचा जाए तो डी.ए. को सौ फीसदी सुरेन्द्र का साथ देना चाहिये।

कचहरी मिले दस दिन भी नही हुए थे कि डीए उसने कार की बेगार डाल दी। कहता है, अमृतसर जाना है। एक दिन के लिए कह कर गया, तीन दिन नही आया। कार ऐसे चलाई, जैसे पानी पर चलती हो। पेशाब करने जाना है तो भी कार में। सुरेन्द्र कुमार को पूरे तीन हजार का बिल चुकाना पड़ा था ।

ये पैसे पूरे भी नहीं हुए कि नयी बेगार आ पड़ी। इस बार बेगार डी.ए. को पड़ी थी। पड़ी या नहीं, यह खुदा जाने। वह कहता था, डायरैक्टर को वी.सी.आर भेजना है। वी.सी.आर. पर बीस हजार लगना था। अतिरिक्त काम देकर डी.ए. ने सुरेन्द्र पर मेहरबानी की थी। अब मुसीबत में उस का हाथ बटाएँ के समय उसका एहसान चुकाने की उसकी बारी थी । पूरा नहीं तो सुरेन्द्र डीए का आधा बोझ तो उठाए।

बेगारों से तंग आए सुरेन्द्र के मन में एक बार आया था। वह कचहरी ही वापिस कर दे। किन्तु अफसर को नाराज भी तो नहीं किया जा सकता था। उसी के सहारे वह मनमानी करता आ रहा था। मुद्दई मुलजिमों से लेकर हवलदार थानेदारों तक से वह ठोक बजा कर पैसे लेता था।

किसी को भला बुरा लगेगा तो डी.ए. के पास ही शिकायत करेगा। जल्दी-जल्दी वह किसी को नजदीक नहीं आने देता। कोई ज्यादा पीछे पड़ जाए तो दरख्वास्त लेकर रख लेता है। उधर सुरेन्द्र को सूचना भेज देता है। सुरेन्द्र किसी मध्यस्थ को डाल कर व्यक्ति को पुचकार लेता है। मामला रफा-दफा हो जाता है।

मिसल जांच रहे सुरेन्द्र को लग रहा था, जैसे सरदारी उससे संभाली नहीं जा रही थी ।

यदि सुरेन्द्र समझदार होता तो इस केस में पैसों का लालच न करता। अच्छा भला पता है इस केस में लेने देने को कुछ नहीं। जिस अफसर ने भी लापरवाही की, उसी ने सजा भुगती। पुलिस कप्तान तक का तबादला हो गया। सुरेन्द्र कहां का तीस मार खां था! लाला जी का पोता मरा था। उसका घर वैसे ही उजड़ गया था। पाले मीते को सजा होने का लाला जी को क्या लाभ होगा? लाला जी सरकारी वकील को पैसे क्यों दें?

मुलजिम भी कंगाल थे। वैसे भी निर्दोष थे। थोड़ा सा भी दम होता तो केस में क्यों फंसते? औरों की तरह पैसे दे कर छूट गए होते।

बाकी रह गया तफतीशी। जेब से खर्च करके काम निकलवाने वाला तफतीशी कोई-कोई ही होता है। नाजर उन में से ही था। वह तीन-चार सौ के नीचे आ चुका था। कमजोर पद पर रह कर खुले दिल से खर्च करना उसकी दिलेरी का सबूत था। नहीं तो सुरेन्द्र का अनुभव था कि कमजोर पद पर तैनात पुलिस वाला जेब से एक पैसा नहीं निकालता। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज फिल्लौर में सुरेन्द्र ने थानेदारों की दयनीय हालत देखी थी। वही थानेदार, जो कार से नीचे पैर नहीं रखते थे, जब फिल्लौर में लगे थे तो तीन रुपये बचाने के लिए, बस स्टैंड से किले तक पैदल जाया करते थे । वे हवलदार जिन के व्हिस्की भी नाक तले नहीं आती थी, साठ पैसे का चाय के कप पर साठ पैसे खर्च करने से कतराते थे। कप पीने से गुरेज़ किया करते थे। इन दिनों नाजर की हालत भी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, में लगे थानेदारों जैसी ही थी। यदि सचमुच पांच दिनों के अन्दर अन्दर चलान पेश न हुआ तो पुलिस के साथ साथ सुरेन्द्र की भी शामत आनी थी। नाजर ने तो रोजनामचे में रिर्पोट डाल कर और जिमनियाँ लिख लिख कर, स्वयं को बेकसूर सिद्ध कर देना है। चलान लेट होने की सारी जिम्मेवारी सुरेन्द्र के सिर मढी जानी है। यदि सरकारी वकील चलान चैक न करे तो नाजर तफतीश पूरी कैसे करे?

ऐसी कोताही पर डी.ए. मातहत का पक्ष नहीं लेता था। लोगों की शिकायतें चाहे अनसुनी कर देता, परन्तु पुलिस अफसरों को अहमियत देता था। पुलिस कप्तान या डिप्टी की शिकायत पर कार्यवाही तो करनी ही हुई। यदि कोई मुख्य अफसर कह दे कि सरकारी वकील सहयोग नहीं देता, तो वह उसका थाना बदल देता था।

पुलिस अफसरों को खुश रखने में उसका अपना स्वार्थ था। उसको बड़ी मुश्किल से यह जिला मिला था। किसी अधीनस्थ के लिए वह अपनी कुर्सी खतरे में क्यों डाले? खुश हुए पुलिस अफसरों से वह बेगार करवाता था और अपनी लीडरी चमकाता था। हर किसी के साथ की सिफारिश करने चल पडता है। के साथ चल पड़ेगा। थाने चला जाएगा। हवलदार के साथ बैठ कर दारू पीने लग जाएगा। दो घड़ी सुरेन्द्र कुमार भी थाने जाने से झिझकता था। वह जिले का मालिक होने पर भी नहीं।

जब अफसरों का यह हाल हो तो सुरेन्द्र जैसे समझदार अफसर को समय की नजाकत पहचाननी चाहिए थी। उस का फर्ज था, वह अपने विरुद्ध उठने वाले तूफान का रुख समय रहते ही बदल देता।

अब भलाई इसी में थी कि चलान चैक कर के नाजर को खुश किया जाए।

यह बड़ा पेचीदा मुकद्दमा था। सारे केस में एक भी चश्मदीद गवाह नहीं था। सारा केस हालतों पर आधारित गवाही पर टिका हुआ था। घटनाओं के सूत्र एक दूसरे से, इतनी चतुराई से जोड़ने पड़ने थे, कि दोषियों के कातिल न होने में रत्ती भर भी संदेह न रहे।

मिसल के साथ गिनती के कागज लगे थे। एक एफ.एफ.आई.आर. थी, जो चार महीने पहले लिखी गयी थी। वह भी बंटी के अपहरण के बारे में थी। फिर दोषियों द्वारा फिरौती के लिए लिखी गई चिट्ठियां थीं।एक दोषी की हस्तलिपि के नमूने थे। फिर हस्तलिपि विशेषज्ञ की रिर्पोट थी, जिसमें उसने

चिट्ठियां पाले द्वारा लिखी गई प्रमाणित की थीं। पोस्ट मार्टम की रिर्पोट थी। लाश की बरामदगी वाली जगह से मिले अंगुलियों के निशान थे। एक और विशेषज्ञ की रिर्पोट थी, जिस के अनुसार ये निशान पाले मीते के थे। मौके पर मिली पदचाप का मोल्ड था। फिर विशेषज्ञ की रिर्पोट थी। गिरफ्तारी के समय जो जूती पाले से बरामद हुई थी, यह उसी जूती का निशान था। आखिर में दोषियों द्वारा मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया इकबालिया ब्यान था।

बच्चे को अपहरण करने की साजिश कहाँ रची गयी? बच्चा किसने, कहां से उठाया, कहां रखा? चिट्ठियां कहां बैठ कर लिखीं? चिट्ठियां किस ने फेंकी? लैटर पैड कहां से छपे? बर्तन कहाँ से खरीदा? बच्चा कहां मारा गया? लाश यहाँ कौन फेंक कर गया? कत्ल के लिए प्रयुक्त हथियार कहां से आए? फिर कहाँ गए? अब कहाँ है? इन जरूरी बातों के विषय में मिसल खामोश थी।

एक बार सुरेन्द्र का दिल किया, जिस तरह मिसल आयी थी, उसी तरह आगे कर दे। उसको किसी ने औपचारिक रूप से भी दुआ-सलाम नहीं की थी। जब दोषी बरी हो गए तो लाला जी खून के आँसू बहाएंगे।

ऐसे सोचते सुरेन्द्र को कई केस याद आए, जहाँ उसने इन्ही कारणों से मुद्दई पक्ष का केस बिगाड़ा था। सहना गांव वाले कत्ल केस में मुद्दई के वकील ने उसको उल्टी पट्टी पढ़ा दी थी। वकील का सुरेन्द्र कुमार से कमीशन को लेकर मतभेद था। कचहरी की शरा के अनुसार, सुरेन्द्र उस को तीसरा हिस्सा देने को तैयार था। इसके विपरीत वह आधा भाग माँगता था। यह आसामी सुरेन्द्र ने खुद फँसायी थी। पैसे पकड़ने के आधे नहीं मिलने थे। झल्लाए वकील ने आसामी को टरका दिया। कहता, यह छोटा सरकारी वकील है। इसने कुछ नहीं करना। काम सैशन कोर्ट के सरकारी वकील ने करना है। इससे अपनी हज़ामत क्यों करवाई जाए?

आगे सुरेन्द्र भी सब का उस्ताद था। मुलजिमों को बरी करवाने का नुकता उसने पहले ही ढूँढ रखा था।

रिर्पोट में दर्ज था कि मरने वाले को मोटी लोहे की छड़ से पीट-पीट कर मारा गया है। चश्मदीद गवाह भी इसी तथ्य की पुष्टि करते थे।

पोस्टमार्टम की रिर्पोट कहानी को दूसरी दिशा में ले जा रही थी। रिर्पोट कहती थी कि मौत गला घुटने से हुई थी। मरने वाले को चोटें लगी जरूर थीं। किन्तु वे मामूली थीं।

दोषियों को सजा तब होती, यदि चश्मदीद गवाहों की गवाही और डॉक्टर की रिपोर्ट में एक सूत्रता होती। इसी कमी के कारण सुरेन्द्र ने मुद्दइयों को बुलाया था। दो सप्ताह मिसल दबा कर रखी थी। यदि मुद्दई बात करते तो वह डॉक्टर से रिपोर्ट बदलवा देता। वकील की बातों में आकर जब मुद्दई चुप कर गए तो सुरेन्द्र भी सो गया। चाहे दोषियों से भी उसको कुछ नहीं मिला था, किन्तु मुद्दइयों को मजा चखा कर उसको बोतल जितना नशा चढा था। कोई साधारण केस होता, सुरेन्द्र इसी तरह करता। किन्तु यह

महत्वपूर्ण केस था। मिसल कई बार मुख्य मंत्री के दफ्तर के चक्कर काट आयी थी। पता नहीं कितनी बार और जानी थी। सुरेन्द्र की कोई भी लापरवाही खतरनाक सिद्ध हो सकती थी। सुरेन्द्र सामने खड़ी बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद करके, खतरे को टाल देने का भ्रम नहीं पाल सकता था। मन एकाग्र करके सुरेन्द्र ने मिसल का अक्षर-अक्षर पढ़ा। ब्यानों के साथ ब्यान मिलाए। फिर ब्यानों के साथ विशेषज्ञों की रिपोर्ट मिलाई। अंगुलियों के निशानों, हस्तलिपियों और विशेषज्ञों की राय का मिलान किया।

यहां तक सब ठीक था। किन्तु यदि घटना की कड़ी से कड़ी न जोड़ी गई तो इन सबूतों के आधार पर दोषियों पर चार्ज तक नहीं लगना था ।

कल्पना शक्ति को तेज करने के लिए सुरेन्द्र ने सिगरेट सुलगायी। लम्बे लम्बे कश मारता रहा, साथ में उलझे ताने बाने के सूत्र सुलझाता रहा।

'नाजर सिंह, मुझे तो केस में कुछ नजर नहीं आता। सच-सच बता, केस को सफल बनाना है या नहीं?''

''क्या कहते हो जनाब? हर तफतीशी चाहता है, उसका केस कामयाब हो। इस केस से तो तरक्की मिलने की संभावना हैं।''

''फिर सुन! सबूत घडने के लिए झूठे सच्चे गवाहों की कतार खड़ी करो,

''जैसे कहोगे, कर लूंगा, जनाब!''

''अच्छा होता, अगर एक दोषी की गिरफ्तारी और डाल ली जाती। सी.बी.आई वाले इसी तरह करते हैं। जब केस कमजोर हो तो अपना कोई खास व्यक्ति पहले दोषी बना लेते हैं, फिर वायदा माफ गवाह। उसी गवाह के बल पर बाकी दोषी सजा खा जाते हैं।''

'उस समय क्या पता था जनाब। यूं ही राई का पहाड़ बन गया। हम ने सोचा था, दोषियों की गिरफ्तारी से लोगों का रोष ठंडा पड़ जाएगा। फिर दोषी सजा हो या बरी, हमें क्या?'

''हूँ..।'' कहता सुरेन्द्र कहानी घडने में मग्न रहा।

''जो होना था, सो हो गया। अब किसी तरह बेड़ा पार लगाओ।'' कुछ देर प्रतीक्षा करके नाजर ने चुप बैठे सुरेन्द्र का फिर से ध्यान खींचा।

'वही सोच रहा हूँ...। ऐसे करते हैं, कहानी साजिश से शुरू करते हैं। चाय-दूध की दुकान वाला कोई ऐसा गवाह खड़ा करो, जो कहे, पाले मीते ने उसकी दुकान में बैठकर साजिश रची थी। इस केस में साजिश साबित करनी जरूरी है। फिर ढूंढो कोई ठेले वाला। उसको बंटी के स्कूल के आगे रेवडी गजक का ठेला लगाते दिखाओ। वह बंटी और दोषियों का जानकार हो। वह कहे, पहले बंटी का दादा उसको स्कूल छोड़ने जाता और ले कर आता था। घटना वाले दिन दादे की बजाय पाला मीता उसको

लेने आए थे। आधी छुट्टी के समय उन्होंने खुद गजक खायी थी और बंटी को भी खिलाई थी। फिर तीनों एक रिक्शा में बैठ कर चले गए।''

''फिर जरूरत पड़ेगी किसी रिक्शा वाले की। वह कहेगा, मैं दस सालों से रिक्शा चल रहा हूँ। अपहरण वाले दिन पाले मीते ने उसका रिक्शा किया था। उनके साथ बंटी भी था। वह तीनों को धानको की बस्ती में उतार आया था। इस तरह अपहरण करने का दोष साबित होगा। समझे?''

'जी जनाब!'' मुँह में अंगुली डाल कर बैठे नाजर ने हामी भरी।

'फिर कोई ऐसी बुढ़िया पकड़ो जो अकेली रहती हो। जिसका न कोई आगे हो, न पीछे। वह कहेगी, दोषी बच्चे का अपहरण करके पहले उसके घर लाए। चाकू दिखा कर उन्होंने बुढ़िया को डराया, धमकाया। शोर डालने से रोका। सब्र का घूंट पी कर वह सब कुछ करती रही। बंटी को कुछ दिन उसके घर रखा दिखाओ। यह भी लिखो कि बच्चे के लिए खाने पीने वाली चीजें वह साथ वाली दुकान से लाती रही।'

''बुढ़िया के टाफियां, बिस्कुट खरीदने की तस्दीक किसी ऐसे दुकानदार से करवाओ, जो उसी बस्ती में दुकान करता हो। कत्ल वाली रात वह बुढ़िया को बिना कुछ बताए बच्चा वहां से ले गए। बुढ़िया पुलिस को सूचना देना चाहती थी,किन्तु डर के मारे चुप रही। दोषियों के पकड़े जाने पर तुरन्त उस ने ब्यान कलमबंद करवा दिया। इस तरह करने से ब्यान लिखने में हुई देरी कवर हो जाएगी।''

''बुढ़िया और दुकानदार के ब्यान बच्चे की गैर कानूनी हिरासत साबित करेंगे। ठीक है?''

''बिल्कुल ठीक!'' नाजर ने ऐसे हामी भरी जैसे नानी से कहानी सुनता कोई बच्चा भरता है।

''एक लोहे की छड़ बरामद करवाओ। उस पर खून के धब्बे हों। बुढ़िया से उसकी शिनाख्त करवाओ। इस का भला क्या फायदा होगा?''

''कत्ल होना साबित होगा।''

''शाबाश।''

'अस्पताल के चौकीदार और मुहल्ले के पहरेदार को फुसलाओ।'

'पहरेदार कहेगा- उसने लाश की बरामदगी वाली रात, दोषियों को संदेहजनक हालत में अस्पताल की ओर जाते देखा था। उन में से एक के पास बोरी थी। बोरी में कोई चीज थी। पहरेदार ने उनको रोका जरूर, किन्तु बोरी की तलाशी नहीं ली। बोरी समेत वे अस्पताल की ओर चले गए।''

''चौकीदार उनको अस्पताल से खाली हाथ बाहर निकलते दिखाएगा। उसकी दोषियों के साथ हाथापाई हुई। हाथापाई में एक का बटुआ गिर गया। बटुए में पाले की फोटो थी। दूसरे की पगड़ी गिर गई। पगड़ी पर रंगरेज़ की निशानी थी। किसी रंगरेज़ का ब्यान लिखो। पगड़ी मीते की थी।''

''इस तरह पाले मीते की शिनाख्त भी हो जाएगी और उनके द्वारा लाश का अस्पताल में फेंके जाना भी साबित हो जाएगा।' थानेदार ने सरकारी वकील के पूछने से पहले ही ब्यानों का उद्देश्य बता दिया।

''बरामदगी के समय लाश नंगी थी। इस नुक्ते का फायदा उठाओ। लाला जी से बंटी की एक वर्दी हासिल करो। उस पर खून के धब्बे लगाओ, फिर वर्दी को किसी दोषी की निशाानदेही पर बरामद करो। यदि लाला जी सहमत हों तो उनकी मदद से किसी प्रिंटिग प्रैस वाले का ब्यान लिखो। वह साबित करे कि दोषियों ने डरा धमका कर उससे लैटर पैड छपवाया था।''

''किसी बर्तन वाले के द्वारा दोषियों को टोपिया बेचा हुआ दिखाओ। इतना कुछ करोगे, तब केस सफल होगा।''

सुरेन्द्र की योजना तो ठीक थी, किन्तु इसको सफल बनाना आसान नहीं था।

नाजर के सामने पहली समस्या यह थी कि झूठे गवाहों की लिस्ट बहुत लम्बी थी। किसी जाट का केस होता तो उसने सारे रिश्तेदारों को बतौर गवाह पेश कर देना था। लाला जी से यह आशा नहीं की जा सकती थी ।

इस विषय पर लाला जी से बात करने में नाजर को हानि ही होनी थी। यदि लाला जी को पता लग गया कि पुलिस मनघड़ंत कहानी बना रही है तो वह सच्चा ब्यान देने से भी मुकर सकते थे।

रेहड़ी, रिक्शे वालों के पीछे कौन घूमेगा? थाने में पक्के गवाहों की लम्बी चौड़ी लिस्ट मौजूद थी। गवाह भी एक दूसरे से बढ़कर। चश्मदीद गवाहों से बढ़िया गवाही देने वाले। नाजर ने मन बना लिया। उन में से ही, वह किसी को रेहड़ी वाला और किसी को रिक्शे वाला बनाएगा। माली, पहरेदार या चौकीदार से पूछने की जरूरत नहीं थी। उनके ब्यान अपने अनुसार लिख लेगा। जब वे गवाही देने जाएंगे, धमकाकर मना लेगा।

सुरेन्द्र की बातों ने नाजर का मन मोह लिया। वह यूं ही सुरेन्द्र से नाराज था। यह व्यक्ति काम का भी था और दिमागी भी। खुशी की लोर में आए तफ्तीशी ने कागज समेट कर बैग में डाले। बटुए से सौ का एक और नोट निकाला। पहले के साथ मिलाया। फिर दोनों नोट सुरेन्द्र कुमार की ओर बढ़ा दिए।

'कोई बात नहीं, रहने दो..... यह राय मैंने किसी प्राइवेट पार्टी को दी होती तो पांच हजार लिया होता। सरकार मुफ्त में दिमाग खाती रहती है,'' कहते सुरेन्द्र ने नोट नाजर की ओर खिसकाने का नाटक किया।

'आप अब शर्मिंदा न करो। मैं बहुत खर्च चुका हूं। अभी ऊपर भी खर्च होंगे।'' नाजर सिंह सुरेन्द्र की ओर ऐसे झुका, जैसे पैरों को हाथ लगा रहा हो।

'अच्छा, ऐसे करो। किसी से कैंटीन वाले का बिल दिलवा दो। आपके आगे पीछे खर्च करने वाले बहुत घूमते हैं।

जब नाजर ने सुरेन्द्र की जेब में नोट डाल दिए तो उसने गर्म हुए तवे पर एक और रोटी सेकनी शुरू की।

''ये लो आप खुद ही दे देना।'' कहते नाजर ने पचास का एक और नोट उसकी ओर बढ़ाया।

अब दोनों खुश थे।

नाजर इसलिए कि उसका पचास में ही पीछा छूट गया। बिल पता नहीं तीन सौ का था या पांच सौ का।

सुरेन्द्र इसलिए कि एक तो नाजर खुश हो गया। अब शिकायत की संभावना नहीं रही थी। दूसरा इसलिए कि जाते चोर की लंगोटी की तरह, उसने बिल के बहाने पचास का एक और नोट हथिया लिया था।

3

कर्मचारियों के दफ्तर पहुंचने का समय साढ़े नौ बजे का था। आम दफ्तरों की बजाए यहां के कर्मचारी नौ बजे से पहले उपस्थित हो जाते थे। जितना कोई पहले आएगा उतनी ज्यादा कद्र करवाएगा।'' यहां के कर्मचारियों की यही धारणा थी।

मेजर सिंह अहलमद नौ बजे पहुंचने वाले कर्मचारियों में अग्रणी होता था।

आज नाजर सिंह उस से भी उतावला निकला। वह मेजर से पहले कुर्सी संभाल कर बैठा था।

नाजर सिंह के हाथ में मोटी सी मिसल देखकर मेजर सिंह के मुँह से लार टपकने लगी।

मेजर सिंह को याद आया। आज बंटी कत्ल केस का चलान पेश करने की आखिरी तारीख थी। कत्ल केस और वह भी आखिरी दिन। मतलब, नीले नोट के दर्शन होने वाले थे। चलान ने पहले मेजर के हाथों में खेलना था। उसने इस केस में एफ.आई.आर., रिमांड पेपर, जमानतनामे और अर्जी-पत्र मिसल से लगाने थे। साथ ही चलान की जांच करनी थी। पुलिस ने जितने कागज मिसल से लगे होने लिखे थे, क्या वे मिसल के साथ लगे थे? तो क्या वे ठीक थे? जितनी देर अहलमद हरी झंडी नहीं दिखाता, जज चलान स्वीकार नहीं कर सकता।

इस हरी झंडी के लिए मेजर की फीस निश्चित थी। यदि कागज़ पूरे हों तो साधारण केस की फीस बीस रुपये और सेशन के सपुर्द होने वाले केस की पचास। तफ्तीशी ने पैसे कौन सा अपनी जेब

से देने थे। साथ आए मुद्दई, मुलजिम को इशारा करना था। चलान आखिरी दिन पेश करना हो तो एमरजैंसी फीस लगती थी, जो साधारण से दुगनी होती थी।

मेजर सिंह को पता था, नाजर सिंह ताबेदार था। दस की जगह बीस दिलवाने वाला।

इसीलिए उसने नाजर सिंह का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया।

नाजर सिंह ने भी खड़े हो कर मेजर को बैठने के लिए कुर्सी भेंट की। हालांकि थानेदार के लिए अहलमद के स्वागत में खड़ा होना जरूरी नहीं था।

''आओ नाजर सिंह जी, किसी मुसीबत में फंसे लगते हो। तभी सुबह ही आना पड गया है। दरवाजे पर खड़े हो।'' लंच बाक्स को मेज की दराज में रख कर, अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मेजर सिंह ने नाजर को टटोला।

'हां छोटे भाई, आज बंटी कत्ल केस का काम तमाम करना है।'' हाथों में पकड़े कागज़ों को ठीक करते थानेदार ने अपने आने का मकसद बताया और इशारे से समझाया। 'यह फालतू और बेगारी केस है। इस में ज्यादा आशा न रखे।'

मेजर उसका इशारा समझ गया। अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए, बिना मतलब मिसलों को इधर उधर करने लगा। कभी किसी मिसल के साथ सम्मन लगा लिए, कभी किसी से उतार लिए।

आसामियों के आने का वक्त था। मेजर सिंह चाहता था। नाजर सिंह काम की बात करे और जाए। कई डरपोक आसामियों ने पास बैठे थानेदार को देखकर टल जाना था। अर्दली कचहरी पहुँच चुका था। उसने आसामी फँसा ली तो बीच में से आधा हिस्सा मार जाना था।

थानेदार को भी जल्दी थी। वह मेजर के फुर्सत में होने का इंतजार कर रहा था। बोहनी के समय अपना राग नहीं अलापना चाहता था।

''चाय पियोगे या ठंडा? अपना अर्दली कहां है? ''सम्मान पूर्वक थानेदार ने अहलमद से पूछा। 'नहीं! किसी चीज की जरूरत नहीं। अभी भोजन कर के आया हूँ।'' नाजर के हाथ में पकड़ी मिसल की ओर ताक कर, वह फिर काम में व्यस्त हो गया।

'मैं क्यों कहूँ? उकता कर खुद फीस निकालेगा।'' सोचते मेजर ने उन केसों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी, जिन में आज दोषियों को पेश किया जाना था या उनके चलानों को। उसका ध्यान उन केसों की ओर ज्यादा था, जिनमें अभी तक कोई वकील पेश नहीं हुआ था। दूसरे नंबर पर वे केस थे, जिन का वकील नया था या अनाड़ी। ऐसे वकील किसी न किसी तरह एक बार वकालतनामा लगा लेते हैं, किन्तु उन से बहुत देर टिका नहीं जाता। ज्यों ही दोषी को कचहरी के जाब्ते की समझ आती है, वह फौरन वकील बदल लेता है। मेजर ने ऐसी संभावनाओं का पता लगाना था। इस शहर में फौजदारी के वकील बहुत कम थे। जो थे, उन सब से मेजर की जान पहचान थी। वह उन सब को ऐसे केसों के

नाम पते नोट करवा आता था। मुर्गी ने किसी न किसी के पास फँसना ही होता है। जिस के पास भी फँस गई, उस से मेजर का हिस्सा पक्का!

लिस्ट तैयार करके मेजर ज्यों ही उठने लगा, थानेदार ने उसे रोक लिया।

मिसल अहलमद की मेज पर रखने से पहले, उस ने एक नोट जेब से निकाला और तह करके मेजर की मुट्ठी में दे दिया।

मेजर ने कोई विरोध न किया। ख्याल था, सौ का नोट ही होगा।

फिर सरसरी सी नजर से उसने नोट को जांचा। यह तो बीस का था। वह आग बबूला हो गया। थानेदार ने अहलमद का मजाक उडाया था।

'यह नोट अपने पास संभाल कर रखो। कत्ल केस में केवल बीस रूपये?''

नोट को फिर से थानेदार की मुट्ठी में थमाते मेजर ने विरोध किया।

''ठीक है छोटे भाई। तुम्हें पता तो है, मैं ढाई महीने से थाने नहीं गया। मुद्दई खर्च करते हैं या मुलजिम! यहां मैं ही सब कुछ हूँ। नोट जेब से दे रहा हूं। तुम्हारे सम्मान के लिए। फीस के तौर पर नहीं।'' रोआंसे हुए नाजर की आवाज़ में मिन्नत थी।

हाथी नाजर ने निकाल लिया था, पूंछ बाकी थी। किसी न किसी तरह एक बार चलान पेश हो जाए तो पीछा छूटे। जहां और खर्च हुआ है और सही। '

'एक बीस का नोट और निकाल फिर देखना मेजर के हाथ। घंटे में फारिग न किया तो तुम क्या जानोगे।'' सुबह का समय होने से मेजर मूड खराब नहीं करना चाहता था। वह समझौते की नीयत से बोला।

''मैंने कभी किसी का हक नहीं रखा। जब आसामी हाथ में हो तो दो की जगह चार दिलवाता हूं। शराब के इकबाल वाले केस में तुम्हें दस की जगह पचास नहीं दिलवाए, बोतल अलग से।''

कुछ दिन पहले नाजर सिंह के पास एक अच्छी आसामी फँस गई थी। दस की जगह नाजर ने इसको पचास दिलवाए थे।

सोचा था,दानी दान करे तो भंडारी का पेट क्यों दुखे? एहसान के नीचे दबा अहलमद कभी काम आएगा!

नाजर सिंह मेजर को उस मेहरबानी की याद भी दिला रहा था और पछता भी रहा था। मुख्य अफसर सच कहता था। पहले ज्यादा पैसे दिला कर इनको सिर चढ़ा लेते हैं। जब लहू मुँह को लग जाता है तो ये अपनो को ही काटने लगते हैं। अच्छा होता, यदि नाजर नाली के कीड़े को नाली में ही पडा रहने देता।

'वह आपने कोई एहसान नहीं किया था, सरदार जी। आप ने पकड़ा और मुलजिम था, और इकबाल किसी दूसरे से करवाया था। यह मेरी भलमानसी थी कि यह हेराफेरी जज साहिब के नोटिस में नहीं लाया। नहीं तो तुम्हारी पेटी भी उतरती और चार सौ बीस का पर्चा भी दर्ज होता।''

मेजर भी किसी से कम नहीं था। यही जताने के लिए, उसने असलियत का पर्दाफाश किया था। यदि तफ्तीशी मुखबिरों का जाल बिछाकर रखते हैं तो अहलमद मेजर सिंह किसी से कम नहीं। मेजर सिंह थाने के नायब कोर्ट से लंका ढाने वाले विभीषण का काम लेता था।

कचहरी में घुसते ही नायब कोर्ट का काम मेजर को डायरी देना होता था। उस दिन पेश होने वाले रिमांडो, चलानो और इकबाल करने वाली आसामियों में कितना दम है, उसने यह बताना होता था। उस सूचना के आधार पर मेजर अपनी फीस तय करता था।

इस इकबाल की हिस्ट्री मेजर को उसी ने बतायी थी। असली दोषी कॉटन मिल के मालिक का भानजा था। शर्म के मारे वह पहले दिन से ही, घर से फरार था। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उसके दस्तख्त-अगूंठे कचहरी के रिकार्ड में आएं। भानजे की जगह मालिकों ने अपना नौकर भेजा था।

सरकारी वकील ने मुलजिम बदलने की मोटी फीस ली थी। नायब कोर्ट को सारे पचास रुपये मिले थे। इसी बात पर गुस्से हो कर नायब कोर्ट ने चौराहे पर भंडाफोड़ किया था।

नाजर का यह तीर निशाने से चूक गया। उसने दूसरा वार किया।

'चलो वह छोड़ो, बिमला बलात्कार केस में दो सौ दिलाया था। उसके मुलजिम तो नहीं बदले थे।''

'उस में भी हेरा-फेरी हुई थी। उस केस के असली दोषी को बेकसूर ठहरा कर, आप ने कालम नम्बर दो में रख दिया था। मुद्दई पक्ष उच्च अधिकारियों से इन्क्वायरी करवा कर, उसको गिरफ्तार करवाना चाहता था। दोषी को डरा कर आप ने चलान जल्दी पेश करने का एक हजार रुपया लिया था। अपनी फीस आप पहले ही हजम कर चुके थे। वह हजार हम अहलकारों का था। आप ने दो सौ दिला कर कोई एहसान नहीं किया था। बल्कि हमारे-हिस्से का आठ सौ हड़पा था।'

मेजर ने यहां भी मार न खायी। किस किस को कितने कितने पैसे पहुंचे थे, इस की सूचना उसको मुलजिमों का वकील दे गया था।

डर के मारे नाजर सिंह का दिल धक-धक करने लगा।

' लो दस और ले लो... मेरे पास बस इतने ही हैं, इन्कार न करो।'' दस का नोट और निकाल कर, जेबें झाड़ते नाजर ने फिर मिन्नत की।

''यदि तुम्हारा सच में दिवाला निकल गया हो तो यह भी रखो। चाय पानी पी लेना। मैं मुफ्त में काम कर देता हूं।... जाओ, पहले साहिब से मिसल पर हस्ताक्षर करवा लाओ। वह मेरे नाम हुक्म जारी कर देंगे।' साढ़े नौ बजते देखकर मेजर को नाजर से पीछा छुडवाने में भलाई लगी।

अब तक कई मुंशी उसको इशारा कर चुके थे। एक दो वकीलों के संदेश भी आ चुके थे। यदि वह इस तरह नाजर सिंह से उलझा रहा तो दिहाड़ी गुल हो जानी थी।

चहल वकील के वसीयत के एक केस में सम्मन तामील हो कर आए थे। मिसल के साथ लग गए तो उस को गवाह भुगताने पड़ेंगे। और तारीख मांगी तो जज खाने को दौड़ेगा। गवाह अभी गवाही के लिये तैयार नहीं थे। भलाई इसी में थी कि सम्मन मिसल के साथ लगने न दिए जाएँ। जब मिसल के साथ सम्मन नहीं होंगे तो जज को तारीख देनी पड़ेगी। सम्मन तब उतरेंगे जब मेजर से सौदा तय होगा। मेजर कुछ मिनट लेट हो गया तो मिसल जज की मेज पर चली जाएगी। मिसल मेज पर जाने से मेजर की कमान से तीर निकल जाएगा। चहल से फौरन सांठ गांठ होनी चाहिए थी।

मोहन जी भट्ठी के एक केस में बहस नहीं करना चाहता था। उसके दोषी का अभी जज से सौदा तय नहीं हुया था। बिना बात करे बहस करना खतरे से खाली नहीं था। इस का हल मेजर ही कर सकता था। उसने उस मिसल को उस दिन सुनवाई के लिए लगे केसों की लिस्ट में से निकाल देना था। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी! शाम को अपने आप तारीख पड़ जानी थी। मेजर को यहां से भी अच्छी दिहाड़ी बनने की आशा थी।

वैसे भी मेजर आज ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरना चाहता था। उसको पैसे की सख्त जरूरत थी। दो किस्तों का भूत उस के सिर पर मंडरा रहा था।

पहली किस्त प्लाट की थी, जो उसने आज भरनी थी। इस तिमाही किस्त के लिए उसको दस हजार चाहिए था। दूसरी किस्त भाईचारक कमेटी की थी। जो रविवार को भरनी थी। इसके लिए हजार अलग से चाहिए था।

स्टेनो और रीडर को देखकर मेजर ने भी प्लाट खरीद लिया था। दो-दो साल में उनके प्लाट दुगने तिगुने दाम के हो गए थे। स्टेनो ने दो प्लाट खरीदे थे। एक को बेच कर उन पैसों से उसने दूसरे प्लाट पर मकान बना लिया था। रीडर ने दुगने पैसे कमा कर ट्रक में हिस्सा डाल लिया। स्टेनो कोठी वाला और रीडर ट्रांसपोर्टर कहलाता था।

स्टेनो की जज से सीधी बात थी। जो आसामी वह जज के पास फंसाता, उस में से उसको हिस्सा मिलता। वह रकम वह किस्त के लिए रख लेता।

रीडर की पत्नी टीचर थी। वह किस्त उसकी तनख्वाह से पूरी करता। मेजर की न जज से बनती थी, न उसकी पत्नी टीचर थी। उसने इधर-उधर ही हाथ मारना था।

नाजर था कि उसकी मजबूरी समझ नहीं रहा था।

'उन से भी करवा लाता हूं। तुम एक नजर तो मार लो। उन्होंने अभी घंटे में आना है।'

तीस रुपये अहलमद की जेब में डालता थानेदार गिड़गिड़ाया।

'मुझे और बहुत से काम हैं। तुम उन से हुक्म करवा लाओ। मैं फौरन मिसल चैक कर दूंगा, कागज़ भी निकाल लूंगा। तुम रिटायरिंग रूम के आगे जा कर बैठो।यदि साहिब अदालत में जाकर बैठ गए तो एक बजे तक बैठे रह जाओगे।'

बोहनी के पैसे थे। मेजर ने लौटाने ठीक नहीं समझे। यदि ये लौटा दिए तो सारा दिन मनहूस निकलेगा। काम मेजर ने अपनी इच्छा से करना था। जितनी देर फीस पूरी नहीं होगी, उसने टस से मस नहीं होना था।

नाजर को विदा कर के अहलमद वे सारे उपाय सोचने लगा, जिन से वह चलान टरका सके।

मेजर को पता था कि दो दिन पहले थाने वालों ने मैजिस्ट्रेट की बेगार की थी। बेगार भी छोटी मोटी नहीं। सैशन जज की मारूति कार के चारों टायर बदलवाये थे। इसलिए मैजिस्ट्रेट का रवैया नरम रहना था।

पुलिस का काम करते हुए, मैजिस्ट्रेट ने अपनी समझ में होशियारी से काम लिया था। इस केस से संबंधित सारे कागज उसने कोठी मंगवाए थे। अहलमद की आंख भी चील जैसी थी। दूर से ही ताड़ गया। मेजर ने सारे कागजों की पहले ही फोटो कापी करवा ली। कागज़ों में कोई हेरा फेरी हुई तो मेजर को कई फायदे होने थे। पहला यह कि जज की हालत चोर की दाढ़ी में तिनके वाली होगी। दूसरा यह, कभी कोई अहलमद पर हेराफेरी का शक करे तो सफाई के तौर पर उसके पास सबूत रहेगा। तीसरा यह, जरूरत पड़ने पर इनको सफाई के वकील को बेचा जा सकेगा। इस आधार पर दोषी शर्तिया बरी होंगे।

मेजर का अंदाजा ठीक निकला। दो दिनों के बाद जब कागज वापिस आए तो दोषियों के इकबालिया ब्यानों का हुलिया बिगड़ा हुआ था।

इसी रियायत का मूल्य चार टायर डाला गया था। नायब कोर्ट झूठ नहीं बोलता था । वह खुद टायर छोड़कर आया था।

इस से पहले कि थानेदार जज से हुक्म करवा ले, मेजर को पहले ही जज के कान में फूक मार देनी चाहिये थी।

जज के रिटायरिंग रूम में आते ही, वह भी दस्तख्त करवाने के बहाने अंदर आ गया।

वह मिसलों पर हस्ताक्षर भी करवाता रहा और बाहर बैठे थानेदार के अदालत में आने का उद्देश्य भी समझाता रहा।

थानेदार के पास कत्ल केस था। दोषी दो थे, कन्तु नकलों का सैट एक था। इस सैट में भी नकलें पूरी नहीं थी।

अहलमद ने जज को उस केस की याद दिलाई,जो नकलों की कमी से कई दिन चर्चा का विषय बना रहा था। उस केस में गवाहों के ब्यानों की नकल तो दी गई थी, किन्तु रिकार्ड की नहीं। वह चलान भी दोषी की गैर हाजरी में पेश हुआ था। चलान दोषी या वकील की हाजिरी में पेश हो तो काम चल जाता है। जज उतनी देर चलान स्वीकार नहीं करता, जितनी देर वकील यह न कहे कि नकलें पूरी हैं। उस केस का दोषी एक सेल्समैन था। रिकार्ड में कैश-बुकों, बिल-बुकों, स्टाक रजिस्टर और पता नहीं क्या-क्या शामिल था। दोषी खुद नकलें करवाने लगता तो बिल वकील की फीस से बढ़ जाना था। पहले मुख्य अफसर यह कह कर चलान दे गया कि बाकी की नकलें तीन दिनों के अंदर-अंदर पेश कर देंगे। पहले दोषी न मिला, जब दोषी हाजिर हुआ तो मुख्य अफसर बदल गया। नये मुख्य अफसर ने कई तफ्तीशियों की डयूटी लगाई। नकलें करवा कर दो। हर तफ्तीशी टाल जाता। फीस कोई और खाए, बिल वह चुकाए। जब मामला सैशन जज तक पहुँचने वाला हो गया, अहलमद को नकलें जेब से करवा कर देनी पड़ी थीं।

इस केस में भी ऐसे ही होना था। नकलें पूरी करवा ली जाएँ या वकीलों से नकलें पूरी होने के बारे में लिखवा लिया जाए।

मेजर ने उतनी देर भाषण जारी रखा, जितनी देर जज उस से सहमत नहीं हुआ।

अहलमद के बाहर निकलते ही नाजर ने सैल्यूट मारा। एक कोने में छुपा मेजर अपनी लगायी आग की प्रतिक्रिया देखने लगा।

मैजिस्ट्रेट ने थानेदार को बैठने के लिए कुर्सी दी। गर्म-ठंडा पूछा,किन्तु वह दोषियों की अनुपस्थिति में चलान लेने के लिए सहमत न हुआ। अच्छा है, यदि नाजर दो दिन ठहर जाए।

नाजर ने, जब आज नब्बे दिन पूरे होने की मजबूरी बताई तो जज ने दूसरा सुझाव दिया। अभी दस ही बजे थे। वह दोषियों के प्रोडक्शन वारंट ले और दोषियों को जेल से बुला ले।

नाजर इस सुझाव से सहमत नहीं था। इस तरह दिहाड़ी लग जानी थी। नाजर अकेला था। चलान चैक करवाने से ले कर नकलें तैयार करने तक, सारी कार्यवाही बाकी पड़ी थी। नाजर के पास दोषियों को ले जाने के लिए न गाड़ी थी। न गारद।

यदि नाजर कुछ भी नहीं कर सकता तो नकलें पूरी करे। थानेदार की तरह जज भी एक कर्मचारी था। उसकी भी अपनी मजबूरियां थीं। पहले पुलिस वाले मिन्नत आरजू कर के चलान पेश कर जाते हैं, बाद में लोहे के थन बन जाते हैं। सौ-सौ संदेश भेजने पर भी नहीं आते। यदि दोषी जमानत पर होते, तो भी वह चलान ले लेता। फिर एक दो पेशियां कम ज्यादा पड़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ना था। वकील का भी पता नहीं, उन्होंने कौन सा करना है। कोई समझदार वकील किया होता तो जज उस को समझा देता।

मिसल मुआयने की दो सौ रूपया फीस ले। पचास में नकलें करवा कर बाकी जेब में डाले। दोषी अमीर हो, जज तो भी चलान ले ले। अमीर दोषी दो तारीखें ज्यादा भुगतने की बजाय जेब से पैसे खर्च कर नकलें तैयार करने को प्राथमिकता देता है। अब जब, न सायल में सामर्थ्य था और न वकील का पता था, तो जज क्या करे?

इस केस की समायत सैशन जज ने करनी थी। वहां फालतू पड़ी एक-एक तारीख का हिसाब होना था। सैशन जज ने उससे स्पष्टीकरण मांगना था। मैजिस्ट्रेट की कोताही से दोषी ज्यादा सजा क्यों भुगते?

दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह उचित थे। फिर मामला हल कैसे हो?

जज दुविधा में था। उसको करवाई गई बेगार की शर्म थी। कानूनी तौर पर भी वह चलान वापिस नहीं कर सकता था। यदि चलान वापिस हो गया और दोषियों की जमानत हो गयी तो जज को कटघरे में खड़ा होना पड सकता था, फिर उसको पीछा छुड़वाना मुश्किल हो जाना था।

आखिर समाधान ढूँढा गया।

अहलमद को बुलाया गया। उसको नकलें अच्छी तरह से चैक करने का हुक्म सुनाया गया।

नकलें पूरी करने की जिम्मेवारी नाजर की बजाए, मेजर की लगायी गयी।

यह फैसला दोनों को मंजूर था।

नाजर को इसलिए, क्योंकि उसने मेजर का घर पूरा किया हुआ था। वह कमी पेशी स्वयं छुपा देगा।

मेजर को इसलिए कि थानेदार अब उसकी मुट्ठी में था। वह दो सौ खर्च कर के नकलें पूरी करेगा या बाकी के सत्तर रुपये उस को देगा।

4

नाजर सिंह दो घंटे से बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। अहलमद ने अभी तक उसकी बात नहीं पूछी थी।

इस दौरान अहलमद के पास कई आए और काम करवा कर चले गए। एक दो सिपाही और हवलदार भी चलान पास करवा गए। नाजर जब भी अपने बैठे होने का एहसास करवावा, वह टाल जाता। फंसी का फडकना क्या? वह सब्र का घूंट भर कर बिटर-बिटर ताकता रहा।

मेजर को कभी फुर्सत मिलती तो वह छोटे मोटे कामों में व्यस्त हो जाता।

पहले वह मिसलों का ढेर ले कर बैठ गया। एक-एक करके सारी मिसलें खोली, क्रमानुसार बांध दी। फिर दूसरा ढेर खोला और वही कार्यवाही दोहरायी।

फिर बड़ी प्रीत से सम्मन काटने लगा। एक-एक सम्मन पर तीन-तीन मिनट लगाने लगा, जबकि उस की रफ्तार एक मिनट में तीन सम्मन काटने की थी।

इस का मतलब यह था, मेजर सिंह उसका काम नहीं करना चाहता था। संदेह दूर करने के लिए थानेदार ने मेजर से साफ साफ शब्दों में पूछा,'' मेरी बारी आएगी या नहीं?''

''आएगी क्यों नहीं। मैं कौन सा फुर्सत में हूं? सरकारी काम कर रहा हूँ।'' मेजर की आवाज में भी थानेदार जितनी ही कड़वाहट थी।

'कई मुझ से पीछे आ कर पहले काम करवा गए।''

''उन्होंने पूरी फीस दी है। तुम दे दो।'' मेजर भी थानेदार को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता था। बारह बज चुके थे। समरी केसों के दोषियों की हाजिरी लगाने का समय हो गया था। नाजर जाए तो वह पैसे बटोरने शुरू करे।

नायब कोर्ट कई चक्कर लगा चुका था। उसके हाथ में ट्रैफिक के चलानों का ढेर था। दुकानों, फैक्टरियों वाले तो थानेदार से नहीं झिझके। मेजर से बात कर गए थे।किन्तु ट्रैफिक के चलान पुलिस के माध्यम से भुगतते थे। नायब कोर्ट पुलिस कर्मचारी था। थानेदार के सामने कोई हेरा फेरी हुई तो उस की शिकायत हो जानी थी। डिप्टी बहुत अड़ियल था। सस्पेंड करके सीधा घर भेज देगा। इस ने कई थानेदार मुअत्तल किए थे। सिपाही किस खेत की मूली था।

इस बार जब नायब कोर्ट लौटा तो नाजर खंखारा। मेजर मतलब समझ गया। न खेलना न खेलने देना। विघ्न डालेगा। अगर मेजर उसका काम नहीं करता तो वह भी फीस नहीं ले सकता।

दोनों ने जिद पकड़ ली। वह एक दूसरे के काम में बाधा डालने लगे। नाजर सिंह ने तो कुर्सी न छोड़ी, मेजर ही टल गया। यदि यहां सौदा नहीं होता तो न सही। मुंशियों, नकलनवीसों और टाईपिस्टों के तख्तपपोशों या वकीलों के केबिनों में सही।

मुंशियों मुसद्दियों से उगाही करते अहलमद को एक बज गया। लंच बॉक्स उठाने जब वह वापिस आया तो नाजर गायब था। मेजर ने सुख की सांस ली। बला टली।

मेजर के पहला कौर तोड़ते ही नायब कोर्ट आ धमका। उसने मेजर को सावधान किया। थानेदार बहुत गर्म था। सरकारी वकील के दफ्तर में मेजर के विरुद्ध साजिश रची जा रही थी।

सरकारी वकील में घी डाल रहा था। वह मेजर पर विजीलैंस का छापा मरवाने का सुझाव दे रहा था। मेजर ने सारी हदें पार कर दी थीं। 'बिना पैसे लिए वह सगे बाप का भी काम नहीं करता।' वह कह रहा था।

यह उपाय नाजर सिंह को मंजूर नहीं था। छापे पर पूरी दिहाड़ी लगनी थी। मामला तो शाम तक चलान पेश करने का था।

नाजर सिंह के चुप करने पर सुरेन्द्र ने दूसरा हल सुझाया था।'

'हम अहलमद के बाप के नौकर नहीं, जो सारा दिन उसके दरवाजे के आगे बैठे रहें। कागज पत्र लगाना उसकी डयूटी है। कागज मिलते हैं तो लगाए, नहीं मिलते तो न लगाए।''

''तुम चलान रख जाओ। मैं अपने आप पेश कर दूंगा। कागज पत्र सही है या नहीं, यह जांच करना जज का काम नहीं। कमी पेशी होगी तो दोषी बरी हो जाएंगे। जज ने यह देखना है कि जितने कागज पुलिस चलान के साथ लगे हुए कहती है, वह लगे हैं या नहीं, बस।''

इस उपाय पर भी नाजर ने चुप्पी धारण कर ली।

दूध का जला छाछ को भी फूँक फूँक कर पीता है। दूसरों के सहारे काम छोड़ने की लापरवाही उस से एक बार हुयी थी। उस की दो साल की नौकरी कट गयी थी। नहीं तो, वह आज सब-इंस्पैक्टर होता और किसी थाने का मुख्य अफसर।

यह गलती उस समय हुई, जब वह पहली बार हवलदार लगा था। पहले हवलदार ने शराब के एक ठेकेदार से दस बोरे शराब के पकड़े थे, बिना परमिट के। दोषी कोई कारिंदा होता तो ठेकेदार परवाह न करता। मुकद्दमा हिस्सेदार पर बना था। जिले भर के ठेकेदारों की इज्जत का सवाल था। सारे ठेकेदार मुकद्दमा कैंसिल करवाने पर तुल गए।

पहले उन्होंने एक्साइज इंस्पैक्टर से उसके विभाग का सारा रिकार्ड बदलवाया। फिर उससे रिपोर्ट करवायी। पकड़ा माल परमिट का था। परमिट उसी ने जारी किया था। ठेकेदार पुलिस की बेगार नहीं करता था। इसी रंजिश से यह मुकद्दमा बना था। पुलिस कप्तान ने ठेकेदार के इस दोष की जांच करवायी। दोष तो साबित न हुआ, किन्तु मुकद्दमा चार महीने के लिए लटक गया। ठेकेदारों की यहां दाल न गली तो उन्होंने कैमीकलज़ एगजामीनर से रिश्तेदारी गांठी। वह नमूने में तो हेराफेरी करने की जुर्रत न कर सका, किन्तु कुछ समय के लिए रिपोर्ट जरूर दबा ली।

नाजर को मिसल, चलान पेश करने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले दी गई। मिन्नत करके उसने सरकारी वकील से तो चलान पास करवा लिया। मुलजिम को लेने गया तो पता लगा, वह जम्मू बैठा है। बिना दोषी के आखिरी दिन चलान पेश करने का मतलब था, कोई बड़ी सारी बेगार। उन दिनों हाई कोर्ट के जज ने इंस्पैक्शन पर आना था। उसके साथ आने वाले कर्मचारियों के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा था। जो भी तफ्तीशी कचहरी आता, उसी की जेब काट ली जाती। नाजर नया नया हवलदार बना था। डरता रिश्वत नहीं लेता था। अधिक भार झेलना उसके सामर्थ्य से बाहर था।

पचास का नोट ले कर अहलमद ने भरोसा दिलाया। वह खुद जज से हस्ताक्षर करवा लेगा। अहलमद पर सारा थाना भरोसा करता था। नाजर ने भी कर लिया। अहलमद के कंधों पर भार डाल कर, वह सुख की नींद सो गया।

आंखें तब खुलीं, जब पुलिस कप्तान की ओर से नोटिस आ गया। वह अहलमद के पास जा कर रोया। उसने मजबूरी जाहिर की। ठेकेदारों ने जज तक पहुंच कर ली थी। चलान जज ने टरकाया था। उस दिन से नाजर ने कानों को हाथ लगा लिए, जितनी देर अहलमद अपने रजिस्टर में चलान पेश होने का इंदराज नहीं करता था, उतनी देर वह थाने वापिस नहीं जाता था।

बंटी कत्ल केस बहु चर्चित केस था। इसमें उसको रसीद चाहिए थी, वह भी अहलमद के हस्ताक्षर समेत।

वह चलान सरकारी वकील को पकड़ा कर जाने के लिए तैयार नही था। वह चलान पेश भी करेगा और रसीद भी लेगा। मेजर के विरुद्ध जो कर सका करेगा।

समस्या के हल के लिए नाजर को किसी की सहायता की जरूरत नहीं थी। न विजीलैंस की, न सरकारी वकील की। यदि उसने अहलमद के विरुद्ध कार्यवाही करनी हुई तो वह खुद करेगा। अपने बलबूते पर।

नाजर सिंह सारे स्टाफ को जानता था। शाम को सब शराबी हुए होते हैं। कोई किसी वकील के केबिन में लेटा हुआ होता है, कोई किसी चौराहे पर। कोई किसी आवारा स्त्री के साथ रिटायरिंग रूम में घुसा होता है और कोई ताश पकड़े कोर्ट रूम को जुआ खाना बना कर बैठा होता है। नाजर को उन सारे अड्डों का पता है, जहां जा कर ये कुकर्म करते हैं। नाजर चाहे तो आज ही सब को हथकड़ी लगा दे। वह उन का लिहाज करता था। हर रोज दुआ सलाम होती है। लोग क्या कहेंगे, डायन ने एक घर भी नहीं छोड़ा।

उकताया थानेदार आज शाम कोई कार्यवाही कर सकता था।

नायब कोर्ट ने जो सुना था, वह रू-ब-रू मेजर को आ सुनाया था। फिर मेजर ने सोचना था कि उसने क्या करना था।

वैसे नायब कोर्ट की सलाह थी कि बात अधिक न बढ़ायी जाए। नाजर आदमी बुरा नहीं। इस केस ने सचमुच उसका सिर गंजा कर दिया था। नायब कोर्ट उसका जामन बनने को तैयार था। ज्यों ही नाजर को कोई तफ्तीश मिली, वह सौ का नोट ला देगा।

अहलमद नायब कोर्ट से सहमत नहीं था। पहले सात आठ सौ सुरेन्द्र रगड़ गया, फिर डी.ए. ने बेगार करवायी। मेजर के समय जेब को ताला क्यों?

नायब कोर्ट ने खुद ही बताया था। यह चलान लेकर नाजर तीन दिन डी.ए. के दफ्तर के आगे बैठा रहा था। डी.ए. चाहता था, फीस की बात पहले नाजर सिंह चलाए। बड़े अफसर खुद फीस की बात करते अच्छे नहीं लगते। नाजर था कि लाईन पर नहीं आ रहा था ।

जब नाजर ने मुंह पर मिट्टी मल ली तो अन्तिम समय पर डी.ए. ने बगल से तुरुप का पत्ता निकाल लिया।

अंगुलियों के निशानों के बारे में राए देते समय फोरैंसिक साइंस लैबोटरी वालों से एक बड़ी गलती हुई थी। वह ठीक न हुई तो दोषियों ने बरी हो जाना था।

जिस स्थान से बंटी की लाश मिली थी, उस स्थान से विशेषज्ञों को अंगुलियों के कुछ निशान मिले थे। सबूत के तौर पर वे निशान उसी दिन लैबोटरी में जमा होने चाहिए थे। जिस दिन दोषियों ने पकडे जाना था, उस दिन उननी अँगुलियों के निशान लिए जाने थे। फिर लैबोटरी वालों ने मौके पर मिले निशानों को दोषियों के निशानों से मिलाना था। यह साबित करना था कि जिन व्यक्तियों ने मौके पर लाश फेंकी थी, वे यही थे। मौके पर मिले निशान पता नहीं, किस आदमी के थे। जब पाले मीते को इस केस में गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना था, तब उनकी अंगुलियों के निशान भी ले लिए गए थे। एक विश्वसनीय अफसर के माध्यम से पहले निशानों की जगह ये निशान रखवाये गए थे। फिर जाब्ते के अनुसार कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के सामने उन की अंगुलियों के निशान लिए गए और लैबोटरी के पास पहले जमा करवाए गए निशानों से मिलान करने के लिए भेजे गए।

लैबोटरी वालों ने निशान तब्दील कर दिए। पुलिस की जरूरत के अनुसार रिपोर्ट भी लिख दी। रिपोर्ट में एक खाना था, जिस में वह तारीख दर्ज करनी थी, जिस दिन मौके पर लिए गए निशान लैबोटरी में जमा हुए थे। गलती से यहां वह तारीख लिख दी गई, जिस दिन पुराने निशानों को नए निशानों से बदला गया था। इस गलती से यह साबित हो रहा था कि मौके पर लिए गए निशान दो तारीखों में जमा हुए थे। एक बार लाश बरामदगी वाले दिन। दूसरी बार रिपोर्ट में दर्ज तारीख वाले दिन। इस हेराफेरी से खेल बिगड़ जाना था।

रिपोर्ट ठीक होनी जरूरी थी। नई की जगह पुरानी तारीख दर्ज होनी चाहिए थी।

लैबोटरी से नई चिट्ठी जारी करवानी कोई बड़ी बात नहीं थी। समस्या थी, समय की कमी की। शाम के चार बज चुके थे। चंडीगढ़ जा कर बाबुओं को घर से ढूँढना, रिपोर्ट ठीक करवानी और फिर अफसरों से प्रमाणित करवानी असंभव थी। डी.ए. अभी इसी तरह चलान पास करे। नाजर इसी तरह पेश कर देगा। बाद में चंडीगढ़ जा कर नई चिट्ठी जारी करवाएगा और चुपके से मिसल से लगा देगा।

यह पाप था, जुर्म था। इस जुर्म में डी.ए. भागीदार क्यों बने? यदि उस को भी पाप की गठरी चुकवानी है तो उसकी समस्या का हल किया जाए। गर्मी नजदीक आ रही थी। उसको कूलर चाहिए था, प्रबंध किया जाए।

कूलर की बेगार सुनते ही नाजर ने ठंडी सांस भरी। उसने अपनी मजबूरी बता कर पीछा छुड़ाना चाहा तो डी.ए. डायरी निकाल कर बैठ गया। आंकड़े बताने लगा। तफ्तीश के समय किस थानेदार ने किस व्यक्ति से कितने पैसे लिए थे। कूलर पर उसका सौंवा भाग भी खर्च नहीं आना था।

नाजर को खेतान पंखे के पैसे देकर पीछा छुड़वाना पड़ा। नायब कोर्ट कुछ भी कहे, मेजर को थानेदार से कोई हमदर्दी नहीं थी।

नाजर तो नाजर, अहलमद को सरकारी वकील का भी कोई डर नहीं था।

''मुझे किसी सरकारी वकील का डर नहीं। उसने कौन सा मुफ्त में काम किए? दो दिन पीता रहा। फिर नकद नारायण लिया। अब हमारी फीस पर जलता है।''

''ऐसा करके सरकारी वकील मेजर से पंगा नहीं ले सकता।'' फिर भी मेजर चौकन्ना हो गया। वह नाजर से उचित ढंग से निबटने की तैयारी करने लगा।

वही हुआ, जो नायब कोर्ट बता गया था।

दोबारा आया थानेदार उस पर हावी होने का यत्न करने लगा।

''यह पड़ी मिसल, जो मर्जी रिपोर्ट करो। मैंने एस.एस.पी. को रिपोर्ट करनी है।'' कहते नाजर ने मिसल मेजर के टेबल पर फेंक दी।

''कितने मुलजिम हैं इस केस में?''

''दो।''

''नकलों के सैट कितने हैं?''

''एक।''

''दो सैट लाओ। मैं रिपोर्ट कर देता हूं।'' मेजर पर नाजर की धमकी का कोई असर नहीं था। बड़ी नम्रता से उसने मिसल थानेदार की ओर खिसका दी।

''दोनों मुलजिमों ने एक ही वकील किया है। एक सैट से काम चल जाएगा।''

''फिर तुम वकील से लिखवा लाओ।''

''मैंने किसी वकील की मिन्नत नहीं करनी।''

''फिर हमारी करो।'' मेजर ने व्यंग्य किया।

''आप बाबू लोग किसी का लिहाज नहीं करते। वे दिन भूल गए, जब मेमने की तरह मेरे आगे पीछे मिमियाता हुआ करता घूमता था। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अंदर कर सकता हूं। कौन सा जुर्म है, जो

तुम लोग नहीं करते? मिसलें वकील के घर पहुंचा देते हो। सारे गुप्त दस्तावेजों की नकलें उनके पास होती हैं। तुम सब वसीयतों, प्रनोटों और रिकार्ड में हेराफेरी करते हो। केस तबाह कर देते हो।''

नाजर का पारा चढ़ता जा रहा था। उसकी ऊँची आवाज सुनकर साथ बैठे बाबू अपनी-अपनी सीटें छोड़ कर उनके पास आ खड़े हुए।

''तुम सब ने कौन सी कम गंदगी फैलायी हुई है। सारा दिन हमारे सिर पर खड़े रहते हो। कभी लाहन की टैस्ट रिपोर्ट बदल दो, कभी मकैनिक की। कभी दफा एक सौ इकासठ के ब्यान ठीक कर दो, कभी नकशा मौका। हम तुम्हारा साथ न दें तो तुम चार दिनों में घर चले जाओ। साथ में इस केस में तो जैसे तुम कभी रद्दो-बदल नहीं करोगे। कल को ही कहोगे, मुझे फोरेंसिक लैबोटरी की रिपोर्ट बदलनी है।''

नाजर ने जब बाबुओं पर हमला कर दिया तो दीवानी अहलमद सतीश कुमार को भी गुस्सा आ गया। वह नाजर के होश ठिकाने लगाने लगा। एक-एक करके सारा स्टाफ नाजर के गले पड़ गया। वक्त अधिक होता तो पहले वह थाने जाता। अहलमद पर भ्रष्टाचार का पर्चा दर्ज करता। भरी कचहरी में गिरफ्तार करके उसको नानी याद करवाता। नतीजा चाहे कुछ भी निकलता। वह पुलिस अफसर था। दो कौड़ी के बाबू से तौहीन तो नहीं करवानी थी।

इस वक्त नाजर केवल शिकायत ही कर सकता था। जज काम खत्म करके रिटायरिंग रूम में जा चुका था। वह स्टैनो को कोई फैसला लिखवा रहा था। अर्दली बाहर खड़ा था। अर्दली को सख्त हिदायत थी, 'जितनी देर फैसला लिखवाया जा रहा है कोई अंदर न आए।' किन्तु क्रोध से भरे नाजर ने किसी की परवाह न की। वह तूफान की तरह रिटायरिंग रूम में जा घुसा।

'हद हो गई जनाब। अहलमद ने मुझ से पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं करता। तीस ले लिए। सत्तर और मांगता है।' गुस्से में लाल पीला हुआ नाजर सारे पुलिस नियम भूल गया। बिना सैल्यूट मारे ही वह अपने दुखड़े रोने लगा।

''मैं राजा हरिश्चन्द्र जैसी ईमानदार पुलिस को जानता हूं। छाज तो बोले छलनी क्या बोले।'' मैजिस्ट्रेट भी उसी गुस्ताखी से नाजर पर बरस पड़ा। इस तरह का व्यवहार कर वह मेजर का पक्ष नहीं ले रहा था, बल्कि नाजर के बिना इजाजत अंदर घुसने पर नाराज था। अंदर तो चलो वह आ गया, बात तो सलीके से करे।

जज की डांट ने नाजर के माथे की त्यौरियों को और गहरा कर दिया। कुंए का गवाह मेंढक। एक बार उसके मन में आया, वह पुलिस को छलनी कहने वाले जज को पहले अपने अंदर झांकने के लिए कहे। जब उसने टायर मांगे थे, तब वह हरीशचन्द्र था?

गुस्सा नाजर के काबू से बाहर होता जा रहा था। वह दस बारह साल पहले वाला इतिहास दोहराना चाहता था। उस समय वह सुनाम लगा हुआ था। वहां जज तोता राम था, बहुत सख्त! थानेदार यदि

सम्मन तामील करके शहादत देने न आये तो वह अगली बार आए को जुर्माना किए बिना नहीं छोड़ता था। जुर्माना भी नकद नहीं वसूल करता था। वसूली के लिए पुलिस कप्तान को लिखता था। मतलब यह कि गलती कप्तान की नजर में चढ़ जाए।

ऊपर से ईमानदारी का ढोंग करता था। वैसे वह नाजर से खुला हुआ था। मौके बेमौके नाजर उसके काम आता था।

एक बार नाजर के भी वारंट जारी हो गए। जिस दिन उसकी गवाही थी उस दिन शहर में मुख्यमंत्री आया हुआ था। वी.आई.पी. डयूटी के कारण वह गवाही देने नहीं आ सका था ।

पेशी से एक दिन पहले नाजर को कोठी बुलाया गया। जज के पास सैशन जज का सुपरडैंट बैठा था।

रविवार को सुपरडैंट की लड़की की शादी थी। जज उसको घी का कनस्तर भेजना चाहता था।

नाजर ने प्रसन्नतापूर्वक हुक्म का पालन किया। अगले दिन जब वह गवाही देने गया तो तोता राम ने उससे आंख न मिलाई। नाजर ने सोचा, अफसर ठीक कर रहा है। जब रियायत करनी हो तो दिखावा नहीं करते।

गवाही के समय औरों की तरह उसको भी नोटिस जारी किया गया। नाजर को अभी भी आशा थी कि जज उसके स्पष्टीकरण को सही मान कर नोटिस खारिज कर देगा। इस तरह दूसरों को एतराज करने का मौका नहीं मिलेगा। जब जज ने उसको पचास रूपये जुर्माना कर दिया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।

जब किसी भी तरह जज को नहीं मना सका तो नाजर के अन्दर का भैरों जाग उठा। आंखों से अंगारे बरसाता वह रिटायरिंग रूम में जा बैठा।

उसको रिटायरिंग रूम में घुसते देख जज भी पीछे ही आ गया।

''कल जो कनस्तर मैंने भेजा था, उस पर मेरा डेढ़ सौ लग गया था। पचास काट कर सौ मुझे वापिस कर दो।''

नाजर की बात सुन कर जज का चेहरा पीला पड गया। वह मिमियाने लगा। उसको पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। जितनी देर जज ने नोटिस फाड़ न दिया, नाजर को सब्र न आया। कुछ ऐसा ही जवाब वह इस भलेमानुस को देना चाहता था। किन्तु अब तक करोड़ों गैलन पानी पुल के नीचे से गुजर चुका था। आज कल वह अफसरों को नाराज नहीं करता था । ढीठ बन कर सब्र का घूंट भरता था।

नाजर की शिकायत को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका गया था। उसी वक्त मेजर को तलब किया गया। क्या उसने सचमुच थानेदार से रिश्वत ली थी? इस दोष का स्पष्टीकरण मांगा गया।

मेजर की सारी अकड़ गायब हो गयी। वह थर-थर कांपने लगा। थरथराती आवाज से वह बहाने बनाता रहा।

'दोषी दो हैं। नकलों का सैट एक है।'

''मैं एक जिम्मेवार पुलिस अफसर हूँ। जब मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं कि कल को नकलें पेश कर दूंगा तो यह मानता क्यों नहीं?''

नाजर का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था ।

''समझ लो तुम्हारा चलान पेश हो गया। तुम अपने कप्तान को यह सूचना भेज दो। अब तो ठीक है?... अब दूसरी बात सुनो। नकलें आज ही तैयार करवाओ। चाहे रात के बारह बज जाएँ। बस! और कोई बहाना नहीं।''

मैजिस्ट्रेट ने सोच समझ कर ऐसा फैसला सुनाया था, इससे दोनों पक्षों की इज्जत रह जानी थी। रिटायरिंग रूम से बाहर निकलते हुए दोनों खुश थे। मेजर इसलिए कि नाजर ने अगर सत्तर नहीं दिए तो न सही। फोटोस्टेट पर तो दो सौ लगाएगा ही। नाजर सिंह इसलिए कि चालान पेश भी हो गया और मेजर की अकड़ भी गायब हो गई।

अधिक से अधिक नकलों का बिल पचास रूपये बनेगा। बिल उसने कौन सा जेब से देना है। फोटोस्टेट वाले के साथ उसका खाता चलता है। खाते में लिखवा देगा। कभी किसी आसामी से दिलवा देगा।

5

बंटी कत्ल केस के अदालत में पेश होने का सुराग सब से पहले बलवंत को मिला था।

नाजर सिंह थानेदार से उसकी यारी थी। चलान पेश करके थाने लौटता नाजर सिंह उसके कान में फूंक मार गया था।

दोनों दोषी लावारिस हैं। तीन महीनों से अंदर हैं। अभी तक उन्होंने कोई वकील नहीं किया। चलान पेश होने के बाद सुनवायी शुरू हो जानी है। अब दोषियों को वकील करना पड़ेगा। तुम अगर थोड़ी सी हिम्मत करो तो केस तुम्हारी झोली में आ सकता है।

बलवंत के कान खड़े हो गए। वह सच कहता था। यह कत्ल केस था। कत्ल केस में वकील ने अच्छी खासी फीस लेनी थी। मुंशी को मुशिआना भी उसी अनुसार मिलना था और केस दिलाने का कमीशन भी। मुंशीपना बलबिंदर का खानदानी पेशा था। उसके बाप दादा की उम्र भी कचहरी के इन

तख्तपोशों पर ही गुजरी थी। बलविंदर के अपने अनुभव का भी यह तीसवां वर्ष था। ऐसी आसामियां पटाने के उस के पास ढेरों नुस्खे थे।

पाले मीते पर वह कौन सा नुस्खा प्रयोग करे? यह निश्चित करने के लिए बलविंदर ने सिगरेटों की एक नई डिब्बी खरीदी और सैशन कोर्ट के कोने वाले पीपल के नीचे जा बैठा।

दो सिगरेटें जोड़कर उसने एक सिगरेट बनाई। अंगुली के साथ धरती पर शतरंज उकेरी।

जब कभी उसने गंभीर चिंतन करना हो, तब वह ऐसे ही करता था।

एक ओर वह सिगरेट के लम्बे-लम्बे कश लगाता। दूसरी ओर शतरंज के मोहरे दौड़ाता।

सिगरेट का पहला कश लगा कर वह मीते पर डोरे डालने की योजना बनाने लगा।

गांधी बस्ती 'हरिजनों के मोहल्ले' का आधुनिक नाम था न यह गांव था न शहर। गांव इसलिए नहीं था क्योंकि यह शहर की हदूद में आता था। यहां के वासी खेतीहर मजदूर नहीं थे। घरों-कारखानों में काम करते थे। इस बस्ती को शहर में इसलिए नहीं गिना जाता था, क्योंकि यह शहर की आबादी से एक किलोमीटर दूर थी।शहर की एक भी आधुनिक सुविधा यहां उपलब्ध नहीं थी।

बलविंदर की समस्या यह थी कि मीते को फंसाने के लिए वह शहरी नुस्खे अपनाए या ग्रामीण? यह बस्ती यदि गांव में होती तो बलविंदर मुंह अंधेरे अपना साईकिल उठाता और गांव चल पड़ता।

गांव में घुसने से पहले वह गांव की सीमा पर ही ब्रेक लगाता। चौकीदार के घर के आगे खड़े होकर, साईकिल की घंटी बजाता।

मुंशी को घर आया देखकर चौकीदार की छाती चौड़ी हो जाती। उसको लगता, जैसे चींटी के घर भगवान आए हैं। खुशी के मारे चौकीदार मीते को काबू करने के तौर तरीके बताता साथ में खबरों की पिटारी खोल देता।

बलविंदर के बारे में लोगों को भ्रम था कि उसने कोई दैवी शक्ति वश में की हुई है। नहीं तो यह कैसे संभव था कि लोगों को अभी होने वाले झगडों का सपना भी नहीं आया होता, बलविंदर को उन पर दर्ज होने वाले मुकद्दमें की धारा तक पहले पता लग जाता।

बलविंदर लोगों की मूर्खता पर हंसता था। यह सच था कि उस को होने वाले झगड़ों का ज्ञान पहले ही हो जाता था। यह भी सच था कि उसको लगने वाली धाराओं का भी पहले पता लग जाता था, किन्तु यह झूठ था कि इस करामात के पीछे दैवी शक्ति का हाथ था। यह करामात वह इसी देश के जीते जागते लोगों के बल पर करता था। इन कारामाती लोगों में गांव का चौकीदार भी शामिल था।

इन शक्तियों को वश में करने के लिए बलविंदर को न किसी टोने टोटके की जरूरत पड़ती थी, न किसी मंत्र जाप की।

बेचारे चौकीदार का क्या था? हाथ तंग हो तो चार पैसे उधार दे दो। लड़की के विवाह पर रैड क्रास से पांच सात सौ की सहायता दिलवा दो। इस तरह चौकीदार उसके आगे पीछे घूमने लगता था।

चौकीदार को बलविंदर गांव की मां समझता है। हर ग्रामीण के दुख का उसको पता होता है।

बलविंदर गांव बाद में जाता, चौकीदार उसको आने वाले तूफान की सूचना पहले दे देता।

पिछली पहली तारीख को बलविंदर जब भदौड गया था तो उसको चौकीदार की कड़क चाय अमृत जैसी लगी थी। पहली बार में उसने गांव में दो मुकद्दमों के बोये जा चुके बीजों की सूचना दी थी।

मिद्दे के लड़के की छठी थी। उसने चार ड्रम लाहन के डाले थे। ठेकेदारों की शराब नहीं बिक रही थी, वे दरेगा को साथ लेकर कारण ढूंढते गांव में घूम रहे थे। ज्यों ही भट्ठी चढ़ी, छापा पड़ जाएगा। मिद्दे पर भट्ठी का केस बनेगा।

काले अमली के पास अजितवाल वाला दर्शन आने लगा है। उसने से अफीम लेनी बंद कर दी है। वह दर्शन की अफीम के गुण गाता रहता है। किसी भी दिन सुरजीत सिंह दर्शन और अमली दोंनों पर छापा मरवा सकता है। अफीम के दो केस बनने थे।

फिर जलती पर कुछ घी बलविंदर ने डाला। सप्ताह के अन्दर-अन्दर दोनों भविष्यवाणियों को सत्य में बदल दिया। दोनों केसों को अपनी झोली में डाल लिया था।

अब मीते के बारे में वह किस चौकीदार से संपर्क करे? बस्ती का कोई चौकीदार ही नहीं था।

अर्थात उस का पहला मोहरा बेकार चला गया था। इसकी बलविंदर को कोई चिंता नहीं थी। अभी उसके पास बढ़िया से बढ़िया मोहरे बाकी थे।

सिगरेटों का नया जोड़ा सुलगा कर वह नये मोहरे के बारे में सोचने लगा।

बलविंदर के लिए चौकीदार अगर गांव की मां थी तो पटवारी गांव की दाई। दाई से कभी पेट छुपा नहीं रहता। गांव की जमाबंदी और गिरदावरी रजिस्टर खोलते ही पटवारी को भनक लग जाती है, किस ने किस का, कब सिर फोड़ना है। किस शरीक ने किस शरीक पर कब दावा ठोकना है?

परसो महंतो वाली जमीन के नंबर लेने वह सहना गांव गया था। पटवारी ने नंबरों की बात बाद में सुनी थी और अपने पेट का गुब्बार पहले निकाला था।

बाजवा पन्ती वाले नम्बरदारों का निसंतान ताऊ मर गया था।

ताऊ के मरने की खबर का मतलब मुंशी फौरन समझ गया। नम्बरदार के लड़कों में मुकद्दमे बाजी शुरू होने वाली थी।

बड़ा लड़का कोई दस-बीस साल पुरानी वसीयत पेश करेगा। उस के आधार पर वह बूढ़े की जमीन जायदाद का वारिस होने का दावा करेगा। छोटे के पास कुछ महीने पहले लिखी घरेलू वसीयत होगी। जो पंचों सरपंचों द्वारा प्रमाणित की होगी।

सब से छोटा ताऊ का मुतबन्ना होने का दावा करेगा। समझदार हुए तो दीवानी मुकद्दमे से काम चला लेंगे। चार लोगों के हत्थे चढ़ गए तो छब्बीस से लेकर कत्ल तक की फौजदारी करके, वकीलों और मुंशियों के घर भरेंगे।

पटवारी ने बलविंदर को यह भी बताया कि बड़े लड़के को उसने अपने हाथ पर चढा रखा है। छोटों में से किसी एक को वह फंसा ले। फिर मुकद्दमे ही मुकद्दमे हाथ लगेंगे। दोनों के लिए उम्र भर की रोटियां बन जाएँगी ।

कल बलविंदर इस केस के इंतजाम में लगा रहा। अपना एक चेला उसने नम्बरदारों के बीच वाले लड़के तारे के पीछे लगाया।

जाली वसीयत बनाने के लिए तारे को एक वसीका-नवीस की जरूरत थी। वसीयत ने तब विश्वसनीय बनना था, यदि उसने, किसी वसीका-नवीस के रजिस्टर में, पिछली तारीखों में दर्ज होना था। तारे की इस जरूरत को समझ कर बलविंदर ने उस के पीछे भोले को लगाया था। भोले का आधे से ज्यादा रजिस्टर खाली था। सारे का सारा रजिस्टर तारे की सेवा में हाजिर था।

वसीका-नवीस को अपने घर आया देख कर तारे की आंखे चुंधिया गईं। उसको लगा जैसे वाहेगुरु खुद उसकी पीठ थपथपाने आया है। उसका भाग्य जागने वाला है।

जब चेला हनुमान जैसा कौतुकी हो तो गुरु जरूर विष्णु का अवतार होगा। सोचते तारे ने बलविंदर की हाजिरी भरी थी।

बलविंदर ने तारे को आशीर्वाद दिया। जब वह बलविंदर की शरण में आ ही गया तो उसकी रक्षा करना उसका धर्म है।

तारे को अब घबराने की जरूरत नहीं। मुकद्दमा जितवाने वाली हर प्रकार की सेवाओं का उस के पास प्रबंध है।

जाली वसीयत के लिए सबसे पहले तारे को गवाहों की जरूरत पड़नी थी। वह पंच, सरपंच और नम्बरदार से लेकर वकील तक की गवाही डलवा सकता था। हर गवाह की अपनी अहमियत थी। यह तारे ने देखना था कि कितना गुड़ डाल कर, उसने कितने मीठे का स्वाद चखना था।

फिर वसीयत पर तारे के दस्तखत सिद्ध करने के लिए हस्तलिपि विशेषज्ञ की जरूरत पड़नी थी। हर तरह के विशेषज्ञ का नाम पता उसके पास नोट था।

सारांश यह था कि वह जाली वसीयत को सौ फीसदी सच सिद्ध करने की ताकत रखता था। जोश में आए तारे ने बलविंदर के पैर भी छुए और नोटों से जेब भी भरी।

यदि बंटी कत्ल केस दीवानी होता। वह पटवारी के पास जाता और उससे सभी के कान खिंचवाता। आसामी भलेमानसी से न मानती तो उसको धमकी दिलवाता।

गरीब मीते के पास कुछ भी नहीं था। न उस को किसी पटवारी का डर था, न किसी रिकार्ड में हेरा-फेरी होने का।

क्यों झेलेगा वह पटवारी का रौब?

दूसरा मोहरा बेकार जाता देख कर बलविंदर को बहुत दुख हुआ। उसको सिगरेटों के तीसरे जोड़े की तलब महसूस होने लगी।

किसी पक्ष का चौकीदार या पटवारी के बिना काम चल सकता है किन्तु पंचो, सरपंचों के बिना नहीं। फौजदारी मुकद्दमों में दोषियों को इन्हें दामादों की तरह पुचकार पर रखना पड़ता है। नम्बरदार से जमानत तस्दीक करवानी होती है। सरपंचों से अपने पक्ष में प्रस्ताव मंजूर करवाना होता है। जिस पक्ष के साथ गांव की पंचायत न हो, आधा मुकद्दमा वह पहले दिन ही हार जाता है।

बलविंदर इस नुक्ते को अच्छी तरह समझता था। पांच-दस या पन्द्रह-बीस नहीं, उसने पंचो, सरपंचों और नम्बरदारों की फौज पाल रखी थी।

वह पंच सरपंच ही क्या, जिस ने गांव की हर घटना पर कड़ी नजर न रखी हो। इसी की वे कमाई खाते हैं। सुबह ही सलीके से पगड़ी बांध कर बैठ जाते हैं। क्या पता कब कोई थाने कचहरी ले जाने वाला उनका दरवाजा खटखटा दे। यह न हो कि नम्बरदार तैयार होता रह जाए और आने वाला जल्दबाजी में किसी और को ले जाए।

एक को तैयार रहने का संदेश दे कर यदि गलती से कोई दूसरे को ले जाए तो पहले के तन बदन में आग लग जाती है। उसके सारे दिन के सैर सपाटे के साथ-साथ खाना पीनी चला जाता है। और दिहाड़ी भी। पहले मोहबतर व्यक्ति को तब तक चैन नहीं आती, जब तक वह सारे सूत्र सुलझा नहीं लेता।

तफतीश करके वह बलविंदर की ओर दौड़ता। उस को पूरी रिपोर्ट देता। फलां नम्बरदार ने फलां की जाली वसीयत पर गवाही डाली है, फलां ने फलां की गलत शिनाख्त करके झूठा क्लेम दिलवाया है और फलां ने फलां की जायदाद को गलत प्रमाणित किया है।

एक बार बलविंदर को किसी ठगी का पता लगे सही, वह उतनी देर चैन से नहीं बैठता, जितनी देर दोनों पक्षों के सिर नहीं टकराते। आग लगाकर स्वयं उसमें हाथ सेंकता था।

इस मुकद्दमें में सिर पहले ही टकरा चुके थे। जमानत अभी मंजूर नहीं हुई थी। मीते को किसी नारद मुनि की जरूरत पड़े तो किस लिये?

सिगरेटों के तीसरे जोड़े का भोग पड़ते ही बलविंदर की मोहतबरों पर लगी आशा का भी भोग पड़ गया। अब उस के पास एक मोहरा बाकी था। महाराजा जैसा यह मोहरा था, पुलिस का।

पुलिस का ख्याल आते ही बलविंदर को अपनी लापरवाही पर पछतावा होने लगा।

चलान पेश हो चुका था। केस से अब पुलिस का कोई लेना देना नहीं था। यदि उसको पहले पता होता कि केस ने इस तरह करवट लेनी है, वह बंटी के अगवा वाले दिन से ही केस से चिपक जाता।

पहले वह ऐसे ही करता था।

किसी होने वाले झगड़े का सुराग मिलते ही वह थाने चला जाता था। थानेदार के कान भरता था। थानेदार फौरन अगले की गदर्न दबोच लेता था।

मुखबिरी करके बलविंदर कुछ देर खामोश रहता। जब पर्चा दर्ज हो जाता और धर पकड़ शुरू हो जाती तो कहीं से बरसाती मेढक की तरह आ टपकता।

मोहतबर बन कर कभी मुद्दई का पता लेता और कभी मुलजिम का।

नाजर से उस की जान पहचान ऐसे ही हुई थी।

फरवाही वाले धगड़ियों की जब सांझा दीवार के लिए लड़ाई हुई थी, तब बलविंदर ने मुद्दई का पक्ष लिया था।

पहली बार पर्चा तीन सौ चौबीस में दर्ज हुआ था। कुछ चोटों के बारे में डॉक्टर ने अभी राय देनी थी। उसी राय से फैसला करना था कि पर्चे ने तीन सौ छब्बीस में तब्दील होना था या चौबीस में ही रहना था।

इस तब्दीली के लिए उसको धगड़ियों के बुजुर्ग से माथा। पच्ची करनी पड़ी थी। कभी वह उसको एक ओर ले जा कर तीन सौ चौबीस ही हानियाँ समझाता। कभी दूसरी तरफ ले जा कर छब्बीस के लाभ बताता। कभी कहता–

''बुर्जुगो! चौबीस का जुर्म भी कोई जुर्म होता है। जो लगा न लगा, एक बराबर। इस दफा की पहली कमी यह है कि पुलिस ने दोषियों को गांव में ही छोड़ जाना है। यह काबिले जमानत जुर्म है। पुलिस चाहे तो भी उनको थाने नहीं ले जा सकती। यह जुर्म काबिले–राजीनामा है। हर पेशी पर जज राजीनामे के लिए दबाव डाला करेगा। और सुनो, इस जुर्म की ज्यादा से ज्यादा सजा तीन साल कैद है। सख्त से सख्त जज ने छः महीने से ज्यादा कैद नहीं करनी।''

फिर कहता, ''... अब छब्बीस के नजारे देख! पहले पुलिस दोषियों को घर से थाने तक पीटती हुई लेकर जाएगी। फिर हवालात में बंद करेगी। ज्यादा नहीं तो पन्द्रह दिन के लिए जज उनको जेल की

रोटियां खिलाएगा ही। छब्बीस में सजा उम्र कैद होती है। रहम दिल से रहम दिल जज को भी तीन साल कैद करनी पड़ेगी। पंचायत दोनों पक्षों में राजीनामा करवा दे तो भी मुलजिमों को साल भर कचहरी में धक्के खाने पड़ेंगे। अर्दली, रीडर और स्टेनो से लेकर वकील तक की जेबें भरनी पड़ेंगी।''

लोहा गर्म हुआ देख वह आखिरी चोट करता- ''थोड़ी सी जेब ढीली करो। अब छब्बीस बनवा देता हूँ। छब्बीस न बनी तो वे सारी उम्र अंगूठा दिखायेंगे। कहेंगे, नम्बरदारों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया?''

धगड़ियों को बलविंदर की राय सोलह आने खरी लगी। फौरन बुजुर्ग ने नोटों वाली थैली का मुँह खोल दिया।

पहले बलविंदर ने नाजर की जेब भरवायी, फिर डॉक्टर की। इस तरह उसने नाजर सिंह से यारी गांठी थी।

आज तक नाजर सिंह भी यारी की कसौटी पर पूरा उतरता आ रहा था। सैंकड़ों केस बलविंदर को दिला चुका था। पाले मीते का चलान पेश हो चुका था। अब न पुलिस रिमांड मिल सकता था, न कोई दफा कम ज्यादा हो सकती थी। नाजर सिंह मजबूर था।

पुलिस वाला मोहरा हार कर बलविंदर ने हार कबूल कर ली। धरती पर उकेरी शतरंज मिटा कर उसने सिगरेटों वाली डिबिया को देखा। सिगरेटों का एक जोड़ा अभी बाकी था।

आखिरी जोड़ा सुलगा कर वह पाले को निशाना बनाने लगा। पाले की मां को उसने कई बार कचहरी में घूमते देखा था। कभी वह सरदारी लाल के चैंबर में बैठी होती, कभी गुप्ता के और कभी मोहन जी के। यह कौन सा चोरी का मुकद्दमा था, जो सौ दो सौ से काम चल जायेगा। यह कत्ल का केस था। कम से कम दस हजार उसको वकील की जेब में डालना पड़ना था। शायद इसीलिए उस का किसी वकील से सौदा नहीं पट रहा था।

बलविंदर किसी के भरोसे नहीं रहेगा। वह खुद पाले की मां से बात करेगा। उस भोली औरत को समिति की राजनीति समझाएगा।

समिति का उद्देश्य राजनीतिक था। उसने किसी को रिश्वत थोड़ा देनी थी। यह घोर कलयुग है। इस कलयुग में यदि राजा हरिश्चन्द्र पर भी मुकद्दमा बन जाए तो मजाल है, वह बिना रिश्वत दिए छूट जाए। पाले की मां को यह सच्चाई समझाएगा। समिति के साथ-साथ वह खुद भी यत्न करे।। बडा नहीं तो छोटा मोटा वकील खड़ा कर ले, तभी पीछा छूटेगा।

पाले की मां ने मान जाना था। उसने कोई झिझक दिखाई तो बलविंदर ने जीवन आढ़ती के पास चले जाना था। पैसा वही से आना था। यदि आढ़ती बजाज या पंसारी से आसामी को अपनी जिम्मेवारी पर उधार दिला सकते हैं, तो वकील भी करवा सकते हैं।

बलविंदर का बहुत से आढ़तियों से व्यवहार चलता था। आढ़तियों को घर बैठे आढ़त पहुँचती थी। नये व्यवहार में जीवन को भी क्या एतराज हो सकता था? बलविंदर ने उस को जिस के व्यापार से दुगना कमीशन दिलाना था।

यदि पानी सारे ही पुलों के नीचे से गुजर चुका हो तो बलविंदर ने मोहन जी के दर पर अलख जगानी थी।

जिन वकीलों को बलविंदर केस दिलवाता था, मोहन जी उन में से एक था।

मोहन जी छोटा वकील था। वह सैशन केस नहीं लेता था। ऐसा कोई केस आ जाए तो वह सीनियर वकील करवा देता था। सीनियर से अपना हिस्सा ले लेता था।

पहले पाले मीते के सारे मुकद्दमे वही लड़ता था। यदि यह मुकद्दमा उसके पास गया तो उसने आगे ही देना था।

बलविंदर को यकीन था, मोहन जी उसका कहा नहीं मोड़ेगा। यह आपसी सौहार्द्र था। वकील की फीस में से मिलने वाला सारा हिस्सा बलविंदर ने मोहन जी को दे देना था।

बलविंदर के हौसले बुलंद हो गए।

वह पहले ही बहुत लेट था और लेट होना खतरे से खाली नहीं था।

मन में लड्डू फोड़ते बलविंदर ने साइकिल उठाया और पाले के घर की ओर चल दिया।

पाले की मां को जैसे उसका इंतजार था।

बलविंदर जो कहता था सब ठीक था। किन्तु उस के पास इतना पैसा नहीं था, जितना वह मांगता था। वह ज्यादा से ज्यादा पांच छः सौ दे सकती थी और वह भी किस्तों में।

पाले की मां हजार तक पहुंचती, बलविंदर ने फिर भी कोई वकील फंसा देना था। पांच छः सौ में क्या नंगी नहाएगी और नया निचोड़ेगी। पाले की मां को हां या न करने से पहले वह जीवन और मोहन जी को टटोलना चाहता था। खीर ठंडी करके खाने में ही लाभ था।

जीवन आढ़ती ने भी पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया।

आढ़ती को समिति पर यकीन था। पाला बेगुनाह था। सच्चे आदमी का कभी बाल बांका नहीं होता। उसे विश्वास था।

वह समिति के अनुशासन में भी बंधा हुआ था। सौ-दौ सौ के लालच में समिति से विश्वासघात नहीं कर सकता था ।

मोहन जी भी पालकी वाला बना बैठा था। कहता है, "यह केस मैं स्वयं लड़ूंगा। सजा तो उनको होनी ही है। मेरा अनुभव हो जाएगा।''

घर लौटते बलविंदर को आधी रात हो गई।

बिना कुछ खाए पिए वह चौबारे चढ़ गया।

'इस केस कः बिना मैं कौन सा कंगाल हो जाऊँगा।'

सुबह तक करवटें बदलता वह बुड़बुड़ाता रहा।

6

यदि गुरमीत सिंह सरकारी वकील ने नौकरी से इस्तीफा न दिया होता तो प्यारे लाल एडवोकेट भी इस केस में पांव फंसाने की आशा रख सकता था। दोनों में से एक दोषी गुरमीत का खास था और गुरमीत प्यारे लाल का। अब जब गुरमीत खुद बेरोजगारों की कतार में खड़ा था, वह प्यारे लाल जैसों का क्या संवार सकता था?

काश! त्यागपत्र देने से पहले गुरमीत ने एक बार तो प्यारे लाल से मशविरा किया होता। इस धंधे में स्थपित होने के लिए कितना जलील होना पड़ेगा? प्यारे लाल से एक बार पूछा होता। और नहीं तो प्यारे लाल की आप बीती से सबक सीख लेता। कभी किसी ने नहीं पूछा, प्यारे लाल के पास कौन सी डिग्री है और किस यूनिवर्सिटी की?

क्या गुरमीत ने अपने आप को बब्बू समझ लिया, जो उस की तरह आते ही पैर जम जाएंगे।

बब्बू तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान का पोता था। इसी लिए वकालत के पहले साल ही उसके केबिन में बनियों का मेला लगने लगा। किसी बनिये के पास बहियों का बस्ता होता और किसी के पास प्रनोटों का ढेर। किसी ने दुकान खाली करवानी होती और किसी ने मकान। आसामी लाने वाला पार्टी वर्कर होता। मुँहमांगी फीस मिलती। गुरमीत उस की बराबरी कैसे करेगा?

या गुरमीत ने अपने आप को सरदारों का बिल्लू समझ लिया होगा।

बिल्लू की वकालत चमकाने के लिए इतना ही काफी था कि वह एक पुलिस कप्तान का साला था। इलाके की पुलिस पर इसी बात का रौब था। सरदार जी पटियाले लगे थे। फिर क्या हुआ? कभी यहां भी आ सकते थे। यहां के पुलिस अफसर पटियाला जा सकते थे। तबादला न हो, फिर कौन सा किसी का काम नहीं करवा सकते। जब भी कचहरी आता, दो घड़ी बिल्लू के पास बैठ कर जाता। चाय पानी बहाना होता। उद्देश्य यह दिखाना होता कि उसका लड़के से संबंध है। इस इशारे को कौन नहीं समझता? पुलिस के टाऊट पुराने वकीलों के साथ-साथ बिल्लू के पास भी चक्कर लगाते थे। सिपाहियों, हवलदारों को तो सैल्यूट तक मारना पड़ता। हाजिरी लगवाने के लिए केस भेजते थे। डरते हिस्सा-पत्ती भी नहीं लेते थे। दो सालों में वह फौजदारी वकीलों में गिना जाने लगा था।

वकालत चमकाने के लिए अब गुरमीत किस कप्तान से रिश्तेदारी करेगा?

गुरमीत अपने काम का माहिर जरूर था। डिग्री करते समय वह गोल्ड मैडल भी जीत चुका था। किन्तु कचहरी में उस की लियाकत को किस ने पूछना था?

वह प्यारे लाल की ओर देखता। वह एल.एल.एम. पास था। उसने फौजदारी कानून में विशेष निपुणता हासिल की थी। आज तक कभी किसी ने डिग्री के आधार पर उसकी बात नहीं पूछी

गुरमीत ने कई साल नौकरी की थी। इस पेशे का उस को बहुत अनुभव था। क्या उसको नहीं पता कि सायल की बुद्धि पर पर्दा तो कचहरी घुसते ही पड़ जाता है। उस की बचती अक्ल टाऊट मार देते हैं। वे जादूगर, वकील के बारे में कुछ सोचने ही नहीं देते।

केवल एक बार एक सायल प्यारे लाल के बोर्ड पर एल.एल.एम. लिखा पढ़कर उस के पास आया था।वकालतनामे का फार्म लेने गए को टाऊट ने घेर लिया।

''चंडीगढ़ से तो हर कोई पढ़कर आ जाता है। एल.एल.एम. की जगह चाहे पी.एच.डी. की डिग्री ले आओ। हमारा वकील बाहर से पढ कर आया है।''

फीस वापिस मांगने आए सायल को प्यारे लाल ने बहुत समझाया था। वकील विदेश से नहीं, गंगा नगर से पढ़ कर आया है। वहां से डिग्री हासिल करने के लिए विद्यार्थी को सारी सारी रात मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां कभी कभर जाकर, फीस भर कर और परीक्षा में बैठ कर काम चल जाता है। कॉलेज वालों को पैसा चाहिए और पैसे वालों को डिग्री। उसके वकील ने इस तरह डिग्री हासिल की है।

किन्तु प्यारे लाल की बजाय टाऊट का तर्क अधिक प्रभावशाली था। सायल ने फीस वापिस करवा कर ही सांस ली।

पांच सालों से प्यारे लाल कचहरी में धक्के खा रहा था। एक भी केस में उसको अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं मिला था । प्यारे लाल को लगता था, उस के दोस्त गुरमीत के साथ भी ऐसे ही होगा। कौन ला कर देगा उसको केस?

पाले मीते ने यदि वह कत्ल नहीं किया, न सही। थे तो वे दस नम्बरी ही। बहुत से जरूरतमंदों की उन्होंने जेबें काटी होंगी। बहुत से गरीबों के घरों में चोरी की होगी। कानून की कमजोरियों का फायदा उठा कर बरी भी होते रहे होंगे। समाज को ऐसे मुजरिमों से राहत मिलनी ही चाहिए। उन पर यदि झूठा केस मढ़ दिया गया था तो गुरमीत को क्या? प्यारे लाल समझता था, उसको बादशाहों जैसी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी।

शायद गुरमीत भी प्यारे लाल जैसा आदर्शवादी था। पहले पहल हर कोई होता है। काला कोट पहनने से पहले प्यारे लाल ने भी प्रतिज्ञा की थी, वह एक वकील के कर्त्तव्यों को दृढ़ता से निभाएगा।

वह जज के समक्ष सच्चाई लाया करेगा। उस का उद्देश्य अपने पक्ष को जितवाना नहीं होगा। वह सस्ता इंसाफ दिलवाने में लोगों की मदद करेगा। वकालत में पूरी तरह स्थापित हो कर भी, वह सायलों की जेबें नहीं काटेगा। कानून तोड़ कर गर्वित होने वालों का वकील नहीं बनेगा। मानव अधिकारों की रक्षा करेगा। ऐसा करने के लिये उसको कभी कोई संघर्ष करना पड़ा तो वह करेगा।

शायद ऐसा ही कोई उद्देश्य सामने रख कर गुरमीत ने त्यागपत्र दिया होगा।

किन्तु रोजी रोटी के लिए जूझते प्यारे लाल का आदर्शवाद दिनों में ही खंडित हो गया था। भूख ने उस की आंखों में बसे सपने चूर-चूर कर दिए थे। थके हारे प्यारे लाल को वकीलों की भीड़ में गुम हो कर एक साधारण वकील वाला व्यव्हार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

गुरमीत को अच्छा वेतन मिलता था। भरे पेट उपदेश देने आसान होते हैं। प्यारे लाल को लगता था, गुरमीत हवा ले गया था। छोटे-मोटे मुजरिमों को जुर्म करने से हटा कर या प्यारे लाल जैसे वकीलों को दो चार केस दिलवाकर अपने आप को फरिश्ता समझ बैठा था। जब आटे दाल का भाव पता लगेगा तो प्यारे लाल की तरह वह अपने सारे आदर्श भूल जाएगा।

प्यारे लाल को समझ नहीं आ रही थी, गुरमीत ने त्याग पत्र देने की मूर्खता क्यों की?

शायद प्यारे लाल की तरह वह भी शेख चिल्ली बन गया था। सपनों में ही ऊँची उड़ान भर गया था।

दिन में सपने देखने में प्यारे लाल का दोष नहीं था। यह गुण उसको विरासत में मिला था।

प्यारे लाल के बाप मुकंद लाल ने भी सपना देखा था। प्यारे लाल को वकील बनाने का। उसके जन्म से भी पहले।

किसी आसामी ने मुकंद लाल के दो सौ रूपये मार लिए थे। उसको अतीत से ज्यादा भविष्य की चिन्ता थी। आज इस आसामी ने अंगूठा दिखाया है, कल दूसरी दिखाएगी और परसों तीसरी। इस तरह मुकंद लाल का कारोबार ठप्प हो सकता था।

अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मुकंद लाल ने बिहारी लाल वकील किया था। पहली बार में ही उस ने पचास रुपये झाड़ लिए थे। इतनी रकम न मुकंद लाल से एक महीने में कमाई जानी थी, न उसकी आसामी से।

फीस के साथ साथ बेगारें भी डालीं। कभी साग मंगवा लिया कभी गन्ने। कभी मक्खन और कभी खोया।

वकील के खरबूजों जैसे बच्चे थे, मक्खन जैसी पत्नी। नौकर चाकर और हवेली जैसा घर था। वकील का ऐशो-आराम देख कर मुकंद लाल के मुंह में पानी आ जाता था।

दो साल तारीखें भुगत कर उसको महसूस हुआ, अदालत के तो मुंशी ही नहीं मान, वकीलों का तो कहना ही क्या।

वह भी लड़के को वकील बनाएंगे। प्यारे लाल के जन्म लेते ही पति पत्नी ने मन बना लिया था।

वकालत की डिग्री करवाने पर बहुत खर्च होना था। बनिया पुत्र ने बीस साल पहले ही योजना बना ली। पली-पली करके जोड़ा तो भी उस समय तक घड़ा भर जाना था।

उनके गांव से शहर बारह मील दूर था। जवान व्यक्ति के लिए इतना सा रास्ता क्या होता है।मुंह अंधेरे उठकर शहर जाया करेगा। सब्जी की बोरी भर लाया करेगा। जो फालतू आमदनी हुई, वह वकील पुत्र के खाते में जमा करवा दिया करेगा।

कलावंती ने भी साथ दिया। उसको भी कई हुनर आते थे। दरियां, बुन लेती थी। थोड़ी बहुत सिलाई कढाई भी जानती थी। उसने मशीन खरीद ली तो निपुणता आ जाएगी। गांव में कपड़े सिलवाने वालों की कमी नहीं थी।

उन्होंने अपनी योजना को असली जामा पहनाया। उन के काम का समय सुबह तीन बजे शुरू हो कर रात को ग्यारह बजे खत्म होने लगा।

प्यारे लाल अपना फर्ज निभाता रहा। लॉ की डिग्री हासिल होने तक पहले पांच-सात में आता रहा। प्यारे लाल के प्रोफैसर उसको समझाने लगे। वह जज बने। इंग्लिश उसकी पहले ही अच्छी थी। कानून उसको समझ आता था।

प्यारे लाल इंसाफ की कुर्सी पर बैठने के सपने देखने लगा।

एल.एल.बी. करके वकालत करने की बजाय उसने एल.एल.एम. में दाखिला ले लिया। वजीफा मिल जाना था। यूनिवर्सिटी बैठ कर वह प्रतियोगिता की तैयारी करेगा। निकल गया तो ठीक। नहीं तो मास्टर ऑफ ला बन जाएगा।

एक एक करके एल.एल.एम. के दो साल निकल गए। किन्तु पी.सी.एस. की नौकरियां नहीं निकलीं। महीने बीस दिनों के बाद वह सचिवालय का चक्कर लगा आता। कब निकलेंगी पोस्टें? पूछ-ताछ कर आता। धीरे-धीरे उसको पता लगा। हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच झगड़ा चलता था। कमीशन लिखित परीक्षा के साथ-साथ इंटरव्यू रखना चाहता था। हाई कोर्ट इंटरव्यू रखने के लिए राजी नहीं थी। कमीशन की साख अच्छी नहीं थी। बुरी साख वालों को दूसरे इश्वर चुनने की छूट नहीं दी जा सकती।

यदि कमीशन वाले अपनी इच्छा से चुनाव नहीं कर सकते। अपने भाई भतीजों को नौकरी नहीं दिला सकते। उनका दिमाग तो खराब नहीं है, जो दिन रात मेहनत करके सरकार को जज भर्ती करके दें। इसी कशमकश के कारण भर्ती वाली फाईल दोनों दफतरों में गेंद की तरह उछलती रही थी।

एल.एल.एम. करके चंडीगढ़ बैठना मुश्किल हो गया।वजीफा बंद हो गया। प्रोफैसरी मिलने की कोई संभावना नहीं थी।

प्यारे लाल को गांव में डेरा जमाने में बेहतरी लगी। वकालत भी करेगा, साथ में परीक्षा की तैयारी भी।

वकील बन कर घर आए पुत्र को देख कर मां बाप का धरती पर पैर नहीं टिकता था । उनके सपने साकार हो गए थे।

पंडित को बुला कर महुर्त निकलवाया गया। सगे संबंधियों और जान पहचान वालों को बताने के लिए रामायण का पाठ रखवाया गया।

दही खिला कर और माथे पर तिलक लगा कर पूरे शगुन से उसको कचहरी भेजा गया।

शाम को जब प्यारे लाल घर लौटा तो दीवार पर लटकता बड़ा सा बोर्ड देखकर हैरान रह गया। उस का बाप सारा दिन पेंटर के सिरहाने बैठा रहा था। तब कहीं जा कर बोर्ड तैयार हुआ था।

प्यारे लाल कमरे में पहुंचा तो मेज पर एक लैटर पैड पडा था। यह छोटा भाई छपवा कर लाया था। सुन्दर-सुन्दर अक्षरों में मुलायम-मुलायम कागज़ों पर लिखा था, 'प्यारे लाल बी.ए. (आनर्ज़) एल. एल.एम. एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट।'

घर के आगे लटकते बोर्ड और मेज पर पड़ी पैड को देखकर, घर के अन्य मैंबरों की तरह प्यारे लाल को भी अजीब सा नशा चढ़ा था। घर में विवाह जैसी चहल पहल थी। बार-बार वे घर से बाहर निकलते समय चोर आंख से दीवार पर लटकते बोर्ड को ताकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे नयी ब्याही बहू को पड़ोसी ताकते हैं।

किन्तु यह नशा कुछ दिनों के बाद ही उतरना शुरू हो गया। एक, दो और फिर तीन महीने गुजर गए। उसके पास एक भी केस न आया।

पता किया तो गलती का एहसास हुआ। उसको कुछ साल किसी सीनियर वकील का जूनियर बनना चाहिए था। इस तरह लोगों से जान पहचान बन जाएगी और खर्चा पानी भी निकलता रहेगा।

उन दिनों तरक्की लाल की सबसे ज्यादा प्रसिद्धि थी। प्यारे लाल बड़े गर्व से शार्गिद बनने के लिए उसके पास गया। प्यारे लाल को अपनी डिग्री और लियाकत पर भरोसा था। तरक्की लाल के पास चाहे कई जूनियर थे। किन्तु प्यारे लाल जैसा एक भी नहीं था। उसको यकीन था, कुछ ही महीनों में वह तरक्की लाल का हाथ बंटाने लगेगा। हां या न करने से पहले तरक्की लाल ने पूरी पूछ पड़ताल की। डिग्री या डिवीजन के बारे में नहीं। उस के आगे पीछे, खानदानी और राजनीतिक संबंधों के बारे में पूछा गया। इन में प्यारे लाल फिसड्डी था।

दो दिनों के बाद प्यारे लाल को टरका दिया गया। अभी उस के पास चार जूनियर थे, कोई हटा तो प्यारे लाल को बुला लिया जाएगा।

वहां से निराश होकर वह महेन्द्रदीप के पास गया था। उसके बारे में प्यारे लाल ने सुना था कि आरम्भ में उसको भी किसी ने जूनियर नहीं रखा था । पुराने दिन याद करके शायद वह उसकी बांह पकड़ ले।

महेन्द्रदीप ने उसको इन्कार तो नहीं किया, किन्तु मुंशियों से ज्यादा रूतबा भी नहीं दिया। काम की बात कभी नहीं बताई। लिफाफे उठवाए साथ में घूमाता रहता। जब प्यारे लाल के पास फुर्सत होती तो बेगार करवाने लगता। कभी टाइपिस्ट के पास बैठकर दावा टाइप करवाओ, कभी दावे में से गल्तियां निकालो।

पैसा देते जान निकलती। जूनियर की फीस भी खुद हड़प जाता। एक साल धक्के खा कर भी जब कुछ प्राप्त न हुआ तो प्यारे लाल ने फिर से अपना बोर्ड लगा लिया।

अपना काम उसके पास ज्यादा नहीं था, किन्तु नये लड़कों का वह मार्ग दर्शक बनने लगा। जिन जूनियर वकीलों को सीनियर वकीलों से सही राय न मिलती, वे प्यारे लाल के पास आ जाते। प्यारे लाल उनके दावे लिख देता, जबाब-दावे तैयार कर देता। नए-नए कानून और फैसले ढूँढ देता। जरूरत पड़ने पर उनकी जगह बहस कर आता।बदले में उस को हिस्से अनुसार फीस मिल जाती।

कोई पेचीदा मुकद्दमा होता तो जूनियर सारा केस प्यारे लाल को दे देते। फीस में से अपना हिस्सा ले लेते।

साल बाद उसके दफतर में भी रौनक रहने लगी। उसकी डायरी में भी हर रोज एक दो केस दर्ज रहने लगे।

प्यारे लाल को सुख की सांस आने लगी। इसी रफतार से काम मिलता रहा तो एक दिन वह भी अच्छी रोटी खाने लगेगा। उसको यकीन होने लगा।

उन्हीं दिनों सोई हुई सरकार जाग पड़ी। जजों के बीस पदों के लिए विज्ञापन छपा।

प्यारे लाल को लगा, जैसे उसकी लाटरी निकल आई है। इस बार चुनाव बिना इंटरव्यू के था। भविष्य में इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू का मतलब है सिफारशियों की भर्ती। प्यारे लाल जैसों के लिए जज बनने का यह आखिरी मौका था।

उसने पूरे जोर-शोर से तैयारी आरम्भ की। तीन महीने वह चौबारे में कैद रहा। न खाने की सुध रही, न पीने की।

सारे पेपर बहुत बढ़िया हुए। उसके धरती पर पैर नहीं टिकते थे। वह जज बना कि बना। अपने आप को जज समझ कर, आंखों में अजीब-अजीब सपने सजा कर, वह गांव में घूमता रहता। कचहरी भी कभी कभार जाता। जाता भी, तो जजों के पास जा बैठता। उनसे काम सीखने का यत्न करता।

जब नतीजा आया तो केवल आठ उम्मीदवार पास हुए। बाकी सात सौ के सात सौ फेल।

यह क्या अनहोनी हो गई? वह मैरिट में चाहे न आता, लेकिन फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।

धीरे-धीरे सब ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। मां बाप ने उसको समझाया। परीक्षा कौन सा कुंभ का मेला है। जो बारह साल बाद आएगा। अगले साल फिर सही। जज न बना तो क्या है? समझदार वकील हाई कोर्ट के जज के पद तक को लात मार देते हैं। यह तो फिर मैजिस्ट्रेट का पद था। वकालत घर की खेती थी। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ज्यादा लाभ होगा।

नम्बरों वाला कार्ड आया। नम्बर पढ़कर मन और उचाट हो गया। बाकी सारे पेपरों में वह पहले नम्बर पर आया था। अंग्रेजी के लेख वाले पर्चे में से बीस, दस या पांच नहीं, सिर्फ ज़ीरो दी गई थी। उसका यह पर्चा दूसरे पर्चों से बढ़िया हुआ था। पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई गलती लगी थी। उसका पर्चा बदल गया या नम्बर लगने रह गए।

प्यारे लाल जिस के पास भी गया,उसने एक ही राय दी। हाई कोर्ट में रिट की जाए, जरूर कामयाबी मिलेगी।

एक बार फिर प्यारे लाल को सपने आने लगे। हाई कोर्ट जरूर उस से इंसाफ करेगा। उसको पास मार्क्स मिल गए, तो भी मैरिट में आ जाएगा।

हाई कोर्ट ने उससे कमीशन से भी ज्यादा अन्याय किया।' कमीशन ने जो नम्बर दिए, ठीक हैं। दिए गए नम्बरों को गल्त या सही ठहराने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है।'
नम्बर दिए होते फिर रोना क्या था? हाई कोर्ट यह तो देखे कि उसकी उत्तर पुस्तिका खाली तो नहीं? अगर वह लिखी हुई है तो क्या उस पर प्यारे लाल की हस्तलिपि है या नहीं?''

प्यारे लाल कहता ही रह गया। हाई कोर्ट ने 'मैं न मानूं' कह कर भैंसे की तरह सिर हिला दिया।

धोबी के कुत्ते की तरह न वह घर का रहा, न घाट का। न जज बन सका, न वकील ही रहा।

पांच छः महीनों की अनुपस्थिति के कारण जो चार केस पास थे, वे भी खराब हो गए। फिर किसी की उसको केस देने की हिम्मत न पड़ी। इसका क्या पता कब परीक्षा देने चला जाए। सायल या केस दिलवाने वाला कहां जाएगा?

बाद में कई नौकरियां निकलीं। लोगों के लाख समझाने के बावजूद, वह फिर कभी परीक्षा में नहीं बैठा । उसको अच्छी तरह समझ आ गया था कि जज कौन बनते हैं।

जब प्यारे लाल परीक्षा में बैठा था, तब उसके दो सहपाठी जज बने थे। उनमें से एक का बाप सी. आई.डी. में डीएस.पी. था। उसने पहले अमृतसर से पटियाला तबादला करवाया। फिर अपनी सारी ताकत कमीशन के अधिकारियों के पीछे लगा कर यह पता किया कि प्रश्न पत्र किसने तैयार किए थे? ज्यादा नहीं, किन्तु दो पेपर लीक करवाने में वह सफल हो गया था।

बाकी पेपरों के बारे में यह पता किया गया कि वे कहां गए थे। फिर उन परीक्षिकों तक पहुंच की गई। मर्जी के नम्बर लगवाए गए। डिप्टी की मेहनत से लड़का जज बन गया।

प्यारे लाल तो कमीशन के नजदीक भी नहीं जा सकता था । किसी की हिमायत प्राप्त करनी तो दूर की बात थी।

जज के पद का पीछा छोड़कर प्यारे लाल अपना सारा ध्यान वकालत पर केन्द्रित करने लगा।

किन्तु खोयी साख फिर प्यारे लाल के हाथ नहीं आई।

एक तरफ कमीशन द्वारा किए गए अन्याय का गम, दूसरी तरफ काम का फिक्र। प्यारे लाल अन्दर ही अन्दर घुलने लगा। काम चलाने के लिए प्यारे लाल हर उपाय करने लगा। काम था कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा था।

पहले उसने चहल वकील को अपना आदर्श बनाया।

शुरू में चहल भी घर से लाई रोटी खा कर लौट जाया करता था। थक-हार कर उसने कई बार कचहरी आना छोड़ा था। जब घर से धक्का लगता, वह फिर कचहरी आ जाता था।

समय की नजाकत को पहचान कर चहल ने राजनीति में घुसना शुरू कर दिया।

पहले उसने मार्क्सवादी पार्टी की ओर हाथ बढ़ाया। सी.पी.आई. के वकील के केबिन में वर्करों का मेला लगा रहता था। उसको अच्छी कमाई होती थी। चहल ने सोचा, क्यों न मार्क्सवादियों का बैज लगा कर आधे केस छीने जाएं। किन्तु लाल पगड़ी बांधने या दस मिनट मीटिंगों में शामिल हो कर कोई कामरेड नहीं बन जाता। पार्टी कार्ड लेने के लिए उसको कई साल लाईन में खड़ा होना पड़ना था। इतने में गाड़ी ने स्टेशन से गुजर जाना था।

कम्यूनिस्टों द्वारा मुंह फेरने पर उसने अकालियों पर डोरे डाले। यहां न कोई काडर था, न कार्ड। जब मर्जी पार्टी में शामिल हो और जब मर्जी निकल जाओ। बस एक काली पगड़ी चाहिए थी। समस्या यह थी कि अकालियों के पास पहले ही सीनियर वकील था। पार्टी में भी उसकी अच्छी साख थी।एक बार मंत्री बन चुका था। केन्द्र तक उसकी पहुंच थी। चहल राजनीति में तो स्थापित नहीं हो सकता था, किन्तु काम चलने की पूरी संभावना थी। सरदार का क्या था। वह नाम का वकील था। साल में आठ महीने चंडीगढ़ रहता था।

चहल ने सरदार को दाना डालना शुरू किया। वह पार्टी का मैंबर बन गया। जलसे, जलूसों में मंच पर बैठने लगा। वकील होने के कारण पार्टी में जल्दी ही महत्व मिल गया।

जल्दी ही अकाली सत्ता गवां बैठे। विरोधी दल में आए अकाली खाली कैसे बैठते? मोर्चे लगाते। जेलें भरने का प्रोग्राम बन जाता।

झेंप में चहल को भी दो बार जेल जाना पड़ा। राजनीति में आया तो वकालत चमकाने के लिए था, किन्तु लेने के देने पड़ गए। जो चार केस मिलते, वे जेल से लौटने तक साफ हो जाते।

चहल ने हिम्मत न हारी। आखिर एक स्वतन्त्रता सेनानी की लड़की से विवाह करवा लिया। लड़की न सुन्दर थी, न पढ़ी लिखी। बस एक ही गुण था। मां बाप की इकलौती पुत्री थी, और बारह एकड़ की मालिक।

चहल कः ससुर ने उसे कांग्रेस में शामिल करवा कर, पहली बार में ही ब्लाक कांग्रेस का प्रधान बनवा दिया। बहाना अच्छा था। एक पढ़े लिखे अकाली से दल बदलवाया गया था। वकील को मुआवजा मिलना चाहिए था।

अगले साल उसको इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का सदस्य बनवा दिया। चहल का सरकार में महत्व बढ़ने लगा। बैंकों और सरकारी विभागों का काम मिलने लगा। इस तरह वकालत चल पड़ी। वकील होने से पार्टी में जल्दी पद मिल जाता। पद के कारण वकालत चमक जाती।

आज कल मंत्रियों से लेकर हाई कोर्ट के जजों तक का उस के घर आना जाना था। पार्टी प्रधान से उसकी गहरी मित्रता थी। पार्टी सत्ता में आई तो उस का मंत्री पद तय था।

प्यारे लाल ने भी चहल के पद चिन्हों पर चल कर देखा। लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, जिसके दो-दो, तीन-तीन वकील न हों। केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में पद खाली था।

सुबह शाम शाखा में जाने के लिए उसको शहर रहना पड़ना था। प्यारे लाल ने यह कड़वा घूंट भी पी लिया। शहर में कमरा किराए पर ले लिया।

संघ वालों ने पद फौरन दे दिया।किन्तु काम दिलवाने में दरियादिली न दिखाई। कचहरी गए संघी, चाय भारतीय जनता पार्टी के वकील के पास ही पीते।

जब राजनीति में दाल न गली तो प्यारे लाल ने मुंशियों, टाऊटों वाले ढंग अपनाने शुरू कर दिए।

खाली समय में वह थाने के आगे चक्कर लगाता। कोई सिपाही हवलदार मिलता, उससे दोस्ती गांठने का यत्न करता। किन्तु वे महंगे पड़ने लगे। किसी को शराब की तलब होती तो किसी को मीट मुर्गे की। कोई उसके कमरे की चाबी मांग लेता। कभी जुआ खेलने के लिए और कभी प्रेमिका बुलाने के लिए।

दोपहर के समय प्यारे लाल बस अड्डे का चक्कर लगाता। टाऊट इसी तरह आसामियां फंसाते थे। ज्यों ही पुलिस वाले किसी मुलजिम को लेकर बस से उतरते, वह उनको घेर लेता। कम से कम फीस में वकील बनने के लिए मिन्नतें करता। सिपाहियों को मनाता। आधी से ज्यादा फीस कमीशन के रूप में देने का लालच देता किन्तु कुत्ते की पूंछ कभी कभार ही सीधी होती। अधिकतर कामयाबी टाऊटों को मिलती।

परिवार का दबाव बढ़ रहा था।, वह विवाह करवाए। विवाह की आयु निकलती जा रही थी। दो चार साल और निकल गए तो किसी ने लड़की नहीं देनी थी।

विवाह करवा कर प्यारे लाल मीतपाल नहीं बनना चाहता था ।

उसके यार मीतपाल ने चाव से विवाह करवाया था। दो प्यारे-प्यारे बच्चे भी हो गए। उसकी कमाई प्यारे लाल से भी कम थी। घर की हालत खस्ता।

उसके घर में क्लेश रहने लगा। न पत्नी के अरमान पूरे हुए, न बच्चों की संभाल।

पहले एक एक करके पत्नी के गहने बिके। फिर घर बार। वह खुद शराबी रहने लगा। कई-कई वक्त चूल्हा न जलता। भूखे बच्चे चीखते चिल्लाते रहते। आखिर उसकी पत्नी को शर्म हया का घूंघट खोल उठाना पडा। लोग कहते थे, उसकी पत्नी कॉल-गर्ल बन गयी। उस माँ के शेर ने मुंह पर मिट्टी मल ली। कभी यह नहीं सोचा, घर का खर्च कैसे चलता है?

प्यारे लाल एक और मीतपाल नहीं बन सकता था ।

मीतपाल की तरह प्यारे लाल पर भी मानसिक दबाव बढ़ने लगा। कभी-कभी सोने के लिए वह नशे का सहारा लेने लगा।

दो वक्त की रोटी का खर्चा निकालने के लिए,कई बार उस को सायलों की जेबें काटनी पड़तीं। कभी 'तलबाना भरना है कह कर डेढ़ रूपये की जगह पचास लेने पड़ते, कभी गवाह के खर्चे के बहाने बीस की जगह सौ। कभी-कभी इस चलाकी का सायल को पता लग जाता। वह बुरा-भला भी कहता, और लिफाफा भी उठाकर ले जाता।

एक समय ऐसा भी आया, जब वह हर तरह के गलत काम करने के लिए कुख्यात हो गया। किसी ने झूठा हल्फिया बयान प्रमाणित करवाना हो, किसी ने किसी जगह झूठी गवाही डलवानी हो या किसी ने किसी मृत व्यक्ति की जगह वकील खड़ा करना हो तो बिना झिझक वह प्यारे लाल की शरण में आ जाता। बिना किसी की परवाह किए वह अपनी मोहर लगा देता। कोई आपत्ति करता तो वह खरी-खरी सुनाने लगता।

'मैने भी रोटी खानी है। ईमानदारी से नहीं मिलती तो बेईमानी से सही। आगे कौन सा अदालतों में सही काम होता है। कोरा झूठ चलता है। कोई छुप कर ठगी मारता है, कोई दिन दिहाडे। मैं सबके सामने से ठगी मारूँगा।''

गुरमीत के शहर तब्दील हो कर आने तक वह पूरी तरह तबाह हो चुका था।

उसने गांव जाना छोड़ दिया था। सारा दिन शराब के नशे में धुत्त रहता। नशे के लिए हर किसी के आगे हाथ फैला देता। कई बार शराबी हुआ खोखों में लेटा रहता।

कई महीने न प्यारे लाल ने गुरमीत को पहचाना, न गुरमीत ने प्यारे लाल को। न सरकारी वकील को शराबी वकील तक कोई वास्ता था, न प्यारे लाल को सरकारी वकील तक।

गुरमीत को प्यारे लाल का उस समय पता लगा, जब एक बार चंडीगढ़ गया तो उसके एक दोस्त ने प्यारे लाल का हाल चाल पूछा।

वापिस आ कर गुरमीत ने उसको गले से लगा लिया।

गुरमीत के माध्यम से प्यारे लाल को पहले ऐसे केस मिलने लगे, जिन में दोषियों ने अपने जुर्म का इकबाल करना होता था। छोटे छोटे काम की थोड़ी बहुत फीस मिलती।

फिर उसको गरीब सायलों के केस मिलने लगे। और नहीं तो व्यस्तता ही सही। व्यस्त होने से दिल भी लगने लगा और शराब की तलब भी कम होने लगी।

कचहरियों में उसका मान सम्मान बहाल होने लगा।

कभी-कभी उसकी योग्यता की तारीफ भी होती।

अब गुरमीत के नौकरी छोड़ देने से वह घबराहट में था।

यदि वह नौकरी में होता तो शायद प्यारे लाल को भी अपनी लियाकत दिखाने का मौका मिल जाता।

7

चाहे कचहरी में हर वकील यह केस को हासिल करने के लिए बेचैन हो रहा था। किन्तु संत राम भंडारी बेफिक्र था। उसने मुद्दई पक्ष की ओर से वकालत करनी ही करनी थी।

बंटी के अपहरण वाले दिन से ले कर आज तक,वह इस केस से जुड़ा रहा था। वैसे भी भंडारी युवा संघ का कानूनी सलाहकार था। संघ उसका प्रशंसक। जब दोनों घी-खिचडी थे तो केस बाहर कैसे जा सकता था।?

भंडारी के लाला जी से निजी संबंध भी थे। लाला जी की तरह भंडारी भी समाज सेवक था। बहुत सी संस्थाएं दोनों के सहारे चलती थीं। यदि लाला जी खून पसीना एक करके किसी संस्था को जन्म देते थे तो भंडारी धन-दौलत से उसकी परवरिश करता था। माता के भंडारे के लिए सेवक लाला भेजता तो राशन पानी भंडारी। अस्पताल बीमार पड़े लोगों की सेवा यदि लाला करता तो मुफत दवाइयां भंडारी भेजता। जहां लाला जी की निष्काम सेवक के रूप में प्रशंसा होती, वहां भंडारी की महादानी के रूप में।

केस लड़ने के पीछे भंडारी को पैसे का लालच नहीं था। बंटी के लिए हजारों रूपये वह पहले ही जेब से खर्च चुका था। अखबारों में विज्ञापन छपवाए गए थे, रेडियो और टी.वी. पर सूचनाएं दी गयी थीं। यह सारा खर्चा भंडारी ने किया था।

इस केस के पीछे भंडारी को वही लालच था जो हर वकील को होता है। अपनी प्रसिद्धि करवाने का। जितना ज्यादा किसी का प्रचार, उतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस। प्रचार यदि रेडियो, टी.वी. या अखबारों के माध्यम से होता हो तो क्या कहना। इस केस की मीडिया में पहले भरपूर चर्चा हुई थी। भविष्य में भी होनी थी। प्रैस वालों ने अदालती कार्यवाही को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना था। अखबारों में दोषियों के साथ साथ वकीलों की तस्वीरें भी छपनी थीं।

असैम्बली में पहले भी शोर पड़ा था। भविष्य में भी पड़ना था। दबाव में आए मुख्यमंत्री को दोषियों को सजा करवानी पड़नी थी। जिस तरह इन्दिरा कत्ल केस में जेठमलानी और लेखी जैसों की प्रसिद्धि हुई थी, उसी तरह इस केस में भंडारी की होनी थी।

वैसे भी ऐसे खतरनाक मुलजिमों को सजा करवाना भंडारी समाज सेवा समझता था। उसके विचार में कुछ हजार रूपयों के बदले किसी मासूम का कत्ल करना घोर अपराध था। महापाप था। ऐसे दुष्टों को फांसी होनी ही चाहिए थी।

एक तीर से वह दो शिकार करना चाहता था। प्रसिद्धि भी और समाज सेवा भी।

तफतीश के दौरान भंडारी ने अपने प्रभाव का अच्छी तरह प्रयोग किया था।

पहले उसने पुलिस पर दबाव डाला। दोषी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएँ।

दोषी पकड़े गए तो मैजिस्ट्रेट पर दबाव डाला। दोषी पेशेवर मुजरिम है। जल्दी-जल्दी भेद देने वाले नहीं। ज्यादा से ज्यादा रिमांड दो। ताकि पुलिस अच्छी तरह तफतीश कर सके।

मैजिस्ट्रेट ने पूरे पन्द्रह दिनों का रिमांड दे दिया। उसको भंडारी का एहसान चुकाने का मुश्किल से मौका मिला था।

शहर में जज बहुत थे और सरकारी कोठी एक। वह भी बाबा आदिम के जमाने की। किसी कमरे की छत गिर जाती, कभी किसी दीवार का प्लस्तर। कभी सांप निकल आए। कभी चूहों ने धावा बोल दिया। कभी बिजली की तार जल गयी, कभी पंखा सड गया।

यह कोठी कौन सा हर किसी को नसीब होती थी। जिस को मिल गयी, सो मिल गयी। बाकियों को अपना प्रबंध स्वयं करना पड़ता था।

शहर में अच्छी रिहाइश की कमी थी। जजों के स्टैंडर्ड की चालीस पचास कोठियां मुश्किल से थीं। उन में से अधिकतर में मालिक रहते थे। कभी कोई खाली होती तो जजों को वह भी न मिलती। उनको कोठियां किराए पर देने में मालिकों को कई आपत्तियां थीं। पहली यह, कि जज पूरा किराया नहीं देते। वास्तव में वे पूरा किराया दे ही नहीं सकते। तनख्वाह कम थी और किराया ज्यादा। कम किराया लेने से इन्कार कर के अधिकारी से दुश्मनी लेने से अच्छा था, पहले ही कह दिया जाए कि कोठी किराए पर नहीं देनी। मालिकों को दूसरी आपत्ति यह थी कि जरूरत पड़ने पर कोठी खाली नहीं होती थी। कभी कोई कोठी खाली करने के लिए कहने की गलती कर बैठता तो मुकद्दमे की धमकी मिलती या पुलिस ले आने की।

किस मालिक का दिमाग खराब हुआ था, जलती आग में हाथ डाले।

इसके विपरीत भंडारी के पास कोठियों की भी कमी नहीं थी और दरियादिली की भी। शहर की रईस कालोनी 'भंडारी बाग' में उसकी पांच कोठियां थीं। एक में स्वयं रहता था, दो जजों के लिए सुरक्षित थीं।

जजों से उस का रोज का वास्ता था। कागज पत्रों में वह उन से पूरा किराया वसूल करता था। उन को वसूले गए किराए की रसीद भी देता था। यह दूसरी बात थी कि किराया तो क्या लेना था, वह बिजली पानी तक का बिल खुद भरता था।

यह नहीं कि भंडारी मूर्ख था। वह अफसरों से किराया वसूलता था, लेकिन नोटों की बजाय सोने की मोहरों के रूप में।

मालिक मकान और किराएदार के रिश्ते के कारण अफसरों से उसकी दोस्ती होती। फिर यह दोस्ती यारी में बदल जाती। जरूरत पड़ने पर वह यारी का पूरा मूल्य वसूल करता था।

उसकी वकालत का डंका सारे पंजाब में बजता था।

शहर में केस लड़ने की उस की फीस दस हजार थी। बाहर जाने की पच्चीस-तीस हजार।

बाहर वाले केस वह तभी लेता था, जब कुर्सी पर कोई मित्र बैठा होता।

थोड़ी देर पहले जालंधर के एक आई.टी.ओ. पर भ्रष्टाचार का केस बन गया। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे लग गयी।

वहां का सैशन जज अड़ियल था। किसी भी कीमत पर वह आई.टी.ओ. की पेशगी जमानत लेने को तैयार नहीं था। किसी ने उस को सलाह दी। इस जज से पेशगी जमानत करवाने की गारंटी यदि कोई दे सकता है तो वह भंडारी वकील ही है। सैशन जज कभी भंडारी का किराएदार रहा था।

जालंधर के सैशन जज की अदालत में पेश होने का भंडारी ने पूरा बीस हजार रूपया लिया था।

इस तरह मिले नोटों के बंडल, वह कोठियों का किराया समझता था।

झेंप में ही इस मैजिस्ट्रेट ने बंटी कत्ल केस में उतना पुलिस रिमांड दिया था, जितना पुलिस ने मांगा था।

मुकद्दमा चलने पर संघ को भंडारी की फिर जरूरत पड़नी थी। यदि दोषियों को सजा शहादतों के आधार पर होती न दिखी तो भंडारी को सैशन जज तक पहुँच करनी पड़नी थी। सैशन जज ने झिझक दिखायी तो हाई कोर्ट से हरी झंडी दिलवानी पड़नी थी।

जब गुप्त रूप से काम करना था, तो सरेआम क्यों न किया जाए? मुद्दई का वकील बन कर प्रसिद्धि क्यों न प्राप्त की जाए?

भंडारी को वकील बनने की पेशकश का इन्तजार करते हुए, एक-एक करके तीन महीने निकल गए। पेशकश करनी तो दूर रही, लाला जी ने कभी उस के पास मुकद्दमे का जिक्र तक न छेड़ा।

पहले भंडारी चुप रहा। जिस को चोट लगेगी, अपने आप मरहम पट्टी करेगा।

जब चलान पेश होने के बाद भी लाला जी ने वकालतनामा न भेजा तो भंडारी को शक हुआ। हो सकता है, लाला जी को पता ही न हो कि मुद्दई पक्ष को भी वकील करना पड़ना है।

मुंशी के हाथ उसने खुद वकालतनामा भेज दिया।

लाला जी ने वकालतनामा बैरंग वापिस भेज दिया।

लाला जी को मनाने और अपराध विज्ञान के नुक्ते समझाने के लिए भंडारी खुद लाला जी के पास गया।

इन गरीब-गुरबों के मुंह खून लग चुका है। यह पहले चोरियां करते थे, अब कत्ल करते हैं। लाला जी ने चुप्पी धारण कर ली तो ये बरी हो जाएंगे।

बरी हो कर आदमी मारना इनको मजाक लगेगा। लाला जी ने दोषियों को सजा किसी निजी लाभ के लिए नहीं करवानी थी। इनको सजा करवाना भी एक समाज सेवा थी। ये खुले आम घूमते रहे तो किसी और बंटी को मारेंगे। समाज को सुख की सांस दिलवाने के लिए, ऐसे नर भक्षियों को फांसी करवाना जरूरी था।

सवाज सेवा लाला जी का परम धर्म था। यदि पाले मीते को सजा करवाने से समाज का कुछ संवर सकता था तो वह उनको सजा करवाने के लिए तैयार थे।

अन्य मासूमों की जान बचाने के उद्देश्य से लाला जी ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। वकालतनामे को जेब में डाल कर भंडारी बगलें बजाने लगा।

8

पाला मीता मोहन जी के पक्के सायल थे। पहले पाले की मां उसके पास कई चक्कर लगा चुकी थी। पहले की तरह यह केस भी वह उसी से लडवाना चाहती थी।

मीते के जेल से कई संदेश आए थे। मोहन जी उनका केस लड़े। फीस की परवाह न करे। बाहर आते ही वह मोहन जी का घर नोटों से भर देगा।

मोहन जी को फीस की परवाह नहीं थी। अपने पक्के सायलों से उसने कभी फीस नहीं खोली थी। सायलों को फीस का पता होता था। दस-दस, बीस-बीस हर पेशी पर देकर वे मोहन जी का घर पूरा कर जाया करते थे।

यह कत्ल केस था। इस केस की फीस हजारों रूपये बननी थी। पाले मीते ने हजारों रूपये भी चुका देने थे। मोहन जी ने बस उनकी जुबान पर विश्वास करना था। उनके बरी होने तक फीस के भुगतान की प्रतीक्षा करनी थी।

मोहन जी के सामने मामला फीस या प्रतीक्षा का नहीं था। मामला यह था कि यह केस उसने झगड़ना था या नहीं।

मोहन जी एक मुंशी से वकील बना था। उसका वकालत का अनुभव भी ठीक-ठीक था। छोटे-मोटे केस उसने बहुत लड़े थे। सैशन केस लड़ने का अभी तक साहस नहीं हुआ था ।

सैशन कोर्ट का नाम सुनते ही उस की टांगे कांपने लगती, दिल धड़कने लगता और माथे पर पसीने की बूंदे चमकने लगती।

सैशन केसों में दोषियों को उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा होती थी। केस की पैरवी कई-कई दिन लगातार चलती थी। सैशन केस सख्त मेहनत की मांग करता था।

मोहन की मेहनत से नहीं डरता था, किन्तु बीस सालों के लम्बे संघर्ष के बाद, वह बड़ी मुश्किल से वकील कहलाने और सुख की रोटी खाने लगा था। किसी सायल को फांसी चढ़वा कर, न वह अनाड़ी वकील कहलाने की रौं में था, न हाथ में आए चार केसों को गंवाने के। भूले भटके यदि कोई सैशन केस उस के पास आ जाता तो लालच त्याग कर, वह केस किसी सीनियर वकील को दे देता।

बंटी कत्ल केस को वह आगे धकेलने के मूड में नहीं था।

जिस दिन से पाले की मां इस केस की पेशकश लेकर आई थी, उसी दिन से उसके मन में द्वंद्व चल रहा था।

जब कई दिनों की कशमकश के बाद किसी नतीजे पर न पहुंच सका तो मार्ग दर्शन के लिए वह अपने सीनियर मनोहर लाल के पास गया था।

केस सुन समझ कर मनोहर लाल ने फौरन सहमति दे दी। पिछले दस सालों की उसकी कारगुजारी देख कर,मनोहर लाल तो पहले ही मोहन जी पर दबाव डालता आ रहा था। उसको सैशन केस लड़ने से नहीं झिझकना चाहिए। मोहन की मौका टालता रहता था।

पहले जो हो गया, सो हो गया। उसके हाथ वह मौका लगा था, जिस की मोहन को सालों से प्रतीक्षा थी। सफलता की सीढ़ी का अगला पड़ाव उसको आवाजें लगा रहा था।

यह ब्लाइंड मर्डर केस था। कत्ल को आंखों से देखने वाला पुलिस के पास एक भी गवाह नहीं था। केस को खड़ा करने के लिए पुलिस ने जो गवाह रखे थे, वे सब पुलिस के टाऊट थे। हर पुलिस टाऊट की मोहन जी के पास जन्म पत्री थी। उन की कमर तोड़ने में वह पहले ही माहिर था। मोहन जी जैसे तूफान के सामने रेत के इस महल ने पहली बार में ही ढह जाना था।

दुर्भाग्यवश, यदि दोषियों को सजा हो गई तो भी मोहन जी की वकालत को ठेस लगने वाली नहीं थी। दोनों दोषी लावारिस थे। इन को सजा होने का किसी ने नोटिस नहीं लेना था।

सही गलत सोचकर मोहन जी ने अपनी झिझक खोलने का मन बना लिया।

मोहन जी के गुरु बातें उचित थी। इन दिनों न उस को काम की कमी थी, न कामयाबी की।

उसके फूँक-फूँक कर कदम रखने के दिन समयातीत हो चुके थे।

मोहन जी अपनी आदत से मजबूर था। सब कुछ समझते हुए भी अभी तक वह अतीत से पीछा नहीं छुड़वा सका था।

अभी तक उसको वे दिन नहीं भूले थे, जब मोहन जी के वकील बनने के सपने पर लोग हंसा करते थे।

कोई पराया नहीं, उसका अपना चाचा कहा करता था-

यदि हिजड़ों के बच्चे होने लगे तो पुरुषों को कौन पूछेगा। मोहन जी ने कानों में तेल डाल लिया था।

उसको मनोहर लाल पर भरोसा था। उसी ने उसको मुंशी बनाया था। वही उसको वकील बनाएगा।

मोहन जी के दसवीं पास करते ही उसका बाप चल बसा था। तपेदिक ने उसके बाप को जवानी में ही घेर लिया था। एक छोटे से खोखे में पान-बीड़ी लगाने वाले पनवाड़ी के पास कितनी पूंजी बचा कर रखी हो सकती थी? बाप का शोक खत्म होने तक, उनके घर का राशन तक खत्म हो चुका था।

मनोहर लाल यदि उनके पड़ोस में न रहता होता तो परिवार का पता नहीं क्या बनता?

मोहन जी पढ़ने में होशियार था, किन्तु पढ़ाई से ज्यादा उसको परिवार की भूख की फिक्र थी। वह किसी छोटी-मोटी नौकरी के लिए बेचैन होने लगा।

मनोहर लाल ने उसको घर बुलाया। चूल्हा चलता रहे, इसलिए उसने मोहन जी को अपने मुंशी का सहायक बना दिया।

मनोहर लाल शहर के प्रसिद्ध वकीलों में से था। उसकी ऊपर तक पहुंच थी। उसने सोचा था कोई नौकरी निकलते ही वह मोहन जी को कहीं अटका देगा। अभी डूबते को तिनके का सहारा काफी था।

जब मनोहर लाल ने उस की काम करने की लगन देखी तो उसने अपना पहला ख्याल त्याग दिया। वह महीने में ही मुंशीपने की सारी पेचीदगीयां समझ गया था। जो नुक्ता उसको एक बार समझा दिया गया, उस पर दोबारा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। दो महीनों के बाद वह दावे, जवाब दावे और अर्जी पत्र तैयार करने में वकील का हाथ बंटाने लगा।

तीसरे महीने मनोहर लाल ने अपने मन में फैसला कर लिया। मोहन जी को वह मुँशी नहीं रहने देगा। उसको वकील बनाएगा। प्रोत्साहन देकर पहले मोहन जी को बी.ए. करवायी फिर गंगा नगर से लॉ करवा दी।

काला कोट पहन कर भी पहले पांच साल, वह अपने गुरु के मजबूत पंखों तले पलता रहा।

अलग कःबिन होने पर भी मनोहर लाल उसको पहले की तरह दुलारता रहा। मुश्किल समय में संभालता रहा।

'आरम्भ में हारने वाले केस कम लेना। बदनामी से बचे रहोगे। केसों के साथ-साथ केस लाने वालों पर भी मेहनत करो।' ऐसे गुर समझाता रहा।'

इन नुस्खों पर अमल करते हुए पहले उसने मुंशियों पर डोरे डाले। वह उनके भाईचारे में से था। 'भाईचारा भाईचारे की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा?'

मदद का वादा करते मुंशियों के प्रधान को पहले-पहले झिझक हुई। मुंशी नमक एक वकील का खायें और वफादारी दूसरे से निभायें, यह विश्वासघात था।

उसको समझाने के लिए मोहन जी को कई दिन माथापच्ची करनी पड़ी थी।

वह मुंशियों को वकीलों के सारे केस तोड़ने के लिए थोड़ा कह रहा था। वह तो वो केस मांगता था, जो बिल्कुल मुंशियों के अपने होते थे। जो उनके पास उनके अपने प्रभाव के कारण आते थे। ऐसे केसों पर वकील का कोई हक नहीं होता।

मुंशियों के लाए केसों में से उन को हिस्सा मिलता हो तो वे केस खुशी से अपने वकील को दें। यदि ऐसी आसामी को वकील मुंशी का फर्ज समझकर ही डकार जाते हों तो मुंशियों को अपने अधिकार के बारे में सोचना ही चाहिए।

मुंशी सोचने लगे।

मोहन जी सच कहता था। उनके साथ अन्याय हुआ था। उनको हिस्सा मिलना चाहिए। मुंशियों में से पहली बार कोई वकील बना था। इसलिए मोहन जी उनकी समस्याओं को समझता था।

मुंशियों को उसकी मदद करनी चाहिए थी।

मदद के रूप में मुंशियों के माध्यम से उसको कुछ केस मिलने लगे।

अब समय बदल चुका था।

अब न उसको किसी मुंशी के सहारे की जरूरत थी, न किसी गणमान्य व्यक्ति की।

मोहन जी को काम हथियाना ही नहीं, संभालना भी आ गया।

व्यापारियों की तरह ग्राहक को वह ईश्वर का रूप समझता था। मां बाप की तरह वह उनका ख्याल रखता था। सायल की जायज-नाजायज हर ढंग से मदद करना अपना धर्म समझता था।

पाला मीता वैसे ही तो उसके भक्त नहीं बन गए थे। मोहन जी ने उनको सैंकड़ों बार जेल जाने से बचाया था।

पहले जब उन पर बीसियों केस चलते थे। तब बाहर अन्दर गए वे अक्सर तारीख भूल जाया करते थे।

उनको तारीख याद नहीं रही, न सही। मोहन जी की डायरी को तो याद थी।

उनके घंटा लेट होने पर मोहन जी को फिक्र लग जाता।

घंटा और इन्तजार कर के वह उनके बचाव का प्रबंध करने में जुट हो जाता। कभी रीडर की मुट्ठी गर्म करता। वह आंखे बन्द कर लेता। कभी अपने किसी सायल की खुशामद करता, वह पाला बन कर पेशी भुगत आए।

जब तक वश चलता, वह अपने सायल को जेल नहीं जाने देता था । जरूरत पड़ने पर जामन भी स्वयं खड़े कर देता और जामन को तस्दीक करने वाले पंच-सरपंच भी।

ऐसे वकील को छोड़कर कोई सायल कहीं और जाए तो क्यों? अब जब किसी सायल के कहीं जाने का खतरा नहीं था, तो मोहन जी के सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गयी।

मोहन जी का उद्देश्य मुकद्दमा लड़ना ही नहीं, जीतना भी होता था। यह केस वह जीतेगा किस तरह? आज कल वह इसी समस्या से जूझ रहा था।

इस केस की सुनवायी एडीशनल सैशन जज सतिंदर नाथ ने करनी थी।

केस लड़ने का फैसला करने वाले दिन से लेकर आज तक, वह उसी का पीछा कर रहा था।

केस की रणनीति बनाने से पहले, उसने नाथ साहिब के मनोविज्ञान का विशलेषण करना और उसकी विचारधारा को समझना था।

सैशन जज के सामने पेश होने का उसका यह पहला मौका था। इस लिए वह नाथ की आदतों से अनजान था।

जिन मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में वह पेश होता था, उनकी रग-रग से वाकिफ था।

अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, जब नत्थु राम मैजिस्ट्रेट से उस ने दस किलो अफीम रखने के दोष मेंएक दोषी को बरी करवाया था।

इस कत्ल केस की तरह उस केस की भी मोहन जी को घबराहट थी। अफीम की मात्रा दस किलो थी, गवाह बड़े चुस्त थे। दोषी ने बरी होने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था ।

मोहन जी ने जज के रसोइए को गांठा। पता लगा-

जज धर्मी कर्मी था। सुबह शाम पूजा पाठ करता था। हर रोज गायों को चारा डालने गौशाला जाता था। पूर्णमासी और अमावस्या वाले दिन गरीबों के लिए लंगर लगाता था। साधु-संतों का घर आना जाना लगा रहता था।

मोहन जी ने सायल को भगवे कपड़े पहना दिए। सिर मुंडवा कर हाथ में माला पकड़ा दी। हर पेशी पर वह अदालत की एक नुक्कड़ में बैठ जाता और माला फेरने लगता।

धीरे धीरे गवाहों और सरकारी वकील के मन में बैठ गया, यह कोई भक्त था।

जज को भी भ्रम होने लगा। यदि झूठी गवाहियों के आधार पर इस को सजा हो गयी तो यह श्राप दे देगा।

सत्य परखने के लिए पिछली पेशी पर जज ने दोषी और तफतीशी दोनों को कटघरे में खड़ा कर लिया।

''सच सच बताओ भक्त, वास्तविकता क्या है?'' हाथ में माला और मुंह में राम-राम करता दोषी जज को भक्त लगा था।

''अफीम चरस सब झूठ है भक्त जी। मैंने कभी अफीम की शक्ल तक नहीं देखी। फिर भी परमात्मा की रजा में खुश हूँ। कैद लिखी हुई तो खुशी-खुशी भुगत लूंगा। अगले पिछले, किसी जन्म के पाप का फल भुगतना ही पड़ेगा, भक्त जी।'भक्त ने आँखें और खोलीं, जवाब दिया। फिर माला फेरनी शुरू कर दी।

'अब तुम बोलो हवलदार! सत्य बताओ, क्या पकड़ा था?'आंखें लाल करते हुए जज हवलदार पर बरसा।

यह भक्त की भक्ति का असर था या जज की गर्जना का, यह हवलदार जाने। मोहन जी इतना जानता था, हवलदार की टांगे कांपने लगी थीं। और सत्य ब्यान करते जुबान थरथर्रा गयी थी।

'जनाब, इस से भट्ठी पकड़ी थी, थानेदार के कहने पर मैंने अफीम डाल दी।'

आखिर दिल कड़ा करके हवलदार ने सच उगल दिया। सच सामने आ गया। परिणाम वही निकला, जो मोहन जी चाहता था।

यदि नत्थु राम धर्मी कर्मी था तो देव सिंह पूरा नास्तिक। अपनी मार्क्सवादी सोच उसने छुपा कर नहीं रखी थी। सुबह शाम वह शहर में साईकिल पर घूमता था, वह भी कुर्ता पायजामा पहन कर। न वह सब्जी खरीदने में झिझक महसूस करता था, न बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने में।

साधु संतों के पूरी तरह विरुद्ध था। भरी कचहरी में वह उनको बेकार, आरामपस्त और मेहनतकशों को गुमराह करने वाले कह देता था। यदि कोई साधु उसके हत्थे चढ़ जाए तो उसको जेल की चक्की पिसवाए बिना चैन नहीं लेता था।

मोहन जी ने उसकी इस विचारधारा का भी भरपूर फायदा उठाया था।

उसकी अदालत में पेश होने वाले अपने सायलों को उसने गुप्त हिदायतें जारी की थीं। पेशी पर आते समय वे फटा कुर्ता और टूटे जूते पहन कर आएं। दाढ़ी और बाल उलझे हुए । देखने वाले को लगे, जैसे कमर तोड़ मेहनत ने उनके खून का कतरा-कतरा चूस लिया है।

मोहन जी ने उस अदालत में भी बढ़िया परिणाम निकाले थे। निभर्य ट्रांसपोर्ट के कंडक्टरों वाला केस उस ने जीता था। नौकरी से निकले कंडक्टर फिर बहाल हो गए थे। किराएदार भैययों ने मारवाड़ी मकान मालिकों को हरा दिया था। जबरदस्ती बेदखली के विरुद्ध उनको बंदी मिल गयी थी।

पाले मीते को वह साधु बनाए या गरीब? मोहन जी यह फैसला नहीं कर पा रहा था ।

जज का अर्दली जज को धर्मी कर्मी कहता था। रसोइया इसके विपरीत कहता था। वह कहता था,' डिनर के समय साबुत मुर्गा खाने वाला धर्मी-कर्मी कैसे हो सकता है?'

सफाई वाली बताती थी, ''वह गरीबों पर बहुत रहम करता है। छोटे मोटे उत्सवों पर भी उस को अच्छी खासी बख्शीश देता है।'

जमादार उसकी बात को झुठला रहा था। 'वह सुन्दर है, इस लिए वह उस पर जान छिड़कता है। जमादार को तो वह अपने कमरे के दरवाजे के आगे से नहीं निकलने देता।'

मोहन जी दुविधा में था। जज की विचारधारा स्पष्ट नहीं थी। फौरन किसी नतीजे पर पहुंचने की मोहन जी को कोई जल्दी भी नहीं थी। सुनवायी शुरू होने में अभी काफी समय बाकी था।

इस फैसले को बीच में छोड कर उसने केस के गवाहों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया।

इस केस में पुलिस ने एक दो नहीं, कई टाऊटों को गवाह रखा था। इन में से मोहन सिंह और बाबू बदमाश अहम था। दोनों अब तक सैंकड़ों केसों में पुलिस की ओर से गवाही दे चुके थे। उन केसों का लेखा-जोखा इस केस की सफलता के लिए बहुत जरूरी था।

और सारी कचहरियों में यह लेखा-जोखा यदि किसी के पास मौजूद था तो वह मोहन जी ही था।

फौजदारी केसों में गवाह के अतीत और चाल चलन को बड़ी महत्ता दी जाती थी। बार-बार पुलिस की ओर से गवाही देने वाले गवाहों पर अदालतें चिढ़ने लगती थी। हर केस में ऐसे गवाह का शामिल होना पुलिस की कहानी को झुठलाने लगता था। टाऊट बने गवाह सजा की बजाय दोषियों को बरी करवाने में सहायक होते हैं।

और किसी गवाह को टाऊट सिद्ध करने वाला ताबीज मोहन जी के पास मौजूद था।

एक से ज्यादा केस में गवाही देने वाले गवाह का मोहन जी के पास फौरन खाता खुल जाता था। फिर खाते में हर वह केस दर्ज होता जाता, जिस में वह गवाही देता था। किस केस में अदालत ने उसकी गवाही को माना और किस में उसको झूठा करार दिया? किस थानेदार ने उससे ज्यादा गवाहियां दिलवाई और किस ने कम? मोहन जी की बही हर सवाल का जवाब देती थी।

जब मोहन जी मुंशी था, तो उसने एक गवाह के रिकार्ड की फीस पांच सौ रूपया रखी हुई थी।

वकील बन कर उसने यह रिकार्ड बेचना बंद कर दिया था। अब इस रिकार्ड का प्रयोग उसी केस में होता था। जिस में वह वकील होता था।

इस जादू की छडी ने भी मोहन जी की वकालत चमकाने में खूब मदद की थी। समझदार स्मगलर बाद में मिन्नतें निकालने की अपेक्षा पहले ही उसको वकील कर लिया करते थे।

मुलजिमों के साथ-साथ टाऊटों को भी मोहन जी की चापलूसी करनी पड़ती थी।

उस की इस खोज ने टाऊटों का पासा पलट दिया था।

पहले गवाह का दामादों जितना महत्व होता था। गवाह को मुकराने के लिए मुलजिम उसकी टहल सेवा भी करता था और नकद नारायण भी दाते था।

अब गवाहों के साथ-साथ पुलिस को भी हाथों-पैरों की पड़ी रहती थी। किसी मोहतबर को गवाह रखे बिना पुलिस का काम नहीं चलता था। नित्य नये मोहतबर पुलिस कहां से लाए? टाऊट की गवाही पड़ते ही मोहन जी का रिकार्ड दोषी के बरी होने के आसार पैदा कर देता था। गवाह के पीछे घूमने की बजाय दोषी बगलें बजाने लगता था।

अपने कारनामे छुपाए रखने के लिए गवाह को मोहन जी की खुशामद करनी पड़ती थी। मोहन जी चुप रहेगा तो उनकी दिहाड़ी बनेगी।

मोहन जी से न मोहन सिंह बाहर था, न बाबू। उनको वही कहना था, जो मोहन जी ने कहलाना था।

मोहन जी ने उनको तभी मुकरवाना था यदि दोषियों ने उसको वकील करना था।

वकील उसने पैसों के लिए नहीं, अपनी झिझक खोलने के लिए बनना था।

मोहन जी की झिझक खोलने के बाकी सब राह साफ थे। बस एक ही समस्या थी। वह थी संघर्ष समिति की। दोषियों की ओर से यह मुकद्दमा समिति लड़ने जा रही थी।

मोहन जी भी जिद्दी स्वभाव का था। जो ठान ले, वह करके छोड़ता था।

वह बाबे से संपर्क करेगा। गुरमीत को मिलेगा। समिति को अपनी सेवाएं पेश करेगा।

चाहे कुछ भी करना पड़े। वह यह केस लड़ेगा और अपनी झिझक खोलेगा। यह उसका आखिरी फैसला था।

9

समिति की ठप्प पड़ी सरगर्मियों पर गुरमीत बहुत दुखी था।

पाले मीते का चलान पेश हो चुका था। कुछ दिनों बाद सुनवायी शुरू होने वाली थी। दोषियों की आगे पैरवी की जाए या नहीं, समिति यह फैसला नहीं कर पा रही थी।

समिति के कुछ पक्षों का विचार था, समिति का गठन पुलिस अत्याचारों को रोकने के लिए किया गया था। पाले मीते की गिरफ्तारी के बाद यह अत्याचार बन्द हो चुका था। अब समिति की कोई जरूरत नहीं। इस को भंग कर देना चाहिए।

समिति का एक शक्तिशाली दल इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था। यह पक्षसंघर्ष जारी रखना चाहता था। इस दल में वे लोग शामिल थे, जिन्होंने पाले मीते को अपने हाथों पुलिस के पास पेश किया था। जिन्होंने उन्हे, उनकी गिरफ्तारी के कई दिन पहले थाने बैठा देखा था।

जीवन, गुरमीत और सरदारी की मांग थी, इनकी रिहाई तक संघर्ष जारी रखा जाए।

उनकी इस मांग की पुष्टि शामू–अजीत सिंह और हेम राज के साथ-साथ बाबा गुरदित्त सिंह भी कर रहा था।।

यदि ये दोषी होते तो पहले दिन ही न पकड लिए जाते?

संघर्ष जारी रखने वाला दल, दूसरों से पूछ रहा था।

इस खींचातानी की सब से ज्यादा मानसिक पीड़ा गुरमीत को हो रही थी।

उसने पाले मीते का मुकद्दमा लड़ने के लिए नौकरी छोड़ी थी। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको समिति पर निर्भर रखना पड़ना था। यदि समिति ही बिखर गयी तो उसके मिशन का क्या बनेगा? यहीं चिन्ता उसको खाये जा रही थी।

समिति के रूठे दलों को वह बीस-बीस बार मिल चुका था। उनको पाले मीते के निर्दोष होने के बारे में बार-बार समझा चुका था। छोटे-छोटे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर, इंसाफ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक जुट हो कर लड़ने के लिए प्रेरित कर चुका था। किन्तु किसी ने पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया था।

कई बार उसको बाबा जी पर भी गुस्सा आता था। चारों ओर से निराश हो कर किसी फैसले की मांग लेकर जब वह बाबा जी के पास जाता था तो, ''वह थोड़ा सा इंतजार करो'का मंत्र सुना देते थे।

यह मंत्र सुनाने के पीछे बाबा जी की अपनी मजबूरी थी। भविष्य में क्या होने वाला है? बाबा जी से छुपा नहीं था। न उन का साथ अकालियों ने देना था, न कांग्रेसियों ने और न जनसंघियों ने। यह लड़ाई उनको अपने दम पर लड़नी पड़नी थी। बाबा जी नहीं चाहते थे, उन्हें अलग करने का दोष समिति पर लगे। वह उन्हें खुद ही समिति छोड़कर जाने का मौका दे रहे थे।

अभी किसी तत्कालिक संघर्ष की जरूरत नहीं थी। मुकद्दमा आरम्भिक दौर में था। दोषियों की आरे से वकील पेश होना कोई जरूरी नहीं था।

वैसे गुप्त रूप में गुरमीत केस की पैरवी कर ही रहा था। केस को मजबूत करने के लिए पुलिस कदम-कदम पर ब्यान बदल रही थी। जिमनियां तब्दील हो रही थीं। हर बदले जा रहे कागज की फोटो कापी गुरमीत के पास पहुँच रही थी। क्या वह पैरवी कम थी?

गुरमीत के ज्यादा जोर देने पर बाबा जी ने एक बात स्पष्ट कर दी। समिति पाले मीते का केस हर हालत में लड़ेगी। उचित समय आने तक गुरमीत निजी रूप से मुकद्दमा लड़ता रहे या किसी मित्र वकील से लड़वाता रहे। बाद में समिति अपने आप स्थिति संभाल लेगी।

जल्दी फैसला करवाने के उद्देश्य से समिति की मीटिंगे जल्दी-जल्दी रखी गईं। हर बार निराशा हासिल होने लगी।

पहली मीटिंग में अकाली अलग हो गए।

दलील वही घिसी-पिटी थी। पुलिस अत्याचार बन्द हो चुका है। यदि दोषी कसूरवार हुए तो सजा हो जाएगी। बे-कसूर हुए तो बरी। अकाली दल न्याय-पालिका के काम में दखल देने के हक में नहीं था।

सब को पता था अकालियों का समिति से अलग होने का असली कारण यह नहीं था।

पिछली बार मुख्यमंत्री जब संगरूर आया था तब पार्टी वर्करों भी एक विशेष मीटिंग बुलायी गयी थी। मुख्य मंत्री ने जत्थेदार को मीठी-मीठी डांट पिलाई थी। यदि सत्ताधारी पार्टी ही पुलिस का विरोध करने लगे तो पुलिस से ज्यादा नुकसान पार्टी का होता है। लोग पुलिस के अत्याचार के लिए सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं।

मुख्य मंत्री ने जत्थेदार को एहसास करवाया।

भोलेपन के कारण वह कामरेडों की बातों में आ गया था। जत्थेदार का असली कर्त्तव्ययह था कि वह कामरेडों की चाल को समझता। समिति की बजाय पुलिस की मदद करता। पाले मीते को सजा होने से सिख भाईचारे की इज्जत बढ़नी थी। अकालियों को जगह-जगह यह प्रचार करना चाहिए कि सिखों को, बिना वजह आतंकवादी या अलगाववादी कह कर बदनाम किया जा रहा है। सिख धर्म मासूमों का कत्ल करना नहीं सिखाता। यह तो पाले मीते जैसे जन्मजात अपराधी हैं, जो सिख धर्म की आड़ ले कर कौम को बदनाम कर रहे हैं। इस तरह के प्रचार से सरकार की जड़ें मजबूत होगी। जत्थेदार की सरकार-दरबार में मान-इज्जत बढ़ेगी। सरकार की छुट्टी हो गयी तो जत्थेदार को धर्म युद्ध आरम्भ करके, फिर जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी।

''अब कौन सा हमें कोई पूछता है? सरकार-वरकार का कोई फायदा नहीं।''

जत्थेदार के इस शिकवे का फौरन निपटारा किया गया। पुलिस कप्तान और डिप्टी कमीशनर को बुलाया गया। ''आज से जत्थेदार के सब काम हुआ करें। ''उनको हुक्म सुनाया गया था।

उस दिन से जत्थेदार को थाने में कुर्सी मिलने लगी थी। पुलिस का नमक खाकर वह सरकारी बोली बोलने लगा था। उसे पाला मीता कातिल नजर आने लगे थे। फिर उसकी पार्टी का समिति में क्या काम?

अगली मीटिंग में कांग्रेसियों ने नज़रें फेर लीं। कांग्रेस को अपने सौ-सालों के इतिहास पर गर्व था। कांग्रेस ने देश को जिस न्याय प्रणाली से सुशोभित किया था, उसकी मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। कानून की एक-एक पंक्ति लिख दी गई थी। वही कानून राष्ट्रपति पर लागू होता है, वही उसके सफाई सेवक पर। अदालतें निष्पक्ष रहें, इसलिए इन को सरकारी दखल से मुक्त रखा गया है। प्रधानमंत्री तक दखल नहीं दे सकता। ऐसी पवित्र संस्था पर संदेह करना चांद पर थूकने के समान है।

समिति को यदि कातिलों से ज्यादा सहानुभूति थी, तो समिति के खर्चे पर दोषियों के लिए कोई अच्छा वकील कर दिया जाए। इससे ज्यादा वे किसी तरह की कार्यवाही के लिए तैयार नहीं थे।

कांग्रेसी वर्करों को अपने नेताओं से नाराजगी थी। इस लड़ाई का असली श्रेय बाबा जी और उसके समर्थक संगठनों को चला गया था।

यह ठीक था, पार्टी ने जलसे जलूसों में खुल कर हिस्सा नहीं लिया था। किन्तु भाषण तो भडकाऊ दिए थे। यह भी ठीक था कि पार्टी के किसी वर्कर ने कभी कोई गिरफ्तारी नहीं दी। किन्तु अफसरों को मिलने वाले वफ़दों में तो उनकी गिनती सब से ज्यादा हुआ करती थी। यदि वह समिति को इसी तरह सहयोग देते रहे तो बाबा उस के सिर पर पैर रख कर स्वयं सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाएगा।

अगली लड़ाई में उनको कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं था। लड़ाई अदालतों तक सीमित रहनी थी। ज्यादा जोर गवाहों को मुकराने या सच्चाई सामने लाने पर लगना था। ऐसे मुकद्दमों के फैसले कई बार बीस-बीस साल नहीं हुआ करते। इतनी देर तक कांग्रेस वामपंथियों के साथ कंधा जोड़ कर नहीं खड़ी हो सकती।

पार्टी को हाई कमाँड की ओर से भी संकेत आया था। वर्तमान सरकार केन्द्रीय सरकार के सहारे चलती थी। को हाई कमाँड को सरकार तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सरकार का उतना ही विरोध किया जाए जिससे पार्टी का आधार बना रहे।

हाई कमाँड ने मुख्यमंत्री को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि उसकी पार्टी के वर्करों के काम अकालियों से पहले होने चाहिएँ। मुख्यमंत्री फौरन मान गया था।

कांग्रेस स्वयं को अनुशासन प्रिय पार्टी कहती थी। केन्द्र के हुकम को उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया।

भारतीय जनता पार्टी का तो समिति को पहले ही अधिक सहयोग नहीं था।

जब लाला जी ने खुद ही पुलिस अत्याचार के विरुद्ध नारा लगाया था तो पार्टी के कुछ वर्कर समिति में शामिल हो गए थे। पार्टी यह मानने को तैयार नहीं थी कि पाला मीता निर्दोष थे। उसका तर्क था। ये दोनों पेशेवर मुजरिम थे। किसी विशेष कारण से यदि वे कुछ समय के लिए जुर्म नहीं कर सके या पुलिस द्वारा पकड़े नहीं गए तो इस का यह मतलब नहीं कि वे दूध के धुले हैं। जुर्म करने का दौरा इन को कभी भी पड़ सकता था। ऐसे आराम परस्तों से कमर-तोड मेहनत कर के आजीविका की आशा नहीं रखनी चाहिए।

हो सकता है उनको पुलिस के पास पेश किया गया हो।यह भी हो सकता है कि बाबा जी और दूसरे व्यक्तियों ने उन को थाने बैठे देखा हो। हो सकता है पहले पुलिस ने उन से पूछताछ न की हो। हो सकता है फिर से पूछताछ होने पर कोई सुराग मिल गया हो।

पार्टी अपनी दलील की पुष्टि के लिए इसी शहर में हुए खरैती लाल की पत्नी के कत्ल का उदाहरण देती थी।

बलवंत पन्द्रह साल खरैती लाल की दुकान पर नौकर रहा था। खरैती को उस पर अपनी संतान जैसा भरोसा था। सारा लेन-देन उसी के माध्यम से होता था। दिन में बीस बीस बार वह घर के चक्कर लगाता था। कभी रूपये ले गया, कभी दे गया।

एक दिन बीस हजार रूपये पकड़ाने आए बलवंत की नीयत खराब हो गयी। दरवाजे में खड़े हो कर वह बंती को अलमारी में पैसे रखते हुए ताकता रहा।

घंटे के बाद मुंह ढक कर, डाकूओं वाला भेस बनाकर, वह चौबारे जा चढ़ा।

डरा धमका कर पैसे ले लिए। बदकिस्मती बंती की। वापिस जाते बलवंत को उसने पीछे से पहचान लिया।

'अरे बलवंत! तुम?' बंती के मुंह से निकली आह उस की मौत का बुलावा बन गयी।

घबराए बलवंत ने उसका गला घोंट दिया। जल कर मरी है, यह भ्रम डालने के लिए उसको आग लगा दी।

शराब पी कर शाम को वह अफसोस करने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ में आ बैठा। ऊँचे स्वर में बंती का नाम लेकर रोने लगा। खरैती के गले लग-लग कर दहाडें मारने लगा।

पूरे चौबीस घंटे किसी को बलवंत पर संदेह नहीं हुआ। फिर पुलिस को मुखबरी हुई। लोगों को उस समय ही पता लगा, जब बलवंत ने बिजली के मीटर के नीचे से राशि भी वसूल करवा दी और खून से लथपथ अपने कपड़े भी।

यदि कोई कहे: 'बलवंत को उसने बंती के लिए दहाडें मारते देखा था,' तो इस का यह मतलब तो नहीं कि वह बेकसूर था।

समिति के समर्थन की बजाय, भारतीय जनता पार्टी, पाले मीते को सजा करवाने पर तुल गयी। समिति से अलग होने का ऐलान उसने भरी भीड़ में किया। पार्टी की दलील स्पष्ट थी। पुलिस का मनोबल पहले गिरा हुआ था। यदि पार्टी ने उसका विरोध किया तो आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। न्याय पालिका भी डरी हुई थी। पार्टी ने उसके विरुद्ध आवाज बुलंद की तो उसने रहा सहा हौंसला भी छोड़ देना है।

पाले मीते को सजा होने में ही सब का भला था। दो निर्दोष व्यक्तियों को फांसी लग गयी फिर कौन सा पहाड़ टूट पड़ना था। पहले भी हज़ारों निर्दोष कत्ल होते हैं। दो और हो गए तो कौन सी आफत आ जानी थी। इन को सजा होने से दूसरों को कान हो जाएंगे।

पार्टी की नयी नीति स्पष्ट थी। वह पाले मीते को ही बंटी के कातिल समझती थी। उनको सजा करवाने के लिए पार्टी हर संभव प्रयत्न करेगी।

देखते ही देखते सारी धुंध छंट गयी।

पीछे रह गया बाबा, उसके समर्थक कुछ संगठन या सत्य का दामन पकडने वाले जीवन आढ़ती जैसे कुछ समाज सेवक। नव गठित समिति का लक्ष्य भी स्पष्ट था। लोगों ने समिति में विश्वास प्रकट किया था। समिति ने इस विश्वास को बनाए रखना था।

समिति द्वारा मुकद्दमा लड़ने के लिए लीगल सैल स्थापित किया गया। गुरमीत को उसका मुखिया बनाया गया। सैल में और कौन से वकील शामिल करने थे, उसको छूट दी गई।

गुरमीत द्वारा पहला निमन्त्रण प्यारे लाल को गया। लोग लाख उसको बेकार और निकम्मा समझते रहें, गुरमीत को वह गुदड़ी का लाल लगता था। उसको अपनी लियाकत दिखाने का मौका मिलना चाहिए था।

मोहन जी की ओर से पेशकश अपने आप आयी थी।

शुरू से ही वह मीते पाले का वकील रहा था। यह केस बिना फीस लिए झगड़ने को तैयार था।

अंधा क्या चाहे दो आंखे। सैल को उसकी सेवाओं की बहुत जरूरत थी। इस केस में अधिकतर गवाह पुलिस के टाऊट थे। पुलिस की ओर से वह सैंकड़ों केसों में गवाही दे चुके थे। उनको पुलिस के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, यह साबित करने के लिये सैल को उनके सारे केसों का रिकार्ड चाहिये था। मोहन जी के पास हर एक गवाह की जन्म कुंडली मौजूद थी।

लीगल सैल की इस टीम की कामयाबी की कामना करती समिति की बाकी इकाइयों ने भी अपने अपने मोर्चे संभाल लिए।

सैल का पहला काम दोषियों की जमानत करवाना निश्चित किया गया।

10

पाले मीते को गिरफ्तार हुए नब्बे दिन हो गए थे। अभी तक पुलिस उनके खिलाफ चलान पेश नहीं कर सकी थी। इस आधार पर उनकी जमानत मंजूर होने वाली थी।

शायद जेल में यह उनका आखिरी दिन था।

पाला मीता अपना समान समेटने और घर जाने की तैयारियों में व्यस्त थे।

साथी कैदी बधाइयां दे रहा थे। कत्ल केस में तो साल-साल जमानत नहीं होती। उनके गले से तीन महीने बाद ही जुला उतर रहा था।

भदौड़िए बदमाश ने उनको बधाई नहीं दी। उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि पुलिस नब्बे दिनों के अन्दर-अन्दर चलान पेश नहीं कर सकेगी। कोई छोटा-मोटा केस होता तो वह मान भी लेता। इस केस की प्रसिद्धि तो दिल्ली-दक्षिण तक हो चुकी थी। केस को राजनीतिक रंग चढ़ चुका था। यदि दोषियों की जमानत हो गई तो थानेदार के कंधों से स्टार उतर जाएंगे। पुलिस मैजिस्ट्रेट को गांठ कर

चलान पिछली तारीखों में पेश करा हुआ दिखाए या कोई और उपाय करे, वह चलान को समय पर पेश करके रहेगी। भदौड़िए का अनुभव यही कहता था।

थाना, कचहरी या जेल भदौड़िए के लिए नये नहीं थे। उसको बीस सालों का अनुभव था। कमानीदार चाकू से लेकर कत्ल केस तक उस पर दर्ज हो चुके थे। वह अब भी कत्ल के केस में अंदर था।

उसके वारिस एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके थे। जमानत नहीं हुई थी। ये समझते हैं बिना हींग फिटकरी लगाए ही चोखा रंग हो जाएगा।

भोले पंछी अपनी तुलना धनौले वाले भिंदे से कर रहे थे। उसकी जमानत भी इसी कानून के तहत हुई थी। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। वह शेरे बदमाश की पार्टी का आदमी था। शेरा अपने आदमियों के लिए पैसा पानी की तरह बहाता है। भिदा उसका बाया हाथ था। शेरे का सारा जोर उसकी रिहाई पर लगा हुआ था।

भिंदे की जमानत होने का एक कारण और भी था। जिस बूढ़े का उसने कत्ल किया था वह लावारिस था। बूढ़े के नाम ज्यादा जमीन जायदाद भी नहीं थी। चार बीघे का एक खेत था और डेढ़ का एक। शरीकों को पता था। उतने की जमीन हाथ नहीं लगेगी, जितने ऊपर लग जाएंगे। बदमाशों के साथ दुश्मनी फालतू में। लोकलाज रखने के लिए उन्होंने पर्चा तो दर्ज करवा दिया, किन्तु पैरवी के लिए एक दिन भी थाने न गए। पैरवी के बिना तीन सौ तेइस का मुकद्दमा भी सफल नहीं होता, यह तो कत्ल केस था। पुलिस पहले ही भिंदे का पक्ष लेती थी। बस चलता तो गिरफ्तारी के बिना ही काम चला देती। किन्तु अफसरों से डरती पुलिस को जाब्ता पूरा करना पड़ा।

'क्यों वकीलों का घर भरते हो? वकील वाली फीस मुझे दो। जमानत तो होगी ही, पर्चा भी खारिज हो जाएगा।'

गिरफ्तारी के समय ही थानेदार ने उनको सीधे राह डाल दिया था।

शेरे ने थानेदार की बात का सम्मान किया। थानेदार ने वादा निभाया तो नब्बे दिन गुजरे। तो फिर जमानत हुई।

'इन मूर्खों को कोई पूछे कि तुम कहां के तीस मार खां हो? ऐसे ही हवा में लाठी चला रहे हो। शाम को धक्के खा करयहीं लौट आओगे। बधाई दी बेकार जाएगी।' सोचता भदौड़िया चुप कर गया।

भदौड़िये की बेरूखी की पाले मीते को कोई परवाह नहीं थी। एक कमी जरूर चुभ रही थी। रिहाई की खबर सुनते ही कुछ मित्र उनके आस पास मंडराने लगे थे। जेल की रीति के अनुसार पाले मीते ने अपना छोटा-मोटा सामान उनको भेंट करना था। चाहे उनके प्रशंसकों की गिनती ज्यादा नहीं थी, किन्तु उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था।

यदि उन में से कोई भदौड़िया बदमाश, सेठ हजारी लाल या भिंदा बदमाश होता तो उनके पास भी बांटने के लिए ढेर सारा सामान होता। इनका कोई न कोई रिश्तेदार मुलाकात के लिए आया ही रहता था। आया रिश्तेदार ढेर सारा सामान भी लाता था। कुछ चीजें ये खा-पी लेते, कुछ बच जाती थीं। तेल, साबुन, घी, आचार, बिस्कुट या बीड़ी-सिगरेट भी भला साथ ले जानी वाली वस्तु है? कोई बाहर ले जाने की कोशिश करे तो भी जेल अधिकारी चील की तरह झपट पड़ेंगे। ये चीजें बख्शीश के बहाने जबरदस्ती जब्त कर लेंगे। जेल अधिकारियों की बजाय फिर मित्र ही क्यों न खुश किए जाएँ? भिंदा तो अपने चापलूसों को कनस्तर, कपड़े, रजाई और कंबल भी दे गया था।

पाला मीता खुद बख्शीश पर दिन काटने वालों में से थे। उनको कभी बाहर से ज्यादा समान आया ही नहीं था।

पन्द्रह दिनों के बाद पाले मीते की रहनुमाई की पेशी पड़ती थी। पेशी वाले दिन उनको अदालत में ले जाया जाता था।

हवालातियों से भरी बस सवेरे दस बजे कचहरी पहुंच जाती थी। पेशी बाद दोपहर को पड़ती थी। छोटे-मोटे अपराधियों को वृक्ष के नीचे बिठा दिया जाता। उनको कचहरी में बनी हवालात में बन्द किया जाता। हवालाती किसी तरह का भी होता, मुलाकाती को परेशानी नहीं होती थी। पहरा दे रहे सिपाहियों को चाय का कप पिला कर या चार केले खिला कर ही काम चल जाता था।

पाले के परिवार वाले उसको कचहरी में ही मिलते थे। मां बाप गरीब, उस पर मिलने वाले सामान के हिस्से डालने वाले दो। घर से आया सामान दो दिन में ही खत्म हो जाता। बाकी के दिन वे फाका करते।

जैसे वे, वैसे उनके चापलूस। देबू भैयये, बहादुर पहाड़िए या सोनू सुनार को उनसे ज्यादा आशा नहीं थी। किन्तु उनको कोम्र आशा रखना गुनाह भी नहीं लगता था।

पाला मीता यदि घी, लड्डू या रजाई कम्बल देने योग्य नहीं तो इस का यह मतलब भी नहीं कि वे बिना हाथ झाड़े चले जाएंगे। वे भी जेल की रीति निभाएंगे। अपने मित्रों को कोई न कोई निशानी देकर जाएंगे। उनके दोस्तों में देबू भैयये की हालत सबसे दयनीय थी। वह तीन साल से जेल में था। उसके कपड़े फट कर कब के उसके शरीर का साथ छोड़ चुके थे। नग्नता ढकने के लिए उस के शरीर पर एक जांघिया बचा था। वह भी घिस चुका था। किसी भी समय अपना कर्तव्य निभाने से इन्कार कर सकता था। शेव किए साल हो गया था। बालों को तेल नसीब नहीं हुआ था। उसके काले घुंघराले बाला भूरे सफेद हो गए थे। रंग उसका पहले ही काला था। नंगे शरीर पर पड़ती धूप ने उसको और गहरा कर दिया था।

देबू को कभी भरपेट भोजन नहीं मिला था। ऊपर से कमर तोड़ मुशक्कत। उसका गठीला शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। भूत प्रेत लगते इस देबू को उनके रहम की सब से ज्यादा जरूरत थी।

गिरफ्तारी के समय पुलिस ने पाले मीते को नए कपड़े सिलवा कर दिए थे। एक एक जूती और पगड़ी भी दी थी। पाले मीते को सारी उम्र ऐसे कपड़े नसीब नहीं हुए थे। जेल में घुसते ही उन्होंने ये संभाल कर रख लिए थे। एक बार भी नहीं पहने। आज खुशी का माहौल था, उन्होंने यहीं कपड़े पहने थे। पुराने कपड़े वे देबू को दे देंगे। मीते ने अपनी पुरानी पैंट देबू के हवाले कर दी। साथ में हवाई चप्पल का जोड़ा भी। पाले ने आधी साबुन और तेल वाली शीशी उसके हवाले कर दी। यारों के रिहा होने की खुशी में वह भी मालिश करे, मल मल कर नहाए और बालों को तेल से चमकाए।

बहादुर दो साल से अंदर था। वह नेपाली पहाड़िया था। सारी उम्र उसने अफसरों के घर में नौकरी की थी। बन संवर कर रहने का शौकीन था। जब जेल आया था तो रंग गोरा और बदन गठीला था। अब उसकी और देबू की हालत में उन्नीस इक्कीस का अन्तर था। जब जेल सुपरडैंट का नौकर छुट्टी गया होता तो उसको उसकी कोठी जाने का मौका मिलता। इस सुनहरी मौके का वह भरपूर फायदा उठाता। शैंपू से नहाता और नारियल का तेल लगाता। भरपेट खाता। कई-कई दिन बाबू बना रहता। पाले को महसूस हुआ, इस जैसे शौकीन पुत्र को कंघी और शीशे की सब से ज्यादा जरूरत थी। उसने अपना छोटा कंघा और जेबी शीशा उसको दे दिया।

सोनू को जेल आए चार महीने हुए थे। अल्हड़ सा यह लड़का लड़कियों जैसा था। उसके साथ छेड़छाड़ करना और उस को चूमना हर कोई अपना अधिकार समझता था। कैदी बिना मांगे ही उसके आगे वस्तुओं का ढेर लगा देते थे। खाने-पीने या पहनने की उसको कोई कमी नहीं थी।

उसको एक वादा चाहिए था। दिल से किया वादा।

'किसी न किसी तरह मुझे इस नरक से बाहर निकालो। जो भी खर्च होगा, उससे दुगना मैं बाहर आकर दे दूंगा।' रो-रोकर थक चुका सोनू, मीते का हाथ पकड़कर बार-बार उसके आगे गिड़गिड़ाता।

''तू फिक्र न कर। बाहर जाते ही पहले मैं अपने वकील को कहूँगा। तुम्हारी जमानत की दरख्वास्त लगवाऊंगा। दो चार दिनों में तुम भी बाहर होगे।।'' सोनू का हाथ दबाता, उसके आंसू पोंछता मीता उसको विश्वास दिलाता।

सोनू उसकी बातों पर विश्वास करे या न, उसको समझ न आती। जेल से छूटकर जाता हर कैदी यही वादा करता। सोनू वादे पर विश्वास करता। सारा दिन डयोढ़ी की ओर ताकता रहता। रिहाई के लिए पड़ने वाली आवाज़ का इंतजार करता।

वह जागते हुए भी सपने देखता। कभी उसको लगता, उसके लिए उच्चकोटि का वकील किया गया है। वकील उसके लिए धुआंधार बहस कर रहा है। जज ने सोनू को बरी कर दिया है। देव पुरुष बना कैदी उसको काल कोठरी से बाहर ले जा रहा है। वह अपने सहपाठियों में खेल रहा है। पढ़ रहा है। गलियों-बाजारों में घूम रहा है। गोल-गप्पे खा रहा है। दोपहर तक गहरी नींद में सोया पड़ा है।

उसको क्या पता होता। बाहर गया कैदी उसको भूल गया है। वकीलों की फीसों, जामनों की बेगारों से डर गया है। उस का खुद का ही पीछा मुश्किल से छूटा है। उसने दूसरों से क्या लेना?

ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जाते, त्यों-त्यों उसके सपने टूटते जाते।

इतने में किसी ओर की रिहाई आ जाती। पहले कैदी से नाता तोड़ कर वह नये कैदी से रिश्ता जोड लेता।

यह आशा उसने अब पाले मीते से लगाई था।

जिस गर्म जोशी से वे सोनू को यकीन दिलवा रहे थे, उससे देबू और बहादुर के मुंह से भी लार टपक पड़ी। क्यों न यही सवाल वे भी डाल दें?

पाले मीते को तीनों से हमदर्दी थी। उनकी तरह तीनों के साथ अन्याय हुआ था। उनके लिए पाला मीता जो कुछ कर सके, वे जरूर करेंगे।

सोनू, देबू और बहादुर ने पाले मीते की रिहाई के लिए मन्नत मांगी। वे उनको डयोढ़ी तक विदा करने आए। बार-बार बधाई दी और वादे याद कराए।

किन्तु शाम को वे मुंह लटकाए वापिस आ गए।

सारी बैरक में सन्नाटा छा गया। देबू, सोनू और बहादुर पीले पड़ गए।

''चाचा भदौडिया सच कहता था... कहते हैं पुलिस ने कल चलान पेश करना है।'' साथियों के चेहरे पर उभरे प्रश्नों का उत्तर मीते ने दिया।

'मारे गए...।'' देबू और बहादुर के मुंह से एक ही समय निकला।

'घबराओ मत। बाहर संघर्ष समिति बन गयी है... उसने हमारे केस लड़ने के लिए तीन वकीलों की कमेटी बनाई है... वकीलों ने हमे कहा है। हमारा ही नहीं, वे उन सब का केस लड़ेंगे, जिन के साथ अन्याय हुआ है... मैं देबू, सोनू और बहादुर का नाम लिखवा आया हूँ... वे उनकी पैरवी भी करेंगे... सारा खर्चा समिति करेगी... किसी और को समिति की जरूरत हो तो नाम लिखा सकता है...।''

साथियों का दिल रखने और भदौड़िए के मजाक से बचने के लिए पाले ने छोटा सा लैक्चर झाड़ा।

भदौड़िया मजाक के मूड में नहीं था। वह तो लड़कों के भोलेपन पर उदास था।

एडीशनल सैशन जज सतिन्द्र नाथ समय का पाबंद था। दस बनजे से पांच मिनट पहले ही कुर्सी संभाल लेता।

पहले जमानत की दरख्वास्तों की सुनवायी होती। यह सुनवायी दोषियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती थी। इसी सुनवायी में यह फैसला होता था कि महीनों से जेल में सड़ रहे दोषी ने बाहर आना था या अभी जेल की और रोटियां खानी थीं। दोषी ने पेशगी जमानत करवा कर सुर्खरू होना था या पुलिस के हाथों और जलील होना था।

नाथ की अदालत में सुनवायी के लिए एक बार ही आवाज पड़ती थी। जो वकील हाजिर है, उसकी दरख्वास्त पर फैसला भी झटपट होता था। जिसने वक्त गवा दिया, उसकी सुनवायी अगले महीने।

यथा राजा तथा प्रजा। नाथ ने पांच मिनट पहले आना था,तो वकीलों को पन्द्रह मिनट पहले आना पड़ता था। डरे सायल को सूरज चढ़ने से पहले अदालत के आगे धरना देना पड़ता था।

आम दिनों के विपरीत आज नाथ एक घंटा लेट था। सुनवायी के लिए लगी दरख्वास्तें भी ढेर सारी थीं। एक-एक करके फौजदारी के ज्यादातर वकील कोर्ट रूम में पहुंच चुके थे।

निम्न अदालतों में काम शुरू हो चुका था। वकीलों को आवाज पर आवाज पड़ रही थी। कुछ वकीलों को कई-कई बुलावे आ चुके थे।

एक ओर मैजिस्ट्रेट सायलों को गुस्से हो रहे थे। दूसरी ओर वकील सैशन कोर्ट में से निकलने का नाम न लेते। निम्न अदालत का क्या था? सुनवायी घंटा ठहर कर भी शुरू हो सकती थी। वकील अगर सैशन कोर्ट से चला गया और पीछे से जज आ गया तो उसके सायल का नुकसान होना था। वकील के लौटने तक दरख्वास्त खारिज हो चुकी होगी। और सायल किसी और वकील के दफतर में बैठ चुका होगा। कोई भी वकील किसी किस्म का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था।

मुसीबत में फंसे सायल अदालत के बाहर खड़े हो जाते। जो होगा, देखी जाएगा। वकील के बिना वह वापिस नहीं जाएँगे। सायल फैसला करते।

कोर्ट रूम में वकीलों और बाहर सायलों की भीड़ इकट्ठी होने लगी।

वकीलों के बैठने के लिए कुर्सियां आठ थी और बैठने वाले बीस।

जो पहले आ गए, उन्होंने कुर्सियां रोक ली।

बाद में आने वालों में कोई स्टैनो के पास जा खड़ा हुआ, कोई रीडर के और कोई अर्दली के।

जो फिर भी बच गए वे छोटे-छोटे समूह बना कर जज के लेट आने के कारणों का कयास लगाने लगे।

गुरमीत जिस समूह में खड़ा था, उसकी बातों का विषय भी यही था।

भंडारी वकील का ख्याल था कि रात वह ज्यादा पी गया होगा। अब बैठा नशा उतार रहा होगा।

सरदारी लाल का ख्याल था कि किसी असामी के पास पैसे कम रह गए होंगे। जितनी देर पैसे पूरे नहीं होते, वह कचहरी नहीं घुसता।

गुरमीत को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर रीडर पर टिकी हुई थी।

रीडर को मुंशियों, मुसद्दियों ने घेर रखा था। कोई उसको बीस का नोट पकड़ा रहा था और कोई सौ का। कभी कोई सायल उसका कुर्ता खींच लेता और कभी अर्दली।

गुरमीत उस से एकांत में बात करना चाहता था। किन्तु मौका नहीं मिल रहा था ।

गुरमीत एक पल भी गवाना नहीं चाहता था। जज किसी भी समय टपक सकता था। जज के आने से पहले-पहले उस की रीडर से बात होनी चाहिए थी।

पाले मीते की दरख्वास्त मंजूर करवानी जरूरी थी। दोषी न जज तक पहुंच कर सकते थे, न सरकारी वकील तक। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक थी।।

रीडर ने कल मोहन जी का एक रुका हुआ काम किया था।

मोहन जी के एक सायल पर पच्चीस बोरे पोस्त का केस था। सायल नशेड़ी था।

नशे के बिना नशेड़ी जेल में मौत के कगार पर था।

इधर नाथ साहिब अपने उसूलों पर अड़े हुए थे। बीस बोरियों से ज्यादा वाले केस में वह जमानत नहीं लेते थे। हाईकोर्ट जा कर जमानत करवाने का नशेड़ी में सामर्थ्य नहीं था। डूबती नैया को रीडर ने पार लगाया था।

कल पोस्त वाले तीना केसों में दोषियों की जमानत की दरख्वास्तों की सुनवायी होनी थी। पहले से बीस बोरे पकड़े थे, दूसरे से बाईस और तीसरा मोहन जी का सायल था।

रीडर ने पहली अर्जी पेश की। जज ने फौरन जमानत मंजूर कर ली।

फिर रीडर ने बाईस बोरियों वाली दरख्वास्त रख दी। उस दोषी का वकील भंडारी था। भंडारी मिन्नते निकालने लगा। बीस और बाईस में क्या अन्तर है?

एक तो बीस और बाईस बोरियों में ज्यादा फर्क नहीं था। दूसरे उस को भंडारी की शर्म मार गयी। अभी कल ही वे उसके फार्म पर इकट्ठे हुए थे।

पार्टी पर ज्यादा नहीं तो भंडारी ने दो-तीन हजार तो खर्चा ही होगा।

कुछ देर नखरे दिखा कर नाथ ने वह अर्जी भी मंजूर कर दी।

दूसरी अर्जी मंजूर होते ही मोहन जी शेर बन गया।

नाथ रीडर की होशियारी समझ गया। उसने रीडर को लाल-पीली आंखे तो दिखाई किन्तु दरख्वास्त नामंजूर न कर सका।

गुरमीत को आज रीडर की इसी तरह की मदद की जरूरत थी। किन्तु रीडर को फुर्सत ही नहीं मिल रही थी ।

थोड़ी सी भीड़ छंटते ही गुरमीत ने रीडर को इशारे से उठाया और बाहर ले गया।

बिना कोई भूमिका बांधे गुरमीत ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। मोहन जी वाले केस की तरह वह पाले मीते की अर्जी ऐसी जगह फिट करे, जहां वह मंजूर हो जाए।

एक-एक करके रीडर ने सुनवायी में लगी सारी दरख्वास्तों का जायजा लिया। बिल्लू को दो दरख्वास्तों का पता था, जो नाथ ने मंजूर करनी थी।

प्हली अर्जी खन्ने वाले व्यापारियों की थी।

उनकी कैटल फीड का सैम्पल भरा गया था। सैंपल में मिलावट थी। पुलिस उनको गिरफ्तार करने पर तुली हुई थी। वकील के माध्यम से उनका नाथ से सौदा हो चुका था।

''परन्तु भाई, सेठों के केस से अपने केस का क्या संबंध? कहां सैंपल का केस और कहां कत्ल केस। हो सके, तो इसको किसी कत्ल केस के साथ जोडो।''

सेठों की दरख्वास्त का पाले मीते को कोई फायदा नहीं पहुंचना था ।

गुरमीत दरख्वास्त को किसी उचित स्थान पर लगवाने का यत्न करने लगा।

''एक कत्ल केस भी है।'' रीडर गुरमीत को दूसरी दरख्वास्त का विवरण समझाने लगा।

उस केस में दिन-दिहाड़े बैंक लूटा गया था। बैंक लूटते समय आतंकवादियों की बैंक मैनेजर से झड़प हो गयी थी। मैनेजर वही मारा गया था। संतरी ने गोली चलाई तो एक आतंकवादी की टांग उड़ गयी। आतंकवादी ने साथी पकड़वा दिए। लूटा हुआ कैश बरामद हो गया। इन आतंकवादियों पर दोहरे कत्ल, बैंक डकैती और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन जर्म थे।

आतंकवादियों द्वारा जमानत की दरख्वास्त दी गई थी। उस दरख्वास्त की सुनवायी भी आज होनी थी।

गुरमीत को लगा था, यदि आतंकवादियों की जमानत हो गयी तो पाले मीते की जमानत भी हो जायेगी। बहस तैयार करते समय उसने दोनों के केसों की तुलना कर के देखी थी।

आतंकवादियों पर दोहरे कत्ल का दोष था। जबकि पाले मीते पर अकेले बंटी के कत्ल का। आतंकवादियों में से एक मौके पर पकड़ा गया था। बंटी कत्ल केस में पुलिस को डेढ़ महीने तक कातिलों का सुराग नहीं मिला था । आतंकवादियों का केस चश्मदीद गवाहों की गवाही पर आधारित था।

पाले मीते के खिलाफ पुलिस के पास एक भी चश्मदीद गवाह नहीं था। आतंकवादियों के विरुद्ध गवाही देने वाले गवाह, बैंक मुलाजिम थे या बैंक में लेन देन करने आये ग्राहक। उनकी गवाही को सच मानना अदालत का कर्तव्य था। इधर मामला विपरीत था। पाले मीते के केस में साठ फीसदी गवाह पुलिस के टाऊट थे। उनकी गवाही पर विश्वास करने से पहले अदालत को सौ बार सोचना पड़ना था। उनकी जमानत मंजूर होने में एक बड़ी रुकावट थी। आतंकवादियों ने जमानत होते ही फरार हो जाना था। बाद में न आतंकवादी मिलने थे, न उनके जामन। पाला मीता न पहले भागे थे। न उन्होंने फिर भागना था। उनका जामन जीवन आढती और बाबा गुरदित्त सिंह ने बनना था।

यदि आतंकवादियों की जमानत हो गयी तो पाले मीते की क्यों नहीं होगी?

''जज के साथ कोई लेन देन हुआ हो, इसका मुझे पता नहीं। यह जरूर पता है कि उनकी जमानत होगी।''

समूचे हालात का जायजा लेकर रीडर ने गुरमीत से सहमति प्रकट की।

'' बस ठीक है। तुम हमारी दरख्वास्त इनके पीछे लगा दो। फिर देखी जाएगी।''

रीडर के साथ तालमेल करके गुरमीत सिंह चिंता मुक्त हो गया। अब जज जब मर्जी आए, उसको कोई फिक्र नहीं थी।

जज ने कुर्सी पर बैठते ही, पहले अपने लेट होने के लिए, सब से माफी मांगी। फिर हुई देरी की भरपाई के लिए, वह फुर्ती से अर्जियां निपटाने लगा।

रीडर ठीक कहता था। सबसे पहले खन्ने वालों की पेशगी जमानत मंजूर की गई। फिर कुछ और दोषियों की साढ़ेसती कटी।

आतंकवादियों की सुनवायी तक लगभग काम निपट चुका था।

अदालत में गुरमीत, प्यारे लाल और सरकारी वकील के सिवा कोई नहीं था।

आतंकवादियों के वकील को हाजिर होने के लिए कई आवाजें पड़ चुकी थीं। एक बार उसके पास अर्दली भी भेजा गया।

जितनी देर तक वकील नहीं आता, उतनी देर तक सरकारी वकील को अपना पक्ष पेश करने का मौका दिया गया।

सरकारी वकील ने एक बार आतंकवादियों के केसरी पगड़ी वाले मित्रों की ओर देखा। फिर धीमी आवाज में बहस करने लगा।

'आप स्वयं देख लो जनाब। मैं क्या कहूँ?'

जब सरकारी वकील ही टल गया तो जज को अपने गले बला डालने की क्या जरूरत थी। सफाई पक्ष के वकील के आने से पहले ही, वह स्टेनो को जमानत का हुक्म डिक्टेट करवाने लगा।

आतंकवादियों की जमानत का हुकम सुनकर गुरमीत और उसके साथियों को कुछ राहत महसूस हुई। अब पाले मीते के लिए राह आसान थी।

पाले मीते की दरख्वास्त पर सुनवायी शुरू होने से पहले ही भंडारी वकील अदालत में आ धमका। उसके साथ चार-पांच वकील, संघ के आठ दास वर्कर और किताबों वाली पेटी थी। बहस के दौरान उसने सरकारी वकील की मदद करनी थी।

भंडारी के अदालत में दाखिल होते ही बाहर नारेबाजी शुरू हो गयी।

''बंटी के कातिलों को..... फांसी लगाओ।''

''कातिलों के समर्थक..... मुर्दाबाद।''

अदालत की कार्यवाही एकदम रुक गयी। चारों ओर खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे।

अदालत के अंदर खड़े संघ के वर्करों में खुसर फुसर शुरू हो गयी। वह नारा लगाने की हिम्मत तो न जुटा सके, किन्तु ऐसी ही अर्थपूर्ण टिप्पणियां करने लगे।

गुरमीत को इस नारेबाजी पर सख्त एतराज था। यह अदालत के काम में दखलअंदाजी थी। संघ का उद्देश्य स्पष्ट था। वह अदालत पर दबाव डालना चाहता था। यह अदालत की तौहीन थी। जज को अदालत की मानहानि के जुर्म में दोषियों को नोटिस जारी करना चाहिए

नाथ को भी इस नारेबाजी पर सख्त एतराज था। उसने धमकी दी, यदि दोषियों ने माफी न मांगी, तो वह नोटिस जारी करेगा।

भंडारी ने तुरन्त मौका संभाल लिया। उसने अपनी गलती की माफी मांगी और वर्करों की ओर से भी।

इस माफी से गुरमीत की तसल्ली नहीं हुई थी। वह संघ के वर्करों के विरुद्ध कारवाई करवाना चाहता था।

माफी पर जज की तसल्ली हो गयी। वह फालतू के झंझटों में पड़ने को तैयार नहीं था। गुरमीत को हिदायत हुई । वह अपना पक्ष पेश करे। जज ने फैसला मैरिट के आधार पर करना था, संघ की मर्जी के अनुसार नहीं।

भंडारी अपनी चाल चल चुका था। अब क्या फैसला होगा? किसी से छुपा नहीं था।

गुरमीत को खुश करने के लिए जज ने उसको अपना पक्ष पेश करने का खुला समय दिया।

गुरमीत समझ रहा था। जज बहस को गंभीरता से नहीं ले रहा था ।

समय बिताने के लिए कभी वह किसी मिसल के पन्ने पलटने लगता। कभी किसी कागज पर हस्ताक्षर करने लगता और यदि करने को कुछ भी न होता, तो उबासियां लेने लगता।

जब गुरमीत भैंस के आगे बीन बजा चुका, जज साहिब ने फैसला सुना दिया।

''सारी सर! हाई कोर्ट जा कर कोशिश करो।''

जज के कड़वे बोल गुरमीत और मोहन जी की छाती में तीर की तरह चुभ गए।

किन्तु आंखे लाल करने के सिवा वे कुछ न कर सके।

12

एडीशनल सैशन जज की अदालत में से दरख्वास्त के रद्द होने को समिति ने ज्यादा अहमियत नहीं दी थी । कत्ल केस सैशन कोर्ट के लिए बहुत अहम् होते हैं। निम्न अदालतों से कत्ल के दोषियों की जामनतें कम ही मंजूर होती थीं। शहर के असाधारण हालत के कारण जज का सहम जाना और दोषियों की जमानत न लेना कोई अनहोनी बात नहीं थी।

किन्तु हाई कोर्ट द्वारा दरख्वास्त के रद्द होने को समिति ने गंभीरता से लिया था।

आम केसों में, ऐसी दरख्वास्त का विरोध करने के लिए सहायक एडवोकेट जनरल पेश होता था। कोई विशेष केस हो तो डिप्टी जाता था। इस केस में एडवोकेट जनरल खुद पेश हुआ था। उसके पेश होने का मतलब था। मामला गंभीर है। सरकार वही चाहती थी, जो वह बोल रहा है।

जजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए सरकार ने मीडिया का भरपूर प्रयोग किया था। एक दो नहीं, पूरे दर्जन पत्रकारों को कैमरे और टेप रिकार्डर देकर कोर्ट रूम में भेजा था। उनका नेतृत्व लोक संपर्क विभाग के डिप्टी डायरैक्टर ने किया था।

सरकार की चालें सफल रही थीं।

हाई कोर्ट को फौरन मामले की गंभीरता समझ आ गयी।

सुनवायी कर रहे जजों को इंसाफ की अपेक्षा उनके फैसले की लोगों और सरकार पर होने वाली प्रतिक्रिया की चिन्ता लगी हुई थी। उनके फैसले की लोगों और सरकार पर क्या प्रतिक्रिया होगी? यदि उन्होंने दरख्वास्त मंजूर कर ली तो कल को अखबारों में छपने वाली रिर्पोटों का रुख किधर होगा? यह

उनको समझ आ रहा था। रिर्पोटें लोगों के मूड को प्रभावित करेंगी और लोगों का मूड सरकार को जजों का भविष्य सरकार के मूड पर निर्भर होगा।

सोच विचार के बाद जज इस परिणाम पर पहुंचे कि सरकार संकट में थी। संकट की इस घड़ी में हाई कोर्ट का कर्त्तव्य सरकार का साथ देना है ।
और हाईकोर्ट सरकार के साथ खड़ी हो गयी।

इस फैसले ने सरकार की डगमगाती नाव संभाल ली। यदि दोषियों की जमानत हो जाती, तो वह गलियों –बाजारों में सरेआम घूमने लगते। कातिलों को इस तरह घूमते देख कर लोगों का गुस्सा भड़कता। यह गुस्सा सरकार के लिए खतरनाक सिद्ध होता।

अब केस के अंतिम फैसले तक दोषियों ने लोगों की आंखों से ओझल रहना था। सरकार ने दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा करवाने का यत्न करना था। यदि सजा के आसार न बने, तो फैसले को लटका देना था। सरकार ने उतनी देर फैसला नहीं होने देना था, जितनी देर लोग किसी और गंभीर मसले में न उलझ जाएं। और बंटी के कत्ल की याद धुंधली न पड़ जाए।

फिलहाल इस संकट को टाल कर सरकार तो सुख की नींद सो गयी किन्तु समिति की नींद हराम हो गयी।

सरकार द्वारा अपनायी रणनीति समिति के लिए चिंता का विषय था।

दरख्वास्त के रद्द होने से, सैल के तीनों वकीलों पर अलग अलग प्रतिक्रिया हुई।

मोहन जी एक पेशेवर वकील था। पैरवी के लिए उसके पास बीसियों केस आते रहते थे। किसी एक केस की जीत हार का न उसके मन पर असर होता था, न धंधे पर। किन्तु कत्ल केस में वह पहली बार पेश हुआ था। इस केस की जीत हार उसकी इज्जत का सवाल था। जमानत न होने को वह असफलता की शुरूआत गिनता था। इसलिए घबराहट में था।

प्यारे लाल को घबराहट से ज्यादा मानसिक पीड़ा थी। यह पीड़ा इसलिए थी क्यों कि न्याय-पालिका का जो स्वरूप उसने अपने जेहन में बना रखा था, इस फैसले से उसका हुलिया बिगड़ गया था। भारतीय न्याय पालिका की आजादी, निडरता और निष्पक्षता पर उसको संशय होने लगा था। क्या इसी का नाम इंसाफ है? इस तरह के सैंकड़ों प्रश्न उसके जेहन में उत्पन्न होने लगे।

गुरमीत को न घबराहट थी, न मानसिक पीड़ा। उसकी तीसरी आंख ने पहले ही जान लिया था। इस केस की जीत कोई स्वादिष्ट केक नहीं था, जो सरकार ने प्लेट में परोस कर उनके आगे रख देना था। इस केस को जीतने के लिए समिति को लम्बा संघर्ष करना पड़ना था।

गुरमीत इस फैसले को एक चुनौती के रूप में ले रहा था। समिति के लिए यह एक सबक था। सरकार के इरादों को समझने और अपनी रणनीति बनाने का।

वह साथी वकीलों के गिरे मनोबल को ऊँचा उठाने और अभियान को लामबंद करने के उपाय सोचने लगा।

समिति की सरगर्मियां तेज हो गईं। आगे से क्या रणनीति अपनायी जाए? इस विषय को लेकर राय-मशवरे होने लगे। कानूनी दाव पेचों का ज्ञान लीगल सैल वालों को था। गुरमीत और मोहन जी के साथ-साथ प्यारे लाल की राय भी ली जाने लगी।

प्यारे लाल जब भी किसी मीटिंग में जाता, उसका ध्यान सुझाव देने की ओर कम, और अपनी दुविधा हल करने की ओर ज्यादा होता।

प्यारे लाल के प्रश्न बाबा जी को प्रभावित करते। बाबा जी के तर्क से भरे उत्तर प्यारे लाल की जिज्ञासा शांत करते, उसके जख्मों पर मलहम रखते। कुछ ही मीटिंगों में बाबा जी ने प्यारे लाल को पहचान लिया। वह एक अनगढ़ हीरा था। थोड़ा सा तराशे जाने पर उसने लोक संघर्ष के लिए बहुमूल्य बन जाना था। वह प्यारे लाल की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे।

प्यारे लाल भी समिति के हर काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने लगा। धीरे-धीरे उसको भी सत्य की पहचान होने लगी।

एक बात सब को स्पष्ट थी। यह लड़ाई अकेले लीगल सैल के वश की बात नहीं थी। सरकार के हथकंडों का मुकाबला अदालतों के साथ-साथ सड़कों पर भी करना पड़ना था।

''कौन कहता है, लड़ाई अकेले लीगल सैल ने लड़नी है? सारी संघर्ष समिति सैल के साथ है। सरकार की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। समिति का हर कार्यकर्ता जान की बाजी लगाने को तैयार है''। बाबा जी के इस एलान ने लीगल सैल में नयी जान फूँक दी।

सैल के सुझाव पर समिति की विशेष मीटिंग बुलायी गयी। हर मैंबर को हाजिर होने और ठोस सुझाव देने का आदेश जारी किया गया।

हुक्म का पालन हुआ। उपस्थिति उत्साहजनक रही। मैंबरों में अथाह उत्साह था। नयी रणनीति बनाने में सैल ने अहम् रोल अदा करना था। पहले उसको अपने विचार पेश करने का मौका दिया गया।

सैल वाले अपने कर्त्तव्यों के प्रति सचेत थे। हर कोई नये से नये सुझावों से लैस था।

मोहन जी का विचार था, इस मुकद्दमे को जितना हो सके, लटकाया जाए।

मुकद्दमे को लटकाने के बहुत फायदे होने थे। पहला यह, समय बीतने के साथ गवाहों ने बिखर जाना था। किसी पुलिस वाले ने बदल कर रोपड़ चले जाना था और किसी ने पटियाला। कभी एक गवाह गवाही देने आ गया, कभी दूसरा। न सारे गवाह इकट्ठे हों। न गवाही हो। न केस आगे बढ़े।

किसी गवाह ने विदेश चले जाना था। किसी ने मर या रिटायर हो जाना था। कोई पुलिस वाला डिसमिस हो गया, तो भी दोषियों की पौ बारह हो जानी थी। पुलिस की वर्दी उतरते ही ताकत का नशा

उतर जाता है। कुछ गवाहों का जमीर जाग जाना था। किसी का जमीर न भी जागे, बिकने जरूर लगना था। रिटायर हुए गवाह का रेट भी सस्ता हो जाना था। मोहन जी ने कई बार चाय के कप या दोपहर के भोजन से भी काम चलाया था। नौकरी से अलग हुए गवाह को किसी का डर नहीं रहता। वह इच्छानुसार बोलने के लिए आजाद होताा है। अफरा तफरी का फायदा उठा कर दोषियों ने बरी हो जाना था।

मोहन जी अपने अधिकतर सायलों को इसी तरह बरी करवाता था।

एक बार उसके पास ऐसा केस आया, जिस में दोषियों से पोस्त से भरा ट्रक पकड़ा गया था। दोषी पांच थे। ड्राइवर, कंडक्टर और मजदूर। मालिक ले दे कर पहले ही पीछा छुड़वा गया था।

सारे पक्षों पर विचार करके मोहन जी ने यही ढंग अपनाया। उसने अपने सायलों को समझाया। यदि सारे गवाह भुगत गए तो तीन-तीन सल की कैद होगी। भला इसी में था कि मर्जी से महीना-महीना काट लिये जाएँ।

मुकद्दमे के गवाह और माल मुकद्दमा कभी कभी ही इकट्ठे होते थे। भूले भटके कभी इकट्ठे हो भी जाएँ, तो मोहन जी अपनी योजना अनुसार किसी एक दोषी को गैर-हाजिर कर देता। दोषी के गैर हाजिर होने से सारी कार्यवाही रुक जाती। गवाह बैरंग लौट जाते। पोस्त वाली बोरियां फट जाती। आधा माल सड़कों पर बिखर जाता।

दस पन्द्रह दिनों के बाद दोषी को अदालत में पेश किया जाता। साथ में पांच रुपयों वाला मैडीकल सर्टिफिकेट लगा दिया जाता। जज भलामानुस होता, तो दोषी की डाँट-डपट करके नयी जमानत ले लेता। टेढ़ा होता, तो हफते दस दिनों के लिए जेल भेज देता।

चार दोषियों के अनुपस्थित होते ही केस आठ साल पुराना हो गया। केस की हिस्ट्री शीट बन गयी। जज की खिंचाई होने लगी। फैसला क्यों नहीं करता?

पहले मुलजिम तारीख लेने के लिए मिन्नते निकालते थे, फिर सरकारी वकील निकालने लगा। कभी गवाह पूरे न हुए। गवाह आ जाता, तो ट्रक न आया। ट्रक आ जाता, तो माल मुकद्दमा न आता।

जज पेशियां डाल-डालकर दुखी हो गया।

केस बड़ा था। उसको दोषियों को बरी करने से भी डर लगता था। उकता कर उसने सैशन जज से बात की।

सैशन जज भी हाईकोर्ट को अपने स्पष्टीकरण दे देकर थक चुका था। सैशन जज ने हरी झंडी दे दी। गवाह नहीं आते, न आएं। गवाह पेश करने का आखिरी मौका दो। फिर फैसला कर दो।

जब फिर भी ढाक के वही तीन पात ही रहे, तो जज ने दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया।

प्यारे लाल इस सुझाव से सहमत नहीं था। यह ढंग इस केस में नहीं अपनाया जा सकता था ।

पहला कारण यह था कि यह सैशन केस था। सैशन केसों के सम्मन की तामील की ओर पुलिस विशेष ध्यान देती थी।

सैशन कोर्ट में गवाहों को बहुत देर टालना असंभव था।

दूसरा, इस केस के दोनों दोषी पहले ही जेल में थे। जितना केस ज्यादा लटकेगा, उतनी ज्यादा सजा उनको मुफ्त में काटनी पड़ेगी।

तीसरा, जिस हिसाब से अदालतें इस केस की कार्यवाही को निपटा रही थीं, उस से स्पष्ट था,सरकार इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती थी।

मैजिस्ट्रेट ने महीनों में मुकम्मल होने वाली कार्यवाही दिनों में निबटायी थी।

चलान पेश होने के बाद, पेशी मिसल के निरीक्षण के लिए दी जानी थी। नकलें देने में रह गई कमी-पेशी अगली तारीख पर पूरी होनी थी। यह सारी कार्यवाही एक दिन में हो गयी। तीसरो दिन केस सैशन के सपुर्द हो गया।

आगे सैशन ने भी कोई ढील नहीं दिखाई। पहली पेशी ही चार्ज लगा कर केस गवाहियों पर लगा दिया।

गवाहियों के लिए भी तारीख लम्बी नहीं पड़ी थी। सरकार को गवाह पेश करने के लिए एक महीने का समय दिया गया। गवाहियां दो दिन लगातार होनी थीं।

यदि अदालतों को ऊपर से कोई हिदायत न हुई होती तो चलान पेश होने के बाद दो तीन पेशियां कागजों की जांच पड़ताल के लिए पड़नी थीं। हर पेशी पन्द्रह दिनों की होनी थी। यदि वकील नकलें कम मिलने पर एतराज करते तो कई महीने नकलें तैयार करने में लग जाते। फिर कहीं जा कर केस सैशन के सपुर्द होता।

कई पेशियों पर सैशन जज चार्ज न लगाता। चार्ज बनता भी है? यदि हां, तो किस धारा के अधीन? इस नुक्ते पर वकीलों के बीच बहस होती। बहस के लिए कई पेशियां पड़ती। कभी जज के पास समय न होता। कभी एक पक्ष के वकील के पास और कभी दूसरे पक्ष के।

फिर चार्ज लगता।

गवाहियों के लिए कम से कम छः महीने का समय दिया जाता।

प्यारे लाल का विचार था, जब अदालत केस निपटाने के लिए तत्पर हो तो वकील को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। दोषियों को बरी करवाने के लिए कोई और तरीका अपनाना चाहिए।

दूसरा तरीका था, जज से लेकर गवाहों तक को गांठने का।

इस में कोई शक नहीं था कि जज और सरकारी वकील दोनों रिश्वतखोर थे। रिश्वत के बिना सगे बाप का काम भी नही करते। किन्तु गुरमीत के अनुसार, वे इतने अनाड़ी भी नहीं कि समय की नजाकत को न पहचाने। जलती आग में हाथ डाल कर वे अपनी नौकरी को खतरे में डालेंगे।

''क्यों न बुराई की जड़ को ही हाथ डाला जाए?''

''किसी न किसी तरह गवाहों को काबू किया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।'' फौजदारी केसों में गवाहों की अहमियत समझते गुरमीत ने अपना सुझाव पेश किया।

बंटी कत्ल केस में एक भी चश्मदीद गवाह नहीं था। सारा केस हालात पर आधारित गवाही पर खड़ा था। कहानी अलग अलग कड़ियों को जोड़ कर बनाई गयी थी। एक कड़ी के टूट जाने से ही रेत का यह महल ढेरी हो जाना था। इस केस का एक भी गवाह सच्चा नहीं था। पुलिस ने झूठ बुलवाना था। गवाहों को झूठ बोलने से रोकने, और सच बोलने के लिए मजबूर करके, समिति ने न कोई सैद्धान्तिक गलती करनी थी, न नैतिक।

सारी बहस के बाद जो रणनीति रची गई। वह यह थी। अब समिति को हर फ्रंट पर लड़ाई आरम्भ कर देनी चाहिए। कानूनी नुक्ते-नजर से ज्यादा ध्यान गवाहों से संपर्क करने की ओर दिया जाना चाहिए।

बनी याजना के अनुसार अलग-अलग इकाइयों को अलग-अलग जिम्मेवारियां दी गईं।

प्यारे लाल एस.एम.एल. पास था। वह नये से नये कानून ढूँढने में माहिर था। वह इस केस में जरूरत पड़ने वाले हर कानून और उच्च अदालतों के निर्ण्यों की खोज करेगा। वह आगे से ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिताएगा।

मोहन जी इस केस के हर गवाह की रग-रग से वाकिफ था। हरिद्वार के पंडो की तरह, उस के पास हर गवाह की हिस्ट्री शीट थी। किस गवाह की कहां रिश्तेदारी है? किस रिश्तेदार की वह मानता है और किस की नहीं? लालची है या सिफारिश मानता है? यदि पैसे लेता तो कितने? उसकी बही में सब दर्ज था।

किस गवाह से कैसे पेश आया जाए? इस बारे में मोहन जी समिति का मार्गदर्शन करेगा।

गुरमीत पहले ही अहम् जिम्मेवारी निभा रहा था। अपने पुलिस सूत्रों के द्वारा वह मिसल में हो रही हेरा-फेरी की सूचना हासिल कर रहा था। इन हेरा-फेरियों ने दोषियों के बरी होने का आधार बनना था। गुरमीत ने यह काम जारी रखना था।

गवाहों से संपर्क करने की जिम्मेवारी क्रांतिकारी फ्रंट को सौंपी गयी।

यह जोखिम भरा काम था। होशियारी की मांग करता था। मोहन जी ने फ्रंट को पहले ही सचेत किया।

पहले गवाह को समझाने बुझाने की कोशिश की जाए।

गवाह आना-कानी करे तो किसी रिश्तेदार या राजनैतिक दबाव का इस्तेमाल किया जाए। यदि पानी सिर के ऊपर से जाता दिखे तो डराने-धमकाने से भी गुरेज न किया जाए।

गवाह पर तुरंतयकीन न किया जाए। पहले ही मुलाकात में गवाह को मुकरने का मशविरा न दिया जाए। पहले यह तसल्ली की जाए कि यदि गवाह समिति की मदद नहीं करेगा तो कम से कम विरोध भी नहीं करेगा। यदि एक भी गवाह ने पुलिस के पास मुखबरी कर दी तो समिति की योजना बेकार हो जाएगी।

विद्यार्थी विंग ने संघ के जलूसों का जवाब देना था। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना था।

सहित्यकार सरकार के निन्दनीय प्रचार पर रोक लगाएंगे। नये नये तथ्य इकट्ठे करके वह अखबारों, पत्रिकाओं में लेख लिखेंगे। पोस्टर निकालेंगे और पर्चे बांटेगे।

तर्कशील रिजर्व फोर्स का काम करेंगे। सारी जत्थेबंदियों में तालमेल रखना, उनकी जिम्मेवारी होगी। जिस संगठन को भी जरूरत पड़े, वह उनको आवाज दे सकता है।

आर्थिक सहायता के लिए जीवन आढ़ती हाजिर था। उसकी दुकान को समिति के दफतर के रूप में प्रयोग किया जाना था।

समिति की इन योजनाओं से लीगल सैल के हौंसले बुलंद हो गए।

जब केस में ही दम न रहा तो दोषियों का कोई क्या बिगाड़ लेगा? सैल वाले सोचने लगे।

13

एडीशनल सैशन जज की अदालत का पहला घंटा जमानतों की दरख्वास्तों की सुनवायी के लिए सुरक्षित था। किन्तु बंटी कत्ल केस को कितनी महत्ता दी जा रही थी, वह इस तथ्य से स्पष्ठ था कि उस दिन, और किसी केस की सुनवायी तो क्या की जानी थी, जमानतों जैसे अहम मामलों की सुनवायी को भी टाल दिया गया था।

अपने इस आशय को जज ने छुपा कर नही रखा था। सारे पक्षों को एक दिन पहले ही हिदायत जारी कर दी गई थी।

पहले अहलमद की पेशी हुई थी। मिसल को क्रमवार करके कोठी भेज दिया जाए। जज साहिब केस के तथ्यों से वाकिफ होना चाहते हैं। यदि जज की मिसल पढ़ी हो तो अदालत का समय बरबाद नहीं होता। कार्यवाही तेजी से चलती है।

स्टेनो को भी डांटा गया। टाइप राइटर, नये रिबन और कागज पत्र तैयार होने चाहिए। यह न हो कि इधर गवाही शुरू हो जाए, उधर स्टेनो किसी थानेदार को रिबन लाने के लिए कह रहा हो और किसी वकील को कागजों के रिम के लिए।

जो चार पांच केस कल सुनवायी पर लगे थे, रीडर उन में आज ही तारीख डाल दे। यह न हो, इधर बंटी कत्ल केस की सुनवायी शुरू हो जाए और उधर वकील तारीखें लेने के लिए अदालत में मेला लगा लें।

जेल सुपरडैंट को भी संदेश भेजा गया। मुलजिम साढ़े नौ बजे अदालत में उपस्थित हों। यह न हो कि इधर गवाहों और वकीलों की बारात उतावली होने और उधर दूल्हा न पधारे। फोर्स के कम होने या गाड़ी के खराब होने का बहाना नहीं चलेगा। हर चीज का प्रबंध आज ही कर लिया जाए।

सरकारी वकील बचन सिंह को रिटायरिंग रूम में बुलाया गया। उसको समझाया गया। साधारण दिनों की तरह वह मस्ती न करें। स्वयं भी समय पर आए और गवाह भी। आम केसों की तरह वह मुद्दई के वकील पर निर्भर न रहे। खुद मिसल पढ़कर आए और गवाहों को ब्यान स्वयं समझाए। साधारण केसों में, जज सरकारी वकील का कर्त्तव्य स्वयं ही निभा दिया करता था। इस केस में बचन सिंह जज से कोई आशा न रखे।

फिर सफाई पक्ष के वकीलों को बुलाया गया। वे निम्न अदालतों में लगे केसों का इंतजाम कर लें। हो सके, तो जूनियर वकीलों को केस तैयार करवा दिए जाएं। यदि स्वयं पेश हुए बिना काम न चलता हो,तो मैजिस्ट्रेट से पेशी ले ली जाए। निम्न अदालतों को पहले ही हुक्म भेजा जा चुका था। वह बंटी कत्ल केस में पेश होने वाले किसी भी वकील को अपनी अदालत में पेश होने के लिए मजबूर न करें।

पेशी वाले दिन ऐसा ही होने लगा।

जेल सुपरडैंट ने साफ सुथरे कपड़े पहना कर, दोषियों को नौ बजे ही अदालत के आगे ला बिठाया। एक जीप और चार सिपाहियों की गारद, इन दोषियों के लिए सुरक्षित कर दीं।

थाने वाले भी चौकन्ने हो गए। कोई गड़बड़ न हो, इसलिए भारी गिनती में हथियारबंद सिपाही अदालत में तैनात किए गए। केस की पैरवी के लिए नाजर सिंह थानेदार को भेजा गया। यह केस उसी का तैयार किया हुआ है। उसको गवाह पहचानने, उनको ब्यान समझाने और सरकारी वकील के आगे पेश करने में आसानी रहेगी।

आदत के विपरीत सरकारी वकील भी आधा घंटा पहले उपस्थित था।

गवाह उस से भी उतावले थे। सब से पहले बंटी का पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर की गवाही होनी थी। वह बचन सिंह से भी पहले पहुंचा हुआ था। पीछे-पीछे हाथों पैरों के निशानों का माहिर आ धमका। हस्तलिपि विशेषज्ञ चंडीगढ़ से आना था। इसलिए वह कुछ पिछड़ गया था।

सरकारी मुलाजिम सरकारी वकील के दफ्तर जा बैठे। बाकी गवाह बाहर नाजर सिंह को घेर कर खड़े हो गए।

बचन सिंह को डॉक्टर या माहिरों से कोई खतरा नहीं था। वह उनको समझा भी क्या सकता था? वह बचन सिंह से कहीं ज्यादा जानते थे। वैसे भी ये सरकारी मुलाजिम थे। इन्होंने उसी तरह गवाही देनी थी, जैसे सरकार चाहती थी। गवाही इधर-उधर होने से नौकरी जा सकती थी। वे गवाहियां देने में माहिर थे। इनमें से एक भी गवाह ऐसा नहीं था, जिसने कम से कम पचास केसों में गवाही न दी हो। वही घिसे पिटे सवाल और वही घिसे पिटे जवाब। यदि इन की नीयत ठीक हो, तो वकील चाहे एढ़ी-चोटी का जोर लगा लें, यह जरा सी भी राह नहीं देंगे। इस लिए बचन सिंह इन की ओर से बेफिक्र था।

बचन सिंह की बेफ्रिकी का एक कारण और भी था। सफाई पक्ष के सारे वकील अनाड़ी थे। इन गवाहों पर जिरह प्यारे लाल ने करनी थी। उस शराबी, कबाबी वकील को क्या पता, कानून क्या होता है? न उसको मैडिकल जुरमपुरैंडस का पता है, न हस्तलिपि परखने का। पांच-चार ऊटपटांग सवाल पूछ कर थक जाएगा।

मोहन जी को केस की समझ तो थी। किन्तु वह निम्न अदालतों का वकील था। यह उसका पहला सैशन केस था। सैशन कोर्ट में पेश होते बड़े-बड़े वकीलों के पसीने छूट जाते हैं। यह केस उस बेचारे के बस का नहीं था।

'गुरमीत सरकारी वकील जरूर रहा है। मेहनती भी हैं किन्तु सरकारी वकालत और प्राइवेट वकालत में जमीन आसमान का फर्क हैं सरकारी वकील को पक्की पकाई खीर मिल जाती है। आगे क्या हुआ, ''फिर क्या हुआ?'' ही कहना होता है। कानूनी नुक्तों की जरूरत पडे, तो मुद्दई का वकील ला देता है। प्राइवेट वकील को सारा ताना-बाना स्वंय बुनना पड़ता है। अपने दिमाग का प्रयोग करके पुलिस के किले जैसे केस में सेंध लगा कर, राह बनाना पड़ता है। यह कुशलता समय के साथ ही आती है।'

इस तरह के हवाई किले निर्मित करके, बचन सिंह ने केस के महत्व को नहीं समझा था। जज की ताड़ना के बावजूद, केस की ओर ध्यान नहीं दिया था। वह गवाहों से गप-शप करने और जान पहचान बढ़ाने में व्यस्त था।

डॉकटर से उसको दवाइयों की जरूरत थी। उसकी बेटी को मिरगी का दौरा पडता था। हर रोज गार्डीनल की कई गोलियां खानी पड़ती थी। पहले यह सेवा डॉकटर गुप्ता निभाता था। वह बदल चुका था। अब डॉकटर भाग मल यह जिम्मेवारी संभाले। बचन सिंह खुद भी कई दिनों से कमजोरी महसूस कर रहा था। एक शीशी बीकासूल के कैप्सूलों की मिल जाए तो क्या कहना। सोफरामाइसन की दो टयूबें भी चाहिए थीं। बच्चे चोटें खाते ही रहते हैं। कॉटन तो अस्पताल में आम होती है, दो पैकेट उस के भी।

''जनाब सबकुछ आपका ही तो है। अस्पताल की दवाइयां भी कोई दवाइयां होती हैं। खाकर अच्छा भला आदमी बीमार हो जाता है।'' डॉक्टर ने फौरन रमेश मैडीकल हाल के नाम पर्ची लिख दी। बचन सिंह पर्ची दिखा कर दवाई ले ले।

डॉक्टर को खाने पीने में लगा कर बचन सिंह ध्यानचंद के पास आया। उस तक भी उसे काम था।

समय थोड़ा था। बचन सिंह ने संक्षेप शब्दों में बात खत्म की। ध्यानचंद को एक चिट पकड़ाई। चिट पर केस का अनुवान लिखा था। इस केस में बचन सिंह को ध्यानचंद की मदद की जरूरत थी। दोषियों पर दोष था कि उन्होंने फर्जी आदमी खड़ा कर के बीस एकड़ जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी। पुलिस इस रजिस्ट्री पर लगे अंगूठे का मुलाहजा, एक और रजिस्ट्री पर लगे अंगूठे से करवाना चाहती थी। यह रजिस्ट्री पुलिस को मुद्दई पक्ष ने दी थी। इस रजिस्ट्री पर मालिक का सही अंगूठा लगा हुआ था।

पुलिस ने दोनों रजिस्ट्रियां मुआयने और रिपोर्ट के लिए फिल्लौर भेजी थीं।

असलीयत भी यही थी। दोनों अंगूठे भिन्न-भिन्न थे। अब दोषियों का बचाव तभी हो सकता था, यदि फिल्लौर से यह रिपोर्ट आए कि दोनों दस्तावेजों पर एक ही व्यक्ति के अंगूठे थे। दोषी बचन सिंह के नजदीकी संबंधी थे। इज्जत का सवाल था। यह इज्जत ध्यानचंद के हाथ में थी।

'' साहिब आप समझदार हो। यह कौन सा हस्ताक्षर या लिखाई का मुआयना है कि जो चाहे रिपोर्ट कर दो। हस्तलिपि तो समय-समय पर बदलती रहती है। अंगूठे का निशान उम्र भर वही रहता है। भिन्न-भिन्न अंगूठों को एक जैसा कैसे लिखा जा सकता है?''

''तुम फिक्र न करो। रिश्तेदारी रिश्तेदारी की जगह। हम तुम्हें मनचाही फीस देंगे। पूरे दस हजार। पांच हजार यह लो। बाकी रिपोर्ट के बाद। मेरी जिम्मेवारी है।''मछली हाथ से निकलती देख कर बचन सिंह ने पैंतरा बदला।

'तरीका मैं बताता हूं, तुम ता झगदे वाले अंगूठे पर एक अंगूठा और लगा दो। इससे असली अंगूठे की पहचान नहीं हो सकेगी। आगे मैं खुद संभाल लूंगा। तहसीलदार के दफ्तर का रिकार्ड मैंने बदलवा दिया है। अंगूठे लगाने वाला पहले ही मर चुका है। बस यही सबूत बाकी है। एक बार अंगूठा अन अऐडिफियऐड हो गया तो हमारा काम बन जाएगा।''

पांच हजार के नोट ध्यानचंद से लौटाए न गए।

''फिल्लौर आने तक कागज पत्र बहुत से हाथों में से निकले होंगे। कोई पूछेगा तो कह दूँगा। रास्ते में किसी ने शरारत कर दी होगी। ''सोचते ध्यानचंद ने काम हो जाने का वचन दे दिया।

यह जिम्मेवारी निभा कर बचन सिंह फूल जैसा हल्का महसूस करने लगा। निश्चित हो कर वह दफ्तर आ बैठा। अब जज जब चाहे केस शुरू कर ले।

14

दस बजे से पहले ही कोर्ट रूम दर्शकों से भर गया। कोर्ट रूम के बाहर अंदर से ज्यादा भीड़ थी। संघ के बहुत सारे वर्कर पीपल के नीचे इकट्ठे हुए खड़े थे। वे नारेबाजी करने के मौके की तलाश में थे।

समिति के बहुत सारे कार्यकर्ता भी कचहरी के अहाते में मौजूद थे। बाबा जी भी हाजिर थे। किन्तु समिति की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। वे इधर उधर बिखरे हुए थे। फिर भी उनमें गुप्त तालमेल कायम था। संघ के पहले नारे के जवाब में उन्होंने आसमान गूंजने लगा देना था।

अदालत ने गवाहों को दो हिस्सों में बांटा था। माहिर गवाह और साधारण गवाह। दोपहर से पहले माहिर गवाहों के ब्यान लिखे जाने थे। बाद दोपहर मोदन रेहड़ी वाले, बाबू रिक्शे वाले, स्कूल के चपड़ासी, मीते की पड़ोसिन भागो और बस्ती के दुकानदार गफूर की बारी आनी थी।

इसी तरीके से वकीलों ने अपनी डयूटी बांटी थी। माहिरों से जिरह प्यारे लाल ने करनी थी और बाकी गवाहों से मोहन जी ने।

सफाई के वकील पौने दस बजे ही कोर्ट रूम में आ विराजे। अदालत के क्लॉक ने ज्यों ही दस बजाए, पिछले दरवाजे से नाथ साहिब भी अदालत में प्रवेश कर गए।

कोर्ट रूम में हाजिर हर छोटा बड़ा व्यक्ति जज के सम्मान के लिए खड़ा हो गया। सभी उतनी देर खड़े रहे जितनी देर माननीय जज साहिब ने कुर्सी न संभाल ली।

जज के बैठते ही बाकी अहलकारों, वकीलों और दर्शकों ने भी अपने-अपने स्थान ग्रहण कर लिए।

जज के दाएं हाथ बैठे रीडर ने सुनवायी के लिए रखे केसों की सूची पर नजर डाली। सूची में केवल एक ही केस था। सरकार बनाम पाला सिंह वगैरा।

रीडर ने मेज पर पड़ी मिसल उठायी, अर्दली को मिसल का अनुवान पढ़कर सुनाया और फिर मिसल जज साहिब के आगे रख दी।

रीडर के मुंह से मुकद्दमे का नाम निकलते ही दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी कुर्सियां छोडी और लैक्चर स्टैंड के पास खड़े हो गए।

मुकद्दमे के अनुवान को याद रखने के लिये इस को कई-कई बार दोहराता अर्दली, अदालत के दरवाजे के पास पहुँचा और आवाजें मारने लगा।

''सरकार बनाम पाला सिंह वगैहरा...हाजिर हो...।''

पाले मीते को हथकड़ियों में जकड़े खड़े सिपाही पहले ही आवाज की इंतजार में थे। फौरन वे उनको अदालत के अन्दर ले गए।

दोषियों ने झुक कर सलाम किया। सिपाहियों ने जोर से बूट बजा कर सैल्यूट किया।

फिर वे दोषियों के कटघरे के पास आ गए।

गवाही के लिए पहले डॉक्टर शर्मा को बुलाया गया। पोस्टमार्टम वाला रजिस्टर लेकर वह सीधा गवाहों के कटघरे में खडा हो गया।

सुनवायी शुरू हुई। अपना नाम पता लिखाने से पहले डॉक्टर ने सौगंध खायी, 'जो कुछ कहूंगा, भगवान को साक्षी मान कर सच कहूंगा:

बीस अकतूबर की शाम को डॉक्टर ने बंटी नाम के बच्चे का पोस्टमार्टम किया था। लाश का मुआयाना करने पर उसको पता लगा था कि पहले कत्ल के इरादे से बच्चे के सिर पर रॉड मारी गयी थी। किसी कारण बच्चा बच गया। फिर वही रॉड बच्चे की गर्दन पर रख कर दबा दी गयी। मुआयने के समय बच्चे के गालों पर आंसुओं के निशान थे, आंखें बाहर को आई हुई थीं। वह सूख कर कांटा हो गया था। बदन पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था।

यदि प्यारे लाल का उद्देश्य अपनी वकालत चमकानी होती तो वह अपनी लियकात का सिक्का जमाने के लिए डॉक्टर से मुश्किल से मुश्किल प्रश्न पूछता। डॉक्टर के हर जवाब पर कानूनी नुकताचीनी करता। छोटे-मोटे नुक्ते उठा कर जज से बहस करता। अपनी दलील की पुष्टि के लिए कानूनी की किताबें पेश करता।

ऊटपटांग सवाल की जगह उसने डॉक्टर से दो ही स्पष्टीकरण मांगे।

''पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मरते समय बच्चे का पेट खाली था। आपके अनुमान में पेट कितने दिन खाली रहा होगा?''

सवाल सुनकर डॉक्टर ठिठक गया। असलियत यह थी कि उसने पोस्टमार्टम ध्यान से किया ही नहीं था। डॉक्टर को बताया गया था कि यह आतंकवादी केस है। कौन सा दोषी पकड़े जाने हैं? पकड़े भी गए तो किसी ने गवाही नही देनी। डॉक्टर ने बस रिपोर्ट देने का जाब्ता ही पूरा करना है। पुलिस के इस मशविरे को ध्यान में रखते ही डॉक्टर ने मौत के समय बच्चे का पेट खाली होना लिखा था। यदि पेट में कुछ मिला दिखाया होता तो पेट में से मिली वस्तु को टैस्ट के लिए कैमीकल एगजामीनर के पास भेजना पड़ना था। विसरे को वहां तक पहुंचाने के लिए पचास झंझटों में पडना पड़ना था। इन झंझटों से बचने के लिए ही डॉक्टर ने यह आसान राह अपनाया था। किन्तु वकील के सवाल ने वहीं झंझट फिर खड़ा कर दिया।

''ऐसे लगता था जैसे सप्ताह भर बच्चे के पेट में तिनका तक न गया हो।'' पीछा छुड़ाने के लिए डॉक्टर ने हवा में तीर छोड़ा।

'बच्चे के अपहरण होने से दो दिन पहले स्कूल में बच्चों का डॉक्टरी मुआयना हुआ था। उसके अनुसार बच्चे का भार तीस किलो था। पोस्टमार्टम के समय यह भार बीस किलो था। बीस दिनों में दस किलो भार कम होने का भला क्या कारण हो सकता है?''

''भूख और दहशत।'' इस सवाल का जवाब देने में डॉक्टर को कोई समस्या नहीं आयी थी। यहां महज उसकी राय जानी गयी थी।

''दहशत होते हुए भी यदि पेट भर खाना मिलता रहे तो क्या भार कम हो सकता है?'' प्यारे लाल का अगला प्रश्न था।

'नहीं।''

''तो इस का मतलब है कि भार घटने का बड़ा कारण भूख था।''

''जी हां।''

पहला नुक्ता स्पष्ट करवा कर प्यारे लाल ने दूसरा नुक्ता पकड़ा। यह नुक्ता बच्चे को कत्ल करने के लिए प्रयोग की गई रॉड के डाएमीटर संबंधी था।

''बच्चे का सिर छोटा भी होता है और नाजुक भी। फूल जैसे सिर को टुकड़े-टुकड़े करने के लिए असफल हुई रॉड का डायमीटर भला कितना होगा?''

जवाब स्पष्ट था। जख्म की लम्बाई, चौड़ाई और गहराई डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज की हुई थी। जख्म के मुताबिक रॉड की गोलाई डेढ़-दो इंच के बीच होनी चाहिए थी।

''मतलब यह कि बच्चे को चोट मारने के लिए खिड़कियों रोशनदानों में प्रयोग किए जाते किसी साधारण से सरिये का प्रयोग किया गया होगा?''

'ऐसे ही लगता है। क्या ये घाव ऐसी राड से सम्भव है जिस का डायमीटर चार इंच हो?'

''नहीं। ऐसी रॉड तो बच्चे की चटनी बना देती है।''

''बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हो।'' मतलब का जवाब प्राप्त करके प्यारे लाल ने डॉक्टर को फारिग किया।

डॉक्टर के चले जाने पर सरकारी वकील ने अगले गवाह का नाम पता बताना था। अर्दली ने उस गवाह को आवाज मारनी थी। फिर उस गवाह की गवाही शुरू होनी थी। किन्तु बचन सिंह को अगले गवाह का नाम-पता बताने की सुध नहीं थी। सफाई पक्ष ने यह सवाल किस आशय से पूछे थे? वह यह गुत्थी सुलझाने में व्यस्त था। बच्चे के भूखे रहने या वजन के कम होने के बारे में सवाल क्यों पूछे

गए? यह तो उसको समझ न आया किन्तु रॉड के डायमीटर वाली पहेली स्पष्ट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रॉड की गोलाई उतनी ही बनती थी, जितनी डॉक्टर ने बतायी थी। किन्तु बेवकूफ थानेदार ने दोषियों से जो रॉड बरामद की थी, उसका डायमीटर इस से कई गुणा ज्यादा था। बरामद हुई राड से तो दारा सिंह जैसा पहलवान भी पानी न मांगे।

सफाई पक्ष को पहली बार में ही मिली सफलता से बचन सिंह चिढ़ रहा था।

'चलो देखी जाएगी। ऐसी छोटी-मोटी कमियों के आधार पर दोषी बरी थोड़ा हो जाने हैं।' सोचते बचन सिंह ने मन के साथ समझौता किया और अगले गवाह का नाम पता बताया।

ध्यानचंद भी गवाही देने के कायदे कानून से वाकिफ था। उस ने नाम पता लिखवाया, सौगंध खाकर अपना ब्याना दर्ज करवाने लगा।

इस साइंटिफिक अफसर ने इस मुकद्दमे से संबंधित अंगुलियों के निशानों का मिलान किया था।

बंटी की लाश इधर-उधर करते समय दोषियों से एक कोताही हुई थी। लाश को अस्पताल के वीरान कमरे में फेंकते समय वे हाथों पर दस्ताने चढ़ाने भूल गए थे। परिणामतः अंगुलियों के कुछ निशान मौके पर रह गए। उस स्थान की पड़ताल के समय माहिरों ने ये निशान ढूंढ लिए थे। नियमानुसार इन को लिफाफे में बंद करके, लिफाफे को सर्व-मोहर करके, फिंगर प्रिंट ब्यूरो फिल्लौर के पास जमा करवाया गया था।

पंद्रह दिनों के बाद दोषियों को पकड़ लिया गया था। उन की अंगुलियों के निशान तहसीलदार के सामने लगाए गए थे। अगले दिन विशेष दूत के द्वारा वे निशान भी फिल्लौर भेज दिया गए थे।

फिल्लौर वालों ने सुरक्षित रखे निशानों को दोषियों के निशानों से मिलाना था और बताना था कि उन में से कोई निशान इन दोषियों के थे या नहीं।

यह फर्ज ध्यानचंद ने निभाए थे। सारे वैज्ञानिक ढंग-तरीके अपना कर वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि घटना वाली जगह से मिले निशान मीते दोषी के थे। इस तरह उसकी रिपोर्ट यह साबित करती थी कि मीता जुर्म में भागीदार था।

जिरह करने से पहले प्यारे लाल ने ध्यानचन्द को एक बार फिर उसकी रिपोर्ट दिखाई।

यहां स्पष्ट शब्दों में यह लिखा हुआ था कि एक पार्सल मुख्तियार सिंह सिपाही ने उस के पास बीस अक्तूबर को जमा करवाया था। इस पार्सल पर नाजर सिंह थानेदार ने अपनी मोहरें लगाई थीं। इस पार्सल में वे निशान थे, जो मौके पर मिले थे।

रिपोर्ट अनुसार यह भी दरूस्त था कि दूसरा पार्सल पांच नबम्बर को प्राप्त हुआ था। इस को सिपाही सुरजीत सिंह लेकर आया था। इस को भी नाजर सिंह थानेदार ने ही सरब-मोहर किया था। इस पार्सल में वे निशान थे, जो तहसीलदार के सामने दोषियों से लिए गए थे।

ध्यानचन्द ने इन दोनों पार्सलों में से निकले निशानों का ही मिलान किया था और अपनी राय प्रकट की थी।

यहां तक सारी जिरह सुख शांति से होती रही। स्टेनो से लेकर जज तक को प्यारे लाल के ये सवाल मूर्खता पूर्ण लगे थे। यह सब कुछ रिपोर्ट में लिखा हुआ था। इन के बारे में गवाह को पक्का करने की क्या जरूरत थी? ध्यानचंद को थोड़ी बहुत घबराहट थी, इन अनाड़ी प्रश्नों से वह भी जाती रही।

गवाह को पूरे जोश में आया देखकर प्यारे लाल ने प्रश्नों का अगला दौर शुरू किया।

ध्यानचंद से वह रजिस्टर खुलवाया गया, जिस में ब्यूरो में प्राप्त होते पार्सलों का इंदराज किया जाता था।

'रजिस्टर देखकर यह बताओ कि बीस अक्तूबर को यह पार्सल किसने जमा करवाया था और पार्सल किस द्वारा सरब-मोहर किया गया था?''

उत्तर देने के लिए ज्यों ही ध्यानचन्द ने संबंधित पन्ना पढ़ना शुरू किया, त्यों ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा।

यहां तो पार्सल जमा करवाने वाले का नाम सुरजीत सिंह लिखा हुआ था। आगे एक घोटाला और था। रजिस्टर के अनुसार जमा हुए पार्सल को देवराज ए.एस.आई. ने सरब-मोहर किया था। यह दोनों तथ्य रिपोर्ट से मेल नहीं खाते थे। इस फर्क से यह साबित होता था कि ध्यानचन्द द्वारा बीस अक्तूबर को जमा हुए पार्सल की जगह किसी और पार्सल का प्रयोग किया गया था। यह क्या माजरा था? एक दम ध्यानचन्द को समझ नहीं आ रहा था।

ध्यानचन्द को भ्रम न हुआ हो, इसलिए उसने एक बार फिर पहले अपनी रिपोर्ट जांची, फिर रजिस्टर। दोनों अपनी-अपनी जगह ठीक थे। फिर यह फर्क क्यों? घबराया हुआ, कभी वह प्यारे लाल की ओर ताकता, कभी बचन सिंह की ओर।

'बोलो भाई!''जब कई-कई बार पन्ने पलट कर भी ध्यानचन्द कोई स्पष्टीकरण न दे सका तो जज को हुक्म सुनाना पड़ा।

'रजिस्टर में पार्सल जमा करवाने वाले का नाम सुरजीत सिंह और मोहरें लगाने वाले का नाम देव राज दर्ज है जनाब।''

जवाब देते हुए ध्यानचन्द को पसीना भी आया और उस की जुबान भी हकलाने लगी।

चारों ओर सन्नाटा छा गया। रिपोर्ट और रजिस्टर के बीच के इस फर्क पर सब हैरान थे। इस तरह तो दोषी सीधे बरी हो जाने थे।

''यह क्लैरिकल मिसटेक है जनाब। नाम लिखते समय गल्ती लग गयी।'' घबराए बचन सिंह ने स्पष्टीकरण देना चाहा।

जज ने बचन सिंह के तर्क की ओर कोई ध्यान न दिया। उसको चुप रहने की हिदायत हुई।

जज खुद रजिस्टर और रिपोर्ट की जांच करने लगा।

'अब यह बताओ कि वह पार्सल कहां है जो सुरजीत सिंह ने बीस तारीख को जमा करवाया था?'' जब जज की पड़ताल खत्म हो गई तो प्यारे लाल ने फिर जिरह शुरू की।

ध्यान चंद को उस पार्सल के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। पीछा छुड़ाने के लिए वह बहाने बनाने लगा।

'यह बीस अक्तूबर वाला पार्सल ही तो था। गलती से कोई दूसरा नाम-पता लिखा गया होगा। बीस अक्तूबर को तो कोई मुख्तियार सिंह फिल्लौर आया ही नहीं। उस दिन उस की ओर से पार्सल कैसे जमा हो गए?''

'यह कैसे जमा हुए इसका जवाब आपका रजिस्टर ही देगा। निकालो दो नवम्बर वाला पन्ना और पढ़ो। इन्दराज नम्बर बारह।''

यह इन्दराज बताता था कि उस दिन मुखितयार सिंह ने इस केस से संबंधित एक पार्सल दफ्तर जमा करवाया था। वह पार्सल नाजर सिंह की मोहर से सरब-मोहर था।

'अब अपनी रिपोर्ट देख कर बताओ कि उसमें इस पार्सल का कहीं जिक्र है?''

ध्यानचन्द को ऐसा कोई जिक्र अपनी रिपोर्ट में न मिला। यह क्या हो गया? सब कुछ उथल-पुथल कैसे हो गया? ध्यानचन्द की समझ से बाहर था। बाड़ में फंसे बिल्ले की तरह वह बिटर-बिटर देखने लगा।

सफाई पक्ष की ओर से ध्यानचन्द को खुला समय दिया गया। ठंडे दिमाग से सोचकर वह सारी स्थिति स्पष्ट करे।

ध्यानचन्द तभी बताए, यदि उसको कुछ पता हो। वह सुन्न होकर खड़ा रहा।

ध्यानचन्द की रिपोर्ट पर पानी फिर गया। वह संदिग्ध तो बनी ही, साथ में यह भी साबित करने लगी कि यह किसी साजिश के अधीन तैयार की गयी थी।

असली माजरा क्या है? सच जानने की जिज्ञासा जज के अंदर भी जाग पड़ी। मिसल एक ओर रख कर वह सच जानने के लिए बेचैन होने लगा।

असलियत यह थी कि बीस अक्तूबर वाला इंदराज दरूस्त था। वह पार्सल देवराज ने तैयार किया था और जमा सुरजीत सिंह ने करवाया था। चुस्ती यह थी कि उस पार्सल में खाली कागज रखे गए थे,

महज जाब्त पूरा करने के लिए। पुलिस की पहले ही यह नीयत थी कि असली दोषियों के पकड़े जाने पर ये कागज उनके निशानों से तब्दील कर दिए जाएंगे। इन दोषियों के गिरफ्तार करने का प्रोग्राम एक दो नवम्बर को बना था। सब से पहले यही कार्यवाही हुई। मीते की अंगुलियों के निशान लेकर फिल्लौर भेजे गए।

इन निशानों को सही जगह पहुंचाने की जिम्मेवारी साधू सिंह सब-इंस्पैक्टर की लगायी गयी।

कई साल वह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में लगा रहा था। वहां के बच्चे-बच्चे से वाकिफ था।

साधू सिंह के साथ मुख्तियार सिंह को भेजा गया था। यह सारा मामला मुख्तियार सिंह से गुप्त रखा गया। उस को शक न हो, इसलिए दो और केसों के पार्सल उस को जमा करवाने के लिए दिए गए।

साधू को गांव गए महीना हो गया था। उसकी कौन सी फिल्लौर वालों के साथ कोई मित्रता थी?

काम पैसे से होना था। पैसा खर्च कर के यह काम मुख्तियार सिंह भी कर सकता था। क्लर्क को दी जाने वाली आम फीस से पचास रूपये फालतू देकर साधू सिंह ने अकेले मुख्तियार को फिल्लौर भेज दिया। साथ में क्लर्क के नाम एक चिट्ठी लिख दी। क्लर्क ने क्या करना है? यह चिट्ठी में लिख दिया। फीस और चिट्ठी मुख्तियार को पकड़ा कर साधू गांव वाली बस चढ़ गया। यदि मुख्तियार को पता होता तो वह कागजों की रद्दोबदल पास बैठकर करवा देता। क्लर्क जब आम फीस में ही पार्सल जमा करने के लिये मान गया तो उसको फालतू पचास रूपये देने मुश्किल हो गए। क्लर्क ने जब पहली बार कहने पर ही काम कर दिया तो सिफारशी चिट्ठी से क्या करवाना था। मुख्तियार ने पचास रूपये जेब में डाले और चिट्ठी फाड़ कर फेंक दी।

क्लर्क ने तीनों लिफाफे पकड़े, रजिस्टर में दर्ज किए और रसीद मुख्तियार सिंह के हाथों में पकड़ा दी। बस यही गड़बड़ हुई थी। ध्यानचन्द ने दो नवम्बर वाले निशानों के साथ निशान मिलाए और परिणाम पर पहुंच गया था। बीस अक्तूबर वाला असली पार्सल उसके आगे पेश ही नहीं किया गया था।

''किन्तु रिपोर्ट में तो यह लिखा है कि यह पार्सल बीस अक्तूबर को जमा हुआ था?'' जज ने स्पष्टीकरण मांगा।

ध्यानचन्द ने जानबूझ कर हेराफेरी नहीं की थी। चलान चैक करते समय जिला अटार्नी ने जब साइंटिफिक अफसर की रिपोर्ट जांची तो यह गलती पकड़ ली।पुलिस रिमांड के अनुसार पहला पार्सल बीस अक्तूबर को जमा हुआ था। रिपोर्ट में यह दो नवम्बर को जमा दिखाया गया था। यह फर्क क्यों?

रिपोर्ट को ठीक करवाने के लिए नाजर सिंह भागा-भागा फिल्लौर गया था। ध्यानचन्द ने मिन्नतें करवा कर नयी रिपोर्ट तैयार कर दी। तारीख तो दो नबम्बर की बजाय बीस अक्टूबर कर दी, परंतु पार्सल जमा करवाने और पार्सल को सरब-मोहर करने वाले का नाम पता नहीं बदला। बदलता भी कैसे? उसको

कौन सा बताया गया था। ध्यानचंद ने सोचा थ, उससे गलती हुई थी। अपनी समझानुसार उसने अपनी गलती सुधारी थी।

'जनाब, यह मनघड़ंत कहानी है!' सरकारी वकील को प्यारे लाल की इस टिप्पणी पर सख्त एतराज था।

'जनबा,मनघड़ंत कहानी बनाने की आदत आपको है। इसीलिए आपकी कहानी बेसिर पैर की है। अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास ढेर सारे सबूत मौजूद हैं।" बचन सिंह को चुप करवा कर प्यारे लाल अपने सबूत पेश करने लगा।

यदि तारीख में हुई रद्दो-बदल को नजरअंदाज कर दिया जाए तो भी यह तथ्य स्पष्ट था कि साइंटिफिक अफसर ने जिस पार्सल वाले निशानों का मिलान किया था, वह नाजर सिंह का तैयार किया हुआ था। नाजर सिंह ने वह पार्सल कैसे तैयार कर दिया जब कि उस दिन वह इस थाने में लगा ही नहीं था। क्या उसने पार्सल बाहर वाले थाने से आकर तैयार कर दिया?

यह भी कोरा झूठ था कि बीस तारीख को मुख्तियार सिंह ने कोई पार्सल फिल्लौर जमा करवाया था। उस दिन वह इसी शहर में हाजिर था। शहर ही नहीं इसी अदालत में हाजिर था। एक कत्ल केस में वह गवाही देकर गया था। फिर वह फिल्लौर कब और कैसे चला गया?

इसके विपरीत, इस पार्सल को सुरजीत सिंह द्वारा फिल्लौर ले कर जाना कई दस्तावेजों से सिद्ध होता था। पहले, इस बारे में थाने का रोजनामचा बोलता था। रोजनामचे में सुरजीत सिंह के फिल्लौर जाने और वापिस आने तक का समय दर्ज था। उस समय के तफतीशी देवराज ने सुरजीत सिंह का ब्यान भी लिखा था। यह ब्यान अब भी अदालत की मिसल के साथ लगा हुआ है। प्यारे लाल ने वह ब्यान पढ़कर सुनाया। उसमें भी सुरजीत सिंह का फिल्लौर जाना दर्ज था। सोने पर सुहागा यह था कि सुरजीत ने उस दिन फिल्लौर जाने का टी.ए., डी.ए. भी लिया था। उस बिल की नकलें पेश की गईं।

उस समय तो सनसनी ही फैल गयी जब प्यारे लाल ने उस रिपोर्ट की फोटो कॉपी अदालत में पेश की, जो ध्यानचन्द द्वारा पहले तैयार की गई थी और बाद में नाजर सिंह के कहने पर फाड़ दी गई थी।

'क्या यह रिपोर्ट आपकी तैयार की हुई नहीं?", रिपोर्ट साइंटिफिक अफसर के आगे रख कर प्यारे लाल ने पूछा!

इस अंधेरगर्दी पर जज साहिब को गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई।

'साफ-साफ बताओ, किस-किस ने हेराफेरी की है? नहीं तो रिकार्ड में रद्दोबदल करने के जुर्म में अभी अंदर ठूस दूंगा।'

जज की इस धमकी से ध्यानचन्द के हाथ पैर फूल गए।

ध्यानचन्द को फिल्लौर के एक डॉक्टर का किस्सा याद आया। ध्यानचन्द की तरह उसने भी अस्पताल के रिकार्ड में हेराफेरी की थी। पकड़े जाने पर उसको तीन महीने की कैद हुई थी।

साइंटिफिक अफसर को हथियार डालने में ही भलाई नजर आयी।

गवाह से सच उगलवा कर सफाई पक्ष ने बाजी का यह दौर भी जीत लिया।

तीसरा गवाह बुलाने की सरकारी वकील की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पहले दो गवाहों ने उसे कहीं का नहीं छोडा था। उस का मन कहता था। तीसरा भी कोई गुल खिलाएगा।

सरकारी वकील को उतना गुस्सा गवाहों पर नहीं आ रहा था, जितना नाजर सिंह पर आ रहा था। यदि निशान तब्दील करवाने ही थे तो खुद जा कर करवाता। पुलिस विभाग भी बड़ा निकम्मा है। जब रिश्वत लेनी होती है तो मगरमच्छ जितना मुँह फाड़ लेते हैं। कभी रिश्वत देनी पड़े तो माया पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाते हैं।

बचन सिंह अपनी लापरवाही पर भी बुड़बुड़ा रहा था। उस समय भी यह दस्तावेज मिसल के साथ लगे हुए थे। बचन सिंह ने गौर से परीक्षण किया होता तो यह गलती पकड़ी जानी थी। उसको सुरेन्द्र कुमार पर भी गुस्सा आया। ऐसी छोटी-मोटी गलतियां पकड़ना छोटे अफसर का काम था। यदि बड़े अफसरों को अक्षर-अक्षर ही पढ़ना पढे तो छोटे अफसर का क्या फायदा? किन्तु वह सुरेन्द्र कुमार के खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं कर सकता था। वही गलती उससे भी हई थी।

तीसरे गवाह को कटघरे में खड़ा करने से पहले बचन सिंह एक बार फिर कागजों की जांच पड़ताल करना चाहता था।

कपूर सिंह हस्तलिपि परखने का माहिर था। वह फौरेंसिक साइंस लेबोटरी चंडीगढ़ से आया था।

उसकी गवाही भी ध्यानचन्द से मिलती जुलती थी। उसको लेबोटरी में एक पार्सल बीस अक्तूबर को मिला था, जो देवराज थानेदार द्वारा सरब-मोहर किया गया था।यह पार्सल चिरंजी लाल सिपाही ने जमा करवाया था। इसमें वे चिट्ठियां थीं, जो दोषियों ने समय-समय पर बंटी के वारिसों को फिरौती वसूल करने के लिए लिखी थीं।

दूसरा पार्सल उसको पांच नवम्बर को मिला था। यह पार्सल चिरंजी लाल लाया था। इसमें पाले दोषी की लिखतें थी, जो नमूने के तौर पर मैजिस्ट्रेट के सामने ली गई थीं। यह पार्सल नाजर सिंह की ओर से तैयार किया गया था।

ध्यानचन्द की तरह कपूर सिंह भी सारे वैज्ञानिक ढंग तरीके अपना कर इस परिणाम पर पहुंचा था कि फिरौती वसूलने के लिये लिखी सारी चिट्ठियां पाले दोषी ने लिखी थीं। दोनो की लिखाई में भर भी अंतर नहीं था। इस तरह पाला बंटी का अपहरण करने और फिरौती वसूल करने के लिये धमकी देने के दोष का भागीदार था।

'क्यों वकील साहिब यहां क्या बदला गया?'' तनाव भरे माहौल को सुखद बनाने के लिए जज ने व्यंग्य किया। चारों तरफ हंसी का फव्वारा फूट गया।

'आगे-आगे देखिए होता है क्या? ''हंसी का प्यारे लाल पर काई असर नहीं हुआ था। उसके हौंसले पहले की तरह बुलंद थे।

''फिर इस का रिकार्ड भी देखें?''

''नहीं जनाब! इस की जरूरत नहीं पडेगी।''

'क्यों?'

''पार्सल बदलने के लिए किसी अनजान सिपाही को चंडीगढ़ नहीं भेजा गया था। तफतीशी अफसर खुद गया था। असली चिट्ठियां ले ली गई थीं और पाले से लिखवायी चिट्ठियां रख दी गई थीं। यह काम अफसरों की सहमति से हुआ था। इसलिए ऐसी गलती की कोई संभावना नहीं।'' माहिर की आंखों में आंखे डालकर प्यारे लाल ने रिकार्ड के ठीक होने का कारण समझाया।

''ठीक है, ज़िरह शुरू करो।''

कपूर सिंह अपने काम में कितना माहिर है, यह साबित करने के लिए प्यारे लाल ने एक-एक करके ऐसे अठारह केस गिनवाये, जो पिछले चार सालों में, इस सब-डिवीजन के थानों ने,उसके पास सलाह के लिए भेजे थे। किसी में रजिस्टरी पर हुए हस्ताक्षरों की पहचान करनी थी और किसी में चैक पर हुए हस्ताक्षरों की। किसी केस में चिट्ठी के लेखक की पहचान की जानी थी और किसी में कैश बुक के लेखक की। ये लिखतें पाले जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं थीं, जिस को लिखने का मौका साल में एकाध बार ही मिलता हो। ये लिखतें ऐसे व्यक्तियों की थीं, जिन के लिखने के ढंग स्थापित हो चुके थे और जिन की लिखतों के हजारों नमूने मौजूद थे।

'दो केसों को छोड़कर बाकी में पता है क्या राय आती रही? नमूने वाली लिखतें अस्पष्ट हैं। ऐसी और लिखतें भेजी जाएं, जिन को दोषी अपनी भी माने और जो परखे जाने वाले दस्तावेज के आसपास के समय लिखी गई हों। उद्देश्य स्पष्ट होता था। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। राय न दी जाने के कारण बहुत से केस रफा-दफा हो गए या कमजोर पड़ गए।'

'क्या यह ठीक है कि आप इन केसों में कोई राय नहीं दे सके थे?''प्यारे लाल ने एक-एक केस का ब्यौरा दे कर पूछा।

कपूर सिंह की टांगे उस समय से ही कांप रही थीं, जब से प्यारे लाल ने कहा था कि चिट्ठियां माहिर की सहमति से बदली गयी थीं। इस नये बम ने उसके छक्के छुड़ा दिए।

कोई अऔर चारा न देख कर कपूर सिंह ने हां में सिर हिला दिया।

''सब लिखतें दरूस्त होती हैं। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर प्राइवेट माहिर बड़ी स्पष्ट राय देते हैं। उन की राय को अदालतें मान्यता भी देती हैं। आप स्पष्ट राय इस लिए नहीं देते, क्योंकि आप को काम नहीं आता या आपकी नीयत साफ नहीं होती।''

गवाह राह-सहा संतुलन भी गवां बैठे, इसलिए प्यारे लाल ने उसकी ईमानदारी पर सीधा हमला किया था। बाकी के केसों में माहिर ने क्या रिपोर्ट दी और क्यों दी, प्यारे लाल इस बारे में भी बता सकता था किन्तु अभी समय उचित नहीं था।

कपूर सिंह जब पूरी तरह होशोहवास गवा बैठा तब प्यारे लाल असली मुद्दे पर आया।

''बंटी के कत्ल तक लाला जी को धमकी भरे चार पत्र मिल चुके थे। यह चारों पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए थे। इन चिट्ठियों ने दोषियों की शिनाख्त में अहम भूमिका निभानी थी। इसलिए इन को हस्त लिपि विशेषज्ञों के पास भेजा गया था। दोनों दोषियों में से अकेला पाला ही पंजाबी जानता था। तफतीश के दौरान उस की लिखित का नमूना भी हासिल किया गया था।''

इन चारों चिट्ठियों और हस्त लिखतों के नमूनों के आधार पर कपूर सिंह ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी।

ध्यानचन्द की तरह जब कपूर सिंह ने अपनी रिपोर्ट को गौर से देखा तो पाया कि रिपोर्ट के साथ चिट्ठियां चार की बजाय आठ कैसे बन गईं? यह तो उसको समझ आ गया किन्तु असली चिट्ठियां रिपोर्ट के साथ कैसे लगी रह गयी? यह समझ नहीं आया।

नियमों के अनुसार, दफ्तर में प्राप्त हुए हर दस्तावेज पर रसीद नम्बर और मुकद्दमे का अनुवान लिखा जाता है। फिर विभाग की मोहर लगती है और अफसर के हस्ताक्षर होते हैं।

इन नियमों का पालन असली चिट्ठियोंा पर भी हुआ था और नकली चिट्ठियों पर भी। नई चिट्ठियों ने पुरानी की जगह लेनी थी, इसलिए नई चिट्ठियों पर पुरानी चिट्ठियों वाले नम्बर ही लगाए गए थे। जहां तक कपूर सिंह को याद था, पुरानी चिट्ठियां रफा-दफा कर दी गई थीं। फिर भी, क्योंकि दोनों सैटों पर उसके हस्ताक्षर थे, इसलिए इन के अस्तित्व को नकारा भी नहीं जा सकता था। हर चिट्ठी पर पन्ना नम्बर लगा हुआ था। रिपोर्ट में जितने दस्तावेज साथ लगे होने लिखे थे, उनकी गिनती तभी पूरी होनी थी यदि आठों चिट्ठियां साथ लगी हों।

हेराफेरी पकड़ी जा चुकी थी। फैसला लिखते समय जज ने इस हेराफेरी का नोटिस लेना था, किन्तु कपूर सिंह ध्यानचन्द की तरह मिमियाने वाला अफसर नहीं था। ध्यानचन्द के साथ खुद धोखा हुआ था। यहां सारी कार्यवाही कपूर सिंह के हाथों हुई थी। वह गलती मान गया तो, नौकरी तो जाएगी ही, केस भी बनेगा।

कपूर सिंह को साफ मुकर जाने में बेहतरी लगी। उसने नई चिट्ठियों को ही असली माना। पुरानी चिट्ठियों पर उसके हस्ताक्षर जाली थे या धोखे से करवाए गए थे। उसने स्पष्टीकरण दिया।

माहिर के द्वारा अपने ही हस्ताक्षर मुकर जाने पर जज को गुस्सा आया। यह अदालत की तौहीन थी।

'यदि तुम अपने हस्ताक्षर ही नहीं पहचान सकते तो तुम्हें हस्तलिपि विशेषज्ञ किसने बना दिया? यह हस्ताक्षर तुम्हारे हैं या नहीं? हां या न में जवाब दो।' क्रोधित जज ने चिट्ठियां कपूर सिंह के आगे फेंकते हुए कहा।

छो-चार बार आंखों से ऐनक उतारने-पहनने और सात-आठ बार लैन्सों से हस्ताक्षर को जांचने का नाटक करके, कपूर सिंह ने हस्ताक्षर अपने होने मान लिए। जज और चिढ़ गया।

'अब यह भी बता दो कि हस्ताक्षर तुम ने जानबूझ कर किए हैं या किसी ने धोखे से करवाए हैं?' जज किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था।

कपूर सिंह की हालत उस सांप जैसी थी, जिसके मुंह में छछूंदर फंस गया था। यदि कपूर सिंह कहे हस्ताक्षर उसके हैं तो यह जुर्म का इकबाल होगा। यदि कहे किसी ने धोखे से करवाए हैं तो सिद्ध होगा कि वह एक नम्बर का लापरवाह है। मुजरिम बनने की बजाय उस को लापरवाह बनना उचित लगा।

'गवाह हद दर्जे का बेईमान है। कदम-कदम पर झूठ बोलता है। इसलिए इसकी गवाही काबिले-एतबार नहीं।' कपूर सिंह की हेरा-फेरी से चिढ़े जज ने उसके विरुद्ध स्टरिक्चर पास कर दिए।

जज के इन स्टरिक्चरों के साथ ही माहिर गवाहों की लिस्ट समाप्त हो गई।

इन गवाहों के ब्यानों के लिए लंच तक का समय निश्चित किया गया था। प्यारे लाल ने, कानूनी दाव-पेचों की बजाय, तथ्यों के आधार पर उनकी गवाही तहस-नहस कर दी। इसलिए यह काम बारह बजे तक निबट गया।

गैर सरकारी गवाहों से जिरह मोहन जी ने करनी थी। कपूर सिंह की गवाही खत्म होने से पहले ही वह कोर्ट रूम में दाखिल हो गया। केस सफाई पक्ष के हक में जा रहा था। जितने गवाह भुगत जाएं उतना ही फायदा था।

बचन सिंह और गवाह भुगताने के लिए तैयार नहीं था। बाकी के गवाह दोपहर के बाद लिखे जाएं। अभी न गवाह तैयार हैं, न वह स्वयं।

नाथ साहिब भी यही चाहते थे। सफाई पक्ष ने केस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। सरकारी वकील को बिगड़ी स्थिति को संभालने के लिए कुछ समय मिलना ही चाहिए था।

'बाकी गवाह लंच के बाद।' का हुक्म सुना कर जज ने कुर्सी छोड़ दी।

15

विशेषज्ञों की गवाही ने सरकारी पक्ष से जुड़े हर व्यक्ति को परेशान कर रखा था।

इस केस में एक भी ऐसा गवाह नहीं था जो छाती तान कर कह सके कि उसने बंटी को कत्ल होते देखा था। सारा केस परिस्थितियों पर आधारित गवाही पर निर्भर था। पुलिस ने ऐसी परिस्थितियों का होना सिद्ध किया था जिन से यह साबित होता था कि दोषियों के सिवा कोई दूसरा बंटी को कत्ल कर ही नहीं सकता। इन हालातों की किसी न किसी कड़ी को साबित करने के लिए, पुलिस ने विशेषज्ञों का सहारा लिया था। विशेषज्ञों की गवाही ने फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाया था।

सब से ज्यादा फिक्र नाजर सिंह को था। सब से पहले गाज उसी पर गिरनी थी। मार भी दोहरी पड़नी थी।

पहले इसलिए कि आज वह केस की पैरवी के लिए आया था। पैरवी अफसर होने के नाते उसका कर्त्तव्य था कि हर गवाह सरकार के पक्ष में भुगताये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको सरकार की ओर से पूरी छूट थी। प्राइवेट गवाहों से वह मारपीट कर सकता था। गवाह सरकारी कर्मचारी हो तो उनके विभाग को कार्यवाही के लिए लिख सकता था। कोई गवाह उसकी पहुंच से बाहर हो तो उच्चाधिकारियों को बताए। फिर वह गवाह को स्वयं सीधे रास्ते पर लाएंगे।

वैसे यह कर्त्तव्य निभाने में नाजर सिंह ने कोई कोताही नहीं की थी। सब गवाह शिक्षित और सरकारी अफसर थे। नाजर उनको क्या समझा सकता था? उनकी टहल-सेवा कर सकता था। टहल-सेवा में उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। किसी ने चाय मांगी तो उसने दूध मंगवाया। किसी ने पानी मांगा तो उसने जूस पिलाया।

इस दोष से तो शायद वह मुक्त हो जाए किन्तु रिकार्ड में हुई हेराफेरी ने उसकी जड़ों को खोखला कर देना था। किसी ने नहीं मानना था कि यह हेराफेरी उसने अफसरों के आदेश देश पर की थी। इस कोताही का सारा उत्तरदायित्व नाजर सिंह पर डाल दिया जाना था।

वह कई बार सरकारी वकील के पैर पकड़ चुका था। व्हिस्की की पेटी भेजने का वायदा कर चुका था। नाजर सिंह की पगड़ी बचन सिंह के हाथ में थी, बचा ले चाहे उछाल दे। सरकारी वकील यदि ज्यादा मदद नहीं कर सकता तो यह वायदा तो करे कि वह इस कोताही के बारे में कप्तान को चिट्ठी नहीं लिखेगा।

ध्यानचंद और कपूर सिंह का हाल उससे भी बुरा था। मुअत्तल होना, पड़ताल करवानी और फिर बहाल हो जाना पुलिस अफसरों के लिए मामूली बात थी। विशेषज्ञों के विभाग में ऐसा नहीं चलता। मामूली सी शिकायत पर ही भारी नुकसान हो जाता था। आगे से अहम् दस्तावेज परीक्षण के लिए नहीं दिए जाते। आमदनी का साधन बंद हो जाता है।

विशेषज्ञों का भी कोई कसूर नहीं। यह रद्दो बदल उन्होंने सरकार के फायदे के लिए की थी, न कि किसी लालचवश। सरकारी वकील किसी न किसी तरह मौका संभाले। जज से बात करे, दोषियों को सजा करवाए। यदि दोषियों को सजा हो जाए तो सब के पाप धुल जाएगें। यदि यह सम्भव नही ंतो दूसरे पक्ष के वकील से सम्पर्क किया जाये। वे चाहे दोषी बरी करवा लें, किन्तु विशेषज्ञों की गलती न उछालें। इस मेहरबानी के लिए यदि खर्च भी करना पड़े तो बचन सिंह बेझिझक बताये। वे दिल खोल कर खर्च करने के लिए तैयार थे।

विशेषज्ञ गिरें अंधे कुएं में। बचन सिंह की अपनी जान कडिकी में फंसी हुई थी। सब से पहले खिंचाई उसी की होनी थी। विशेषज्ञों और तफ्तीशी अफसरों के साथ-साथ बचन सिंह को भंडारी वकील और युवा संघ पर भी गुस्सा आ रहा था। भंडारी अजीब व्यक्ति था। सारी कार्यवाही के दौरान एक बार भी अदालत में पैर नहीं रखा। उसका कर्त्तव्य था,वह अन्दर आ कर गवाहों का हाल चाल पूछता। वह भंडारी को समझा देता। जज गवाहों को धमकी पर धमकी दे रहा है। धमकी को न झेलते गवाह सच उगल देते हैं। बचन सिंह के संकेत पर संघ ने यदि एक नारा भी लगाया होता तो जज ने डर जाना था और केस का रुख सरकार की ओर हो जाना था।

अभी भी बात संभाली जा सकती थी। विशेषज्ञ आखिर विशेषज्ञ ही होता है। उसने केवल राय ही दी थी। जरूरी नहीं राय हमेशा सही हो। यदि चश्मदीद गवाहों की गवाही मजबूत हो तो जज को विशेषज्ञों की अपेक्षा उनकी गवाही को महत्व देना पडना है। अब उसका बचाव इसी में था कि चश्मदीद गवाहों को अच्छी तरह भुगता लिया जाए।

विशेषज्ञों को टरका कर बचन सिंह भंडारी के चैम्बर की ओर चल दिया।

सुबह बचन सिंह का विचार था कि सरकारी गवाह वह भुगता देगा और प्राइवेट गवाह भंडारी पर छोड़ देगा। सुबह के अनुभव ने उसका यह विचार बदल दिया। नई योजना के अन्तर्गत उेसने गवाह भी स्वयं भुगताने थे और उनको गवाही भी स्वयं समझानी थी। इसलिए उसने बारह बजे कचहरी बरखास्त करवा ली थी। उसके पास दो घंटे का समय था। भोजन का ख्याल छोड़कर वह गवाहों से माथापच्ची करना चाहता था।

भंडारी के कैबिन में पूरी गहमा-गहमी थी। लाला जी से लेकर संघ के प्रधान और सचिव तक सब उपस्थित थे। प्राइवेट गवाहों के साथ-साथ पुलिस मुलाजिमों का भी तांता लगा हुआ था। भंडारी के सारे जूनियर वकील गवाहों से दो चार हो रहे थे।

अब केवल ज़िरह दोहरायी जा रही थी। ब्यान तो उनको कल ही तोते की तरह रटा दिए गए थे।

गवाही समझाने और पक्का करने का भंडारी का अपना ही ढंग था। वह अपनी लम्बी चौड़ी कोठी में उसी तरह का सैट तैयार कर लिया करता था, जिस तरह की कहानी पुलिस ने रची होती थी। वही मौसम, वही समय और वैसा ही माहौल। गवाहों और नकली दोषियों को उसी जगह खड़ा किया जाता, जहां पुलिस ने अपने नक्शे में खड़े दिखाया होता। कत्ल या लड़ाई झगड़े का मुकद्दमा होता तो नकली दोषियों के हाथों में उसी तरह हथियार पकड़ाए जाते, जैसे पुलिस ने असली दोषियों के हाथों में पकड़ाए होते। फिर कहानी के अनुसार घायलों को चोटें मारने का नाटक खेला जाता। किस ने किस को कौन सी चुनौती दी, किस ने किस को कहाँ चोट मारी? कौन किधर भागा? किस ने किस को संभाला? सारी कहानी दोहराई जाती। जब पुलिस द्वारा रची गई कहानी को वास्तविकता में बदल दिया जाता तो विरोधी पक्ष के वकील को जिरह करते समय, ब्यानों में अन्तर डालने का अवसर ही न मिलता। इसी विशेषता के कारण भंडारी अकसर मुद्दई पक्ष का वकील बनता था और उस द्वारा लड़े अधिकतर केसों में सजा होती थीं।

इस केस की कहानी चाहे अजीबो गरीब थी, फिर भी भंडारी ने सैट तैयार करवा कर ही गवाही समझायी थी।

गवाह अपना अपनी भूमिका कल ही समझ गए थे। आज महज रिर्हसल हो रही थी। गवाह को पहले पुलिस द्वारा लिखा गया ब्यान पढ़कर सुनाया जाता। फिर हर लाईन का मतलब समझाया जाता। फिर भंडारी गवाह से ब्यान सुनता। जहां वह अटकता, वहां उसको पक्का करवाया जाता।

जब गवाह अपना ब्यान रट लेता तो उसको वे सवाल समझाए जाते जो दूसरे वकील ने पूछने थे। सवालों के उत्तर समझाए जाते। अन्त में एक मंत्र पढ़ाया जाता। यदि सवाल का उत्तर न सूझे तो कह देना, 'याद नहीं।'

जब भंडारी की तसल्ली हो जाती तो गवाह जूनियर के हवाले कर देता। फिर वही कार्यवाही वह दोहराता।

युद्ध स्तर पर हो रही तैयारी को देखकर बचन सिंह को राहत महसूस हुई। यदि ये गवाह अच्छी तरह भुगत जाएं तो भी बचाव हो जाएगा

बचन सिंह के कहने पर एक-एक करके हर गवाह उसके आगे पेश किया गया। गवाह कसौटी पर खरे उतरे। बचन सिंह ने सौ-सौ सवाल पूछे, कोई एक पर भी न अटका।

गवाहों पर संदेह करना बचन सिंह का केवल भ्रम ही था। दूध के जले की तरह वह छाछ को भी फूँक मार कर पी रहा था।

गवाहों की ओर से निश्चिंत हो कर बचन सिंह ने भंडारी से दूसरे मसले पर विचार किया। नारेबाजी न करके संघ ने पहले ही बहुत नुकसान करवा लिया था। यह गलती न दोहरायी जाए।

'पहले तो वैसे ही चूक गये। आप परवाह न करो। अदालत के बैठते ही पूरे जोर-शोर से नारेबाजी होगी।'

भंडारी यह विश्वास प्राप्त करके बचन सिंह अदालत में जा बैठा। जितने गवाह अधिक भुगत जाएँ, उतना ही फायदा था।

यही उद्देश्य मोहन जी का भी था। उसको समिति द्वारा रिपोर्ट मिली थी। आज भुगतने वाले सारे गवाह अपने ब्यानों से मुकरने वाले थे। जितने गवाह भुगत जाएं भविष्य में उतनी आसानी रहेगी। दोनों पक्षों के वकीलों को उपस्थित देख कर जज साहिब भी कुर्सी पर आ बैठे।

कार्यवाही शुरू होते ही मोहन जी ने कई एतराज उठाए। पहला यह कि गवाहों को डराया-धमकाया जा रहा था। वे कल से पुलिस हिरासत में थे। अब भी वे सरकारी वकील के दफ्तर में बैठे थे। कई वकील उनको ब्यान रटवाने में जुटे हुए थे। गवाहों को ब्यान समझाने का क्या मतलब? उन्होंने जो देखा है, स्वयं बता देंगे।

दूसरा यह कि 'कुछ गवाहों को नशा पिला दिया गया था। वह सोच समझ कर गवाही देने के योग्य नही रहे। वे उसी तरह बोलेंगे, जैसे पुलिस ने रटाया है। अच्छा हो यदि सुनवाई टाल दी जाए।'

मोहन जी के इस तर्क पर बचन सिंह, भंडारी और जज, तीनों तिलमिला गए।

'यह नहीं हो सकता। न सरकारी वकील इतने गवाह फिर से तामील करवा सकता था और न जज बाकी बचते समय के लिए हाथ पर हाथ रख कर बैठ सकता था। गवाह तो लिखे ही जायेंगे। कोई आऐर सुझाव हो तो अदालत विचार कर सकती है।'

अदालत के गवाह भुगताने पर अडिग होने से बचन सिंह बहुत खुश था। सफाई पक्ष द्वारा तारीख मांगने का मतलब था कि वह मैदान छोड़कर भाग रहा था। गवाह भुगताने का बचन सिंह के लिए यही उचित समय था। 'यदि तारीख नहीं दी जा सकती, न सही। अदालत यह तसल्ली तो कर ले कि गवाह हृष्ट-पुष्ट है। वे किसी के डर या दबाव में तो नहीं।'

इस में किसी को क्या एतराज था। यह तो जज का कर्त्तव्य था।

सारे गवाहों को अदालत में पेश किया गया।

जज ने एक-एक गवाह से पूछा। न कोई बीमार था, न किसी को किसी का डर था।

लगते हाथ जज ने एक और कर्त्तव्य भी निभाया। गवाहों को प्यार से समझाया गया। वे बिना किसी डर के सच बोलें।

सफाई पक्ष के आपत्ति करने पर गवाहों को सरकारी वकील के दफतर या भंडारी के चैम्बर में जाने से रोक दिया गया। उन को अदालत के बाहर रखे बैंचों पर भी न बैठने दिया गया। वे महत्वपूर्ण केस के अहम् गवाह थे। कोई भी पक्ष उन का नुकसान कर सकता था।

गवाहों को अहलमद के कमरे में बिठाया गया। जितनी देर सारे गवाह भुगत नहीं जाते, उतनी देर न उनको कमरे में से बाहर आने दिया जाए और न ही किसी से मिलने दिया जाए।

सफाई पक्ष के सारे एतराज दूर करके अगली कार्यवाही शुरू हुई।

अर्दली के पहले गवाह को आवाज लगाते ही आसमान नारों से गूंज उठा।

''बंटी के कातिलों को फांसी लगाओ...।''

चारों तरफ भगदड़ मच गयी। शोर-शराबा होने लगा।

''निर्दोषों को रिहा करो...।''

''असली कातिलों को गिरफ्तार करो।''

''पाले मीते को इन्साफ दो।''

एक के मुकाबले कई-कई नारे, पहले से भी ज्यादा जोश से गूंजने लगे।

दोनों पक्षों के बीच टक्कर न हो जाए, इसलिए पुलिस हरकत में आ गई। कुछ को समझा कर और कुछ को डरा कर भगा दिया गया।

अदालत की कार्यवाही आधा घंटा रुकी रही। बचन सिंह को अपनी योजना के असफल होने पर पछातावा था। लगता था, समिति पहले ही तैयार हो कर आयी थी। संघ के वर्करों की गिनती तो उनके मुकाबले आटे में नमक जितनी भी नहीं थी। संघ वाले दो चार नारों के बाद ही ठंडे पड़ गए। समिति वालों के नारे आखिर तक सुनाई देते रहे। बचन सिंह को फिक्र हो गया। इसका जज पर कहीं उल्टा असर ही न पड जाए।

इस बेहूदगी से अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ था। साथ ही तौहीन हुई थी।

दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने अपने जुर्म का इकबाल किया। मासूमों की तरह इस असुखद घटना के लिए माफी मांगी। जज माफी देने के लिए तैयार था, किन्तु एक शर्त पर। वकील उपस्थित गवाहों को भुगता कर जाएं,चाहे रात के बारह बज जाएं।

दोनों पक्षों ने सिर झुकाकर सजा मंजूर की।

बहुत सुखद माहौल में गवाहियां फिर शुरू हुईं।

16

पहला नम्बर मोदन का था।

पुलिस ब्यान के अनुसार वह एक साल से बंटी के स्कूल के सामने ठेला लगाता था। गजक रेवड़ियां बेचता था। लाला जी और उसके पोते को अच्छी तरह जानता था। लाल जी हर रोज बंटी को स्कूल छोड़कर जाते और फिर लेकर आते थे। वह पाले मीते को भी जानता था। अपहरण वाले दिन वे संदेहजनक हालत में स्कूल के आगे घूम रहे थे। उन्होंने मोदन से मूंगफली खरीदी थी। ठेले के पास खड़े होकर इधर-उधर देखा था। आधी छुट्टी के समय फिर आए थे। उनके साथ बंटी भी था। एक ने बंटी का बैग उठाया हुआ था और दूसरे ने रोटी वाला डिब्बा। उन्होंने बंटी को टॉफियां और बिस्किट खरीद कर दिए थे। 'बंटी को किधर लेकर घूमते हो?" मोदन ने उनसे पूछा। संतोषजनक उत्तर दिए बिना ही वे एक रिक्शा में बैठ कर वहां से चले गए थे।

कल से मोदन को यही ब्यान रटाया जा रहा था। भंडारी को पता था, उसको ब्यान समझा कर वह अपना समय बर्बाद कर रहा था।गवाही देना मोदन के लिए कोई नई बात नहीं थी। यह उसका कारोबार था। उसको अच्छी तरह पता था, उसने क्या कहना है? और क्या नहीं।

गवाही वाला धंधा शुरू करने से पहले वह मुखबिरी करता था।

मुखबिरी करने से पहले वह एक साधारण किसान था। भले दिनों में उसका बाप एक कत्ल कर बैठा था। केस की पैरवी के लिए मोदन को थाने आना जाना पड़ता था। जो चार पैसे जेब में थे, वे वकीलों, मुंशियों ने हड़प लिए। पुलिस की रियायत का मूल्य चुकाने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी।

थानेदारों को खुश करने का उसके पास एक ही राह था।

वह मुखबिरी करने लगा।

थानेदार भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगा। उस द्वारा पकड़ाए गए दोषी से मिलने वाली फीस में से हिस्सा देने लगे। फीस से मोदन के दिन अच्छे गुजरने लगे।

फिर कानून बदला। अदालतें पुलिस पर दबाव डालने लगी। छापे के समय पुलिस पार्टी में किसी मोहतबर को शामिल किया करो।

पुलिस ने उसको मोहतबर बना दिया।

मोदन पहले ही धंधा बदलने के लिए उतावला था। मुखबिर के रूप में वह सारे इलाके में बदनाम हो चुका था। जब भी कोई पकड़ा जाता, संदेह मोदन पर ही करता।

लगातार दो बार उसको मार पड़ चुकी थी।

एक बार उसने नम्बरदारों की भट्ठी पकड़वायी थी। सोचा था असामी अच्छी है। पुलिस को मुंह मांगा पैसा मिलेगा और उस को भी। वे अपने समधी की सिफारिश ले आए। समधी डिप्टी था। पर्चा कट चुका था। डिप्टी केस तो रफा-दफा न करवा सका किन्तु तफ्तीशी अफसर से मुखबिर का नाम पूछ लिया। नम्बरदार लाठियां लेकर आ गए। मोदन ने भरी पंचायत में अपनी गलती मानी, नाक से लकीरें खींची और नम्बरदारों को बरी करवाने के सारे खर्चे की जिम्मेवारी ली, तब कहीं जा कर पीछा छूटा।

दूसरी बार चौधरी के घर से नाजायज बंदूकें पकड़ी गयीं। उनको भी मोदन पर शक हो गया। बिना कुछ कहे सुने, वे रात को मोदन पर लाठियां बरसा गए। पूरा एक महीना वह अस्पताल में सहकता रहा। 'क्या लेना है इस कुत्ते काम से? मक्खन पुलिस खा जाती है छाछ हमारे लिए छोड़ जाती है।'' पत्नी की सलाह पर मोदन ने सौगंध खा ली। आगे से वह मुखबिरी का काम नहीं करेगा।

पर जब खाने के लाले पड़ने लगे तो पत्नी ने स्वयं उसको थाने भेज दिया।

गवाह बन कर वह खुश था। जिस मुजरिम पर उसकी गवाही होती, उसकी आंख झुकने लगती। आंखे दिखाने की बजाय वह मोदन की चापलूसी करता। मोदन की सेवा करता और मिन्नत भी।

इस धंधे में कमाई भी ज्यादा थी। आठ दस दिन बाद कोई न कोई गवाही आई ही रहती। बरी होने के लिए मुलजिम को उसकी जेब भरनी पड़ती।

इस धंधे में उसकी एक ही बार पिटाई हुई थी। बलात्कार के एक केस में वह मुजरिम के पक्ष में बैठ गया था। लड़की वालों ने मुंह काला करके उस का सारे शहर में जलूस निकाला था। पुलिस ने अलग से जूता परेड की। उस मार से उसने सबक सीखा। आगे से वह ऐसे केस में गवाही नहीं देगा, जहां दोनों पक्षों में कांटे की टक्कर हो। वह छोटे मोटे केसों में गवाही देने लगा। वह भी ऐसे, जहां एक ओ सरकार हो और दूसरी ओर दोषी।

बंटी कत्ल में गवाही उससे बिना पूछे रखी गयी थी। यह कत्ल केस था। कत्ल के दोष में दोषियों को फांसी भी हो सकती थी। मोदन झूठी गवाही जरूर देता था, किन्तु छोटे-मोटे केसों में। शराब, अफीम या चोरी जैसे मुकद्दमों में दोषी अक्सर बरी हो जाते थे। कभी कैद हो भी तो साल छः महीने। इतनी सी सजा का मोदन उनको हकदार समझता था।

थोड़ा बहुत ईमान मोदन में अभी बाकी था। वह झूठ बोल कर निर्दोषों को फांसी नहीं लगवा सकता।

सम्मन मिलते ही मोदन ने मन बना लिया था। वह झूठी गवाही नहीं देगा।

उसको बस किसी पेशकश की प्रतीक्षा थी।

पेशकश जब मोहन जी की ओर से आई तो वह फूल कर कुप्पा हो गया। मोदन मोहन जी का प्रशंसक था। मोदन को अधिकतर कमाई उसी के द्वारा होती थी। यदि मोहन जी यह केस मुफत लड़ रहा था तो मोदन भी कोई आशा नहीं रखेगा। उसने मोहन जी को यकीन दिलाया था।

मोदन ने अपना वचन निभाया भी।

गवाही होने तक उसने किसी को भनक नहीं पड़ने दी, उसके मन में क्या था?

मोदन को सच बोलने की सौगंध औपचारिक रूप से दी गई थी।

वह सचमुच सच बोलने लगा।

'वह जाटों का पुत्र है। वह ठेला क्यों लगाएगा? वह अनपढ़ है। उसको क्या पता, किलो का बाट कैसा होता है और सौ ग्राम का कौन सा?''

'वह पाले मीते को बहुत पहले से जानता था। पहले उन के विरुद्ध कई बार गवाही दे चुका था। बंटी के अपहरण वाले दिन न उस ने कहीं कोई ठेला लगाया था, न पाले मीते को किसी स्कूल के आगे देखा था। न मोदन से पुलिस ने कोई पूछताछ की थी, न उसका कोई ब्यान लिखा था। उसका ब्यान एक मनघड़ंत कहानी थी, जो पुलिस ने स्वयं रची थी।''

मोदन को कौन सा सांप सूंघ गया? इसकी न भंडारी को समझ आयी, न बचन सिंह को।

'यह भाड़े का टट्टू था। इसकी सेवा टहल नहीं की थी?'' हैरान हुए सरकारी वकील ने भंडारी से पूछा।

भंडारी ने इन्कार में सिर हिलाया तो बचन सिंह ने माथे पर हाथ मारा।

'फिर उसका दिमाग खराब हुआ था जो झूठी गवाही देकर वह नर्क का भागीदार बनता।''

यह पेशेवर गवाह था। ऐसे गवाह का कोई भरोसा नहीं होता। दिल करे गवाही दे, न दिल करे न दे। बचन सिंह को मोदन के बारे में पता तो था, किन्तु वह मुकर जाएगा, इसकी संभावना नहीं थी। एक ओर भंडारी वकील था, जो ऐसे गवाहों की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। दूसरी ओर पाले जैसे कंगाल दोषी थे जो गवाह को चाय का कप तक नहीं पिला सकते। खरीदना तो दूर रहा। यही सोचकर बचन सिंह उदासीन रहा था।

इस उदासीनता का नतीजा सामने था। अगला गवाह भी मोदन के भाईचारे में से था। वह था बाबू बदमाश।

तफ्तीश के दौरान लिखे ब्यान के अनुसार वह बाज़ीगर था।रिक्शा चलाता था। अपहरण वाले दिन उसको कोई सवारी नहीं मिली थी। इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगा-लगाकर थक चुका था। कुछ देर सुस्ताने के लिए वह मोदन के ठेले के पास आ खड़ा हुआ था। इतने में वहां पाला मीता

पहुंच गए। उनके साथ बंटी भी था। वह तीनों को जानता था। पाले के कहने पर उनको गांधी बस्ती छोड आया था। उसको मजदूरी में दो की बजाय चार रूपये मिले थे। अगले दिन अपनी एक रिश्तेदारी में वह राजस्थान चला गया। दो महीने बाद वापिस आया तो पता लगा, बंटी का कत्ल हो गया।

बाबू खूँखार व्यक्ति था और गवाही भी खतरनाक किस्म की देता था। वह ऐसे केसों में ही गवाह बनता था, जिनकी समायत सैशन जज ने करनी होती थी। बचन सिंह को बाबू पर भरोसा था। न वह डरने वाला था, न बिकने वाला। पुलिस उसको महत्वपूर्ण केसों में प्रयोग करती थी। उसको मरे हुए केसों में जान डालने के लिए बुलाया जाता था। ऐसे केसों में, जहां उसकी गवाही का मूल्य लाखों रूपये पड़ना होता। उसकी गवाही किसी महत्वपूर्ण नुक्ते पर रखी जाती। नुक्ता इधर तो दोषी बरी, उधर तो सजा। मोदन की तरह न वह लालच में आता था न किसी रिश्तेदार या यार-दोस्त के दबाव में। वह केवल उसी थानेदार का कहना मानता, जिसने उसको गवाह रखा होता। गवाही मुकरने का मूल्य भी वही थानेदार तय करता। पैसे थानेदार पकड़ता। गवाही बाबू मुकरता। दोषी बरी भी हो जाता और थानेदार को आंच तक न आती। जेबें दोनों की भरतीं।

बंटी कत्ल केस में न कोई बाबू का मूल्य दे सकता था, न नाजर सिंह थानेदार उसको मुकरने का इशारा कर सकता था। फिर वह गवाही क्यों नहीं देगा ?

सरकारी वकील ने यह पूछकर गवाही शुरू की, वह कितने समय से रिक्शा चला रहा है?

रिक्शा चलाने वाली बात सुनते ही बाबू तैश में आ गया। वह सरकारी वकील को खाने को दौड़ा।

"चार ट्रकों के मालिक को रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है?" बाबू का उत्तर सुनते ही बचन सिंह के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी।

नाजर सिंह यह क्या गलती कर बैठा था? गवाह रखते समय उसकी अक्ल पर पर्दा क्यों पड़ गया था? उसने ब्यान लिखते समय गवाह की पृष्ठभूमि क्यों नहीं देखी?

रिक्शा बाबू नहीं, बाबू का बाप चलाता था। रिक्शा चलाने के लिए उसको नशा खाना पड़ता था। नशे के लिए पैसे न होते, वह थाने चला जाता। उसका भतीजा थाने का मुंशी था। नशे के बदले भतीजा उसको किसी न किसी केस में गवाह रख लेता। दोनों का काम चल जाता।

बापू मरा तो पारिवारिक जिम्मेवारियों का बोझ बाबू पर आ गया, किन्तु रिक्शा उससे एक दिन भी न चलाया। रिक्शा की बजाय उसने गवाहियों वाला धंधा पकड़ लिया। वह जवान था, दिलेर था। थानेदार जहां अड़ा देता, वह सांड की तरह अड़ जाता।

पुलिस का यह विश्वासपात्र दिनों में ही अमीर बन गया। एक-एक कर के चार गाड़ियाँ डाल ली। बंदूक खरीद ली। फिर अपनी पार्टी खड़ी कर ली। जमीनों, प्लाटों पर कब्जे करवाने के ठेके लेने लगा।

इलाके के कुख्यात बदमाश को रिक्शा वाला बनाकर पेश करने पर जज को भी हंसी आ गई।

बाबू की एक घुड़की ने भंडारी के भी कान खड़े कर दिए।

"यह भी गया।" कहते उसने आह भरी।

बाबू ने यह रूख यूं ही नहीं अपनाया था। उसको सीधे राह डालने के लिए मोहन जी ने 'जैसे को तैसा' का राह अपनाया था।

यह जिम्मेवारी क्रांतिकारी, फ्रंट के राजेन्द्र ने अपने सिर ली थी। उसको याद था। जवानी के दिनों में बाबू समां वाले नक्सलाइट नाज़म के विरुद्ध गवाही देने कचहरी आया था। समां वाले ने उसको कोर्ट रूम में ही ललकारा था,

"बाबू, सच सच बोलना। नहीं तो देख लेना। मेरे साथी तुम्हारी जुबान काट कर मेज पर रख देंगे।"

और घबराए बाबू की घिग्गी बंध गयी थी। उसी समां वाले को एक बार फिर बाबू के सामने लाया गया था। एक बार फिर उसका पायजामा गीला हो गया था।

"वकीलों के कान कुतरने वाले बाबू को क्या हो गया?" भंडारी कयास लगाता ही रह गया

बाबू सारा ब्यान मुकर गया।

भंडारी घोर निराश में डूब गया। उसने हजारों केस लड़े थे। उसके साथ इतना बुरा कभी नहीं हुआ था। पुलिस ने केस बनाया था या जाब्ता पूरा किया था? मुद्दई पक्ष के वकील बेचैन हो रहे थे। सफाई पक्ष के वकील आराम से कुर्सियों पर बैठे थे। होना विपरीत चाहिए था।

बचन सिंह भी असमंजस में फंस गया। आधे घंटे में दो गवाह भुगत गए। बाकियों का भी यही अंजाम होना था। अदालत के खत्म होने में अभी डेढ़ घंटा बाकी था। वैसे भी वह सारे गवाह भुगताने का वचन दे चुका था। समय समाप्त होने का बहाना नहीं बनाया जा सकता था। गवाहों को बाहर से ही भगाना भी मुश्किल था। वे पहले ही काबू कर लिए गए थे।

गवाहों के बीमार होने का बहाना भी नहीं चल सकता था। अभी-अभी वे स्वस्थ होने की पुष्टि कर के गए थे।

वह बाकी गवाहों को टाले तो किस तरह? बचन सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था।

पाला मीता चोर उचक्के थे। उन से तो चोरी के केस की पैरवी नहीं होती थी। कत्ल केस तहस-नहस कैसे कर गए? प्यारे लाल के मुंह से मक्खी नहीं उठा करती थी, उसके अंदर अक्ल का फुव्वारा कैसे फूट पड़ा? मोहन जी का पहला कत्ल केस था। वह भी पालकी वाले की तरह छाती तान कर खड़ा था। गहरी चालें चल रहा था। ये इनकी अपनी अक्ल का कमाल नहीं हो सकता। जरूर इनके पीछे कोई और ताकत काम कर रही है। वह कौन सी बला है? किसी को कुछ पता नहीं लग रहा था।

मोहन जी अपनी चालाकी से चक्रव्यूह रच चुका था। अब किसी भी गवाह को उसमें से निकालना मुश्किल था। निराश होकर वह अगला गवाह भुगताने लगा।

स्कूल के चपरासी मुरली को पुलिस ने गवाह रखा हुआ था। पुलिस के अनुसार बंटी को पाले मीते के हवाले उसी ने किया था। आधी छुट्टी के समय वे स्कूल आए थे। पाले ने बताया था, लाला जी बीमार हैं। वह बंटी को लेने नहीं आ सके। बंटी का मामा घर आया बैठा है। उसको ननिहाल जाना है। वह बंटी को लेने आया है। बंटी को बुला दिया जाए। मुरली उनकी बातों में आ गया। उसने बंटी को क्लास से बुला कर उनके हवाले कर दिया।

उस गवाह से कैसे निपटा जाए? जब लीगल सैल के वकीलों में बहस हुई थी, तब प्यारे लाल ने तर्क दिया था, कानूनी दृष्टिकोण से उस गवाह का कोई महत्व नहीं। बंटी करीब बीस दिन गुम रहा था। बंटी की मौत के पन्द्रह दिन बाद तक भी पुलिस दोषियों की शिनाख्त नहीं कर सकी थी। इस सारे समय के दौरान मुरली स्कूल में हाजिर रहा था। दोषियों की गिरफ्तारी से पहले भी पुलिस ने इन से कई बार पूछताछ की थी। यदि इसी तरह घटित हुआ होता तो इस ने पहले ब्यान दे दिया होता। यह बाद में रची गई कहानी थी। अदालत इस को सच मानने वाली नही थीं।

किन्तु गुरमीत किसी तरह का भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। चाहे प्यारे लाल की पुष्टि के लिए सैल के पास पुलिस की अपनी लिखी रिपोर्ट और जिमनियां मौजूद थीं, किन्तु यह राजनीतिक केस था। ऐसे केसों में कई बार मामूली सी गवाही भी फांसी का कारण बन जाती थी।

सेवादार बाबा जी का उपासक था। इस स्कूल में उसको बाबा जी ने नौकरी दिलाई थी। उसकी बूढ़ी मां को बुढ़ापा पैंशन लगवाई थी। बाप को तपेदिक अस्पताल में दाखिल करवाया था। सच बोलने से रोकना गलत था। झूठ बोलने से तो बाबा जी उसे रोक ही सकते थे।

बाबा जी की अपील पर मुरली चक्की के दो पाटों में फंसा महसूस करने लगा। एक ओर पुलिस, मुख्य अध्यापक की धमकी और संघ वालों का डंडा। दूसरी ओर उसका अपना ईमान और बाबा जी की अपील।

सोच विचार कर बीच का रास्ता ढूंढा गया। बाकी ब्यान मुरली चाहे दे दे, बस पाले मीते को पहचानने से इंकार कर दे। इस तरह सांप भी मर जाना था लाठी भी बची रहनी थी।

सेवादार ने इसी तरह किया।

'अब उन व्यक्तियों को पहचानो, तुमने बंटी को जिनके हवाले किया था।" मुरली को अदालत में उपस्थित भीड़ में से दोषियों की शिनाख्त करने का हुक्म हुआ। मुरली ने दिमाग पर बहुत जोर डाला, किन्तु वह किसी की ओर अंगुली न कर सका।

सरकारी वकील के अनुरोध पर दोषियों को कटघरे में खडा किया गया। फिर उनकी ओर अंगुली कर के मुरली से पूछा गया–

''देखो, यही है न वे व्यक्ति?''

मुरली ने कुछ देर गंभीरता से सोचा। फिर इंकार में सिर हिला दिया। "ये वे व्यक्ति नहीं।"

सरकारी वकील के पूछने पर उसने स्पष्टीकरण दिया। पुलिस ने उसका ब्यान लिखा जरुर था। ब्यान में उसने पाले मीते का नाम भी दर्ज करवाया था। किन्तु ये नाम पते उसको पुलिस ने ही बताए थे।

सफाई पक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उसने स्थिति और स्पष्ट की। किसी पाले मीते को वह पहले से नहीं जानता था। गवाही लिखते समय पुलिस ने उसको दो व्यक्ति दिखाए थे। साथ ही कहा था, यही पाला मीता हैं। इनको अच्छी तरह देख लो। अदालत में शिनाख्त करनी पड़ेगी। वैसे ये व्यक्ति वे नहीं जो पुलिस ने उसको दिखाए थे।

हवा में लाठी चलाने वाले इस गवाह को सरकारी वकील घूरे या शाबाशी दे। इस ने पुलिस का पक्ष भी लिया था और सफाई पक्ष का भी। चलो शिनाख्त नहीं कर सका न सही। कम से कम यह तथ्य तो मिसल पर आया कि दो व्यक्तियों ने मुरली के द्वारा बंटी को स्कूल से बाहर बुलाया था। अभी बहुत से गवाह बाकी थे। मुलजिमों की शिनाख्त किसी ओर से करवा ली जायेगी।

साहसपूर्वक बचन सिंह ने अगला गवाह तलब किया। वह मीते की पड़ोसिन भागो थी।

भागो ने पुलिस के लिए यह सिद्ध करना था कि वह मीते की पड़ोसिन थीं। मीता भी अकेला रहता था और भागो भी। पाला मीता मित्र हैं। वे मिल कर चोरियां करते हैं। अपहरण करके बच्चे को पहले वे मीते के घर लाए थे। जब सख्ती बढ़ गयी तब भागो के घर ले आए। इस के बदले में उस को सौ रूपया भी मिला और धमकी भी। यदि बात बाहर निकली तो भागो की खैर नहीं। डरती भागो ने किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चे के लिए दूध, टॉफियां, बिस्किट और ब्रैड गफूर मियां की दुकान से आते रहे। कत्ल वाली रात वह बच्चे को वहां से ले गए। कहते थे उसके मां बाप के पास छोड़ कर आना है। उसको तो तीसरे दिन पता लगा कि बच्चा उन्होंने मार दिया है। दोनों खतरनाक मुजरिम हैं। कई बार कैद काट चुके हैं। छुरा मार देना उनके लिए मामूली बात थी। जितनी देर वे पुलिस के हाथ नहीं आए भागो ने यह राज अपने मन में ही छुपाए रखा। पकड़े गए तो फौरन पुलिस के पास ब्यान दर्ज करवा दिया। जो रॉड दोषियों से बरामद हुई, वह भागो की ही थी।

भागो का पूरा रिकार्ड मोहन जी के पास था। यह औरत गवाहों के कटघरे में चाहे पहले कभी नहीं खड़ी हुई थी, किन्तु मुलजिमों के कटघरे में अक्सर खड़ी होती थी। आवारागर्दी के आरोप में उसका कई बार चलान हुआ था। कभी बरी हो जाती और कभी नेक चलन रहने के कारण जमानत हो जाती। इन सजाओं के आधार पर वह दस नम्बरी भी घोषित हो चुकी थी।

केस भुगतते-भुगतते भागो को कचहरी का स्वाद पड़ गया। वह ड्राइवरों, कंडक्टरों से अपने शरीर का नाश क्यों करवाए? कचहरी में उसके बहुत कद्रदान थे। मेहनत कम, मजदूरी ज्यादा।

पहले उसने अपने वकील से संबंध बनाए,फिर मुंशी से। फिर बाबूओं, कर्मचारियों से जान पहचान करवा दी। धीरे-धीरे उस की जान-पहचान पुलिस से भी हो गयी। फिर न कभी वह पकड़ी गयी, न चलान हुआ।

पिछले दो साल से वह घर बैठी है। उसको वी.डी. जैसी भयानक बीमारी लग गई है। उसके आशिकों की गिनती कम होते-होते शून्य पर पहुंच गई है। मुंशियों और कर्मचारियों ने उसको धक्के मारने शुरू कर दिए थे।

भूखी मरती भागो के लिए, एक रुपया भी एक लाख जैसा था। इस गवाही के लिए उसको तीन सौ मिलने थे। दो सौ पहले मिल चुका था। सौ बाद में मिलना था। पेट की आग बुझान के लिये भागो मीते के विरुद्ध गवाही दे रही थी।

वही मीता, जो उसको मां कहता था। वही मीता, जिसको वह पुत्र कहती थी। मौके-बेमौके मीता उसके काम आता रहा था। कर्फ्यू के समय भागो दो दिन भूखी बैठी रही थी। यदि मीता रोटी न देता तो उसका कब का 'राम नाम सत्य' हो गया होता। किन्तु लोग कहते हैं, जब साँपिन भूखी होती है तब अपने ही अंडे पी जाती है। इस तरह ही डायन बनी बैठी थी भागो।

"चार पैसों की खातिर अपने पुत्र को फांसी लगाएगी? अच्छी माँ हो तुम?'' मीते का यह सवाल लेकर जब जीवन आढ़ती उसको मिला था तब वह फूट-फूट कर रोयी थी। सौ रूपये का तो तीस किलो आटा भी नहीं आता। जीवन आढ़ती ने उसके घर गेहूं की बोरी भी भिजवायी और पांच सौ रूपये भी दिए।

भूखे पेट चाहे भागों कुफ्र तोल देती। भरे पेट वह मीते के साथ दगा नहीं कर सकती थी।

भरी कचहरी में मीते का सिर सहला कर उसने कहना शुरु किया- "मेरा पुत्र और कुछ भी हो, किन्तु एक बच्चे का कातिल नहीं हो सकता"।

सफाई पक्ष ने यहां भी सब्र नहीं किया। पुलिस के दावे झुठलाने के लिए उसने उस रिपोर्ट की नकल पेश की, जिस में घर-घर की तलाशी लिए जाने का जिक्र था। इस रिपोर्ट के अनुसार कर्फ्यू और तलाशी वाले दिनों में पुलिस मीते और भागो, दोनों के घर गई थी। दोनों अपने घर में मौजूद मिले थे। दोनों के घरों की तलाशी हुई थी। फिर उस समय बच्चा कहां था?

आज का आखिरी गवाह गफूर मियां था। वह गांधी बस्ती में किरयाने की दुकान करता था। पुलिस के अनुसार जितनी देर बंटी उस बस्ती में बंदी बनाकर रखा गया था, उस के खाने-पीने का सामान इसी

की दुकान से आता रहा था। बंटी ब्रैड, टॉफियां और बिस्किट खाने का शौकीन था। उन दिनों पाला, मीता और भागो उस से ये चीज़ें काफी मात्रा में ले जाते रहे थे।

गफूर मियां दीन ईमान वाला व्यक्ति था। पांच वक्त नमाज पढ़ता था। जब भंडारी ने उसका ब्यान पढ़कर सुनाया तो उसने कानों को हाथ लगाकर तौबा की। वह यह कुफ्र नहीं तोल सकता। वह रूखी-सूखी खा कर भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार है। कयामत वाले दिन खुदा को क्या जवाब देगा?

गफूर को फुसलाने के लिए भंडारी ने धर्म-कर्म पर एक लम्बा चौड़ा भाषण दिया। बुराई को नष्ट करने के लिए यदि झूठ भी बोलना पडे तो उससे गुरेज़ नहीं करना चाहिए। अपनी दलील की पुष्टि के लिए भंडारी ने महाभारत से एक उदाहरण दिया। धर्मपुत्र युधिष्ठर ने सारी उम्र कभी झूठ नहीं बोला था। एक बार उनके सामने से गाय निकली, गाय के पीछे कसाई लगा हुआ था। 'गाय किधर गयी है?' कसाई ने धर्म पुत्र से पूछा। धर्म पुत्र धर्म संकट में फंस गए। सच बोलते हैं तो गाय की हत्या होती है, झूठ बोलते हैं तो धर्म भ्रष्ट होता है। अन्त में उन्होंने झूठ बोलने को प्राथमिकता दी। उनके झूठ बोलने से गाय की जान बच गयी। धर्म ग्रंथ उनके इस झूठ को पाप नहीं, बल्कि पुण्य मानते हैं। यही स्थिति गफूर की थी।

भोला गफूर उसकी बातों में आ गया। यदि धर्म पुत्र झूठ बोल सकते हैं तो वह क्यों नहीं?

समिति ने भी उस की कमजोरी ढूंढ रखी थी। धार्मिक भावना में बह करयदि वह झूठ बोलने के लिए मान सकता है तो कुरान शरीफ की हाजिरी में सच भी बोल सकता है।

अब तक सब गवाहों को ईश्वर के नाम पर सच बोलने की सौगंध दिलवायी गई थी। वह सब जुबानी-कलामी था। मुंह जुबानी सौगंध लेने और सचमुच धार्मिक ग्रंथ पर हाथ रखकर सौगंध लेने में जमीन आसमान का फर्क था। इसी अन्तर को मिटाने के लिए गुरमीत ने पवित्र ग्रंथ अदालत में मंगवाया था। उसका अनुभव कहता था कि धार्मिक रूचि वाले इंसान, ईष्ट देवता की सौगंध खा कर, अपने जानी दुश्मनों के विरुद्ध भी झूठ नहीं बोलते। वह गफूर की इसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था।

गफूर की कमजोरी सरकारी वकील भी समझता था। उस ने गफूर के अच्छी तरह सौगंध लेने पर जोर नहीं दिया था। "जो कहूंगा, सच कहूंगा "धीरे से इतना कह कर "ईमान के साथ सच कहूंगा।" जैसा अहम् वाक्य हजम कर लिया था।

गवाह के अधूरी सौगंध लेने पर सफाई पक्ष को सख्त एतराज़ था। हरे कपड़े में लिपटा धार्मिक ग्रंथ अदालत में मंगवाया गया। धार्मिक ग्रंथ की उपस्थिति में जब गफूर मियां को सच बोलने के लिए कहा गया, तब गफूर के साथ-साथ बचन सिंह को भी पसीना आ गया।

पवित्र ग्रंथ की उपस्थिति में गफूर यही कह सकता था कि 'जिस बस्ती में वह दुकान करता था, उसके वासियों में न ब्रैड खरीदने का सामर्थ्य था, न बिस्किट। कर्फ्यू के दिनों में तो उस के पास आटा,

आलू और लकड़ियां भी नहीं थीं। दूध ब्रैड की बात तो दूर की बात थी। जब वह अपनी दुकान पर ऐशो-आराम की ये वस्तुएं रखता ही नहीं तो इन को किसी द्वारा खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता।''

गफूर मियां की गवाही के साथ ही उस दिन की कार्यवाही समाप्त हो गई।

प्यारे लाल प्रैस कांफैंस बुलाना चाहता था। बाबा जी और गुरमीत इसके विरुद्ध थे। अभी खुशी वाली कोई बात नहीं थी। असली लड़ाई अभी शुरू होनी थी। आज की कार्यवाही से घबराई पुलिस ने गवाहों पर सख्ती करनी थी और सरकार ने जज पर।

पत्रकारों का पीछा छोड़कर उनको आने वाली समस्याओं से टकराने की तैयार करनी चाहिए थी।

17

कचहरी से बचन सिंह डिप्टी के घर चल दिया। इस केस के बारे में सोच-सोच कर उसका ब्लड प्रैशर हाई हो गया था। अजीब बला गले पड़ गयी थी। सरकार इस केस के लिए जितनी संजीदा थी, बचन सिंह उतना ही लापरवाह। वह अपने आप को कोस रहा था। अपने आलसी स्वभाव पर लानत डाल रहा था। बचन सिंह ने रत्ती भर भी ध्यान दिया होता तो यह दुर्गति न होती। केस के साथ जो होना था, हो चुका था। अब बचन सिंह की दुर्दशा की बारी थी।

जिला अटार्नी का फोन आया था। गवाहों के ब्यानों की नकलें शाम तक संगरूर भेज दी जाएँ। ये नकलें उसने डायरैक्टर को भेजनी थीं, जिस ने गृह सचिव के माध्यम से उनको मुख्यमंत्री तक पहुंचाना था। बचन सिंह ब्यानों की नकलें भेजे तो किस तरह?

इस मरे सांप को गले से कैसे उतारा जाए? यही विचार करने के लिए वह डिप्टी की ओर दौड़ा था।

डिप्टी उससे अधिक परेशान था। गवाहों के ब्यानों की नकलें उस से भी मांगी गयी थीं। इधर नकलें डी.जी.पी. ने मांगी थीं। वह भी विशेष दूत के द्वारा। विशेष दूत कब का तैयार खड़ा था, किन्तु नकलें किस मुंह से भेजी जाएं। दिन भर की कार्यवाही की रिपोर्ट डिप्टी को मिल चुकी थी। डिप्टी को सरकारी वकील के साथ-साथ मुख्य अफसर पर गुस्सा आ रहा था। जब सरकारी वकील को पता लग गया था कि गवाह मुकर रहे हैं तो उसको चाहिए था, किसी तरह केस को बीच में रुकवाता। वह स्वयं पेशी नहीं ले सकता था तो डिप्टी को सूचना देता। डिप्टी कोई इंतजाम करता। सरकारी वकील का कुछ नहीं बिगड़ना। डिप्टी किसी भी समय लाईन हाजिर हो सकता था।

मुख्य अफसर भी लाट साहिब बन कर थाने बैठा रहा। डिप्टी ने उसे विशेष तौर पर कहा था। पैरवी के लिए खुद जाए, नहीं गया। सोचता होगा, वह मुख्य अफसर है, मिसल बगल में ले कर क्यों

घूमें? वह दुअन्नी के गवाहों से माथा पच्ची क्यों करे। नाजर सिंह को कचहरी भेज दिया। मुख्य अफसर, मुख्य अफसर ही होता है और अधीनस्थ-अधीनस्थ ही। फौरन किसी कार्यवाही की जरूरत हो तो मुख्य अफसर तुरंत फैसला कर लेता है। छोटे अफसर को पहले मुख्य अफसर से इजाजत लेनी पड़ती है। इतने समय में पानी पुल के नीचे से निकल चुका होता है। यदि लाल सिंह स्वयं कचहरी बैठा होता तो दुकानदार या चपरासी की क्या मजाल थी, वे गवाही मुकर जाते।

फिर छोटे थानेदार का हाल देखो। गवाह मुकरते देख कर शराब पी, एक सप्ताह की छुट्टी लिखी और गांव वाली गाड़ी पकड़ ली। सोचा होगा, कल वाली पैरवी से बच जाएगा। डिप्टी ने छुट्टी नामंजूर की और उसको डयूटी से गैर हाजिर कर दिया। अपने आप धक्के खाता फिरेगा।

क्रोधित डिप्टी ने हुक्म जारी किया। जो गवाह जहां भी मिले, उसकी वही पिटाई कर दी जाए। बाकी के गवाहों को स्वयं कान हो जाएंगे।

इस काम के लिए मुख्य अफसर को भगाया गया। वह हर दस मिनट बाद डिप्टी को सूचना दे। यह हुक्म सुनाया गया।

कहते हैं जो लाहौर बुद्धु वह पिशौर भी बुद्धु ही रहता है। घंटों तक माथापच्ची कर के भी लाल सिंह को कुछ समझ नहीं आया।

बाबू और मोदन कहीं छुप गए थे। कचहरी, वकीलों के चैम्बर, उनके घर और ठहरने के सब ठिकानों पर छापे मारे गए। वे कही नहीं मिले।

मुख्य अफसर की इस असफलता पर डिप्टी के माथे की त्यौरियां और गहरी हो गई। विभाग उसको 'योग्य थानेदार, योग्य थानेदार' कहता नहीं थकता। डिप्टी को यह निरा बुद्ध लगता था। जरूरी नहीं जो अफसर अच्छी तरह डंडा फेर सकता हो, वह अकल का भी धनी हो। मोदन या बाबू कोई दूध पीते बच्चे थे, जो गवाही मुकर कर कचहरी बैठे या घर में घुस रहें। वे भाग गए होंगे। इनको मुखबिरों के द्वारा ढूंढा जाना चाहिए।

भागो के बारे में रिपोर्ट थी कि उसको एक वकील अपने स्कूटर पर बिठा कर ले गया है। अभी तक न वकील मिला है न भागो। एक पुलिस पार्टी उनका पीछा कर रही है।

पुलिस के हाथ गफूर मियां और स्कूल का चपरासी ही लगे थे।

गफूर मियां अदालत से निकलते ही पकड़ लिया गया था। सारी पुलिस उस पर चील की तरह झपट पड़ी थी। लात-घूंसे मार-मारकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया गया था। कुछ वकीलों ने पुलिस के साथ तू-तू मैं-मैं की थी। समिति वालों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए थे। गफूर को छुड़वाने का यत्न किया था। एक पत्रकार ने गफूर की फोटो खींच ली थी। पत्रकार का कैमरा छीन लिया गया था। गफूर को वैन में डाल कर थाने ले जाने में पुलिस को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी।

घर जा रहा चपरासी बाजार में मिल गया था। उसकी पिटाई करने में पुलिस को कोई मुश्किल नहीं आयी थी। उसको जलूस की शक्ल में पैदल थाने लाया गया था।

"अब क्या हुक्म है?" लाल सिंह पूछ रहा था। डिप्टी अगली कार्यवाही के बारे में सोच रहा था, कि बचन सिंह आ धमका।

थोड़ी देर बाद लाल सिंह ने यह रिपोर्ट भी दी कि थाने के आगे भीड़ जुड़ती जा रही है। 'इनको क्यों पकड़ा गया? 'लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोग दरियां ले कर आ रहे हैं। हो सकता है धरना दे। पत्रकारों की गिनती बढ़ती जा रही है। वह कैमरा तो मांगते ही हैं, इन गवाहों से मुलाकात भी करना चाहते हैं। समिति वालों ने बैनर लिख लिए हैं। हो सकता है जलसा करें या जलूस निकालें।

यह नई ही समस्या खड़ी हो गयी है। गड़बड़ के आसार बनते देख कर बचन सिंह का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। पुलिस ने गवाहों से बदसलूकी की तो कल के अखबार खबरों से भर जाएंगे। बचन सिंह की कार्यवाही की सच्चाई उजागर हो जाएगी। समय की मांग थी, किसी न किसी तरह गड़बड़ को दबाया जाए।

इन गवाहों पर सख्ती करने का कोई फायदा नहीं। उनको किस ने मुकरवाया है, यह पूछकर छोड़ दिया जाए।

अपने उद्देश्य की प्राप्ति को मुख्य रखते हुए बचन सिंह ने डिप्टी को राय दी।

बचन सिंह का मशविरा लाख रुपये का था। यह समय फालतू के झंझटों में पड़ने का नहीं था। भलमानसी इसी में थी कि गवाहों को अपने आप छोड़ दिया जाए। किसी दबाव में छोड़ने पड़े तो समिति और बाकी गवाहों के हौंसले बुलंद हो जाएंगे।

''इनको मुकरवाने वाला कौन है? यह पूछ कर इनको छोड़ दिया जाए।'' बचन सिंह के मशविरे को मानते हुए डिप्टी ने हुक्म सुनाया।

लाल सिंह का दोबारा फोन आ गया। गफूर को मुकरने के लिए किसी ने नहीं कहा था। वह कुरान शरीफ के खौफ से ही सच बोला था। तसल्ली के लिए उसको फिर कुरान शरीफ के सामने ले जाया गया। कुरान शरीफ की उपस्थिति में भी उसने यही बात दोहराई थी।

चपरासी ने पहले थप्पड़ पर ही बाबे का नाम ले दिया। बाबे ने उसको डराया धमकाया नहीं था। सच बोलने की विनती की थी। चपरासी बाबे के एहसान तले दबा हुआ था। एहसानों का बदला चुकाने के लिये वह ब्यान में कुछ परिवर्तन कर गया। वैसे जितना ब्यान उसने पुलिस के पक्ष में दिया था, वह भी झूठा था। असलियत यह थी कि उसको बंटी के बारे में कुछ नहीं पता था।

इतनी सी पूछताछ से पुलिस के उद्देश्य पूरा हो गया। अब यह स्पष्ट था कि मुकर गये गवाहों का पीछा छोड़ कर होने वाले गवाहों की ओर ध्यान दिया जाए। यदि वे ठीक भुगत जाएं तो भी जज को सजा सुनाने बहाना मिल जाना था।

प्राइवेट गवाहों से संपर्क करने और उनको ब्यान समझाने की जिम्मेवारी भंडारी वकील की थी। पुलिस ने केवल सरकारी गवाहों का दायित्व लिया था।

अपनी कोठी में सैट तैयार करके बैठा भंडारी गवाहों की प्रतीक्षा कर रहा था। भंडारी के पास अभी तक वे गवाह पहुँचे थे, जो युवा संघ के कार्यकर्त्ता थे और गवाही देने के लिए दृढ़ थे। या कुछ ऐसे गवाह पहुंचे थे जिन की गवाही करवाने या भुगताने से केस को कोई फर्क नहीं पड़ना था।

राम बाग का माली, धन्ना कसाई, मुहल्ले का पहरेदार, अस्पताल का चौकीदार, चाय वाला राधे श्याम, कोई भी तो नहीं पहुंचा था। हैरानी की बात यह थी कि संघ के वर्कर और भंडारी के मुंशी कई कई बार उनके घरों के चक्कर काट आए थे। कोई भी घर में नहीं मिला।

भंडारी को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। गवाह खिसका लिए गए थे। जरूर वे समिति के कब्जे में होंगे। यदि अभी कुछ नहीं किया गया तो कल को भी वही होगा, जो आज हुआ था। मुख्य अफसर पैरों पर पानी नहीं पड़ने देता था। इस समस्या का हल डिप्टी कर सकता था।

भंडारी पहले ही डिप्टी को मिलने के बारे में सोच रहा था। उसका संदेश मिलते ही वह दौड़ा आया।

"गवाहों का क्या हाल चाल है भंडारी साहिब। ठीक ठाक भुगत जाएंगे?" भंडारी के कुर्सी पर बैठते ही डिप्टी ने अपने मन का संशय जाहिर किया।

"कौन से गवाह और कौन सी गवाही? काम का एक भी गवाह मेरे पास नहीं पहुंचा। मैं प्रतीक्षा करते-करते थक गया।"

भंडारी का उत्तर सुनते ही डिप्टी और बचन सिंह दोनों को हाथों पैरों की पड़ गयी।

"अब क्या करें?"

"गवाहों को तलब करो। छोटे मुलाजिमों पर विश्वास न करो। गवाहों को तलब करने की कमांड खुद संभलो।''

भंडारी की राय बिल्कुल ठीक थी तुरन्त थाने फोन किया गया। सारे मुलाजिम वर्दी में तैयार रहें। डिप्टी साहिब स्वयं थाने आ रहे हैं।

भंडारी को फारिग किया गया। गवाहों के उपस्थित होने पर उसको फिर तकलीफ दी जाएगी।

डिप्टी बचन सिंह को साथ ही रखना चाहता था, किन्तु वह सुबह से भूखा था। उसके पेट में अन्न का एक दाना तक नही गया था। जितनी देर में गवाह इकट्ठे हों, उतनी देर में बचन सिंह घर संदेश

भेज दे और दफतर से फाईल भी उठा लाये। हो सकता है आज सारी रात ही बैठना पडे। डिप्टी को थाने भेज कर बचन सिंह घर की ओर चल दिया। बचन सिंह ने भूखे होने या घर जाने का बहाना बनाया था। वास्तव में जिला अटानी को फोन करना चाहता था। फोन डिप्टी के दफतर से भी किया जा सकता था, परंतु इस तरह पर्दा नहीं रहना था। बाहर से फोन करने के इरादे से बचन सिंह टल आया था। जिला अटार्नी उसी के फोन की प्रतीक्षा कर रहा था। बचन सिंह ने सारा नज़ला पुलिस पर गिराया। किसी सिपाही तक को केस में दिलचस्पी नही थी। गवाह ऐसे मुकर गये जैसे जुए या सट्टे का केस हो। वास्तव में पूछा जाये तो दोष गवाहों का भी नहीं। सारे गवाह जाली थे। बिना पूछे बताये उनकी गवाही रख ली गयी थी। पुलिस की ओर से गवाहों को कोई सुरक्षा नहीं दी गयी थी। विरोधी पक्ष केस जीतने के लिये हर हथकंडा अपना रहा था। डरते गवाह मुकर गये। इस में बचन सिंह का कोई कसूर नहीं।

कल को हालत इस से भी बदतर होने की सम्भावना थी। कल को भुगतने वाला कोई भी गवाह पुलिस को नही मिल रहा था। अभी तक पुलिस ने गवाहों को मिलने या ब्यान समझाने का काई यत्न नहीं किया था। प्राइवेट वकील पर निर्भर कर रहे थे। सफाई पक्ष सरगर्म था। अकेला बचन सिंह क्या करे?

बचन सिंह की रिपोर्ट सुन कर जिला अटार्नी को अपनी चिन्ता हो गई। हैड ऑफिस से हुक्म हुआ था, जिला अटार्नी शहर जा कर खुद केस झगड़े। जिला अटार्नी को बचन सिंह की योग्यता पर यकीन था। उसको निम्न अदालत में आने पर हेठी महसूस हुई थी। कागज पत्रों में यह केस जिला अटार्नी ही लड़ रहा था।

जिला अटार्नी ने बचन सिंह को सलाह दी, किसी न किसी तरह मौका संभाले। गवाह काबू आते न दिखें तो पेशी ले। इसी दौरान वह उच्चाधिकारियों से बात करके अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगा।

पेशी लेने के लिए बचन सिंह भी यत्न करे। जिला अटार्नी भी करेगा। फोन रखते ही वह सैशन जज की कोठी जाएगा। उसको सारी स्थिति समझाएगा। हो सका तो एडीशनल सैशन जज सतिंदर नाथ को फोन करवाएगा। कोई न कोई समाधान अवश्य निकला जाएगा। घंटे बाद वह फिर फोन करेगा। एक दूसरे को स्थिति की जानकारी दी जाएगी।

जिला अटार्नी से बात करके बचन सिंह हल्का फुल्का महसूस करने लगा।

डिप्टी के दफतर पहुंचने तक वह ताजा दम हो चुका था। इधर डिप्टी बेरंग था।

उसकी निगरानी में पुलिस हर गवाह के घर पर छापा मार चुकी थी। कहीं से भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। किसी के घर को ताला लगा था। किसी के घर वृद्धजन या छोटे बच्चे ही थे। कोई जवाब देता, 'फलां विवाह में गया हैं। कह कर गया है अदालत के समय पर पहुंच जाएगा।' कोई कहता 'शोक प्रकट करने गया है, जब आया थाने भेज देंगे।'

अब संदेह की कोई गुंजायश नहीं थी। गवाह समिति वालों के पास थे। वे दोषियों के हक में भुगतेंगे। अब क्या किया जाए?

भंडारी को मशविरे के लिए दोबारा बुलाया गया।

"मैं अकेला क्या करूँ? पहले आपने मौन धारण करे रखा। आग लगने पर कुआं खोदने लगे हो। उधर तीन-तीन वकीलों और सैकड़ों व्यक्तियों का जोर लगा हुआ है। इधर आपने सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल रखा है। मैं करूँ तो क्या करूँ?' चिढ़े भंडारी ने पुलिस पर गुस्सा निकाला।

"आप ठीक कहते हो, किन्तु अब हम को किसी न किसी तरह मौका संभालना ही पड़ेगा। मैं आप को यकीन दिलाता हूं। भविष्य में पैरवी मैं स्वयं करूँगा।'' डिप्टी ने उसे ठंडा करने की कोशिश की।

''किसी न किसी तरह कल की पेशी ले लो। फिर बाबा, वकीलों और समिति के हर कार्यकर्ता पर कड़ी नजर रखो। कौन किस को मिलता है, इसकी जांच करो। फिर शायद सफलता मिल जाए। नहीं तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी।''

पुलिस को सीधे राह डालकर भंडारी वापिस चला गया। समिति वालों से कैसे निपटा जाए, इस बारे में बाद में सोचा जाएगा। फिलहाल मसला जज को मिल कर पेशी लेने का था।

डिप्टी ने सिटी वालों को फोन किया। फौरन एक पेटी पीटर स्कॉच और दो डिब्बे ड्राइफ्रूट के हाजिर किए जाएं।

तारीख लिए बिना मसला हल नहीं होना था। यह डिप्टी को अच्छी तरह समझ आ गया था। एक बार तारीख मिल गयी तो डिप्टी ने एक-एक गवाह को उठा लाना था। महीना भर थानो बिठाए रखना था। जितनी देर गवाह सही तरह से भुगत नहीं जाते, किसी को हवा तक नहीं लगने देनी थी। समिति को तो क्या, उसके फरिश्तों तक को पता नहीं लगेगा कि गवाह कहां रखे गए हैं।

डिप्टी ने जज को फौरन मिलने का मन बना लिया। डिप्टी को नाथ साहिब पर मान था। वह डिप्टी को जवाब नहीं देगा। वे कई बार इकट्ठे रह चुके हैं।

उनकी पहली मुलाकात नाभा में हुई थी। उस समय डिप्टी सब इंस्पैक्टर था और नाथ साहिब मैजिस्ट्रेट। जब वह कोतवाली का मुख्य अफसर बन कर गया, उस के सामने पहला मसला जजों का ही पेश हुआ था।

जिले में हाई कोर्ट की इंस्पैक्शन चल रही थी। शनिवार को नाभा की बारी थी।

जज समस्या से घिरे हुए थे। सब डिवीजन के सारे थानेदारों ने जजों का बायकाट किया हुआ था। हाईकोर्ट की इंस्पैक्शन कौन सा छोटी-मोटी बात थी। बीस तरह के प्रबन्ध करने पड़ने थे। अदालतों की सफाई कई दिन पहले शुरू करवानी पडनी थी। रंग-रोगन और सफेदी करवानी थी। सड़को पर झाड़ू लगवाना था। सारे शहर में छिड़काव करवाना था।

रैस्ट हाऊस बुक किया जाना था। स्टाफ के लिए व्हिस्की से ले कर मांस-मछली तक का प्रबंध करना था। शहर में खास तरह की क्रॉकरी बनती थी। क्रॉकरी के सैट तोहफे के रूप में देने थे। बीसियों मुलाजिमों के साथ-साथ हजारों रूपयें की जरूरत पड़नी थी। यदि पुलिस ने बहिष्कार कर दिया तो हाईकोर्ट की ओर से मैजिस्ट्रेटों को खराब रिपोर्ट मिलनी अवश्यंभावी थी।

किसी न किसी तरह जज बाकी सारे प्रबन्ध कर ही लेंगे किन्तु शिकायतकर्ताओं को कौन भगाएगा?

जजों के अन्याय से दुखी हुए लोगों के लिए यह कयामत का दिन था। शिकायतें सुनने वाला मुश्किल से उनके दर पर आया था। कुछ शिकायतकर्ताओं को वकीलों ने शह दी थी। जजों से दुश्मनी निकालने का वकीलों के लिए यह सुनहरी अवसर था। वकील भी अपने सायलों को तैयार करके भेजेंगे। किसी मैजिस्ट्रेट की एक भी शिकायत हो गयी तो सारा गुड़ गोबर हो जाना था। पुलिस का पहरा सख्त हो तो क्या मजाल है कि इंस्पैक्टिंग जज के पास चिड़िया भी पर मार जाए।

नाथ साहिब ने बारी-बारी सारे मुख्य अफसरों को संदेश भेज कर देख लिया था। आने-बहाने सभी टल गए थे।

डिप्टी को संदेश पहुंचा तो उसको मुंशी ने रोक दिया। कारण पूछा तो पता लगा, जज एंटी पुलिस है। पुलिस की अपेक्षा मुलजिमों को पहल देता है। सख्त से सख्त मुलजिम का भी पुलिस रिमांड नहीं देता। एफ.आई.आर. पर समय डालते समय भी आनाकानी करता है। अहम् अपराधों की एफ.आई.आर. फौरन तो दर्ज हो नहीं जाती, पर्चा काटने से पहले सारे पक्षों पर विचार करना पड़ता है। कई बार यह दर्ज बाद में होती है, किन्तु दर्ज करने का समय पहले का डालना पड़ता है। यह घंटे दो घंटों की भी एडजस्टमैंट नहीं करता। कहता है जिस समय एफ.आई.आर. आयी है, वही समय डालो। उसकी इस धक्केशाही के कारण कई दोषी कत्ल केस में से बरी हो चुके हैं। चलान पेश करते समय भी कहेगा, दोषी भी लाओ और नकलें भी पूरी करो। चलान लेट पेश होने के कारण कई पुलिस अफसरों की इंक्वायरी शुरू हो गई है। यदि मैजिस्ट्रेट पुलिस के काम नहीं आता तो पुलिस ने कौन सा उस से पहाड़ उठवाना है। यदि नियमों के अनुसार चलता है तो पुलिस भी नियम अनुसार चलेगी। पुलिस नियमों में यह कहीं नहीं लिखा कि इंस्पैक्शन के समय जजों की बेगार पुलिस ने करनी है।

डिप्टी ने बहिष्कार की परवाह नहीं की। बहिष्कार से बल्कि उसने अधिकएंटी-पुलिस हो जाना था। यदि जजों को पक्ष में करना है तो जरूरत के समय उनकी मदद की जानी चाहिये और उसने नाथ की मदद की थी।

मुख्य अफसरों का भाईचारा चाहे उसके साथ नाराज हुआ था, किन्तु नाथ डिप्टी की मुट्ठी में आ गया था।

सारी दुनिया को पता है, सरकार पाले मीते को फांसी देना चाहती है। यह तभी संभव है यदि न्याय पालिका पुलिस की मदद करे।

पिछला एहसान याद करवाने के लिए और न्याय पालिका की मदद लेने के लिए डिप्टी बचन सिंह को साथ लेकर नाथ की कोठी गया।

पेशी देने के अतिरिक्त वह हर तरह का सहयोग देने को तैयार था।

नाथ ने वचन दिया, गवाह जो चाहे कहें, वह दोषियों को बरी नहीं करेगा। जब दोषियों को सजा हो गई तो न किसी ने डिप्टी को कुछ कहना था,न बचन सिंह को।

बचन सिंह इन मीठी गोलियों से बहलने वाला नहीं था। जिस तरह से केस की पैरवी हो रही थी, उससे कोई यकीन से नहीं कह सकता कि फैसला किस जज ने करना है। बचन सिंह के उच्चाधिकारी तो मिसल को गहराई से जांचेंगे। उनकी जांच गवाहों के ब्यानों के आधार पर होगी। फैसले तक किसने प्रतीक्षा करनी है?

दस बज गए। बातों-बातों में नाथ उनकी सेवा करनी ही भूल गया।

नाथ खाना खा चुका था। भोजन करके पीना उस की आदत नहीं थी। डिप्टी को बिना खिलाए-पिलाए भी नहीं भेजा जा सकता था। उन्होंने पैग डाल लिए। जज के लिए छोटा, बाकियों के लिए बड़ा।

जब थोड़ी सी चढ़ गई तो डिप्टी ने उलाहने देने शुरू कर दिए। नाभा की याद दिलाई। जब नाथ फंसा हुआ था तब डिप्टी ने उसको बचाया था। अब डिप्टी की नाव डूब रही थी और वह पास खड़ा तमाशा देख रहा था।

सरूर में आए नाथ ने भी मन की गुत्थी खोली।

उसको सैशन जज का संदेश आया था। मुख्य मंत्री साहिब की भी इस में रुचि थी। हाई कोर्ट चाहती थी केस को एक महीने के अन्दर-अन्दर निबटा दिया जाए। वह क्या करे?

"मुख्य मंत्री साहिब को दिलचस्पी फैसले में नहीं, सजा में है। हम सभी का उद्देश्य एक ही है। मुख्यमंत्री को खुश करना। वे खुश होंगे, यदि दोषियों को फांसी होगी। फांसी तब होगी जब पुलिस गवाहों से सही गवाही दिलवाएगी। पुलिस गवाहों से तभी निपट सकेगी जब उसको खुला समय मिलेगा। गवाह भुगता कर आप मुख्यमंत्री को नाराज न करे।"

डिप्टी ने मुख्य मंत्री का उद्देश्य स्पष्ट किया।

डिप्टी ठीक कहता था। यदि कल को तारीख न दी गई तो गवाहों ने मुकर जाना था। दोषियों के बरी होने से मुख्यमंत्री का सिंहासन डोल सकता था जल्दी फैसला वह मुसीबतों में घिर जाने के लिए थोड़ा करवा रहा था?

जज की आंखों के आगे से अंधेरा छंटने लगा।

नाथ मुसीबत में फंस गया। यदि पेशी दी तो हाई कोर्ट नाराज। न दी तो मुख्य मंत्री। वह कुएं में गिरे या खाई में।

दोनों पक्षों की अपनी-अपनी मजबूरी थी। वे किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचने का यत्न करने लगे, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तारीख भी पड़ जाए और किसी पर आंच भी न आए।

''मैं सैशन जज साहिब को फोन करके देखता हूं। सारी स्थिति बताता हूं। जैसे कहेंगे कर लूंगा।'' अन्त में नाथ ने राह ढूंढा।

सैशन जज की ओर से पहली बार में ही हरी झंडी मिल गई।

दोषियों को सजा होनी चाहिए थी। इस उद्देश्य के लिए पुलिस को जिस तरह की मदद की जरूरत हो, दी जाए।

फोन रखकर नाथ ने बड़े-बड़े पैग डाले। अब यारी निभाने में उसको कोई मुश्किल नहीं थी। आधी रात तक वे खुशी के जाम टकराते रहे।

18

महीने की तारीख पड़ने से समिति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पडा। समिति को जहां-जहां से मदद मिल रही थी, वहां-वहां से राह बंद किए जाने लगे।

एक तरफ डिप्टी ने कार्यवाही शुरू की।

थाने के मुंशी के साथ गुरमीत के नजदीकी संबंध थे। मिसल ज्यादा देर मुंशी के पास ही रही थी। हस्तलिपियों, अंगुलियों के निशान और मोल्ड तो रहते ही मुंशी के कब्जे में थे। रोजनामचा और उन्नीस नम्बर रजिस्टर थाने की नब्ज होते हैं। जिस के भी हाथ लग गए, वही थाने की कमजोरी जान जाता है। मुंशी को थाने की मां कहा जाता है। यदि घर का भेदी ही लंका ढाने लगे तो लंका को कौन बचा सकता है? बदले गए ब्यानों और तब्दील हुई जिमनियों का भेद केवल मुंशी को पता था। विशेषज्ञों की रिपोर्टों की नकलें और पार्सल ले कर जाने वाले सिपाहियों के नाम पते और तारीख मुंशी ने ही सफाई पक्ष को दिए होंगे। इसी संदेह में मुंशी को लाईन हाजिर किया गया।

फिर बारी आयी नायब कोर्ट की।

वह भी बहुत पुराना हो चुका था। वकीलों, मुंशियों, मुलजिमों, मुद्दईयों,सब के साथ घुल मिल गया था। गवाहों से केसों की कमियां पूछता और वकीलों को बता आता है। बहुत से केसों को वहीं बिगाड़ता है। डिप्टी के पास पहले भी शिकायतें आई थी। वह तबादला करने लगता तो किसी न किसी की सिफारिश आ जाती। कभी जज की ओर से, कभी सरकारी वकील और थानेदार की ओर से। कहने

लगते, 'वह काम में कुशल है। उसके सिर पर किसी को फिक्र नहीं रहता। 'नायब कोर्ट की यही योग्यता पुलिस का नुकसान कर रही थी।

नायब कोर्ट का तबादला डिप्टी ने अपनी गार्द में कर लिया। गेट पर खड़ा सड़ता रहेगा।

नाजर सिंह पहले ही गैरहाजिर हो चुका था। डयूटी में कोताही करने के दोष में उसको मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी तरफ जज साहिब चौकन्ने हो गए।

अदालत के अधिकतर मुलाजिम समिति की मदद पर तुले हुए थे। कुछ हमदर्दी के तौर पर, कुछ लालचवश। अहलमदों का मिसलें लेकर वकीलों के घर जाना साधारण सी बात थी। चार पैसे ज्यादा मिलें तो गुप्त दस्तावेज और ब्यानों की नकलें भी करवा देते थे। कुछ दिलेर अहलमद दस्तावेजों में थोड़ी-थोड़ी तब्दीली करने का जोखिम भी उठा लेते थे। दूसरी तरफ यदि सरकार हो तो हेराफेरी और आसान हो जाती थी।

यह केस भी महत्वपूर्ण था। अहलमदों की मेहरबानी से हर कागज की नकल सफाई पक्ष के पास पहुंच रही थी। भविष्य में होने वाली कार्यवाही की नकलें भी पहुंच सकती थी। किसी रद्दोबदल की संभावना भी रद्द नहीं की जा सकती। मुसीबतों का पहाड़ जज पर भी टूट सकता था। यह केस ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां किसी भी अफसर की गर्दन फंस सकती थी।

नाथ साहिब ने मिसल तलब की। पन्नों की मार्किंग करवायी। हर पन्ने पर छोटे हस्ताक्षर किए। जहां जहां कटिंग या ओवर-राइटिंग थी, वहां लाल स्याही से निशान लगाए। मिसल को एक मोटे लिफाफे में डाल कर लिफाफे को सील किया। लिफाफे को नाथ साहिब की अलमारी में रखा गया। मिसल तारीख वाले दिन ही बाहर निकलेगी। पेशी से पहले किसी को जरूरत पड़े तो जज की इजाजत ली जाए।

तीसरी ओर बचन सिंह ने सुरेन्द्र कुमार की मुश्कें कसीं। बचन सिह को संदेह था, ये नकलें सुरेन्द्र कुमार ने करवा कर दी थी। यह उसकी पुरानी आदत थी। पहले भी उस ने विजीलैंस के एक केस की नकलें करवा कर दोषियों को दे दी थीं। जांच होने पर वह कसूरवार पाया गया था। खुद बचन सिंह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। भागा-भागा वह संगरूर गया। सारे हालात जिला अटार्नी के नोटिस में लाया। जिला अटार्नी ने उसको जो फालतू कचहरी दी थी, वह वापिस ले ली। चार पांच हजार रुपये महीने के नुकसान की सजा दे दी।

इस तरह संबंधित मुलाजिमों पर कहर टूटने से समिति को मिलने वाली मदद की नाकाबंदी हो गई।

उधर सफाई पक्ष के वकीलों पर सख्ती शुरु हुई।

जब कःस की सुनवायी को एक महीने आगे टाला गया था तो सैल के वकीलों की जज के साथ झड़प हुई थी।

पेशी वाले दिन जज ने बीमार होने का बहाना बनाया था। घर बैठे ही रीडर को हुक्म भेजा था। केस अगले महीने की आठ तारीख पर रख दिया जाए।

अगले दिन गुरमीत ने इस हुक्म के विरुद्ध रोष प्रकट किया था। वह एक दो दिन की पेशी चाहता था। जब जज ने पैरों पर पानी पड़ने ही नहीं दिया तो गुरमीत ने न्याय पालिका के कर्त्तव्यों पर एक लम्बा चौड़ा भाषण झाड़ा था। साथ ही रात कोठी में रची गई साजिश का जिक्र किया था।

इस नुक्ताचीनी पर जज चिढ़ गया। उसने सफाई पक्ष के सारे वकीलों को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। स्वयं तो जो वह बिगाड़ सका बिगाड़ेगा ही, निम्न अदालतों को भी संकेत कर दिया। तीनों में से किसी वकील को भी 'रिलीफ' न दिया जाए। उनके साथ बदसलूकी की जाए। पास खड़े सायल को यकीन दिलाया जाए कि जज वकील से खार खाता है। जब सायल के मन में ऐसा संदेह बैठ जाता है, तब वह वकील बदलने को एक मिनट लगाता है।

इन वकीलों के हर मुलजिम को सजा करो। ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड दो। किसी की जमानत न लो। उनको सबक सिखाते हुए किसी और के साथ ज्यादती हो जाए, इसकी भी परवाह न करो।

प्यारे लाल की स्थिति न सावन सूखे न भादो हरे वाली थी। न कोई केस, न फैसला उल्ट होने का डर।

गुरमीत भी नया-नया आया था। जो दो चार केस उसके पास थे, उन का पता नहीं कब फैसला होना था। वैसे भी उसके सायलों में दूसरा वकील करने का सामर्थ्य नहीं था।

मोहन जी सब से ज्यादा प्रभावित हुआ था। उसका धड़ाधड़ नुकसान हो रहा था। वह घबराया हुआ था। वकीलों का एक दल उसके खिलाफ प्रचार करने में व्यस्त था। उसकः हर सायल को बुला कर समझाया जा रहा था।

"जज मोहन जी के खिलाफ है। बच्चू, हर हाल में सजा होगी।" कुछ डरपोक सायल खिसक गए थे। बहुत से खिसकने वाले थे। वह मांग कर रहा था, समिति कुछ करे। समिति ने कुछ न किया तो वह दिनों में ही बेरोजगार हो जाएगा।

समिति के वर्करों की भी यही मांग थी। उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा था। आग लगने के बाद कुआं खोदने का क्या लाभ? समिति के वर्करों का पुराना रिकार्ड निकाल लिया गया था। थाने वालों ने ऐसे केसों की लिस्ट तैयार कर ली, जिन में उनको गिरफ्तार किया जा सकता था।

पुलिस की आंखों में राजेन्द्र सब से ज्यादा खटकता था। उसको पांच साल पहले हुए एक कत्ल के केस में पकड़े जाने की योजना बन गई थी।

इस केस में एक मुर्गी खाने के मालिक का कत्ल हुआ था। यह कुकर्म आतंकवादियों का था।किन्तु वे पुलिस के हाथ नहीं आए थे।

थाने का जेर-तफतीश पड़ा यह सब से पुराना केस था। हर मीटिंग में अफसर डांटते थे, दोषी गिरफ्तार करो। असली दोषी नहीं मिल रहे तो किसी और को फिट करो। पिछली मीटिंग में साहिब ने चेतावनी दी थी। यदि इस महीने भी चलान पेश न किया गया तो सख्त कार्यवाही होगी।

एक तीर से दो निशाने लगाने का पुलिस के पास यह अच्छा मौका था। केस में फिर से प्राण डाले गए। एक ऐसे गवाह का ब्यान लिखा गया जो समिति की पहुंच से बाहर था। वह दो महीने पहले ही मर चुका मेहरदीन था।

वह टैक्सी चलाता था। कत्ल से एक दिन पहले राजेन्द्र मेहरदीन की टैक्सी में पोल्ट्री फार्म पर गया था। अंडों के भाव पर दोनों में तकरार हुई थी। राजेन्द्र ने उसके सामने मालिक को सबक सिखाने की धमकी दी थी। दस दिनों बाद राजेन्द्र उसको फिर मिला था। राजेन्द्र नशे में धुत्त था। उसने मेहरदीन को बताया था। उसके साथ बदसलूकी करने वाले सेठ का उसने काम तमाम कर दिया था। गवाह राजेन्द्र से डरता पांच साल चुप रहा। मरते समय वह मन पर बोझ नहीं रखना चाहता था। आखिरी सांस लेने से पहले उसने पुलिस को बुला कर अपना ब्यान दर्ज करवाया और सदा के लिए सो गया। राजेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए अभी इतनी गवाही ही काफी थी।

शामू के लिए चोरी का केस तैयार किया गया।

करीब एक साल पहले कॉलेज की प्रयोगशाला में से लाखों रूपये का सामान चोरी हुआ था। इस संबंध में पुलिस के पास केस दर्ज था।

वैसे सब को पता था यह पर्चा एक औपचारिक कार्यवाही थी। मिली ग्रांट की सारी राशि प्रिंसीपल खा गया था। सामान कागज पत्रों में ही आया था। पर्चे से जाली खरीद छुप जानी थी। और बीमा कम्पनी से मुआवजा भी मिल जाना था। मिले मुआवजों से सामान खरीद लिया जाना था। सामान भी पूरा और जेबें भी गर्म। इस षड़यन्त्र में पुलिस की मिली भुगत थी। इसलिए पर्चा दर्ज होते ही तफ्तीश ठप्प हो गई थी।

अब इस केस में भी कार्यवाही पड़ जानी थी। प्रिंसीपल से पांच सौ का सामान मँगवा कर थाने रख लिया गया था। वह सामान शामू से बरामद हुआ दिखा कर सारे मसले हल हो जाने थे।

बाबा जी को पकड़ने के लिए पहले वाला केस ही काफी था। दो गवाह खड़े किए गए। उनके दो-चार लाठियां लगाई गईं। फिर डाक्टरी मुआयना करवाया गया। गवाहों द्वारा रपट दर्ज हुई। वह बाबा के खिलाफ दर्ज हुए केस के गवाह थे। रात बाबा कुछ समर्थकों को लेकर उनके घर आया था। उनको धमकी दी थी। यदि बाबा जी के खिलाफ गवाही दी तो ठिकाने लगा दिये जाओगे। उनको बाबे से खतरा था।

इस रपट के आधार पर बाबे की जमानत रद्द करवायी जा सकती थी। ''समर्थकों'' में से किसी भी कार्यकर्ता को आवश्यकतानुसार पकड़ा जा सके, इसलिए मिसल का मुंह खुला रखा गया था।

गुरमीत को भी हेराफेरी और भ्रष्टाचार के एक केस में उलझाने की योजना थी। जब वह सरकारी वकील था तब उस ने छब्बीस के एक दोषी से, उस को बरी करवाने का पांच हजार रुपया लिया था। बिना उसका काम करवाए ही गुरमीत नौकरी छोड़ गया। गुरमीत उसको पैसे वापिस नहीं कर रहा था। कार्यवाही की जाए। इस तरह की एक दरख्वास्त पुलिस ने किसी से ली थी।

बाकी सर्मथकों के लिए एक चालू किस्म की औरत को थाने बिठाया गया। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस वाले पहले उसके साथ ब्लात्कार करेंगे। फिर इस दोष में समिति वालों पर पर्चा दर्ज करेंगे। इस केस का पुलिस वालों को दोहरा फायदा होगा। वह दोषियों को गिरफ्तार तो करेंगे ही, साथ में मुंह काला करके जलूस भी निकालेंगे। लोगों में उनकी काली करतूतों का भंडा फोड़ेंगे और उनकी साख बिगाड़ेंगे।

पुलिस द्वारा सारी लिखा पढ़ी मुकम्मल थी। ऊपर से संकेत मिलते ही धुआंधार गिरफ्तारियां हो सकती थी।

समिति के कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ गवाहों और उन को शरण देने वाले हमदर्दों में भी सहम फैल रहा था। पुलिस के जासूस उनको कुत्तों की तरह सूंघते फिरते थे। किसी भी समय, कहीं भी छापा पड़ सकता था।

समिति को गवाहों और हमदर्दों की अधिक चिंता थी। अगली पेशी में महीना पड़ा था। यह भी कोई गारंटी नहीं थी कि अगली पेशी पर गवाह भुगत ही जाएं। जिस तरह से सरकारी मशीनरी में तालमेल बैठा हुआ था, उस तरह से तो उतनी देर तक पेशियां पडती रहनी थीं, जितनी देर तक पुलिस को यकीन नहीं हो जाता कि सारे गवाह उसके पक्ष में भुगतेंगे।

अधिकतर गवाह साधारण परिवारों से संबंधित, सुबह-शाम काम कर के खाने वाले हैं। महीनों तक न उनको घर से अलग रखा जा सकता था न काम काज से। किसी की नौकरी छूट जानी थी, किसी का करोबार ठप्प हो जाना था और किसी की फसल उजड़ जानी थी।

गवाहों को घर भी नहीं भेजा जा सकता था। घर जाते ही पुलिस ने उनको उठाकर ले जाना था।

लीगल सैल के पास गवाहों को कानूनी राहत दिलाने का भी कोई उपाय नहीं था। ऐसी स्थिति में गवाहों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना।

जीवन आढ़ती गवाहों को गुप्तवास में रखना चाहता था। वह उनके परिवारों का खर्च झेलने के लिए तैयार था।

किन्तु समिति किसी भी ऐसे गवाह को पुलिस के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी, जिसने समिति का साथ दिया था। सवाल सिद्धान्तों का था, गवाही के अहम होने या न होने का नहीं था।

भविष्य में क्या रुख अपनाया जाए? यह विचारने के लिए समिति की गुप्त मीटिंग रखी गयी।

अधिकतर कार्यकर्ताओं का विचार, बचाव की बजाय, हमले की नीति अपनाए जाने का था। बचाव ईंट का जवाब पत्थर से देकर ही हो सकता था।

बाबा जी का विचार था कि लोगों को इंसाफ दिलाने वाली तीनों एजेंसियां, पुलिस, प्रासीक्यूशन और न्यायपालिका अपना कर्त्तव्य बुला बैठी हैं। तीनों के सामने एक ही उद्देश्य है, वर्तमान सरकार को खुश करना और ज्यादा से ज्यादा पैसे बटोरना।

सफलता प्राप्त करने के लिए समिति ने तीनों पक्षों के विरुद्ध धर्म युद्ध आरम्भ करना था।

जज और सरकारी वकील खुले आम रिश्वत लेते थे। इनको भ्रष्टाचार के केसों में उलझाया जाए।

नाथ जालंधर का रहने वाला था। उसका बाप एक प्राइमरी स्कूल मास्टर था। सारी उम्र मास्टर मकान नहीं बना सका था। लड़कियों के विवाह उसने ऋण लेकर किए थे।

नाथ पढ़ाई में होशियार था। दसवीं पास करते ही नगर पालिका में मुहर्रर लग गया। रात की डयूटी के समय पढ़ता रहता। पहले बीए की, फिर लॉ। आखिर जज बन गया।

जज बनते ही गोबिन्दगढ़ के उद्योगपतियों ने नाथ साहिब को खरीद लिया। पांच लाख नकद, कार और लड़की देकर।

आलीशान कोठियों में से आयी सुनीता को नाथ साहिब के घर से बदबू आने लगी। बिना फलश वाले शौचालयों के कारण उसको कब्ज रहने लगी।

नाथ का स्टैंडर्ड ऊँचा उठाने के लिए पहले-पहले ससुराल वालों ने मदद की। कभी मिलने आए कूलर लगवा गए, कभी कालीन बिछवा गए।

फिर करोड़पति सालों, साढूओं को देख देख नाथ साहिब को भी रहन-सहन का तरीका आ गया। पैसा बनाने का सलीका भी रिश्तेदारों ने सिखा दिया।

अब वह भी लाखों की जायदाद का मालिक था। फार्म बना लिए,कारखानों में हिस्से डाल दिए, प्लाट खरीद लिए और कोठियां बना लीं। साले, सालियों के विवाह में जाते अब उसको शर्म के मारे मुंह नहीं छिपाना पड़ता। वह भी संबंधियों की बराबरी करता था।

नाथ को हाथ डालना खाला जी का घर नहीं था। उसकी अधिकतर जायदाद कुत्ते-बिल्लों के नाम थी। जो उसके अपने नाम था, उसका उसके पास पूरा हिसाब-किताब था। कभी ससुराल की ओर से पत्नी को उपहार आ जाता था और कभी किसी फर्म से लाभ।

योजना तो यह थी कि उसको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जाए, किन्तु यह भी असंभव था। वह अपने हाथों से पैसे पकड़ता ही नहीं। इस काम के लिए उसने विशेष व्यक्ति रखे हुए थे। शहर के सेठ, गांवों के सरदार या फिर भंडारी जैसे रईस वकील। वे कब फीस की बात करते हैं, कब रुपये पकड़ते हैं

और कब जज के पास पहुंचाते हैं, कुछ पता नहीं लगता। रुपये उसी तरह पहुंचाये जाते हैं या बदल कर, यह भी पता नहीं लगता। जाते भी हैं या खातों में जमा हो जाते हैं, इस बारे में कोई सुराग नहीं मिलता।

रंगे हाथों पकड़ना है तो बचन सिंह को पकड़ा जाए। वह खुलेआम पैसे लेता है। कैंटीन वाले के माध्यम से, नायब कोर्ट, मुंशी और वकील के माध्यम से। सीधे मिल लो तो भी कोई एतराज नहीं, बल्कि खुश होगा। किसी मध्यस्थ के द्वारा मिलो तो उसे हिस्सा देना पड़ता है। सीधे आने वाली पार्टी से वह कम पैसे ले लेता है।

उसको फंसाने के लिए समिति को ज्यादा धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं। पहली बार वह जरूर दस हजार मांगेगा। जब उठने लगो तो छूट भी थोक के भाव देगा। सौदे बाजी करता -करता अन्त में पांच सौ तक आ जाएगा।

वह करे भी क्या? वह पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ था। पूरी आधा दर्जन बेटियों का बाप था। दो का विवाह कर चुका था, बाकी चार को चाहे आज ब्याह दे।

जानने वाले जानते थे वह उतना बड़ा जमींदार नहीं जितना बड़ा स्वयं को बताता था। गांव में उसका न फार्म था, न बाग। तीन भाइयों के पास कुल आठ एकड़ ज़मीन थी। ठेके जितनी तो परिवार गेंहू खा जाता। पारिवारिक जिम्मेवारियां उसको नौकरी द्वारा पूरी करनी पड़ती थीं।

रिश्वत बचन सिंह चाहे सरेआम लेता था, किन्तु उसको भी आसानी से रंगे हाथों नहीं पकड़ा जा सकता था। विजीलैंस वालों को हर समय सरकारी वकील की जरूरत रहती थी। आसानी से वे उस पर छापा नहीं मारेंगे।

गुरमीत का अनुभव यही कहता था।

"कोई नहीं। हमारे लिए उसको पकड़वाना कोई जरूरी नहीं। समिति का उद्देश्य मुलाजिमों को होशियार करना है। वह अपने-अपने दायरे में रहकर काम करें तो ठीक। वह दायरे में से बाहर निकलेंगे तब समिति भी हमला करेगी। बचन सिंह पर रेड होने से दूसरों को कान तो होंगे।" यह बाबा जी का विचार था।

मोहन जी कोई आसामी तैयार करेगा। गुरमीत उस को विजीलैंस वालों के पास लेकर जाएगा।

पुलिस को नकेल डालने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न किया जाएगा। हर गांव की इकाई सचेत रहेगी। किसी भी सिपाही, हवलदार को गांव में उल्टा सीधा काम नहीं करने दिया जाएगा। कोई करे तो पहले गांव में उसका जलूस निकाला जाएगा। फिर उच्चाधिकारियों के पास शिकायत की जाएगी। थानेदार और डिप्टियों के स्कैंडलों को अखबारों में उछाला जाएगा। राई का पहाड़ बनाया जाएगा।

स्मगलरों पर नजर रखी जाएगी। ज्यों ही पुलिस के साथ मिलीभुगत करें, दबोच लिए जाएंगे।

सारांश यह कि हर मुलजिम को अपनी नौकरी खतरे में नजर आएगी। हर कोई अपनी-अपनी पड़ताल में उलझ जाएगा। सब के हौंसले पस्त हो जाएंगे। कोई किसी को नाजायज तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी गुत्थियां सुलझाने में उलझी पुलिस को समिति के इर्द-गिर्द जाल बिछाने का समय नहीं मिलेगा।

समिति की इस योजना ने वर्करों में नये प्राण फूंक दिए।

19

बचन सिंह पर रेड करवाने के लिए समिति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिसको मुद्दई बनाकर बचन सिंह पर रेड करवाई जा सके। पहले यह उत्तरदयित्व मोहन जी ने अपने कंधों पर लिया था। इसको निभाने में अब वह कन्नी काट रहा था। उसको लगा था चोरी-यारी की तरह यह कुकर्म भी किसी से छुपा नहीं रहेगा। बचन सिंह के साथ कौन सा उसकी निजी दुश्मनी थी। मोहन जी का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। उसने अपने मन में निश्चय किया। वह बंटी कत्ल केस की पैरवी तो करेगा किन्तु शत्रुता मोल नहीं लेगा। अपने सायलों की भलाई के लिए उसको अफसरों के साथ लेन देन करना पड़ता था। एक बार साख खराब हो गयी तो सारे अफसर उस पर विश्वास करना बन्द कर देंगे। कोयलें की दलाली में वह अपना मुंह काला नहीं करेगा।

मोहन जी तो पीछे हट गया किन्तु प्यारे लाल के भरसक प्रयत्न जारी रहे। पटवारी, कम्पाउडर या किसी बाबू पर रेड करवाने के लिए बीस तैयार थे किन्तु इस पहाड़ के साथ टकराने से सब डरते थे।

कई दिनों के बाद प्यारे लाल को अपने सहपाठी भिंदर की याद आई।

आज कल वह सब्जी बेचता था। पहले वह दूध बेचता था।

एक दिन मुंह अंधेरे सैंपल वालों ने उसको घेर लिया था। जितने पैसे केस को रफा दफा करने के लिए मांगे गए, उतने देने की उसकी पहुंच नहीं थी। उसने केस लड़ने का फैसला कर लिया।

जज भी उसकी पहुंच से बाहर रहा।

स्वयं को भाग्य के हाथों छोड़कर वह फैसले की प्रतीक्षा करने लगा। भाग्य ने भी साथ न दिया। दो साल की कैद हुई और तीन हजार रुपये जुर्माना। गहने आदि बेचकर अपील की। फिर बचन सिंह से मुलाकात हुई। धक्के खा-खा कर भिंदर समझदार हो चुका था। रिश्वत वाला कड़वा घूंट उस को भरना ही पड़ना था।

बचन सिंह के साथ सौदा तय हुआ। तीन हजार में उसने उसको बरी करवाना था।

न वह बरी हुआ, न बचन सिंह ने पैसे वापस किए। कैद काट कर भिंदर जब वापिस आया तब उसको बचन का ख्याल आया। पैसे वापिस लेने के लिए वह बचन सिंह के पास गया। वह साफ मुकर गया। कहने लगा 'गंगा गई अस्थियां भी कभी लौटी हैं?'

बचन सिंह अपना कर्त्तव्य निभा चुका था। जज ने भिंदर की सजा भी कम कर दी थी और जुर्माना भी। यह सब बचन सिंह की कृपा से हुआ था। भिंदर और क्या चाहता था?

हाथ मलने के सिवा वह कुछ नहीं कर सका था। अब मौका था। भिंदर यदि चाहे तो अपने बदले की आग ठंडी कर सकता था।

भिंदर फौरन मान गया।

प्यारे लाल और भिंदर को विजीलैंस वालों के पास भेजने से पहले गुरमीत सिंह के पास पेश किया गया। विजीलैंस वालों ने क्या चालें चलनी हैं और उनको कैसे मात देनी है, यह विस्तारपूर्वक समझाया गया।

गुरमीत के बताए गुर कदम-कदम पर काम आने लगे।

"किस की जड़ें काटने आए हो?" दैत्य जैसे कद और कुंडलदार मूंछों वाले विजीलैंस इंस्पैक्टर ने रौब झाड़ते हुए उनका स्वागत किया।

यदि गुरमीत ने चौकस न किया होता तो भिंदर इस धुड़की से अंदर तक हिल जाता।

"अपने बाप से कोई गलत काम करवाना होगा। वह नहीं करता होगा, तभी अन्दर करवाना होगा। ''भिंदर के बात शुरू करने से पहले ही इंस्पैक्टर बोलने लगा।

प्यारे लाल ने वकील के रूप में अपनी जान पहचान करवाई। इंस्पैक्टर के तेवर कुछ कुछ बदलने लगे।

"बताओ कौन सा अफसर है और कितने पैसे मांगता हैं?" इंस्पैक्टर का अगला सवाल यही था, जो गुरमीत के अनुसार उसने उनको पूछना था।

इस सवाल का जवाब उन्होंने सीधे ढंग से नहीं देना था। यदि उन्होंने बचन सिंह का नाम ले दिया तो इंस्पैक्टर ने कुर्सी से उछल पड़ना था। साथ ही चार गालियां प्यारे लाल को निकालनी थीं। बचन सिंह की तारीफों के पुल बांध देने थे। यदि वे फिर भी जिद करके बैठ गए तो उसने काम करवाने का वायदा करके टाल देना था।

सरकारी वकील को पकड़ कर इंस्पैक्टर ने अपनी साख थोड़ा खराब करनी थी।

प्रासीक्यूशन और पुलिस का चोली दामन का साथ था। पुलिस सरकारी वकील का बाहुबल थी और सरकारी वकील पुलिस का दिमाग। एक को नुकसान पहुंचाने से दूसरे को नुकसान अपने आप पहुंच जाना था।

"आप हमारे साथ चलो। मौके पर सब पता चल जाएगा।"

''ऐसे मैं मुंह उठाकर कैसे चल पड़ूँ? मैं जिम्मेवार अफसर हूं। पकड़े जाने वाले का नाम पता तो बताओ। "चिढ़े इंस्पैक्टर ने प्यारे लाल की डिग्री की परवाह करनी छोड़ दी।

अब जब फरियादी के साथ वकील होशियारी कर रहा था, तब इंस्पैक्टर के लिए शिकार का नाम जानना और भी जरूरी हो गया था। पकड़ा जाने वाला अवश्य कोई पुलिस मुलाजिम था या विजीलैंस वालों का घनिष्ठ मित्र। इतना तो इंस्पैक्टर की समझ में आ गया था।

इंसपैक्टर के जेहन में मित्र अफसरों के अक्स उभरने लगे।कहीं वह नायब तहसीलदार न हो? अभी कल ही उसने इंस्पैक्टर का काम किया था। एक लावारिस प्लाट पर उसका कब्जा करवाया था।

कहीं वह इंडस्ट्री इंस्पैक्टर ही न हो? कुछ दिन पहले उसने साहिब के लड़के के लिये स्टील का कोटा मंजूर करवा कर दिया था।

फूड इंस्पैक्टर ने हवलदार की बहिन के विवाह पर मिठाइयों की बहार लगाई थी।

बिना अफसर का नाम पता जाने वह कुर्सी से नहीं उठेगा। मन ही मन इंस्पैक्टर ने फैसला कर लिया।

"नाम-पता नहीं बताना तो अर्जी तो दो। किसी शरीफ आदमी को हाथ डालने से पहले हमारे हाथ में कुछ तो हो।'' अफसर का नाम जानने के लिए इंस्पैक्टर हर हथकंडा प्रयोग करने लगा।

प्यारे लाल ने एक बंद लिफाफा इंस्पैक्टर की ओर बढ़ाया। "इस लिफाफे में हल्फिया ब्यान है। मैजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाया हुआ। शिकायत झूठी निकली तो बेशक हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर लेना।''

इस सवाल के जवाब की तैयारी भी वह पहले ही करके आया था।

लिफाफा देखकर इंस्पैक्टर के तन बदन में आग लग गयी। वकील नहले पर दहला मार रहा था।

"अविश्वास करके करवा लो फिर काम। "काम न करने का संकल्प इंस्पैक्टर ने एक बार फिर दोहराया।

"हमारी एक विनती है। लिफाफे को मौके पर ही खोलना।" प्यारे लाल की इस विनती पर इंस्पैक्टर के अन्दर जलती आग पर तेल तो पड़ा, किन्तु वह बौखलाया नहीं।

"ठीक है, किन्तु एक समस्या है। इस समय मेरे पास न गाड़ी है न स्टाफ। आप गाड़ी का प्रबंध करो, मैं स्टाफ का करता हूं।"

लिफाफा जेब में डालकर इंस्पैक्टर कुर्सी से उठा खड़ा हुआ।वह स्टाफ का प्रबंध करने के लिए इधर-उधर टहलने लगा। भिंदर गाड़ी लेने चला गया। प्यारे लाल इंस्पैक्टर की गतिविधियों पर नजर रखने लगा।

गाड़ी दस मिनट बाद आ गयी। दो मिनट के लिए गया इंस्पैक्टर तीन घंटे न लौटा। प्यारे लाल को फौरन एहसास हो गया। तीर उनकी कमान से निकल चुका था।

पांच बजा कर आए इंस्पैक्टर का चेहरा शांत था।

आते ही उसने माफी मांगी। साहिब ने उसको एक जरूरी मीटिंग के लिए बुला लिया था, वहां देर हो गई।

'आप कल आना ठीक दस बजे। विजीलैंस की गाड़ी भी तैयार होगी और स्टाफ भी। ग्यारह बजे तक शिकार पिंजरे में होगा।'

मुंह लटकाए वे वापिस आ गए।

पुलिस ने उनको मात दी थी और उन्होंने पुलिस को। हल्फिया ब्यान में उन्होंने नायब तहसीलदार का नाम लिखा था। यदि बचन सिंह का नाम लिख दिया होता, तो सारी योजना बेकार हो जाती।

प्यारे लाल के असफल होने के बाद यह जिम्मेवारी गुरमीत को सौंपी गई।

दोबारा असफलता का मुंह न देखना पड़े, इसलिए सारी परिस्थितियों का एक बार फिर निरीक्षण किया गया।

विजीलैंस विभाग में आज कल कौन-कौन से अफसर तैनात थे। उनके बचन सिंह के साथ कैसे संबंध थे? डिप्टी कौन था? उसका व्यवहार किस तरह का रहेगा? कोई बचन सिंह को हाथ डालेगा या नहीं?

इस इलाके का इंचार्ज कोमल सिंह इंस्पैक्टर था। कोमल सिंह और बचन सिंह एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अभी कल की बात है। निरंजन सिंह ओवरसियर की इन्कवायरी के समय बचन सिंह ने कोमल सिंह का घर रुपयों से भरा था।

डिप्टी उसका भी बाप था।

गुरमीत को पुलिस कप्तान से संपर्क करना पड़ना था।

बीहले वाले सरपंच ने बचन सिंह से पुराना हिसाब चुकता करना था।

सरपंच का साला फंस गया था। पांच किलो पोस्त के केस में। बचन सिंह ने एक महीना उसकी जमानत नहीं होने दी थी। सरपंच ने उसकी बहुत मिन्नतें की थी। साले के मासूम बच्चों का वास्ता दिया था। सरपंच की सलहज मर हुई थी। बच्चे छोटे थे। साले के बिना वह रात को डर-डर कर उठते थे।

सरपंच का साला गरीब था। बचन सिंह जितनी फीस मांगता था, उतनी नहीं दे सकता था। किन्तु बचन सिंह ना-नुकर करता रहा।

बचन सिंह यदि एक घंटे के लिए भी अंदर हो जाए, सरपंच के कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। उसको पता लग जाएगा, झूठे केसों में फंस जाने का दर्द कैसा होता है।

सरपंच को लेकर गुरमीत ने स्वयं चढ़ायी कर दी।

पुलिस कप्तान के नीचे वाले अफसरों से उसने बात तक न की।

वह एक रिश्वतखोर अफसर को पकड़वाने आए थे। विजीलैंस वाले उसके मित्र थे। वे उनके साथ जाने को तैयार नहीं थे।

कप्तान रिश्वत लेने वालें के विरुद्ध था। वह उनकी मदद करे। कप्तान फौरन मान गया। फरियादी को हर तरह से मदद मिलेगी। वह यकीन दिलाने लगा।

पकड़ा जाने वाला एक गज़टिड अफसर था। इसलिए पार्टी का नेतृत्व डिप्टी करे। डिप्टी कमिश्नर को फोन करके किसी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाए। पुलिस पार्टी को निर्देश दिया जाए। दोषी को पकड़े जाने तक उसका नाम न पूछा जाए।

कप्तान ने सब शर्ते मान लीं।

फरियादियों को कप्तान के दफ्तर में बिठाया गया। पुलिस पार्टी के तैयार होने तक उनकी शिनाख्त को गुप्त रखा गया। डिप्टी ने बाल धूप में सफेद नहीं किये थे। रेड से पहले-पहले उस ने खोज लेना था कि बुरे दिन किसके आए थे।

सरपंच बीहले का था। इसलिए छापा शहर के किसी अफसर पर पड़ना था। मैजिस्ट्रेट को साथ लिया गया है, इसलिए साढ़ेसती किसी गज़टिड अफसर पर चढ़नी थी।

इतना सा अंदाजा लगाकर डिप्टी जीप में बैठ गया।

इशारे से उसने रीडर को समझाया। वह रेड पर जा रहा है, बाद में वह ख्याल रखे।

रास्ते में डिप्टी ने उनको बातों में लगाया। घुमा फिरा कर अफसर का नाम पूछना चाहा। सरपंच भी पक्का था। बीसियों सवालों के बाद मुश्किल से मुंह खोलता था। परंतु डिप्टी को कुछ समझ न आता।

फरियादियों ने जब जीप कचहरी के आगे रुकवायी तो डिप्टी के कान खड़े हो गए। तहसीलदार की शामत आई लगती है। वैसे अब तक रीडर ने सब जगह फोन खडका दिए होंगे। फिर भी वह यार के बचाव का तरीका सोचने लगा।

डिप्टी के धैर्य का प्याला भर चुका था। उससे और धैर्य नहीं रखा जा रहा था। वह डर रहा था। उसके हाथों कहीं अपना ही मित्र न मारा जाए।

छापे से पहले पुलिस के लिए लिखा पढ़ी करनी जरूरी थी। लिखा पढ़ी तभी होनी थी यदि मुलजिम का नाम पता और पद मालूम हो।

डिप्टी के अड़ जाने पर गुरमीत को झुकना पड़ा। अब तक उन्होंने पुलिस को उलझा रखा था। अब उनके फंसने की बारी थी।

सड़क पर खड़े होकर लिखा पढ़ी करनी उचित नहीं थी। वे ढाबे के आगे रुके। सरपंच, गुरमीत, डिप्टी और मैजिस्ट्रेट लिखा-पढ़ी में व्यस्त हो गए। सिपाही चाय पीने के बहाने इधर उधर बिखर गए।

खड़ी जीप और घूमते सिपाहियों को देख कर विजीलैंस पार्टी के कचहरी आने की खबर चारों ओर फैल गयी।

अफसर पहले ही सचेत हो चुके थे। स्टाफ भी चौकन्ना हो गया।

तहसीलदार दौरे पर निकल चुका था। नायब तहसीलदार कल से सप्ताह की छुट्टी पर था।

लिखा पढ़ी मुकम्मल करके पुलिस पार्टी ने बचन सिंह के दफतर के आगे नाका लगा लिया।

सरपंच को आगे भेजा गया। वह पाऊडर वाले रुपये सरकारी वकील को पकड़ाए। जब वह पैसे पकड़े लेल तो पुलिस पार्टी को संकेत करे। बाकी पुलिस खुद संभाल लेगी।

सरपंच दफतर गया। पता लगा, वह कचहरी में पेश होने गया है।

सरपंच कचहरी गया। पता लगा, उसके मेहमान आए थे। वह घर चला गया।

जब शिकार उड़ गया तो उदास हुआ डिप्टी सरकारी वकील के दफतर आ बैठा।

"अब क्या करें? "कुछ देर और प्रतीक्षा करने के बाद डिप्टी ने सरपंच से पूछा!

" जैसे आपकी मर्जी। "रुआंसे हुए सरपंच ने डोर डिप्टी पर छोड़ दी।

''आज किस्मत उसको बचा गयी।'' कभी फिर कोशिश करेंगे।'' फरियादी की मूर्खता पर मुस्कराते डिप्टी ने विदा ली।

समिति को सफलता चाहे नहीं मिली थी।किन्तु नतीजा बुरा नहीं था।

गुरमीत के अड़े रहने के कारण डिप्टी द्वारा भेजे गए संदेश के आधार पर बचन सिंह के विरुद्ध पर्चा दर्ज हो गया था। बचन सिंह के बच निकलने के कारण एफ.आई.आर. का कोई महत्व नहीं था। बचन सिंह की बदनामी के लिए यही काफी था।

अगले दिन अखबार खबरों से भर गए।

शर्मसार हुए बचन सिंह ने महीने की छुट्टी ले ली। अब इस शहर में रहने का कोई फायदा नहीं।

तबादले के लिए चंडीगढ़ डेरा लगाकर बैठे बचन सिंह को मित्रों के संदेश आने लगे।

इस पहली बाधा के हट जाने से समिति का मार्ग आसान होने लगा।

20

समिति ने प्रासिक्यूशन वाला किला जितनी असानी से सर किया था, न्याय पालिका वाला चक्रव्यहू तोड़ना उतना ही मुश्किल हो रहा था।

पहले जहां भी दो वकील मिलते उनकी बातचीत का विषय एक ही होता। कभी गुप्ता कह रहा होता, ''नाथ मंहतो वाले केस में पचास हजार ले गया।''

कभी शर्मा कहता, ''तेल की ब्लैक वाले केस में नाथ सेठों से बीस हजार ले गया।''

कभी सुरेन्द्र मोहन कहता, ''सहिने वाली जमीन के केस में मैने जज को साठ हजार दिलवाए हैं।

कभी हरबंस सिंह कहता, ''मेरी पार्टी ने चालीस हजार देकर इंतकाल वाला केस अपने पक्ष में करवाया है।''

जज के खिलाफ जेहाद छेड़ने से पहले लीगल सैल को लगा था, जैसे दिनों में ही वह ऐसे केसों की लम्बी लिस्ट बना लेगी, जिन में जज ने रिश्वत ली थी। किन्तु कई सप्ताहों की मेहनत के बावजूद भी नतीजा शून्य रहा था।

जिस के पास भी नाथ के अन्याय की बात करते, वही मुंह फेर लेता।

वकीलों में सायलों से ज्यादा सहम था। सायल तो हां हूं कर ही देते। वकील एक भी शब्द मुंह से निकालने से पहले सौ-सौ बार सोचते।

अधिकतर वकील बचन सिंह पर पड़े छापे से खुश नहीं थे। रेड पार्टी में एक वकील शामिल होने से वकीलों को लगता था जैसे सारी बार के मुंह पर कालिख लग गई हो। जैसे वे अफसरों, अहलकारों को मुंह दिखाने के योग्य न रहे हों।

बार की इस बदनामी के लिए लीगल सैल उत्तरदायी था। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर रही थी।

सैल वालों के पास जज की चुगली क्यों की जाए?

हिम्मत हारने वाले दिन गुरमीत भी नहीं जन्मा था। छुप-छुपाकर वह मित्र वकीलों से संपर्क करने लगा। गुप्ता वकील अभी भी अपने स्टैंड पर कायम था। महंतों ने नाथ को पचास हजार रुपये दिए थे। वह सैल की सहायता करना चाहता था, किन्तु कर नहीं सकता था । महंतो को जज के साथ कोई नाराजगी नहीं थी। दूसरे उनकी अपील उच्च अदालत में चल रही थी। महंतो ने यदि कोई अर्जी पत्र या

हल्फिया ब्यान दे दिया तो यही उनकी हार का कारण बन जाना था। वह अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने को तैयार नहीं थे।

ऐसी ही मजबूरी शर्मा वकील की थी। सेठ भी डरपोक था। उन्होंने मन्नौतियां मान कर पीछा छुड़वाया था। क्रोधित जज का क्या है, सरकारी वकील को कह कर अपील ही करवा दे। ब्लैक करना उनका धंधा है। किसी थानेदार की सहायता से फिर छापा मरवा दे। सेठ बिचौले की बेइज्जती से भी डरते थे। कहेगा, जज ने कौन सा तुम्हें घर बुलाया था। तुम ही पैसे देने के लिये बेचैन थे। भविष्य में किसी ने सेठों का काम नहीं करवाना। शिकायत शब्द सेठों के खाते में नहीं था।

जज के विरुद्ध ठोस शिकायत तभी बनती यदि कोई पक्ष छाती ठोक कर कहता, ''जज को पैसे मैने दिए हैं।'' ऐसा पक्ष नहीं मिला न सही। कोई ऐसा पक्ष ही सही, जो कहे, उसके विरोधी पक्ष ने जज को पैसे दिए हैं। हारे हुए पक्ष के आरोप का अधिक महत्व नहीं होता। किंतु इस तरह जज के विरुद्ध जेहाद छेडने का बहाना तो बनना था।

ऐसी किसी पार्टी को फुसलाने के लिए गुरमीत ने झांजी के दरवाजे पर दस्तक दी।

झांजी गुरमीत को छोटा भाई मानता था। उसने अपनी पार्टी को डांटा जरूर था। किन्तु रिश्वत देन वाली बात झूठ थी। विरोधी पक्ष ने जज को पैसे नहीं दिए थे। वास्तव में बात यह थी कि उसके सायल का केस कमजोर था। झांजी को पहले दिन से पता था, वह जीत नहीं सकेगा। किन्तु मुर्गी मोटी थी। दस की जगह सौ खर्च करने वाली, झांजी से छोड़ी नहीं गई। वह सायल को मुकद्दमा जीतने के सब्ज बाग दिखाता रहा। साथ में मानसिक रूप से तैयार करता रहा। जज बेईमान है। कुछ पता नहीं, कब किस की ओर पलड़ा झुका दे। कई-कई साल मुकद्दमा जीतने का सपना देखते पक्ष को यदि एकदम हार का सामना करना पड़ जाता तो वह झांजी का सिर न फोड़ देते। यह तो पार्टी को भ्रमित करने का झांजी का एक तरीका था।

मिलता जुलता बहाना महंगा सिंह ने बना दिया। गुरमीत को कुछ समझ नहीं आया था। वकील ने सायल को भ्रमित किया था या गुरमीत को।

प्यारे लाल और मोहन जी का भी यही हाल था। मोहन जी के किसी सायल ने भी हां नहीं की थी।

थक-हारकर लीगल सैल ने हथियार डाल दिए। लुटे हुए और डरे सहमे लोग हर किसी के पास दिल की बात नहीं कहेंगे, वकीलों के पास तो बिल्कुल नहीं।

यदि उन्होंने अपना दुख सुनाया तो हमदर्दों के पास सुनाएंगे।

समिति की सारी इकाइयों को सचेत किया गया। वे लोगों में घूमें। लोगों की दुखती रग को छडे। फिर ही सफलता की संभावना बन सकती थी।

क्रांतिकारी फ्रंट के राजेन्द्र को हेड़ी के वाले राम सिंह का सुराग मिला। अदालतों ने उसको बहुत लूटा था। उसको फुसलाने के लिए राजेन्द्र को कई दिन उसकी चापलूसी करनी पड़ी थी।

जब राम सिंह का बाप मरा तब उसके नाम चालीस एकड़ जमीन थी। पटियाला जैसे शहर के बीचों-बीच चालीस दुकानों की मार्किट थी। लाखों रुपये बैंक में जमा थे।

वसीयत करके भाग सिंह ने बिल्लियों में रोटी फेंक दी। बड़ा टुकडा हासिल करने की लालसा में वारिसों के बीच महाभारत होने लगी। कई लालची कुत्ते उनके आस पास इकट्ठे हो गए। बंदर तमाशा भी देखते रहे, साथ में दोनों बिल्लियों को लूटते भी रहे।

भाग सिंह के दो ब्याह थे। पहली पत्नी से राम सिंह था। दूसरी पत्नी से एक लड़की जसविन्द्र कौर।

राम सिंह की बाप से कम ही बनती थी। वह बचपन से ननिहाल में ही रहा था। वही पढ़ा और युवा हुआ। वही चार एकड़ खरीद लिए।

पिता ने पुत्री को खूब पढ़ाया लिखाया। प्रोफेसर से विवाह किया। कोठी और कार दी। पटियाला वाली मार्किट उसके नाम करवा दी। बहुत किराया आता था। सारी उम्र बिना काम किए बैठ कर खाओ, तब भी नहीं खत्म होना था।

पुत्र को भाग सिंह ने घर से जरूर निकाला था, किन्तु मन से नहीं भुलाया था। पुत्री को बहुत कुछ दिया जा चुका था। जमीन पर पुत्र का ही अधिकार था। यही अधिकार वह वसीयत के माध्यम से बहाल कर गया। भाग सिंह के अहम् को आंच न आए, इसलिए राम सिंह को जमीन से वंचित रखा गया। सारी जमीन भाग सिंह के पोतों यानि राम सिंह के लड़कों के नाम की गई।

सरदारनी के लिए पांच एकड़ सुरक्षित रखे गए। जितनी देर जीवित है कमायी खाती रहे, बाद में वह जमीन भी पोतों को दी जानी थी।

सरदारनी को सरदार के मरने पर उतना दुख नहीं हुआ, जितना वसीयत पढ़कर हुआ था। राम सिंह का कांटा निकालने की बजाय वह बुढ़िया का बुढ़ापा खराब कर गया था। बुढ़िया ने भाई-भतीजे इकट्ठे किए। वकीलों के साथ राय की। कानून के मुताबिक सरदार के तीन वारिस बनते थे। पत्नी, पुत्री और पुत्र। यदि वसीयत टूट जाए तो मां-बेटी को दो हिस्से मिल सकते थे।

दामाद पहले कोठी, नकद और किराए से ही खुश था। जब पता चला कि सास के मरने के बाद उसकी जायदाद भी उसकी पत्नी को मिलेगी तो लम्बी छुट्टी लेकर ससुराल आ बैठा।

वकीलों की सलाह पर दामाद ने एक जाली वसीयत तैयार की। यह एक तरफा न लगे इसलिए पांच एकड़ जमीन पोतों को दी दिखाई गई। बाकी बची जायदाद में मां-बेटी को बराबर का हिस्सेदार बनाया गया।

मुकद्दमेबाजी शुरू हो गयी। एक ओर सास, दामाद और उनके संबंधी थे, दूसरी ओर राम सिंह और उसके संबंधी थे।

दोनों पक्षों को लगता था, जमीन मुफ्त में ही मिलने वाली थी। जो भी हाथ लग जाए, वह अपना था।

दोनों पक्षों की लूट-खसूट शुरू हो गई। एक ओर उनको बदमाश अंगुलियां लगाने लगे। दूसरी ओर वकील।

कभी एक पक्ष को चार बदमाश साथ ले जाकर जमीन पर हल चलाना पड़ता। कभी दूसरे पक्ष को दस बदमाश साथ ले जा कर फसल उजाड़नी पड़ती। कभी एक पक्ष को खेत में खड़े होकर ललकारना पड़ता, कभी दूसरे पक्ष को फायर करने पड़ते।

दोनों घरों में बकरे बनने लगे और शराब उड़ाई जाने लगी। खर मस्ती होने लगी।

वकीलों ने मुकद्दमे में से मुकद्दमा निकालना शुरू कर दिया। कभी सात इक्यावन, कभी गिरदावरी की दरूस्ती, कभी इंतकाल मुतनाजा और कभी दफा एक सौ पैंतालीस।

दामाद पढ़ा लिखा था। अधिकतर काम जान पहचान के बल पर हो जाते थे।

इधर राम सिंह का गुट अनपढ़ था। वकील पांच की जगह पचास खर्च करवाते थे। कभी गवाह का खर्चा, कभी विशेषज्ञ का। कभी कमीशन नियुक्त करवाते, कभी पटवारी बुलाते। कभी अर्जी देनी है, कभी अपील करनी है।

दामाद का पक्ष जमीन पर काबिज था। जमीन की कमायी उनको आ रही थी। मुकद्दमेबाजी का खर्च उन को चुभता नहीं था। उनको मुकद्दमा लटकाने में भी फायदा था और खत्म करने में भी।

राम सिंह दिवालिया हो रहा था। फैसला हो तभी जमीन से चार पैसे की आमदनी हो। उतावलेपन में राम सिंह धडाधड रीडरों, स्टेनों के घर भरता रहा। फैसला का समय आया तो बाजी दामाद मार गया।

दामाद ने तीन लाख में जज को खरीद लिया। तीन एकड के मूल्य में बतीस एक डमहँगे नहीं थे। जज की कौन सा जेब में से कुछ जाना था। असली वसीयत झूठी घोषित कर दी और झूठी असली बना दी।

राम सिंह का अपना हिस्सा भी मारा गया।

निम्न अदालत में वह मार खा गया। भविष्य के लिये सचेत हो गया।

सयानों ने राय दी। राम सिंह ने अमल किाय। सौदा पांच एकड पर निश्चित हो गया। अपना सब कुछ ब`च कर राम सिंह ने नाथ साहिब का घर भर दिया।

दामाद ने पीछा न छोडा। हाई कोर्ट में अपील कर दी।

वहां के रंग न्यारे थे। वकीलों मुशियों ने बडी-बडी जेबों वाले कोट पहने हुए थे। वकील हर पेशी पर पांच हजार लेता था। केस की सुनवाई हो या न, इस से उसका कोई सरोकार नहीं था। साथ में छोटा वकील होता, दशमांश उसको भी देना पड़ता। मुंशी की फीस यहां के वकीलों से भी ज्यादा। खर्चे भी पहाड़ जितने। कभी किसी मिसल का अंग्रेजी में अनुवाद करवाना है, दे जाओ हजार। कभी किसी मिसल की फोटो करवानी है, दे जाओ आठ सौ।

हाई कोर्ट के जज का दलाल ढूंढने की उसकी जुर्रत नहीं पड़ी थी। दस बीस एकड़ जमीन का केस वहां किसी गिनती में नहीं था।

राम सिंह की हालत एक जुआरी जैसी बन गयी। भाड़ में जाए बापू वाली ज़मीन। जो लग गया, वही लौट आए। इसी आशा में वह पैसे खर्च कर रहा था।। उसकी अपनी जमीन तो गिरवी रखी ही थी। अब मामों की भी गिरवी टिकनी शुरू हो गई थी।

हाईकोर्ट में दामाद फिर धोबी पछाड़ मार गया।

राम सिंह को दलाल के साथ-साथ नाथ साहिब पर भी गुस्सा था। पैसे लेते समय नाथ ने बीस बार छाती ठोक कर कहा था। फैसला ऐसा ठोक कर लिखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं टूटेगा।

यह पहली चोट भी न सह सका।

यदि समिति नाथ से कुछ पैसे वापिस करवा दे, तो वह अपना कुछ ऋण चुका कर सुख की साँस लेने लगे।

राजेन्द्र ने उसको दिलासा दिया। वह हैंसला रखे। नाथ लिये हुए पैसे तो लौटाएगा ही, साथ में और दे कर पीछा छुडवाएगा।

राजेन्द्र ने चुपके से उसका हल्फिया ब्यान तस्दीक करवाया और जेब में डाल लिया।

आरम्भ शुभ था।

खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ने लगा।

एक शाम चौधरी ने बाबा जी का दरवाजा खटखटाया। घरेलू आर्थिक तंगी के कारण कुछ साल पहले चौधरी ने अपना कपास का कारखाना बेचने का मन बनाया था। ग्राहक लाने के लिए जब दलाल को कहा गया, उसने नयी योजना बता दी।

कारखाना शहर के बीच में था। यदि इसके प्लाट बनाकर बेचे जाएं तो पैसे कई गुणा अधिक कमाए जा सकते थे। योजना बुरी नहीं थी। किन्तु चौधरी, चौधरी ही थे। वे कचहरी-तहसील के धक्के नहीं खा सकते थे। कभी इकरारनामा लिखवाने जाओ, कभी ब्याना पकड़ाने और कभी रजिस्ट्री करवाने। उन्होंने बुद्ध राम के साथ सौदा तय कर लिया। वह चौधरियों को एकमुश्त राशि दे दे। फिर उन्नसी करे, इक्कीस करे, उसकी मर्जी।

बुद्धु राम ने इस धंधे में लाखों रुपये कमाए थे। न हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। कुछ राशि दे कर जमीन का ब्याना लिखवा लेता। रजिस्ट्री करवाने की तारीख छः महीने आगे डाल देता। प्लाट काट-काट कर महंगे दामों में बेच देता।

एक लाख रुपये देकर बुद्धु राम ने इकरारनामा लिख लिया। जगह का वास्तवकि मूल्य अठारह लाख रुपये डाला गया। इंकम टैक्स के झंझटों से डरते हुए कागज पत्रों में इसे पांच लाख दिखाया गया।

बुद्धु राम के प्लाट बेचने की आवाज लगाते ही पासा उल्टा पड़ना शुरू हो गया।

पंजाब में फैले आतंकवाद का असर इस शहर पर होने लगा। लगातार कई दुर्घटनाएं हो गईं। बैंक लूटा गया, स्कूटर छीने गये। कई साहूकार अगवा कर लिये गये, लाखों की फिरौती वसूली गई। कुछ सेठ शहर छोड़ गए। कुछ तैयारी करने लगे।

अगले महीने समस्या और गंभीर हो गई। शहर के एक पार्क में व्यायाम कर रहे व्यक्तियों पर गोलियाँ चलायी गयीं। बीस घर उजड़ गए, बस में से उतार कर आठ व्यक्तियों को गोलियों से भून दिया गया। इक्का-दुक्का कत्ल तो साधारण सी घटना बन गई।

जब पहली जायदाद ही खतरे में हो तब नयी के बारे में कौन सोचता था? बुद्ध राम प्रयत्न कर के थक गया। मियाद पूरी होने तक एक भी प्लाट न बिका।

अट्ठारह लाख देने का उसमें सामर्थ्य नहीं था। रजिस्ट्री करवाने से तो सौदा मुकरना बेहतर था। चौधरियों ने दरियादिली दिखाई। किसी पिछले जन्म के पापों कारण उनकी साहूकारी पहले ही खत्म हो गयी थी। इकरारनामे की राशि अपने पास रखना उनको हराम बराबर लगा। बुद्ध राम को घर बुला कर उसको ब्याना वापिस कर दिया।

स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो लोगों के दिल टिक गए।लोग घरों को लौटने लगे। बाहर भूखे मरने से यहां गोली खा कर मरना अच्छा था।

दुकानों, मकानों के भाव फिर बढ़ने लगे। चौधरियों को दुगने, तिगुने पैसे मिलने लगे।

पुराने कागज पत्र खंगालते बुद्ध राम के हाथ इकरारनामा लग गया। इकरारनामा लेकर वह भंडारी वकील की ओर दौड़ा।

भंडारी ने सलाह दी।

इकरारनामे में रद्दो-बदल करके किस्मत आजमायी जा सकती थी।

किस्मत आजमायी गई। इस बार दलाली भंडारी ने की। पैसे ने नाथ की आंखों पर पट्टी बांध दी। उस को दस्तावेज में हुई हेर-फेर नजर ही न आयी। एक दो नहीं, कई-कई तब्दीलियां हुई थीं। दावे की मियाद बढ़ाने के लिए इकरारनामा लिखने की तारीख बदली गई थी। असली इकरारनामे पर दो गवाहों ने

गवाही डाली थी, उस पर चार गवाहों की गवाही थी। पिछले दो गवाहों की गवाही बाद में डलवायी गयी थी। इन गवाहों के सिर पर ही बुद्ध राम ने कारखाने पर अपना हक जताया था।

चौधरियों ने अपना पक्ष पेश करने के लिए दीवान पुरी जैसे हस्तलिपि के जाने माने और सत्यवादी विशेषज्ञ को भुगताया था। पुरी ने स्पष्ट शब्दों में राय प्रकट की थी, पिछली गवाहों वाली स्याही और थी, बाकी दस्तावेज वाली और। दोनों के लिखने के समय में भी चार पांच साल का अन्तर था। दोनों हिस्सों को लिखा भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने था। तारीख में की गई काट छांट भी स्पष्ट थी।

चौधरियों ने अपना वह खाता भी पेश किया जहां ब्याने की रकम वापिस करने का इंदराज़ था। वह चैक भी पेश किया, जिस के द्वारा रकम वापिस की गई थी।

नाथ साहिब को चौधरियों की दलीलें तर्कहीन लगीं। चौधरियों को इकरारनामे को मानने का हुक्म हुआ। तीस लाख का कारखाना पांच लाख में चला गया।

किसी अफसर की शिकायत करना चौधरियों के स्वभाव में नहीं था ,किन्तु यह बेइंसाफी उनसे सहन नहीं हो रह थीी। पहले वह होनी मानकर सब्र का घूँट पी गए थे। अब समिति के अभियान से प्रेरित हो कर वह भी हल्फिया ब्यान तस्दीक करवा कर दे गए।

इस शिकायत से नाथ को नकेल तो नहीं डाली जा सकती थी, किन्तु यह बेकार भी नहीं जानी थी। मिसल की जांच जरूर होनी थी। जांच हुई तो मिसल ने अपने आप बोल पड़ना था।

यदि मिसलों को ही बुलवाना था तो गुरमीत भी एक मिसल को बोलने लगा सकता था।

यह मिसल बी. एंड आर के एक्सीयन की थी। एक्सीयन को रिटायर होने से केवल एक महीना पहले अपनी असली जन्म तिथि याद आई थी। उसका दावा था कि उसकी जन्म तिथि वह नहीं थी जो सरकारी रिकार्ड में दर्ज थी। कुछ महीने पहले एक धार्मिक रस्म निभाते हुए उसकी मां को ध्यान आया था कि वास्तव में वह चार साल छोटा था। उस समय छोटी आयु के बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं किया जाता था। उसके पिता ने बड़े भाई की जन्म तिथि को उसकी जन्म तिथि के तौर पर दर्ज करवा दी थी। इस तथ्य को साबित करने के लिए एक्सीयन ने मुल्तान से एक जन्म प्रमाणपत्र मंगवाया था। उसका चार साल और नौकरी करने का अधिकार बनता था। सरकार की ओर से यह मुकद्दमा गुरमीत ने लड़ा था। एक्सीयन के तर्क को उसने कई पहलूओं से बेबुनियाद साबित किया था।

उसके विरुद्ध पहला सबूत यह था कि यदि उसको चार साल छोटा मान लिया जाए तो उसकी दसवीं की परीक्षा पास करने की आयु बारह साल बनती थी। यह असम्भव था। यदि ऐसा हुआ होता तो उसकी बुद्धिमत्ता का सारी दुनिया में शोर पड़ गया होता। उस का नाम गिनीज़ रिकार्ड बुक में दर्ज हुआ होता। दूसरा सबूत यह था कि सरकारी नौकरी में भर्ती होने की कम से कम उम्र अटठारह साल थी। अट्ठारह साल का होते ही वह भर्ती हो गया था। अब तक वह चालीस साल की नौकरी कर चुका था। कोई भी मुलाजिम चालीस साल से अधिक नौकरी नहीं कर सकता। यदि चार साल और मिल गए तो

उसकी नौकरी चवालीस साल हो जानी थी। फिर उसका नाम गिनीज़ बुक में जरूर आ जाना था। सरकार ने यह भी साबित किया था कि वह मुल्तान में पैदा ही नहीं हुआ। वह तो फिल्लौर में पैदा हुआ था।

नाथ साहिब को सरकारी दलील जची नहीं थी। सरकार ने तो काम ही लेना था। वह एक्सीयन से नहीं लेगी तो किसी और से लेगी। फिर सरकार को एक अनुभवी व्यकित से चिढ़ क्यों? अनुभव के आधार पर एक्सीयन को चार सालों के लिए सरकार को लूटने का लाइसैंस और मिल गया।

इस फैसले के पीछे जज का क्या लालच छुपा हुआ था, यह मिसल ने खुद बता देना था।

थोड़ा बहुत मसाला इकट्ठा हो चुका था। मौका देखकर एक दिन गुरमीत ने बार के प्रधान से बात की।

सतिन्द्र नाथ सरेआम लोगों को लूट रहा था। सब कुछ पता होते हुए भी वकील चुप थे। लोगों को इंसाफ दिलवाने में वकीलों की अहम् भूमिका होनी चाहिए थी। यदि वकील ही आंखों देखी मक्खी निगलने लगेंं को साधारण जनता का क्या कर सकती है? वकीलों को कुछ करना चाहिए।

प्रधान गुरमीत से सहमत था, किन्तु मजबूर था। वह अकेला क्या करे? बाकी वकील मौन धार कर बैठे थे। मोहन जी की दुर्गति से सबने सबक सीख लिया था। जिसने भी जज के विरुद्ध सांस निकाली, उसका सत्यानाश हो जाएगा।

यदि आठ दस सीनियर वकील सहमत हों और लिखित अर्जी दें तो मीटिंग बुलाई जा सकती थी। बहुसम्मति से जो फैसला होगा, प्रधान को स्वीकार्य होगा।

सहमति बनाने के लिए गुरमीत ने पहले चहल से बात की।

वह खाने को दौड़ा। "कल के छोकरे यदि जज पर कीचड़ नहीं फेंकेगे और क्या करेंगे? मैं तुम्हारी इस ब्लैकमेल वाली नीति से सहमत नहीं हूँ। तुम से मैरिट पर केस जीता नहीं जाता, दोष लगा कर जीत लोगे? वाह भाई जवानो।''

भंडारी का जवाब भी उससे मिलता जुलता था। "तुम जो मर्जी करो। न मैं सहमत हूं, न असहमत। न तुम सब का विरोध करूँगा न साथ दूँगा।"

भंडारी का रोष भी चहल वाला ही था। बदनामी से जितनी देर बचा जा सके, बचना चाहता था। एक बार यदि बांध टूट गया तो बाढ़ ने सबसे पहले भंडारी को ही बहा ले जाना था। मरे केसों में जान डालने की भंडारी की जो पैठ बनी हुई थी, वह सतही थी। असल में वह केसों में जज को मोटी राशि पहुंचाता था। माल आसामी का होता था, प्रसिद्धि भंडारी की होती थी। जज की जांच शुरू हो गई तो भंडारी का मुँह सबसे पहले काला होना था।

किसी भी सीनियर ने साथ न दिया। बल्कि मामला और पेचीदा हो गया।

सीनियर वकीलों में होड़ सी लग गयी। सब एक दूसरे से पहले जज के कान भरने के लिए उतावले होने लगे। ज्यादा नम्बर बनाने के लिए बात का बतंगड़ भी बना देते। कई वकील मनघडंत कहानियां बना लेते। जज को पूरी तरह से समर्थन देने का यकीन दिला कर उसकी वाह वाही हासिल करते।

"देखेंगे कौन मेरे विरुद्ध बोलता है? मैं बचन सिंह की तरह मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं। विरोधी वकीलों को यदि रेहड़ी लगाने न लगा दिया तो मेरा नाम भी नाथ नहीं।"

समिति को यह ललकार भी स्वीकार थी। बार समिति की मदद नहीं करती, न सही। समिति अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ेगी।

लीगल सैल को हुक्म हुआ वह नाथ के विरुद्ध की जाने वाली शिकायत की रूप रेखा तैयार करे। आगे समिति स्वयं संभाल लेगी।

21

पुलिस के साथ टक्कर ले रही समिति की इकाइयों को कोई समस्या पेश नहीं आ रही थी। एक एक करके बटेर अपने आप पैरों के नीचे आ रहे थे।

उनका पहला शिकार चिमना हवलदार बना था। चिमने के लड़के का विवाह था। थोड़ी बहुत शराब तो हर विवाह में चलती थी। चिमने का इकलौता पुत्र था। वह आए मेहमानों को शराब से नहलाना चाहता था। तभी रिश्तेदारों पर हवलदारी का रौब पडेगा।

वैसे तो उसने कई गाँवों में लाहन डलवाया था, किन्तु उसको अधिक आस वजीर के वाले लाली से थी।

लाली की शराब दूर-दूर तक मशहूर थी। शराब निकालना उसका शौंक था। वह धनाढ्य जमींदार था। हर रोज पीता था, किन्तु घर की निकाल कर। लाहन में लौंग, इलायची, काजू और नारियल के अतिरिक्त और पता नहीं क्या कुछ डालता था। बढ़िया से बढ़िया व्हिस्की भी उसकी शराब के आगे मात खाती थी। जब भी वह शराब निकालता, तोहफे के रूप में एक एक बोतल मित्र अफसरों को जरूर भेजता। सौ-सौ कोस पर बदल कर गया अफसर भी उसकी शराब का जायका नहीं भूलता था। शराब के लिए उसके पास दूर-दूर से फरमाइशें आती थीं। चिमना अपने मेहमानों का ऐसे ही लाजवाब तोहफे से स्वागत करना चाहता था।

पहली बार में लाली ने साथ नहीं दिया। उसने शराब निकालनी छोड़ दी थी।

इधर बादाम पिस्तों के भाव आसमान छूते जा रहे थे। उधर खर्चा बंटाने के लिए कोई तैयार नहीं था। परिवार वाले लाली को तंग कर रहे थे। उनकी आधी कमाई शराब पर उड़ रही थी। वे कोई गलत धंधा नहीं करते। अफसरों को खुश रखने की उन्हें क्या जरूरत थी? वह अफसरों का पीछा छोड़े।

बेगारों और तानों से तंग आ कर लाली ने व्यासा जी जा कर सौगंध खा ली। शराब पीनी तो दूर, वह उसको हाथ भी नहीं लगाएगा।

समझदार अफसर समझ गए, उन्होंने लाली का पीछा छोड़ दिया।

चिमने को यकीन न आया। सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को जा ही नहीं सकती। यह लाली का त्रिया चरित्र था।

कुछ भी था, लाली के यार के लड़के का विवाह था। शराब उसको निकालनी ही पडेगी। पीनी छोड़ दी, छोड़ दे। हाथ लगाने वाली सौगंध भी न तोड़े। बस, पास बैठ कर निकलवा दे।

लाली ने पांच ड्रम डाले। भट्ठी तीन दिन चढ़ी।

लाहन की खुशबू कई दिन गांव को नशेमन करती रही। ताजी-ताजी शराब की लालसा ने कइयों को उसके खेतों की ओर खींचा। आगे पुलिस का नाका था। लोग हैरान थे। पुलिस भी बैठी थी और शराब भी निकल रही थी। अजीब माजरा था।

लोगों को यह पहेली समझ न आई। गांव की नौजवान सभा समझ गई।

जब शराब से भरा टैम्पू चिमने के गांव की ओर मुड़ने लगा तो उसको घेर लिया गया।

टैम्पू में बैठे चिमने ने पहले धमकाया। वह वर्दी में सरकारी डयूटी पर था। पुलिस को अपनी डयूटी से रोकने के अपराध में अन्दर कर सकता था।

ज्यों-ज्यों घेरने वालों की गिनती बढ़ती गई, वह ढीला पड़ता गया।

"पुलिस ने नाजायज शराब की भट्ठी पकड़ी है। यह केस का माल मुकद्दमा है।" घेरने वालों में जब पंच सरपंच दिखायी देने लगे तो चिमने ने पैंतरा बदला।

वजीरके वाले सरपंच ने जब सब के सामने लाली को पेश किया तो चिमना पांवों में गिर कर क्षमा मांगने लगा।

दुश्मनों को क्षमा करना समिति की नीति नहीं थी। यह वही हवलदार था, जिसने गफूर मियां को भरी कचहरी में पीटा था। उसकी पगड़ी उतारी और दाढ़ी खींची थी। बेकसूर गफूर ने भी उससे मिन्नत की थी। जब चिमने ने कोई परवाह नहीं की तो समिति क्यों करे?

डिप्टी को मौके पर बुलाया गया। चिमने को गिरफ्तार करवाया गया। तब चिमने और टैम्पू का पीछा छोड़ा गया।

चिमने के चर्चे धीमे पड़े तो पाखर के शुरू हो गए।

उसकी सीमा में भैंसे चराते दो चरवाहें बस के नीचे आ कर कुचले गए थे।

बस अवतार ट्रांसपोर्ट कम्पनी की थी। एक्सीडैंट के समय बस को कम्पनी के मालिक का लड़का चला रहा था। उसको ढंग से गाडी चलानी नहीं आती थी। और वह शराबी भी था ।

बस को हिचकोले खाते देख कर सवारियों ने शोर डाला। ड्राइवर बदलो या उनको उतारो।

कंडक्टर ने भी प्रार्थना की। अड्डा चार मील दूर है। थोड़ी बहुत बस उसको चलानी आती है। धीरे-धीरे वह बस अड्डे तक ले जाएगा।

चार कौड़ी का नौकर साहिब को शराबी कहे। उस से बस छीने!कंडक्टर की इस बदतमीजी पर लड़के को गुस्सा चढ़ गया। कंडक्टर को गालियां निकालते मालिक ने बस की स्पीड और तेज कर दी।

सवारियां 'वाहेगुरु-वाहेगुरु' करने लगीं। पता नहीं मौत किस के सिर पर मंडरा रही थी।

शहर की सीमा पर पहुंचते ही अनहोनी हो गई। गरीब चरवाहे मारे गए।

कंडक्टर तो भाग गया किन्तु शराबी महेन्द्र सिंह सवारियों के हाथ आ गया। सवारियों ने पहले स्वयं उसकी खबर ली, फिर पुलिस के हवाले कर दिया।

शाम हो रही थी। मरने वालों के वारिस पहुंच चुके थे। पुलिस की लिखा-पढ़ी पता नहीं कब मुकम्मल होगी? सवारियां लेट हो रही थीं। एक-एक करके बिखर गयीं।

मौका पा कर कम्पनी के मालिक पाखर पर दबाव डालने लगे। वह कम्पनी का वारिसों से समझौता करवा दे। समझौता न हो तो पर्चे में महेन्द्र की जगह ड्राइवर का नाम डाल दे। ड्राइवर को वे अपने आप मना लेंगे। उसे कौन सा उन्होंने आंच आने देनी है। अभी वारिस गुस्से में हैं। जब गुस्सा ठंडा हो गया, ले दे कर गवाही मुकरवा देंगे।

विचार बुरा नहीं था। थानेदार के लिए चार पैसे कमाने का बढ़िया मौका था। ऐसे बहुत से केसों में समझौता ही होता है। न ड्राइवर की मरने वालों से दुश्मनी होती है, न वारिसों की ड्राइवरों से। बीमा कम्पनी से ज्यादा से ज्यादा क्लेम दिलवाने में ड्राइवर वारिसों की मदद कर देता है और वारिस ड्राइवर को बरी करवाने में। जब बाद में भी यही होना था तो थानेदार अभी क्यों न करवा दे?

कार्यवाही बीच में छोड़कर पाखर वारिसों को समझाने लगा। "यदि आप कहें तो मैं मुकद्दमा दर्ज कर दूं। कचहरी में जा कर कुछ नहीं बनना। वकीलों, मुंशियों की फीसें देते थक जाओगे। मरा हुआ तो वापिस नहीं आएगा। चार पैसे ले कर बच्चों का पेट भरो। मैं चार जूते ज्यादा मार कर पैसे ज्यादा दिलवा दूंगा।"

एक और आँखो के सामने पड़ी लाशें। दूसरी और रोते बिलखते बच्चे। तीसरी ओर पुलिस का मशविरा। चौथी ओर बस मालिकों का दबाव। गरीब वारिसों को पैसे लेने के सिवा कुछ सूझा ही नहीं। दस हज़ार उन्हें तुरंत दे दिया गया। दस हजार केस रफा दफा होने के बाद मिलना था।

कम्पनी का मुफत में काम चल गया। नये कानून के मुताबिक एक्सीडेंट में मरने वाले हर व्यक्ति के वारिसों को पन्द्रह हजार रुपया बीमा कम्पनी की ओर से मिलना था। मुआवजा वसूलने का मुख्तियारनामा कम्पनी के एक मुलाजिम को दिलाया गया। बाकी बचता पैसा पाखर को पकड़ाया गया। सच्ची झूठी एक रिपोर्ट लिखी गयी। बस के स्टेयरिंग पर महेन्द्र सिंह की जगह कम्पनी के किसी ड्राइवर को बिठाया गया। कसूरवार चरवाहों को ठहराया गया। पशु चराते-चराते वे अचानक ही सड़क पर चढ़ गए थे। जब लड़के अपनी लापरवाही के कारण मरे थे, तो वारिस कार्यवाही करते अच्छे नहीं लगते।

सारे पक्षों को खुश करके थानेदार तो सुख की नींद सो गया, किन्तु समिति जागती रही।

अगले दिन समिति ने थाने के आगे धरना दे दिया। पाखर ने चरवाहों का कफन बेचा था। गरीब अनाथ बच्चों के मुंह से कौर छीना था। यदि मुकद्दमा ठीक दर्ज हुआ होता तो वारिसों को मुआवजे में लाखों रुपये मिलते। समिति ने वे सारी सवारियां पेश कीं, जिनके सामने घटना घटी थी। वह ड्राइवर पेश किया, जिसे झूठा फंसाया गया था। वारिसों ने भी दहाडें मारीं। पाखर ने उनको गुमराह किया था। डी. आई.जी. द्वारा पड़ताल हुई। थानेदार दोषी पाया गया। नये सिरे से पर्चा दर्ज करवाया गया।

पाखर के लाईन हाजिर होते ही समिति को कुछ राहत महसूस होने लगी। समिति समर्थक गवाहों के वारिसों पर ज्यादा सख्ती उसी ने की थी।

कुछ गवाह समिति ने छुपाए हुए थे। बाकी गवाह इसने उठा रखे थे। चिढ़े और घबराए पाखर ने बंटी कत्ल केस के सारे गवाह छोड़ दिए।

पाखर की तरह और मुलाजिमों के खिलाफ भी अर्जी-पर्चा शुरू हो गया। पूछ पड़ताल के लिए कभी विजीलैंस वाले आ जाते, कभी सी.आई.डी. वाले और कभी उड़न दस्ते वाले।

कभी डिप्टी के स्मगलरों के साथ किए हिस्से की पड़ताल हो रही होती, कभी मुख्य अफसर द्वारा सट्टे वालों के साथ बंधे महीने की।

साधारण शिकायतें होती, तो पुलिस वाले रौब से या किसी गणमान्य के माध्यम से मिन्नत आरजू करके समझौता कर लेते। अब डरता कोइ शिकायती से संपर्क तक नहीं करता था। जिस-जिस ने भी यत्न किया, उसी को दोहरा वक्त पड़ गया। किसी की मिन्नत टेप हो गयी, किसी कः खिलाफ एक शिकायत और हो गयी। पहले ब्यान से मुकरवाने के लिए फरियादी को डराया धमकाया जा रहा है।

दो घड़ी कप्तान भी फूंक फूंक कर पैर रख रहा था। कोताही होने पर उसको भी हाथ डाला जा सकता था। मुलाजिमों में हाहाकार मच गयी। समिति से ज्यादा उनको अपने अफसरों पर गुस्सा था।

उनकी खिंचाई कौन करवा रहा है और क्यों हो रही है? यह बात किसी से नहीं छुपी थी। फिर अफसर समर्थन क्यों नहीं दे रहे? मुलाजिमों में ही कसूर क्यों निकाला जा रहा था?

अफसर भी सच्चे थे। वे रंजिश की आड़ में सच को झूठ कैसे बना दें? जिस शिकायत की भी पड़ताल होती, उसी में मुलाजिम दोषी पाया जाता था। अफसरों की इस बेरुखी पर मुलाजिम तिलमिला रहे थे। मन ही मन सब ने फैसला कर लिया, जब अफसर ही इनके सिर पर हाथ नहीं रखते तो वे जलती आग में हाथ क्यों डाले। आगे से उन्होंने गलत काम तो क्या करना है, वे सही काम भी नहीं करेंगे। गश्त की और क्वार्टर जा सोए। सामने कत्ल होता है, होता रहे। सामने पोस्त का ट्रक उतरता है, उतरता रहे। अफसर जाने और मुलजिम जाने। न काम होगा, न गलती होगी। न गलती होगी, न अफसर उनका कुछ बिगाड़ सकेंगे।

मुलाजिमों के इस फैसले से भी समिति का उद्देश्य हल नहीं हो रहा था। समिति ने एक दो गवाहों को घर भेजने का अनुभव करके देखा था। डिप्टी और मुख्य अफसर उन पर बाज की तरह झपट पड़े थे। समिति चौकस न होती तो गवाह पुलिस के हाथ लग चुके होते। रावण के दो चार सिर कटने से मामला हल नहीं होना था। तीर उसकी नाभि में मारना पड़ना था।

यदि मुख्य अफसर को आसानी से काबू करना था तो समिति को करतारो की नाकाबंदी करनी पड़नी थी।

शाम को नशे में चूर हो कर करतारे के दर पर दस्तक देना उसका रोज का काम था। करदारो उसको नकद नारायण भी भेंट करती थी और कुआंरा हुस्न भी। वह दोनों का शौकीन था।

क्रतारो के दरवाजे तक पहुँचना खाला जी का घर नहीं था। उसका चौबारा हर ऐरे गैरे के लिये नहीं खुलता था। उसके पास खास तरह का माल था और खास तरह के ग्राहक किशोर लडके और शोख लडकियां। न लडकियों को पैसे की इच्छा, न लडको को कोई परवाह। धन करतारो बटोरती, आनन्द ग्राहक लेते। करतारो के चौबारे चढने के लिये वैसे भी नाटों का ढेर चाहिये था।

डसका घर तंग गली में था। गली का एक कोना बंद था। आस पास ज्यादा घर नहीं थे। जो थे, उनमें कोई नहीं रहता था। उन घरों गोदाम के तौर पर प्रयोग किया जाता था। समिति को आस पास से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। जल्दी-जल्दी करतारो किसी को राह नहीं देती थी। चौबारे चढने से पहले ग्राहक को कई-कई दिन नीचे वाली बैठक में चौकी भरनी पडती थी। बातो-बातो में करतारो ग्राहक की पसंद जान लेती और बटुए की मोटाई भी माप लेती। समिति के कार्यकर्ताओं को कई दिन बैरंग लौटना पडा। बैठक में बैठे व्यक्ति को कुछ पता नहीं लगता था, चौबारे में क्या हो रहा है। यह भी पता नहीं था कि चौबारे को एक ही सीढियां लगती हैं या दो? कमरे दो हैं या चार? ग्राहक वापिस भी लौटता है या ऊपर ही सोता है? कहां से आता है? कहाँ से जाता है? ग्राहक कब जाम छलकाता है? कब जुल्फों से खेलता है और कब सेज़ सजाता है?

करतारों कः दरवाजे पर कई दिन अलख जगाने के बाद उनको पता लगा कि चौबारे में दो कमरे थे। आम ग्राहक के लिए एक नम्बर कमरे का प्रयोग किया जाता था। मुख्य अफसर दो नम्बर कमरे में ठहरता था। समिति ने यदि उसको नग्न अवस्था में काबू करना है तो उन्हें एक नम्बर कमरे पर सारी रात काबिज रहना पड़ना था। इसी तरह किया गया। नोटों की चकाचौंध से करतारों को चौंधिया गया। एक नम्बर कमरा सारी रात के लिए बुक करवाया गया। लाल सिंह पहले ही धुत्त हो कर आया था। आते ही अपनी प्यास बुझाने लगा।

जब लाल सिंह पूरी तरह सुध-बुध गंवा बैठा तो चौबारे के अंदर से कार्यकर्ताओं ने सीटी बजा दी।

सीटी की आवाज सुनते ही बैठक में बैठे और इधर उधर छुपे समिति के कार्यकर्ता धड़ाधड़ जा चढ़े। करतारो को कुछ समझ नहीं आया कि यह कौन से स्टाफ का छापा है? करतारो जिस को भी रोकने का यत्न करती, वही धक्का मार कर आगे निकल जाता।

करतारो को उस समय ही समझ आया, जब चार लोग नग्न लाल सिंह को सीढ़िया उतारने लगे। सीढ़ियों में खड़े पत्रकार धड़ाधड़ छोटो खींचने लगे।

लाल सिंह के इस कारनामे ने पहले उसको लाईन हाजिर करवाया और फिर मुअत्तल।

रावण के मरते ही लंका में मातम छा गया।

सहमे मुलाजिम वक्त काटने लगे। हर एक को अपनी-अपनी नौकरी का फिक्र पड़ गया।

पुलिस कप्तान की किसी को परवाह नहीं रही। गवाह सरेआम गलियों-बाजारों में घूमने लगे। जिस तरह बिल्ली को देखकर कबूतर आंखे बन्द कर लेता है, उसी तरह वह भी नजर नीची करके गुजरने लगे।

कुछ दिन से कप्तान भी खामोश था। समिति इस चुप्पी का मतलब समझती थी। यह किसी आने वाले तूफान का संकेत थी।

22

कानून विज्ञान का महत्वपूर्ण नियम यह मांग करता था कि बार और बैंच के बीच में संबंध सुखद रहें। जितने सुखद संबंध, उतना बढ़िया न्याय।

पहले यहां इस नियम का पूरी तरह पालन होता था। जब से गुरमीत बार का मैंबर बना था, यह संबंध बिगड़ते जा रहे थे। गुरमीत के साथ ही समिति की राजनीति भी बार में घुस गई थी। सीनियर वकीलों ने फैसला किया। उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। उनको इस शरारती अंश का विरोध करना

चाहिए। इस फैसले के बाद सीनियर वकीलों ने न्याय पालिका का पक्ष लेना और सैल पर रोक लगानी शुरू कर दिया।

सैल वाले ज्यों ही नाथ के विरुद्ध सांस निकालने लगते, सीनियर वकील कौओं की तरह इकट्ठे हो जाते। सीनियरों की लच्छेदार दलीलों के आगे सैल के नुक्ते मात खा जाते।

इस आपसी जंग से सैल को घबराहट होने लगी। कहीं कोई गलती हुई थी। उन्हों लगने लगा।

मामले पर विचार किया गया।

समुद्र मंथन के बाद एक सुच्चा मोती ढूँढ लिया गया। सीनियर वकीलों और जजों के हित सांझे थे। परस्पर रक्षा करना स्वाभाविक था।

सैल ने जूनियर वकीलों की ओर ध्यान देना शुरू किया। जूनियर वकीलों और कचहरी में धक्के खाते सायलों की हालत में उन्नीस इक्कीस का ही अन्तर था। वे जजों से भी दुखी थे और सीनियर वकीलों से भी। दुखती रग पर अंगुली रखी गयी।

नतीजे फौरन सामने आने लगे। अकेले जजों के विरुद्ध ही क्यों? उनके समर्थक सीनियर वकीलों के विरुद्ध भी संघर्ष किया जाए। जज तो सायलों को लूटते थे। ये मगरमच्छ अपने ही भाईचारे को निगलते थे।

जूनियर वकील सैल से भी ज्यादा उतावले निकले। वे जजों और सीनियर वकीलों के गुप्त रिश्तों के भेद खोलने लगे।

अवतार सिंह सब से ज्यादा रोष में था। वह बार के सब से सीनियर वकील हरी प्रकाश के कारनामे उजागर करना चाहता था। तीन साल वह हरी प्रकाश का जूनियर रहा था।

इन तीन सालों में हरी प्रकाश ने उसका पूरी तरह से शोषण किया था। उसने न कभी उसके हाथ पर पैसा रखा था, न कोई कानूनी नुक्ता समझाया था।

एक साल पहले जूनियर वकीलों ने लड़ाई लड़ी थी। लम्बे संघर्ष के बाद हाईकोर्ट से एक नियम बनवाया था। जब कोई सीनियर वकील बड़ा मुकद्दमा लड़े तो साथ में एक जूनियर को रखे। इससे जूनियर को कई फायदे होते। एक तो वे काम सीख जाते, दूसरा उनका खर्चा निकल जाता।

हरी प्रकाश सायल से तो जूनियर की फीस ले लेता किन्तु अवतार को कभी न देता। वह कभी पूछता तो बना बनाया उत्तर सुना देता।

"किसी भी रिद्धि सिद्धि को हासिल करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तप लालच त्याग कर होता है। यदि काम सीखना है तो मोह-माया से दूर रहो।"

अवतार मोह माया से भी दूर रहा और रिद्धि सिद्धि भी हासिल न कर सका।

हरी प्रकाश की आर्थिक दशा अच्छी न होती तो अवतार को अपनी फीस हड़पे जाने का दुख न होता। वह सचमुच करोड़पति था। शहर के किसी भी बैंक काम्पलैक्स, दुकान, प्लाट, कोल्ड स्टोर या मार्किट की ओर अंगुली करो, वह उसी की निकलेगी।

यह जायदाद उसको विरासत में नहीं मिली थी। यह कैसे बनी? अवतार यही बताता फिरता था।

शहर का पुराना बस-स्टैंड शहर के बीच में आ गया था। आए दिन हादसे होने लगे थे। बसों को अड्डे तक पहुंचने के लिए घंटों जाम में फंसना पड़ता था।

शहर के लोग मांग करने लगे। बस अड्डा बाहर ले जाया जाये।

कई साल सरकार के कान पर जूं न रेंगी। लोगों ने संघर्ष किया तो सरकार झुक गयी।

नया बस-स्टैंड कहां बनाया जाए? इस बारे में लोगों की राय मांगी गयी।

अलग-अलग दलों ने अलग-अलग राय पेश की।

हर दल बस स्टेंड अपनी ओर बनवाने का प्रयास करने लगा।

शहरियों ने जो स्थान सुझाया था, बहुमत उसके साथ था।

सरे कारखाने उसी दिशा में थे। नयी कचहरी भी नजदीक थी और कॉलेज भी। बीच में कोई रेलवे फाटक भी नहीं पड़ता था। एक और फायदा यह था कि वहां से चारों दिशाओं में सड़कें निकलती थी।

आस पास की पंचायतों ने भी उसी जगह के समर्थन में प्रस्ताव पारित किये थे।

हरी प्रकाश इस स्थान का विरोध करने लगा।

एक योजना उसने अपनी ओर से पेश की।

संधू पत्ती में पंचायत का एक तालाब था। उसे भर कर उस पर बस स्टैंड बनाया जाए। साथ में हरी प्रकाश की जमीन लगती थी। जरूरत पड़े तो वह हाजिर थी।

जब हरी प्रकाश को शहर वालों द्वारा सुझाया स्थान मंजूर होता दिखाई दिया तो उसने चंडीगढ़ डेरा डाल लिया। मुख्यमंत्री किसी जमाने में उस से वकालत सीखता रहा था। अब फायदा नहीं पहुंचाएगा तो कब पहुंचाएगा?

सरकार को लालच दिया गया। तालाब को हरी प्रकाश अपने खर्चे पर भरेगा। जमीन भी मुफत देगा।

हरी प्रकाश के सुझाव को महत्व देते हुए, पुर्ननिरीक्षण के लिए मिसल फिर नीचे भेजी गयी।

दफतरों के चक्कर काटती- काटती मिसल जब नीचे तक पहुंची, तब तक हरी प्रकाश ने कई जाल बिछा लिए।

सत्ताधारी पार्टी को दाना डाला गया। पार्टी दफतर के लिए दो बीघा जमीन उसके नाम करवायी गयी। ट्रक यूनियन को एक बीघा अलग से दिया गया। तालाब भरने की जिम्मेवारी यूनियन को सौंपी गयी। प्रधान के लिए कोठी का प्लाट अलग से।

एसडीएम.,तहसीलदार और दूसरे संबंधित अफसरों को पुचकारा गया। उनको पद के अनुसार प्लाट दिए गए।

नयी जगह में सारा स्टाफ दिलचस्पी लेने लगा।

नयी स्कीम दिनों में मंजूर हो गयी।

लोग सोते ही रह गए। तभी पता लगा, जब बसें तालाब के आस पास आ खड़ी हुईं।

शहरवासियों और आस पास के ग्रामीणों ने उज्र किया। नयी जगह किसी तरह भी सही नहीं। न यहां कोई सड़क है, न स्कूल, न कॉलेज। लम्बे रूट वाली बसें बाईपास से ही निकल जाया करेंगी। यह अड्डा आबादी के नजदीक था। कुछ सालों बाद फिर बदलना पड़ेगा।

हरी प्रकाश और पार्टी के दबाव में आया मुख्य मंत्री, लोगों के वफदों को टालता रहा।

इधर सरकारी अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर निमार्ण कार्य आरम्भ कर दिया।

उधर हरी प्रकाश ने प्लाट काटने शुरू कर दिए।

लोगों का अभियान जोर पकड़ने लगा, तो हरी प्रकाश ने अदालत में दावा दायर कर दिया।

वकील का यह निजी केस था। जज ने फौरन बंदी दे दी। अगले हुक्मों तक बस स्टैंड को कहीं ओर ले जाने की मनाही कर दी गयी।

हरी प्रकाश ने बाकी बचती जमीन के एक बार फिर हिस्से डाले। इस बार बाकी अफसरों के साथ-साथ न्याय पालिका को हिस्सेदार बनाया गया।

नाथ साहिब ने बंदी के विरुद्ध हुई अपील छः महीने लटकाए रखी। कभी वकील पेश न होते और कभी जज छुट्टी पर चला जाता। कभी मिसल हो गुम जाती और कभी अहलमद।

इन छः महीनो में सरकार ने पैसा पानी की तरह बहा दिया। कहीं इमारतें बन गयीं,, कहीं सड़के।

लोगों ने भी निमार्ण कार्य आरम्भ कर लिया। दुकानें बन गईं। मकान बन गये।

"अब बस स्टैंड कहीं और ले जाना पड़ा तो सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान होगा।"बाद में इसी तर्क के आधार पर बंदी पक्की हो गयी।

बेबस हुए लोग घर बैठ गये।

अफसरों के साथ होते सौदे की भनक अवतार को पड़ती रहती थी। उन दिनों हरी प्रकाश अवतार की गाड़ी में ही घूमता था।

अवतार उस आदमी को जानता था। जिस के नाम नाथ ने अपने हिस्से वाले दोनों प्लाट करवाए थे। वह नाथ के भाई का साला था। रिश्तेदार गरीब था। लुधियाना की एक मामूली फैक्टरी में क्लर्क था। उसके पास इतने महंगे प्लाट खरीदने का सामर्थ्य नहीं था। न ही बेचे गये प्लाट का वह हिसाब दे सकेगा। पड़ताल शुरू होते ही वह असलियत उगल देगा।

इस केस के खुलने से सैल को एक फायदा और होना था। बस स्टैंड एक्शन कमेटी ने सजीव हो जाना था। कमेटी के सजीव होते ही सैल के हाथ मजबूत हो जाने थे।

कुछ मसाला शिंदरपाल के पास था।

उसका सीनियर जूनियर वकीलों को फीस तो दिलाता था, किन्तु अफसरों के साथ मिलकर मारी ठगी में से हिस्सा नहीं देता था।

शिंदरपाल का बाप शहर का प्रसिद्ध आढ़ती था। अठारह गांवों की आढ़त उनकी दुकान पर आती थी। इन गांवों का काम शिंदरपाल के पास आता था। जहाँ तक सम्भव होता, वह काम स्वयं करता था। नया होने के कारण उलझनदार मुकद्दमों को हाथ डालने से डरता था। ऐसे केस वह अपने सीनियर सुरजीत राय को दे देता था। यदि वह किसी और वकील को केस देता तो वह खुश होकर फीस में से आधा हिस्सा दे देता। यह गुरु चेले के रिश्ते से ही काम चला देता था। कभी बेशर्म होकर मांग भी लो तो पांच-सात सौ से ज्यादा नहीं देता था।

छोटी मोटी फीसों की शिंदरपाल ने कभी परवाह नहीं की थी। जब वह लाखों का घपला कर गया तो शिंदरपाल को बगावत का झंडा उठाना पड़ा था।

पिछले साल भारत सरकार ने छावनी बनाने के लिए फरवाही गांव की सारी जमीन 'एक्वायर' कर ली थी। गांव वालों को करोड़ों रुपये का मुआवजा मिलना था। सारे गांव ने मिलकर एक ही वकील किया था। वकील की फीस पांच सौ रुपये फी केस तय हुई थी। शिंदरपाल के माध्यम से सुरजीत राय को डेढ़ लाख रुपया बना था। इस फीस में से शिंदरपाल ने जोर जबरदस्ती से बराबर का हिस्सा लिया था।

पचहत्तर हज़ार जेब में डाल कर शिंदरपाल सैर करने पहाड़ों की ओर निकल गया।

सरकार ने जमीन का मूल्य पचास हजार रुपये फी एकड़ डाला था। बाजार भाव सत्तर हज़ार से ज्यादा नहीं था। नाथ साहिब ने इस मूल्य को बढ़ा कर एक लाख रुपया फी एकड़ करना था। फालतू रकम के हिस्से पड़ने थे। केसों को एक महीने के अंदर-अंदर खत्म किया जाना था। सुरजीत राय की जिम्मेवारी सायलों से फीस वसूलने की थी। बाकी सारा बंदोबस्त नाथ साहिब ने करना था।

पहले सप्ताह मुकद्दमा दायर होता। दूसरे सप्ताह सरकारी पक्ष हाजिर हो जाता। तीसरे सप्ताह फैसला हो जाता और चौथे सप्ताह मुआवजे के चैक मिल जाते।

शिंदरपाल के पहाड़ से लौटने तक सुरजीत राय लाखों रुपये डकार चुका था। सुराग मिलते ही शिंदरपाल ने अपना हिस्सा मांगा। सुरजीत राय ने अंगूठा दिखा दिया।

शिंदरपाल बदला लेना चाहता था।

ज्यादा नहीं तो कुछ ग्रामीणों को वह नाथ के विरुद्ध भुगता सकता था।

कुछ जूनियरों को जजों से नाराजगी थी। वे चेहरा देखकर तिलक लगाते थे। जूनियरों का बनता अधिकार भी नहीं देते। सीनियर की जेब ऐसे ही भरते रहते थे।

मंगत राय को एक बार भी लोकल कमीशन नियुक्त नहीं किया गया था। उसके साथी कई-कई बार मोटी फीसें उगाह चुके थे। जब भी उसने जज के पास रोष प्रकट किया, उसको एक ही जवाब मिला। गलती से उसका नाम लिस्ट में से कट गया था। अब नाम दोबारा लिख लिया गया है। अगली बार उसी का नम्बर लगेगा। न दोबारा कभी उस का नाम लिखा गया, न उस को कमीशन मिला।

उसको यह भी नाराजगी थी कि अधिकतर कमीशन भंडारी या चहल के जूनियरों को मिलते थे। कारण किसी से छुपा नहीं था। भंडारी की सोलन में कोठी है। जून की छुट्टियां वह वही गुजारता है। वहां मेहमानों को शराब के साथ-साथ शबाब भी मिलता है।

हर वर्ष कोई न कोई जज भंडारी का मेहमान होता है। स्वयं तो भंडारी बूढ़ा हो गया। हर काम में जजों का साथ कोई जूनियर ही निभाता है।

चहल के पास दो-दो कारें हैं। किसी जज को बाहर अंदर जाना होता तो उसकी कार हाज़िर होती है। कार को ड्राइव कोई जूनियर करता है। चहल गाड़ी की टंकी भी भरवा कर देता है और डिग्गी भी।

मंगत राय के पास तो अपने स्कूटर में तेल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं होते। वह नाथ को गाड़ी में कहां से घुमाए?

जूनियरों के साथ हो रहा यह अन्याय बन्द होना चाहिए था।

नौजवानों के जोश को न किसी सीनियर की नसीहत ठंडा कर सकी, न किसी जज की धमकी।

बार की मीटिंग बुलाने के लिए हस्ताक्षर करवाने का अभियान चलाया गया। पहले ही दिन एक सौ सत्तर में से अठसठ के हस्ताक्षर हो गए।

अगले दिन नाथ के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया।

जज से टकराने की तैयारी युद्धस्तर पर शुरू हो गयी।

23

अपने खिलाफ पारित हुए प्रस्ताव की नाथ को कोई परवाह नहीं थी। ये अनाड़ी वकीलों का एक बवंडर था, जो समय की धूल में गुम हो जाना था।

अंधेरा होते ही बार का सचिव कोठी आया था। पास हुए प्रस्ताव की नकल साथ लाया था। आते ही उसने माफी मांगी। अचानक काली आंधी सी आ गई थीघबराहट वाली कोई बात नहीं। सीनियर वकील नाथ के साथ थे। इन बेकारों को कौन पूछता था?

सचिव ने एक राज की बात बताई। हाऊस ने प्रस्ताव की नकलों को बहुत जगह भेजने की सिफारिश की थी। कुछ कापियां सचिव ने हजम कर लीं। बाकी नाथ डकार ले।

रजिस्ट्रियाँ छोटे डाक घर से हुयी थीं। वहाँ से लिफाफे गुम करवाने नाथ के बाएँ हाथ का खेल था।

पत्रकारों को भी कहा गया था, वे खबरें भेजें। अंग्रेजी अखबार के पत्रकार समझदार थे। ब्लैक मेल करने वाली खबरें कभी नहीं भेजते। हिन्दी वाले सचिव के परिचित थे। इशारे से सचिव ने उनको समझा दिया था। जज साहिब काम आने वाले आदमी थे, खबर न भेजी जाए। बस पंजाबी अखबारों के पत्रकारों का इंतजाम करना बाकी था। उनको पुचकारने के लिए एक हवलदार काफी था।

कई और वकीलों के फोन आए। नाथ के साथ उन्होंने अपनी वफादारी प्रकट की। उन्होंने भी यकीन दिलाया। लड़के कितना भी शोर डाल लें। वे अपने एक भी सायल को जज के विरुद्ध सांस नहीं निकालने देंगे।

एस.डी.एम. और डिप्टी भी चक्कर लगा गए। उनके लायक कोई सेवा हो तो वे हाजिर थे। वे चौबीस घंटे वकीलों के जायज-नाजयज काम करते हैं। वकील अब अफसरों के काम नहीं आएंगे, तो कब आएंगे?

राजनीतिक व्यक्तियों के भी फोन आए। किसी राजनैतिक दबाव की जरूरत हो तो बिना झिझक उनको बताया जाए।

चारों ओर से मिलने वाले इस समर्थन से नाथ के हौंसले बुलंद होने लगे।

प्रस्ताव और जांच वैसे भी नाथ के लिए नये नहीं थे। उस की कोई न कोई पड़ताल चलती ही रहती थी। पड़तालों के इस लम्बे इतिहास से उसने कई सबक सीखे थे। जब चार पैसे पास हों तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह पहला सबक था। ज्यों-ज्यों पड़तालों की लिस्ट लम्बी होती गयी, त्यों-त्यों उस के पैसे इकट्ठे करने वाले फावड़े की रफ्तार भी तेज होती गयी।

दूसरे सबक के तहत वह ऊपर तक बना कर रखता था। रजिस्टरार उसकी सांस में सांस लेता था। हाईकोर्ट के जजों के दो दल थे। ताकतवार दल हमेशा उसकी जेब में रहता था। कमाया हुआ धन वह इन कामों पर खुल कर खर्च करता था।

आने वाले फोनों की बढ़ती गिनती नाथ के लिए चिंता का कारण बनने लगी। इतने फोनों का मतलब था कि खबर सारे इलाके में फैल चुकी थी। अफवाहों का बाजार भी गर्म था। खबर आगे भेजने वाला हर आदमी अपनी ओर से मिर्च मसाला लगा देता था। ऐसे लोगों के माध्यम से कई ऐसे भेद खुल रहे थे, जिन का अभी तक न समिति को पता था, न सैल को। यह रूझान खतरनाक था।

कुछ वकीलों के फोन आ चुके थे। जो खामोश थे, मतलब कि उनका नाथ से मन मुटाव था। ऐसे वकीलों से नाथ खुद संपर्क करने लगा।

सहायता के लिए तीनों मैजिस्ट्रट कोठी बुला लिए। किसी मैजिस्ट्रेट का किसी वकील से याराना था और किसी का किसी से। एक ने दो-दो वकील काबू कर लिए तो भी मामला हल हो जाना था।

"बस जी लड़कों ने जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए। हम आपके साथ हैं।"वकीलों का ऐसा रवैया उत्साहजनक था। किसी-किसी ने गिला-शिकवा भी प्रकट किया। एक दो ने नसीहत भी दी।

"हर केस को पैसे से न तोला करो। कभी-कभी इन्साफ भी किया करो।"

कानों में तेल डाले नाथ सब कुछ सुनता रहा। बुरे वक्त के लिए हर तरह का वादा करता रहा।

'आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। गिले शिकवे आपसी बातचीत के द्वारा सुलझा लिए जाएंगे। फिलहाल प्रस्ताव वापिस लेने में उसकी मदद की जाए।"

सीनियर तो मान गए, जूनियरों को मनाने में दिक्कत आने लगी। कोई-कोई जूनियर ही नाथ के काबू आया। अधिकतर अकड़े रहे।

'जब सीनियर वकील मेरे साथ हैं तो मुझे इन टटपूंजियों की क्या परवाह है?' सोचते नाथ ने मैजिस्ट्रेटों का सहयोग के लिए धन्यवाद किया। जाम टकराए और आराम से सो गया।

सुबह जब अखबार उठाए तो मोटी मोटी सुर्खियों में अपना नाम नजर आया।

यह क्या अनहोनी हो गयी। नाथ के हाथ पैर फूल गए। उसने तो एक-एक पत्रकार से संपर्क किया था। उनको खबर भेजने से रोका था। प्रस्ताव की नकलें वापिस मंगवा कर जेब में डाली ली थीं। फिर ये खबरें किसने भेजीं?

इससे स्पष्ट था कि रजिस्ट्रियां भी रास्ते में जाम नहीं होंगी। वे भी अपनी-अपनी मंजिल पर पहुंच कर रहेंगी।

बदनामी की नाथ को कोई परवाह नहीं थी। खबरों से कौन सा उसकी बेटियों का रिश्ता टूट जाना था। हाईकोर्ट का पाला मार रहा था। ऐसी खबरों का हाईकोर्ट गंभीर नोटिस लेता था। खबरों के आधार पर ही पड़ताल शुरू कर देता था।

नाथ चाहता था, आज ही हाईकोर्ट पहुंच कर कोई इंतजाम किया जाए।

पहले दिन ही छुट्टी लेकर भागना कायरता थी। इस तरह विरोधियों को शह मिलनी थी।

चंडीगढ़ उस को एक दो दिन रुक कर जाना चाहिए था।

देर करने से समस्या गंभीर हो सकती थी। गुजरा वक्त हाथ नहीं आना था। उसके आदमियों ने कहना था: 'पहले क्यों नहीं बताया। बुराई को जल्दी से जल्दी कुचल देना चाहिए। और नहीं तो मामला रजिस्ट्रार के नोटिस में तो लाया ही जाए।'

रजिस्ट्रार नाथ पर मेहरबान था।

रजिस्ट्रार को फोन खड़काया गया। 'वैसे तो शाम तक सब ठीक हो जायेगा। फिर भी यदि जरूरत पड़े तो आप दो दिन निकाल दो। बाद में मैं स्वयं संभाल लेगा।''

रजिस्ट्रार ने नाथ की पीठ थपथपाई। 'बड़े भाई के होते तुम्हे चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। संकट टल गया तो ठीक, नहीं तो बस फोन ही काफी है। फिर मैं जानूँ, मेरा काम जाने।''

रजिस्ट्रार के प्रोत्साहन से नाथ की घबराहट कम हो गयी। दिलेरी में आया वह राजनैतिक चालें चलने लगा।

अदालत में आते ही उसने बार के प्रधान और सचिव को बुलाया। उनके प्रति रोष प्रकट किया। नाथ ने तो कभी उनका बुरा नहीं किया। हमेशा उनका ख्याल रखा था। ज्यादा से ज्यादा मुकद्दमें उनके पक्ष में किए थे। नाथ की मेहरबानी से उनकी वकालत दुगनी-तिगुनी हो गयी थी। उनके प्रधान सचिव होते हुए नाथ के खिलाफ यह सब नहीं होना चाहिए था।

नाथ साहिब ठीक कहते थे। किन्तु मजबूर थे। सच भी यही था । उनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं था। वकीलों के क्रोध की ज्वाला भडक चुकी थी। जिन के मुँह जुबान नहीं थी, कल वे भी शेरों की तरह गर्ज रहे थे।

"चलो जो हो गया, सो हो गया। आगे से कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव को यही दबा दो। इस मामले पर और मीटिंग नहीं होनी चाहिए। सैल वालों को कोई लिस्ट न दी जाए। आप मेरा साथ दो, बाकी मैं स्वयं संभाल लूंगा।''नाथ इस तरह हुक्म झाड़ रहा था जैसे सामने पदाधिकारी की जगह मुलजिम खड़े हों।

प्रधान और सचिव ने पैरों पर पानी न पड़ने दिया। कल के तूफान ने उनको जड़ों समेत उखाड़ दिया था। अब हुक्म लड़कों का चलता था। वे महज रबड़ की मोहर बन कर रह गए थे। निजी तौर पर वे कोई वादा नहीं कर सकते थे।

पदाधिकारियों का मन कांप रहा था। उनका ध्यान बाहर और कान अंदर की ओर थे। कोई विश्वास नहीं, बाहर जूनियर वकील उनकी नाकाबंदी करके बैठे हों। जज और उनके बीच हो रही बातचीत सुन रहे हों।

पदाधिकारियों को अपने कल के कार्य पर पछतावा था।

जूनियर वकीलो से सुबह ही उनको खरी खोटी सुननी पड़ गई थी। उनको सचिव के जज की कोठी जाने और प्रधान के फोन करने की भनक पड़ चुकी थी।

प्रधान और सचिव ने कोई और गलती की तो उनके खिलाफ भी प्रस्ताव पास हो सकता था। वे कोयलों की दलाली में मुँह काला क्यों करें?

नाथ के प्रति उनके मन में पहले वाली श्रद्धा भी नहीं रही थी। जिस तरह की कहानियां प्रधान,, और सचिव को सुनने को मिल रही थीं, यदि वे सच थीं तो नाथ जैसे जज के खिलाफ कार्यवाही होनी ही चाहिए।

प्रधान और सचिव पीछा छुड़ाने के लिए उतावले होने लगे। नाथ को सामने से कोई ठोस समर्थन मिलता नजर नहीं आया। बदले हालात के अनुसार उस को अपने नवाबीमिज़ाज़ में तब्दीली लानी पड़ी।

“यदि आप की कोई मजबूरी है तो एक दो सीनियर वकील और बुला लो। आपसी मतभेद दूर कर लेते हैं। मेरी गलती हुई तो मैं माफी मांग लूंगा..... किन्तु मैं इन बंदरों के सामने नहीं झुकूंगा...।”

“इस बार बागडोर बंदरों के हाथ है... फिर भी हम कोशिश करके देखते हैं।” कहते पदाधिकारी उठ खड़े हुए।

“फिर कब बताओगे? ‘’उनके स्वागत में नाथ भी उठ खड़ा हुआ

“शाम तक।”

“नहीं लंच में मिलना। जरा राजनैतिक ढंग से निपटना। “नाथ की मिन्नत भरी आवाज उनका दरवाजे तक पीछा करती रही।

पदाधिकारियों ने न कोई कोशिश करनी थी, न की। न वे लंच टाइम में जज को मिले, न शाम को।

जब समस्या हल होती नजर न आयी, तो नाथ ने चंडीगढ़ का रास्ता पकडा।

चंडीगढ़ से लौटते ही नाथ फिर गीदड़ से शेर बन गया।

हाईकोर्ट में उसके गुट के जजों ने उसकी पीठ थपथपाई। चीफ जस्टिस भी उनके ग्रुप का था और विजीलैंस जज भी। ऐसी बीसियों खबरें छपती हैं। सैंकड़ों प्रस्ताव पास होते हैं। 'यदि हाईकोर्ट ऐसी छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान देने लगे तो हो गए फैसले। जज का काम जोखिम भरा है। एक पक्ष ने नाराज होना ही है। नाराज पक्ष ने जज पर कीचड़ भी उछालना है। यदि हाईकोर्ट जज के हर काम में मीन-मेख निकालती रहे तो जज निडरता और निष्पक्षता से काम कैसे करेंगे?'

रजिस्ट्रार ने खुशखबरी सुनायी। पहला प्रस्ताव वह हज़म कर चुका था। खबरें या प्रस्ताव चीफ जस्टिस के आगे पेश ही नहीं किए। जब बांस ही नहीं रहा तो बांसुरी कैसे बजेगी?

नाथ को एक चेतावनी भी दी। इस समस्या की जड़ कोई कत्ल केस है। वह उसमें निजी दिलचस्पी लेनी छोड़ दे। किसी न किसी बहाने लम्बी तारीख डाल दे। अपने आप साढ़-सती टल जाएगी।

फिर सप्ताह भर न बार ने सुध ली, न सैल ने।

सब को आशा थी, कार्यवाही अपने आप होगी। पड़ताल के लिए जज बिठाया जाएगा। दोषों की पुष्टि के लिए जज सबूत मांगेगा। वे सबूत इकट्ठे करते रहे।

एक सप्ताह और निकल गया। फिर भी कोई कार्यवाही न हुई।

बार में खुसर-फुसर होने लगी। दाल में कुछ काला है। नाथ की, चोर चोरी से जाए, सीनाजोर से न जाए, की आदत अभी भी कायम थी। मौका पाकर वह आसामी बटोर लेता था।

सुलगती आग उस समय लपटों में बदल गयी, जब हाईकोर्ट किसी काम से गये मोहन जी को पता लगा कि यहां तो कोई खोज खबर ही नहीं। क्लर्क से लेकर रजिस्ट्रार तक को न किसी प्रस्ताव का पता है, न खबरों का।

जूनियरों के अनुरोध पर दोबारा मीटिंग बुलाई गयी।

इस बार फैसला हुआ कि वकीलों का एक वफद चीफ जस्टिस को मिले। वह वफद नाथ के विरुद्ध इकट्ठे किए गए सबूतों का चिट्ठा खुद चीफ जस्टिस के आगे पेश करे।

सजीव हुई बस स्टैंड एक्शन कमेटी ने भी अपने दुखों को रोने का मन बना लिया।

जब सब जा रहे थे तो संघर्ष समिति पीछे क्यों रहे? एक वफद उसका भी जाएगा।

इतने बड़े वफद को देखकर रजिस्ट्रार के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। पूरी तनदेही से वह वफद को टालने लगा। कदम-कदम पर झूठ बोलने लगा।

पहले कहता, हाईकोर्ट में कोई प्रस्ताव आया ही नहीं।

बार ने एक सर्टिफिकेट पेश किया। पोस्ट ऑफिस वालों ने तस्दीक किया था कि रजिस्ट्री हाई कोर्ट के फलां क्लर्क ने फलां तारीख को प्राप्त की थी।

सर्टिफिकेट देख कर रजिस्ट्रार ने पैंतरा बदला–

"अच्छा! अच्छा! वह प्रस्ताव...! वह तो कब का फाइल हो गया...।"

बार वालों ने कारण पूछा तो पता लगा, वकीलों का एक वफद चंडीगढ़ आया था। कुछ ने बताया था, प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर जबरदस्ती करवाए गए थे। कुछ ने लिख कर दिया था, प्रस्ताव पर हुए उनके हस्ताक्षर, जाली थे। उन को नाथ से कोई नाराजगी नहीं थी।

यह सरासर झूठ था। सैल और जूनियर वकीलों ने बाकी वकीलों पर बराबर नजर रखी थी। न कोई वकील चंडीगढ़ आया था न किसी ने कुछ लिख कर दिया था। यह मनघड़ंत कहानी थी, जो वकीलों में फूट डालने और नाथ को बचाने के लिए रची गयी थी।

वफद ने मांग की, वह लिखत उसको दिखायी जाए।

मामला गुप्त था, रजिस्ट्रार ऐसा नहीं कर सकता।

क्या माजरा है, वफद की समझ में आ गया। रजिस्ट्रार नाथ का दूसरा रूप था।

लिखत नहीं दिखानी तो वफद को चीफ जस्टिस से मिलवाया जाए।

वफद को रजिस्ट्रार पर भरोसा नहीं रहा था। पहली शिकायत उसी ने रफा–दफा की थी। दूसरी क्यों नहीं करेगा। जाब्ते के अनुसार वह दूसरी शिकायत रजिस्ट्रार को देने के लिए तैयार नहीं था।

वफद अपनी शिकायत चीफ के सामने ही पेश करेगा। यदि रजिस्ट्रार वफद को चैंबर में नहीं मिलने देगा तो वफद चीफ की कोठी जाएगा। चीफ कोठी में मिलने से इंकार करेगा। तो वफद धरना देगा। भूख हड़ताल करेगा। प्रैस काफ्रेंस बुलाएगा।

पानी जब सिर से गुजरने लगा तो रजिस्ट्रार झुकने लगा।

धीरे–धीरे रजिस्ट्रार ने वफद को ठंडा किया।

वफद से मैंमोरैंडम लिया। उसके साथ लगे केसों की जांच की। हल्फिया ब्यान पढ़े। फिर मिसल तैयार करके चीफ के सामने पेश कर दी।

चीफ ने वफद को ठंडे दिमाग से सुना। फौरन विजीलैंस के जज को बुलाया। सारे कागज पत्र उसके हवाले किए। विजीलैंस का जज फौरन पड़ताल करे। सप्ताह के अंदर–अंदर रिपोर्ट पेश करे। विजीलैंस के जज को हुक्म सुनाया।

बंटी कत्ल केस की कार्यवाही एक महीने के लिए रोक दी गई।

खुश हुआ वफद विजीलैंस जज का इन्तजार करने लगा। समिति, सैल और जूनियर दुखी पक्षों से संपर्क रखने लगे। 'वे निधड़क हो कर गवाही दें। 'सब को समझाने लगे।

"नाथ की पड़ताल होनी है''यह सुनकर कई और दलों में भी साहस आ गया। उन्होंने भी अपने हल्फिया ब्यान तस्दीक करवा लिए।

सैल के हौंसले बुलंद थे। विजीलैंस जज के आते ही नाथ की छुट्टी हो जानी थी।

किन्तु विजीलैंस जज था कि आ ही नहीं रहा था।

उकताए और थके लोगों के हौंसले पस्त होने लगे। निराश हो कर वे फिर से काम धंधों में व्यस्त होने गए।

नाथ उस सुस्ती का फायदा उठाने लगा। उसको उन केसों की लिस्ट मिल चुकी थी, जिनमें उस पर पैसे लेने का दोष लगाया गया था।

विजीलैंस जज द्वारा उसको पीडित पक्षों से संपर्क करने के लिए खुला समय दिया गया था। समय का वह फायदा उठाता रहा।

किसी पक्ष का कोई रिश्तेदार बुलाया गया। रिश्तेदार द्वारा पक्ष को समझाया गया।

"भले आदमी, मूर्खों के पीछे लग कर मूर्ख क्यों बनता है? पड़ताल हाईकोर्ट कर रही है। यदि तुम ने कह दिया, पैसे देकर केस करवाया है तो वह फैसला रद्द नहीं कर देगा? अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारते हो?"

कुछ समझ गए।

जो न समझे, उन को थाने बुलाया गया। किसी और केस की आड़ में डराया धमकाया गया।

कुछ डर गए।

जो न डरे, उनको आधे पैसे लौटा कर चुप करवाया गया। वकीलों में भी फूट डाली गयी। किसी का साला लाया गया, किसी का जीजा। किसी को चुप रहने का हुक्म राजनैतिक पार्टी ने दिया, किसी को किसी सभा सोसायटी ने। कुछ की मिन्नत की, कुछ को लालच दिया।

जब सब अच्छा हो गया तो विजीलैंस जज को बुलाया गया।

जज के अचानक आ धमकने से बार को हाथों-पैरों की पड़ गई। फरियादियों को इकट्ठे करने के लिए अट्ठारह घंटे मिले थे।

पड़ताल का दिन रविवार रखा गया। अधिकतर वकील सूचना मिलने से पहले ही गांवों को जा चुके थे।

सारे फरियादियों से संपर्क न हो सका। जिनके साथ हुआ वे मजबूर थे। किसी ने विवाह में जाना था, किसी ने शोक स्थल।

कुछ पक्षों को मुकरवा लिया गया था। कुछ को गायब कर दिया गया था। कोई थाने में बंद था। कोई किसी अफसर की कोठी में।

जज के सामने पेश करने के लिए बार को एक भी फरियादी नहीं मिला।

निरीक्षण करने पर पता लगा ऐसा सोची समझी साजिश तहत हुआ था। नाथ को कई दिन पहले ही टूर-प्रोग्राम भेज दिया गया था। बार को जानबूझ कर अंधेरे में रखा गया था।

विजीलैंस के जज ने नाथ को समझाया था, किसी न किसी तरह वह उस को एक बार बैरंग लौटा दे। फिर पड़ताल के लिए वह शहर में पैर नहीं रखेगा, चाहे सारा शहर नाथ के विरुद्ध भुगतने के लिए तैयार हो जाए।

ऐसे ही हो रहा था। विजीलैंस जज पूरे चार घंटे रैस्ट हाऊस में बैठा रहा। एक भी फरियादी उसके सामने पेश न हुआ।

वापिस जाने से पहले विजीलैंस जज ने गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया। उनको मिलजुल कर चलने का उपदेश दिया। "बार और बैंच एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जितनी देर मिलकर नहीं चलेंगे, इन्साफ की गाड़ी नहीं चलेगी।"

सैल वाले इन मन लुभाने वाली बातों में आने वाले नहीं थे। उनको सबूत पेश करने के मौके से जानबूझ कर वंचित रखा गया था। पड़ताल निष्पक्ष नहीं थी। उसको एक मौका और दिया जाए।

जज को और भी बहुत से काम हैं। वह दोबारा नहीं आ सकता। हाई कोर्ट की ओर से उसको पहले ही बहुत कम समय दिया गया। कोई सबूत पेश करना हो तो आज ही करो। नहीं तो वह समझेगा, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं।

विजीलैंस जज की ओर से एक राजीनामा टाइप करवाया गया। जिन-जिन वकीलों को पड़ताल पर तसल्ली थी, वे हस्ताक्षर कर दें। बाकियों की मर्जी।

रोष में आए जूनियरों ने राजीनामा फाड़ दिया। जज पड़ताल के लिए आया था, न कि राजीनामे के लिए। वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा था।

पासा उल्टा पड़ता देख कर विजीलैंस जज नम्र होने लगा ।दो दिनों का समय और दिया गया। यदि उनके पास कोई गवाह हो तो उसको चंडीगढ़ ला कर भुगता दिया जाए।

सैल ने चंडीगढ़ के कई चक्कर लगाए। कुछ हासिल न हुआ। जब गवाह जाते, जज न होता। जब जज होता गवाह न जाते।

खींचातानी करके कुछ ही गवाह भुगत सके।

विजीलैंस जज के रिपोर्ट पेश करने के एक महीना बाद तक भी जब कोई कार्यवाही न हुई तो बार को फिर वफद लेकर चंडीगढ़ जाना पड़ा।

इस बार चीफ भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सैल वाले निजी दुश्मनी निकाल रहे थे। जज को जान बूझकर बदनाम कर रहे थे। सैशन जज और विजीलैंस जज की रिपोर्ट आ चुकी थी। कुछ सीनियर वकील नाथ के पक्ष में भुगते थे। कई पक्षों के ब्यान कलमबंद हुए थे। कुछ को चीफ ने खुद सुना था। जज पर लगे सब दोष झूठे साबित हुए थे। शिकायत खारिज हो चुकी थी।

यह सब कब और कहाँ हुआ? इस बारे में वफद को कुछ नहीं बताया गया।

जब बाड़ ही खेत को खाने लगे तो रक्षा की आशा किससे की जाए? लेकिन वकील हिम्मत हारने वाले नहीं थे।

नाथ को सबक सिखाने का नया राह ढूँढा गया।

सैल समर्थक वकीलों का जब भी कोई केस नाथ के पास लगता, फौरन अर्जी दे दी जाती। पक्ष को जज पर विश्वास नहीं। केस किसी और अदालत में तब्दील किया जाए। सबूत कः तौर पर कुछ तथ्य पेश किये जाते। हल्फिया ब्यान कभी पक्ष का लगता, कभी वकील का।

हास्यास्पद स्थिति उस समय पैदा हो जाती, जब केस तब्दील करवाने की अर्जी दोनों पक्षों की ओर से आ जाती।

मजबूरन हाई कोर्ट को आए दिन कोई न कोई केस नाथ की अदालत से बदलना पड़ता।

अदालत खाली होती जा रही थी।

बंटी कत्ल केस की तारीख नजदीक आयी तो उस में भी दरख्वास्त दी गयी। दोषों की पुष्टि के लिए दो-दो वकीलों के हल्फिया ब्यान साथ लगाए।

जज पर पहला दोष था कि वह सरकारी पक्ष से मिला हुआ था। पहले दिन गवाह मुकर गए थे। दूसरे दिन मुकरने की संभावना थी। किसी न किसी तरह अगले दिन गवाहों को टाला जाए, इस लक्ष्य को लेकर नाथ, डिप्टी और सरकारी वकील के बीच मीटिंग हुई थी। साजिश के सबूत के तौर पर टेलीफोन के बिल पेश किए गए। पहला फोन बचन सिंह और डी.ए. के बीच हुआ था। दूसरा डी.ए. और सैशन जज के बीच। तीसरा सैशन जज और नाथ के बीच।

इन हल्फिया ब्यानों ने हाई कोर्ट को उलझा लिया।

हल्फिया ब्यानों की आड़ में प्रैस वाले गडे मुर्दे उखाड़ने लगे। नाथ की हेराफेरियों के किस्से आए दिन अखबारों में छपने लगे।

जब लोगों का जज पर विश्वास नहीं रहा तो उसको तब्दील क्यों नहीं किया जाता? जब लोग जज पर भ्रष्टाचार का दोष लगा रहे हैं तो जांच खुले आम क्यों नहीं होती? इस बार प्रैस की आलोचना का केन्द्र हाई कोर्ट बनी थी।

हाई कोर्ट की अपनी सीमाएं थी। जब हाथ अपनी ही पगड़ी को पड़ने लगे तो दूसरे की पगड़ी का ख्याल नहीं रहता।

सैल की अर्जी रद्द की गई।

केस तब्दील करने की जगह जज तब्दील कर दिया गया।

'जज के खिलाफ लगे दोषों की फिर जांच होगी। वह भी खुली कचहरी में।'

यह हुक्म फरमाया गया।

24

नाथ के तबादले और फिर शुरू हुई पड़ताल से समिति की प्रसिद्धि हो गई।

अब पाला मीता बरी हो जाएंगे। लोगों में चर्चा होने लगी।

यह चर्चा युवा संघ के लिए खतरनाक थी।

संघ का अस्तित्व पहले ही खतरे में था। बंटी के कत्ल के बाद सघं के संगठनात्मक ढांचे में दरार आ गयी थी। समय के साथ यह दरार बढ़ती जा रही थी। 'संघ अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक गया है। समाज सेवा के स्थान पर इसका उद्देश्य बंट कत्ल केस की पैरवी करना और अफसरों का हाथों की कठपुतली बन कर रह गया है।' यह विचार वह दल रखता था, जो किसी भी मसले को हाथ डालने से पहले उस मामले की तह तक जाना पसंद करता था।

दल की जांच बताती थी कि पाला मीता निर्दोष थे। उनको बेकसूर साबित करने के लिए समिति जो तथ्य पेश कर रही थी, वे ठीक थे। ये वर्कर अपने नेताओं से पूछते थे कि बिना मतलब समिति को इतना बड़ा जेहाद आरम्भ करने की क्या जरूरत थी? न समिति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, न उसकी पाले मीते के साथ कोई मित्रता थी। समिति का उद्देश्य केवल पाले मीते को बरी करवाना नहीं था। वह असली कातिलों को भी पकड़वाना चाहती थी। संघ यदि पुलिस की हां में हां मिलाता रहा तो असली कातिल बच निकलेंगे।

यह दल संघ के उस फैसले की भी निन्दा करता था जिस के अनुसार उन्होंने बाबा जी का जलूस निकाला था। अब यह शीशे की तरह साफ था कि वह जलूस पुलिस ने अपने हितों की पूर्ति के लिए निकलवाया था। आगजनी और मारपीट तो संघ की योजना में शामिल नहीं था। फिर ऐसा क्यों और किस के इशारे पर हुआ?

यह दल बिना मतलब पुलिस की सहायता करने के खिलाफ था।

बंटी कत्ल केस को कामयाब करने के लिए पुलिस जब झूठे गवाहों की कतार खड़ी कर रही थी, तब संघ को भी आगे आने के लिए कहा गया था। इस दल ने उस समय भी झूठी गवाहियों का विरोध किया था।

संघ के प्रधान ने गवाह बनने से इंकार करने वाले वर्करों को गद्दार घोषित किया था।

प्रधान का विचार था कि यह घड़ी संघ के लिए संकट की घड़ी थी। संघ के संस्थापक का पोता कत्ल हुआ था। दोषियों को सजा होनी चाहिए थी। यदि पुलिस गवाह मांगती थी तो इस में पुलिस का क्या कसूर था? हमार कानूनी ढांचा ही ऐसा है। कदम-कदम पर सबूत मांगता है। जो सबूत दे गया, वह कामयाब। जो रह गया, वह फेल।

अपनी दलील की पुष्टि के लिए राम सरूप आपबीती सुनाता था।

एक बार बस स्टैंड पर एक जेब कतरे को जेब काटते उसने रंगे हाथों पकड़ा था। गवाही देने गया राम सरूप सच बोलने पर अड़ा रहा। पुलिस द्वारा लिखे गये ब्यान की बजाय उसने वही कहा जो सच था। सच यह था कि उसको नहीं पता था कि घटना के समय उसकी जेब में कितने रुपये थे। उसको यह भी नहीं पता था कि पचास-पचास के नोट कितने थे, दस-दस और पांच-पाच के कितने। उसने यह भी माना था कि हर पचास का नोट एक जैसा होता है। उसके पास साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, जो नोट जेब कतरे से पकड़े गये थे, वे जेब कतरे के नहीं राम सरूप के थे। राम सरूप धर्म पुत्र ही बना रह गया। जेब कतरा बरी भी हो गया और राम सरूप के नोट भी ले गया।।

यदि राम सरूप पुलिस का कहा मानता और उसके द्वारा लिखा ब्यान देता, तो नतीजा उल्ट होता। पुलिस ब्यान के अनुसार उसने यह कहना था कि घटना के समय उसकी जेब में पांच सौ रूपया था। चार नोट सौ-सौ के थे। दो पचास-पचास के। नोट वह आढ़ती से लाया था। बिल्कुल नई गट्ठी में से। बाकी नोट आढ़ती के पास थे। राम सरूप के नोटों के नम्बर फलां फलां थे।

उस दिन से राम सरूप की यह धारणा बन गई थी कि मुकद्दमे को कानून की सीमा में लाने के लिए यदि थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े, तो बोल दोना चाहिये।

पुलिस यह सिद्ध कर चुकी थी कि पाला मीता ही बंटी के कातिल हैं। उनको सजा करवाने के लिए पुलिस को यदि कुछ सबूत घडने पड़ रहे थे तो निसंदेह उसको घडने चाहिए थे। संघ का उद्देश्य फल खाना था, पेड़ गिनना नहीं। फल तक पहुंचने के लिए पुलिस कौन सा राह अपनाती है? राम सरूप को इससे कोई मतलब नहीं था। राम सरूप ने सब से पहले अपने आप को बतौर गवाह पेश किया था।

इसके विपरीत नराता राम ने गवाह बनने से साफ इन्कार कर दिया था।

'मुझे ऐसी अदालतों से नफरत है जो लोगों को भ्रम में डालती और झूठे सबूत घडने के लिए उकसाती हैं।'

कहता नराता राम अपने तर्क की पुष्टि के लिए जग-बीती सुनाता था।

रायसर वाले प्रधान का कत्ल भरी कचहरी में हुआ था। सैकड़ों आदमियों ने एक कमजोर से व्यक्ति को प्रधान को गोली मारते देखा था। उसको मौके पर ही पकड़ लिया गया था।

इधर अदालतें नियम बना कर बैठी थीं कि व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता। उधर मरते समय भी प्रधान के मन से पाप नहीं गया।

एक ओर वह मौत के मुंह में जा रहा था, दूसरी तरफ अपने दुश्मनो के लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा था।

बड़े गर्व से उसने ब्यान दिया, 'दो दुश्मनों ने उस की बाहें पकड़ी, तीसरे ने गोली मारी।'

मरने वाले ने तो जो कुफ्र तोलना था, तोल दिया। जज ने उससे भी ज्यादा गजब किया।

जब गोली चली थी, तो बाहें पकड़ने वाले दोषी उस की अदालत में मौजूद थे। उन्होंने जज के पास प्रार्थना भी की थी। प्रधान उनका दुश्मन है। कहीं पर्चे में नाम न लिखवा दे। जज द्वारा उनकी उपस्थिति का जिक्र अपनी मिसल में कर लिया जाए। सफाई के समय उनके लिए यह सबूत बरी होने के लिये काफी होगा।

गवाह बनने से टलता और पार्टीबाजी से डरता जज टाल मटोल कर गया।

फैसला सुनाते समय उसी जज ने इसी घिसे पिटे नियम को मान्यता दी। बाहें पकड़ने वालों को, मरने वाले के ब्यान के आधार पर सजा सुना दी।

नराता कहता था, 'जहां का कानून अंधा और बहरा हो, जहां के जज को सत्य की खोज करने के लिए हाथ पैर मारने की इजाजत न हो, जहां सभी पक्ष मूक दर्शक बन कर खड़े रहते हों, जहां वकीलों को महत्व दिया जाता हो, जहां इंसाफ की बजाए जाब्ते को महत्व दिया जाता हो, वहां के नागरिकों को चाहिए वे सचेत रहें।"

नराता राम सचेत था। उसने संघ के बाकी वर्करों को भी सचेत किया। वह उतनी देर गवाही न दें, जितनी देर तक उन्होंने गवाही वाला तथ्य आंखों से न देखा हो।

इन दिनों समिति ने पलिस, प्रोसीक्यूशन और न्याय पालिका को समस्या में डाला हुआ था। इसका कारण भी बंटी कत्ल केस था।

राम सरूप चाहता था कि संघ अफसरों का डट कर साथ दे। यदि समिति इन को डराने में कामयाब हो गयी तो केस का सत्यानाश हो जाना था।

दूसरा दल यहां भी राम सरूप का विरोध करता था।

"अफसर, फरेबी, बेईमान और झूठे हैं। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वे संघ की आड़ ढूंढते हैं। यदि ये सच्चे हैं तो अपने बलबूते पर स्थिति का सामना क्यों नहीं करते?"

नराता राम के दल का यह विचार था कि अफसरों की मदद मैरिट के आधार पर की जाए। निर्दोष अफसर की मदद की जाए, दोषी का विरोध।

बचन सिंह के कारनामों का किसको नहीं पता? यदि वह दूध का धुला होता तो विजीलैंस के छापे से डरता छुट्टी न भागता।

नाथ के किरदार के बारे में भी संघ को अच्छी तरह से पता था। संघ का कौन सा वर्कर है, जिसने कभी न कभी नाथ को रिश्वत न दी हो? किसी ने सैंपल के केस में से बरी होने के लिए थैली भेंट की थी और किसी ने मरी आसामी से पैसे निकलवाने के लिए।

समिति ने पड़ताल के लिए जिन केसों की लिस्ट हाई कोर्ट को भेजी थी, उन में से कुछ केसों की पड़ताल इस दल ने भी की थी। जिस पक्ष से भी संपर्क किया, वही दहाडें मार कर रो पड़ा। अधिकतर को गहने आदि बेचकर जज का घर भरना पड़ा था।

बंटी कत्ल केस में एक तारीख पर गवाह लौटा कर नाथ साहिब राजा हरिशचन्द्र नहीं बन गए।

करतारो का अड्डा संघ को भी खटकता था। संघ में लाल सिंह को हाथ डालने की हिम्मत नहीं थी। यदि यही काम समिति ने कर दिया तो क्या बुरा किया? पुलिस वालों के कुकर्मों का किस को नहीं पता?

आंखों के कैम्प लगा कर या भिखारियों को कंबल, जर्सियां बांटना ही समाज सेवा नहीं। लोगों को रिश्वत जैसे कोढ़ से छुटकारा दिलाना भी एक समाज सेवा है। संघ को इस परोपकार से मुंह नहीं फेरना चाहिए।

ऐसे नुक्तों पर विचार करते वर्करों में अक्सर झड़प हो जाया करती थी। नेताओं में मन मुटाव रहने लगा। एक नेता कोई प्रोग्राम बनाता तो दूसरा उसको रद्द कर देता।

नेताओं के इस आपसी टकराव से वर्कर तंग आने लगे। समाज सेवा ही करनी है तो यह संघ के बिना भी हो सकती है। उदासीन हुए बहुत से वर्कर संघ से अलग होने लगे।

ऊपर से सितम यह कि लाला जी ने भी मौन धारण कर लिया। पहले कोई समस्या उत्पन्न होती तो वह फौरन सुलझा देते। उन की राय वर्करों के लिए परमात्मा की आज्ञा समान होती।

बंटी के कत्ल के बाद वह एक बार भी मीटिंग में नहीं आए थे। घर बैठे माला फेरते रहते। कभी कोई वर्कर राय मशविरों के लिए जाता तो चिढ़ जाते। अपने मसले खुद निबटाने की राय देते।

संघ के अधिकतर वर्कर अमीर घरानों से संबंधित थे। संघ के सदस्य वे समाज सेवा के लिए बने थे। थाने, कचहरी में धक्के खाने के लिए नहीं। मुकद्दमेबाजी या पार्टीबाजी से उन्होंने क्या लेना था? वे

संघ के इस झंझट में से निकलने का इन्तजार करने लगे। उतनी देर के लिए मन बहलाने के लिए किसी ने स्पोटर्स क्लब बना लिया और किसी ने सभ्याचारक मंच।

सत्यनिष्ठ वर्करों के मन को कचहरी के माहौल ने भी ठेस पहुंचाई थी। उन्होंने सुना था कि कचहरी एक मंदिर है। वहां दूसरा ईश्वर वास करता है। किन्तु अनुभव इसके विपरीत हुआ था।

जिस भंडारी को संघ दानवीर कर्ण कहा करता था, उसका असली कुरूप चेहरा उनको कचहरी में नजर आया था। एक बार नराता राम ने देखा था, एक विधवा ने भंडारी की फीस चुकाने के लिए अपने आठ साल के पुत्र की गुल्लक तोड़ी थी। रोते बच्चे का भंडारी के मन पर कोई असर नहीं हुआ था।

उसी दिन से नराता राम का कचहरी जाते मन घबराता था।

राम सरूप और दर्शन का धर्म की सौगंध खा कर झूठ बोलना भी उसको बुरा लगा था।

नराता राम दल को जब समिति का एजेंट कहा जाने लगा, तो उन्होंने पूरी तरह स्वयं को इस झमेले से दूर कर लिया।

इधर संघ बिखर रहा था, उधर समिति मजबूत होती जा रही थी।

राम सरूप बेचैन था। संघ आखिर कब तक अपनी मेहनत के इस फल को लुटता देखता रहेगा।

उसने अपने सचिव से मशविरा किया। समय की मांग थी कि संघ को दोबारा संगठित किया जाए। केस की पैरवी पूरे तन मन के साथ की जाए। जो सहमत हैं वे संघ में रहे, जो नहीं वे निकल जाएं। संघ लड़ाई लड़ेगा। चाहे वे दो ही क्यों न रह जाएं।

हालात अकेले रहने जैसे ही बनते जा रहे थे। राम सरूप और दर्शन के भरपूर यत्नों के बावजूद भी संघ की गिनती दस से ज्यादा नहीं थी। इतने से कार्यकर्त्ताओं के साथ न जलसे किए जा सकते थे, न जलूस निकाले जा सकते थे। फिर भी जो कुछ किया जा सकता था, वह सब तो किया जाए। फिर से गठित हुए संघ का पहला लक्ष्य मुख्य मंत्री को मिलना निश्चित किया गया।

संघ को मुख्यमंत्री प्रसन्न हृदय से मिला।

दो चार बातें करके संघ का गुस्सा जाता रहा। मुख्यमंत्री केस पर पूरी तरह से नजर रख रहा था। छोटी से छोटी घटना मुख्य मंत्री के नोटिस में थी। वह मजबूर था। क्या करे? समझ नहीं आ रहा था।

संघ द्वारा पेश किए गए सुझावों पर मुख्य मंत्री ने गंभीरता से विचार किया।

परिणाम फौरन सामने आने लगे।

नाथ साहिब की जगह कौन सा जज लगाया जाए? यह विचार करने के लिए जस्टिस शिंगारा सिंह को कोठी बुलाया गया।

जस्टिस मुख्य मंत्री का रिश्तेदार भी था और उसको कुर्सी पर भी मुख्य मंत्री ने ही बिठाया था।

हाई कोर्ट में वकालत शुरू करने से पहले शिंगारा सिंह पटियाला में वकालत करता था। वकालत चाहे ज्यादा नहीं चलती थी, किन्तु राजनीति में अच्छा स्थान था। पिछली सरकार में मुख्य मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री बने थे। उस समय उन्होंने शिंगारा सिंह को चंडीगढ़ बुला लिया था।

अकाली पार्टी में शिक्षितों की कमी थी। जैसे नेता वैसे रिश्तेदार। कई बार तो जत्थेदारों को ऊँची पदवियों पर बिठाने के लिए शिक्षित रिश्तेदार भी नहीं मिलते थे। हाई कोर्ट में जजों के पद रिक्त होते रहते थे। जब दाव लगा, मंत्री उसको जज बना देगा।

अकाली पार्टी ज्यादा समय विरोधी पक्ष के रूप में ही काम करती थी। विरोधी पक्ष में बैठ कर पार्टी को मोर्चे लगाने पड़ते। मोर्चों में अन्दर हुए नेताओं को हाई कोर्ट की जरूरत पड़ती थी। शिंगारा सिंह हाईकोर्ट में बैठा मौके-बेमौके काम आएगा।

इसी राजनीति के अधीन शिंगारा सिंह को जस्टिस बनाया गया था।

और शिंगारा सिंह ने भी संविधान की जगह पार्टी और मुख्य मंत्री के प्रति अधिक वफादारी निभाई थी। जब भी जरूरत पड़ी, उसने कायदे-कानून छिक्के पर टांग कर पार्टी का हित पूरा किया। निजी काम भी दिलेरी के साथ किए। पार्टी ने इशारा किया तो बरी होने वाले व्यक्ति को फांसी लगा दिया। मुख्य मंत्री ने चाहा तो फांसी लगने वाले व्यक्ति को बरी कर दिया।

अब भी मुख्य मंत्री को उसकी सेवाओं की जरूरत थीं।

जस्टिस शिंगारा सिंह को सारी समस्या समझायी गयी।

नाथ की जगह कोई ऐसा जज लाया जाए, जो ईमानदारी के लिए भी प्रसिद्ध हो और जलसे-जलूसों से भी न डरे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह बिल्कुल अड़ियल टट्टू ही हो। सरकार की भी परवाह न करता हो। जरूरत पड़ने पर शिंगारा सिंह उसको कठपुतली की तरह नचा भी सके।

शिंगारा सिंह ने फौरन मोता सिंह का नाम सुझाया। वह मुख्य मंत्री की कसौटी पर पूरा उतरता था।

उसको हुक्म हुआ, मोता सिंह को तुरन्त शहर पहुंचाया जाए।

संघ की दूसरी मांग केस की पैरवी के लिए विशेष पब्लिक प्रौसिक्यूटर नियुक्त करने की थी। निकम्मे सरकारी वकील के यह वश का रोग नहीं था। यह सेवा ज्ञान सिंह को सौंपी गयी।

ज्ञान सिंह हाई कोर्ट का चोटी का वकील था। निम्न अदालतों में जाना उसकी शान के खिलाफ था, किन्तु वह मुख्य मंत्री के नजदीकी मित्रों में से था। मुख्य मंत्री का हुक्म वह नहीं टाल सकता था।

विशेष दूत के माध्यम से ज्ञान सिंह को तलब किया गया।

ज्ञान सिंह के लिए हर पेशी का पांच हजार। आने जाने के लिए गाड़ी। रहने के लिए सर्कट हाऊस। साथ में एक वादा, केस के सफल होते ही बढ़िया सा कोई पद भी।

ज्ञान सिंह को न पांच हजार रूपये प्रति पेशी का लालच था, न कार बंगले का। उसकी फीस तो ग्यारह हजार रूपये प्रति पेशी थी। वह भी घर बैठे। कई बार पेशियां भी दो-दो तीन-तीन।

बाहर जाने से नुकसान होना था। पीछे से काम चौपट हो जाता था। ग्राहक और मौत का क्या पता कब आ जाए? अनुपस्थिति में दो चार या दस मुकद्दमें भी हाथ से जा सकते थे।

कारें उस के पास पहले ही दो थीं। कोठी मुख्य मंत्री की कोठी जितनी थी।

केस को स्वीकार करने का एक ही आकर्षण था, वह था मुख्य मंत्री का वादा।

हाई कोर्ट में कई आसामियां खाली थीं। जज बनने की सारी शर्तें ज्ञान सिंह पूरी करता था। मुख्य मंत्री खुश हो गया तो एक सीट मिल ही जानी थी।

जज नहीं तो एडवोकेट जनरल की कुर्सी ही सही।

यह नहीं तो किसी बोर्ड, कारपोरेशन या कमीशन की चेयरमैनशिप तो देगा ही।

पार्टी टिकट भी मिल सकता है और मंत्री पद भी।

एक लालच और था।

स्पैशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन कर वकालत और चमकनी थी।

एक तरफ मीडिया के माध्यम से प्रसिद्धि मिलनी थी, दूसरी तरफ अफसरों को कान हो जाने थे।

स्पैशल पी.पी. बनने का मान जाने माने वकील को भी नहीं मिलता। इसका मतलब था कि वकील की सरकार-दरबार में पहुंच थी। सरकार को वकील की योग्यता पर गर्व था। सत्ता द्वारा महत्व मिलने से वकील की वकालत दुगनी तिगुनी हो जाती है।

सरकारी काम धड़ाधड़ मिलना था। मुंह मांगी फीस मिलनी थी। अफसरों को केस से ज्यादा दिलचस्पी उसको खुश करने में होनी थी।

उज्ज्वल भविष्य का सपना देख कर ज्ञान सिंह ने केस लड़ना मान लिया।

ज्ञान सिंह की सलाह पर निम्न अफसरों को हिदायतें जारी की गईं।

जिला अटार्नी खुद स्पैशल पी.पी. की मदद करेगा। हर पेशी पर वह शहर जाया करेगा।

गवाहों को तलब करने, समझाने और सरकारी वकील के आगे पेश करने की पुलिस कप्तान की निजी जिम्मेवारी होगी। इस केस के लिए एक विशेष पुलिस पार्टी तैयार की जाएगी।

इस पार्टी का इंचार्ज कम से कम इंस्पैक्टर लगाया जाए। यह इंस्पैक्टर पुलिस कप्तान के साथ-साथ स्पैशल पी.पी. के प्रति भी उत्तरदायी हो।

गृह विभाग के एक डिप्टी सैक्रेटरी को केस का इंचार्ज बनाया गया। मुख्य मंत्री को व्यस्तता के कारण बाहर अन्दर जाना आना पड़ता था। स्पैशल पी.पी. जैसे कहे, वह मुख्य मंत्री की तरफ से उसी तरह हुक्म जारी करता रहे।

पेशी वाले दिन डिप्टी सैक्रेटरी जिला हैडक्वार्टर पर हाजिर रहे।

डिप्टी सैक्रेटरी मुख्य मंत्री से भी संपर्क रखे। हर कार्यवाही की सूचना उसको देता रहे।

राम सरूप और दर्शन को भी डिप्टी सैक्रेटरी के साथ मिलवाया गया।

उनको वह मुख्य मंत्री का रूप ही समझे, उसको समझाया गया।

अब तो खुश था न संघ?

25

संघ सजीव हो चुका था। मुख्य मंत्री फिर से इस केस में दिलचस्पी लेने लगा था। इस से अफसरों को राहत महसूस होने लगी।

लोगों का भरोसा जीतने के लिए नये आए मुख्य अफसर ने थाने में अखंड पाठ खुलवाया। गणमान्यों के अलावा पुलिस कप्तान और डिप्टी कमीशनर को बुलाया गया। महाराज की हजूरी में पुलिस वालों ने सौगंध खायी, आगे से न वे गलत काम करेंगे, न रिश्वत लेंगे।

जिला अटार्नी ने कई दिन पहले ही शहर में डेरा लगा लिया। अपनी सहायता के लिए दो डिप्टी जिला अटार्नियों को बुला लिया।

सारी मिसल का एक बार फिर से मुआयना हुआ। कोई कमी तो नहीं? यदि है तो वह कैसे दूर हो? यह विचार किया गया।

सरकारी कर्त्तव्य निभाकर जिला अटार्नी ने अपना ध्यान ज्ञान सिंह पर केन्द्रित किया। स्पैशल पी.पी. मुख्य मंत्री की मूंछ का बाल था। जिला अटार्नी को ऐसे व्यक्ति की तलाश थी। इस जिले में उसकी टर्म पूरी हो चुकी थी। अप्रैल में तबादले की संभावना थी। यदि ज्ञान सिंह खुश हो गया तो केस की पैरवी के बहाने तबादला रुकवा देगा। तबादला न रुकवा सका तो बढ़िया स्टेशन दिलवा देगा।

केस की तैयारी के साथ-साथ ज्ञान सिंह को खुश करने की ओर भी ध्यान दिया गया। उसकी मनपसन्द व्हिस्की के ब्रांड का पता किया गया। उसको किस किस्म के स्नैक्स पसंद थे, यह खोजा गया। फिर उसी के अनुसार किसी को तीतर पकड़ने भेजा गया और किसी को मछली।

पुलिस विभाग ने भी अपनी गंभीरता का सबूत दिया।

पैरवी के लिए एक विशेष टीम बनायी गयी। सुंदर दास इंस्पैक्टर को इस का मुखिया बनाया गया। टीम में लिखा-पढ़ी के माहिर अफसर भी लिए गए और मार-धाड़ करने वाले भी। मार-धाड़ वाले अफसरों ने गवाहों को तलब करना था। माहिरों ने ब्यान समझाना था। सुन्दर दास ने उन गवाहों से स्वयं निपटना था, जो गवाही देने से टलने का यत्न करें।

मीडिया के द्वारा सरकार के इन यत्नों का खूब प्रचार किया गया।

संघ ने भी कमर कस ली। इस बार वह गवाहों को समिति के चुंगल में नहीं फंसने देंगे।

मोता सिंह ने भी पद संभाल लिया।

घर-घर उसकी ईमानदारी और दिलेरी के चर्चे होने लगे।

कोि कहता, 'आठ साल की नौकरी के बावजूद भी उसके पास स्कूटर तक नहीं, न रंगीन टी.वी. है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उसको कभी जी.पी. फंड से उधार लेना पड़ता है, कभी यार दोस्तों से।''

कोई कहत, 'वह सरदारों का लड़का है। पचास एकड़ जमीन अकेले के हिस्से आती है, पैसे की ओर देखता तक नहीं।'

कोई कहता 'वह मुख्य मंत्री तक की परवाह नहीं करता। बलात्कार के एक केस में उसने एक एम.एल.ए को सजा सुना दी थी।''

कोई कहता 'एक बार लुधियाना का एक उद्योगपति उसको एक लाख रुपया देने आया था। जज ने नोटों वाला बैग सड़क पर फेंक दिया था और सेठ को रिश्वत देने के दोष में जेल भिजवा दिया था।''

मोता सिंह की नियुक्ति पर समिति न खुश थी, न उदास। किसी एम.एल.ए को विशेष हालात में सजा सुनाना या पैसे ठुकराना अलग बात थी। राजनीतिक दबाव को ठुकरा कर निष्पक्ष फैसला सुनाना दुसरी।

फिर भी एक तसल्ली थी। न मोता सिंह को पैसा खरीद सकेगा, न नारे डरा सकेंगे।। न व्हिस्की की पेटी के बदले किसी को तारीख मिलेगी, न किसी डिप्टी को कोठी में घुसने दिया जायेगा।

संघ के लिए यह खुशियों भरा मौका था।

स्पैशल पी.पी. की नियुक्ति से संघ की वाहवाही होने लगी थी। लोगों को यकीन होने लगा कि सरकार-दरबार में संघ की अभी भी चलती है।

संघ की इस प्राप्ति पर कई रूठे वर्कर मान गए। संघ की मीटिंगों में फिर से रौनक होने लगी।

चाहे दोनों पक्षों को जज पर विश्वास था, फिर भी कोई पक्ष जोखिम नहीं उठा रहा था।

पुलिस गवाहों के पीछे भागम-भाग कर रही थी। पुलिस और जिला अटार्नी की सरगर्मियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने अहम्-अहम् गवाह फिर से छुपा दिए।

संघ ने अपने पक्के गवाहों पर पुलिस का पहरा लगवा लिया। जो जो गवाह मिले उनको पकड़कर पुलिस ने जिला अटार्नी के आगे पेश किया। जो गवाह नहीं मिल रहे थे, वही अहम् थे। उनको बार बार समझाना जरूरी था। स्पैशल पी.पी. ने भी उन पर माथापच्ची करनी थी।

पेशी में एक दिन बाकी था। सुबह ही ज्ञान सिंह ने आ जाना था। गवाह थे कि पूरे नहीं हो रहे थे।

घबराए जिला अटार्नी ने पुलिस कप्तान को फोन किया।

कप्तान ने खुफिया विभाग से रिपोर्ट मांगी। कुछ गवाह बाबे की कोठी थे और कुछ गुरमीत के घर।

ऐसे गवाहों को तलब करने के लिए समिति से टक्कर लेनी पड़नी थी। कप्तान इस मूड में नहीं था। खुफिया विभाग पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। यदि गवाह कोठी में न मिले तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुख्य मंत्री की हिदायतों के बिना वह कोई भी गैर कानूनी काम करने को तैयार नहीं थे।

जिला अटार्नी चुप कर गया। उसकी डयूटी पुलिस द्वारा लाए गवाहों को समझाना थी। जो गवाह उपस्थित थे, उनको तोते बना दिया गया। यदि पुलिस बाकी गवाह तलब करने से झिझकती थी, तो जिला अटार्नी को बला अपने गले डालने की क्या जरूरत थी?

चुप करके वह स्पैशल पी.पी. का इंतजार करने लगा।

स्पैशल पी.पी. निश्चित समय पर पहुंच गया।

गवाहों के बारे में रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी।

यही स्थिति रही तो पेशी और लेनी पड़ेगी या गवाहों को सफाई पक्ष के हक में भुगत जाने देना पड़ेगा। दोनों स्थितियों में नुकसान सरकारी पक्ष का होगा।

डिप्टी सैक्रेटरी को फोन किया गया। उसको फौरन जिला हैडक्वार्टर बुलाया गया।

सारे पदाधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया।

बहस का सार यह था कि सारे गवाह झूठे थे। समिति गवाहों की आत्मा को झिंझोड़ने में कामयाब हो चुकी थी। अब गवाह झूठ बोलने से टल रहे थे।

जो बीत गया सो बीत गया। पदाधिकारियों का काम सरकार का मान सम्मान बहाल करना था। अब यहीं से ही कोई राह ढूंढा जाना चाहिये था।

ज्ञान सिंह चाहता था, गवाह जहां भी हों उनको उठा लाया जाए। गवाह न मिलें तो वारिसों पर सख्ती की जाए।

इस मशवरे से कोई अफसर सहमत नहीं था।

डिप्टी कमिशनर और पुलिस कप्तान के पास पक्की खबर थी कि समिति ने अपनी सारी ताकत एकजुट कर रखी थी। वह किसी मौके की ताक में थी। मौका मिलते ही उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। धरनों, रैलियों और जलसे-जलूसों के द्वारा सरकार बदनाम की जानी थी। पुलिस द्वारा एक भी गवाह पर हाथ डालने से राज्यव्यापी लहर उठ सकती थी।

डिप्टी सैक्रेटरी की भी यही राय थी। मुख्यमंत्री साहिब की सख्त हिदायत थी, मुकद्दमा कानूनी कार्यवाही से जीता जाए। सरकार पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी थी। केस को गलियों में और न घसीटा जाए।

कानूनी राह एक ही था। पहले यह पता लगाया जाए कि कौन सा गवाह किस के पास है? गवाह कहां छुपा है? फिर उस जगह का सर्च वारंट लिया जाए।

सर्च-वारंट प्राप्त करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दी गयी।

दरख्वास्त में दोष लगाया गया। सफाई पक्ष गवाहों को डरा धमका रहा था। कई गवाह उसके कब्जे में थे, उन्हें रिहा करवाया जाए। गवाह निष्पक्ष हो कर गवाही दे सकें, इसलिए यह जरूरी था।

वारंट जारी होने से पहले लीगल सैल ने भी दरख्वास्त दे दी। वारंट जारी करने से पहले उसको भी सुना जाए।

सैल को भी स्पैशल पी.पी. वाला एतराज था। गवाह सच बोलना चाहते थे, पुलिस झूठ बुलवाना चाहती थी।

इसी कारण पिछली पेशी पर गवाह नहीं लिखे गए थे। महीने की तारीख डालकर जज ने पुलिस को मनमानी करने का खुला समय दिया था।

गुरमीत ने स्वीकार किया कि कुछ गवाह सफाई पक्ष के पास थे। समिति गवाहों को अदालत में पेश करने के लिए तैयार थी। अदालत यह यकीन दिलाए कि कोई पक्ष गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा। गवाहों को इच्छानुसार ब्यान देने की छूट होगी।

ज्ञान सिंह दुविधा में पड़ गया। इंसाफ की दृष्टि से सफाई पक्ष की दलील उचित थी। यदि वह सफाई पक्ष का वकील होता तो यही दलील देता।

ज्ञान सिंह की अर्न्तात्मा कहती थी, वह समिति की दलील का विरोध न करे। किन्तु वकील की अपनी कोई अर्न्तात्मा नहीं होती। उसको उसी पक्ष के जमीर की आवाज सुननी पड़ती है, जिस का वह वकील होता है। इस समय ज्ञान सिंह सरकार का नमक खा रहा था। उसको उसी की भाषा बोलनी पड़नी थी।

'गवाह सरकारी पक्ष के हैं। सरकारी वकील को अपने गवाहों को मिलने का और उनको ब्यान समझाने का पूरा अधिकार है।''

'गवाह किसी पक्ष के नहीं होते। उन्होंने जो देखा सुना होता है, वही बताना होता है। उनको कुछ पढ़ाने या समझाने का क्या मतलब?'' गुरमीत सिंह ने ज्ञान सिंह के तर्क को काटा।

जज गुरमीत के साथ सहमत था।

''किन्तु गवाही तक गवाहों को कहां रखा जाए?''

सरकारी पक्ष को जेल ही उचित स्थान लगा था।

सफाई पक्ष को इस पर सख्त एतराज था। जेल थाने का ही दूसरा नाम था। कहने को वह न्यायिक हिरासत थी। कंट्रोल वहां भी पुलिस का था। पुलिस वहां आसानी के साथ आ जा सकती थी। गवाहों को डरा धमका सकती थी। सफाई पक्ष की वहां चिड़िया तक पर न मार सकेगी।

''मैं गवाहों को अपनी कोठी में रखने से रहा?'' चिढ़े जज ने उचित स्थान का फैसला सफाई पक्ष पर छोड़ा।

गुरमीत का विचार था कि गवाहों को जालंधर के 'आब्जरवेशन होम' में भेज दिया जाए। वहां के मुलाजिम सरकार के सीधे प्रभाव में नहीं थे।

अदालत द्वारा होम के अधिकारियों को हिदायत जारी की गई। गवाहों को बाकी व्यक्तियों से अलग रखा जाए। इस्तगासे या सफाई पक्ष से लेकर गवाहों के रिश्तेदारों तक को उनके साथ न मिलने दिया जाए।

वकीलों का एक पैनल होम में रहेगा। पैनल पर एक-एक प्रतिनिधि दोनों पक्षों का होगा और एक अदालत का। पैनल गवाहों पर नजर रखेगा।

सरकारी पक्ष को चाहे यह योजना ठीक नहीं लगी थी, किन्तु उस के पास कोई और सुझाव भी नहीं था।

गवाह खुले वातावरण में निष्पक्षता से सोच सकें, इसलिए सुनवाई एक सप्ताह के लिये टाल दी गई।

26

दस बजते ही अदालती कार्यवाही शुरू हो गयी।

ज्ञान सिंह की सहायता के लिए जिला अटार्नी हाजिर था। जिला अटार्नी की सहायता के लिए एक बूढ़ा क्लर्क।

क्लर्क के हाथ में मोटी सी मिसल थी। मिसल को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज भुगतने वाले गवाहों के ब्यान पर रंग-बिरंगे फलैग लगाए गए थे। हर फलैग पर गवाह का नाम लिखा गया था।

मेज पर किताबें भी सजायी गयी थीं। हर पुस्तक के कुछ विशेष पन्नों के बीच कागज फंसाया गया था।

ज्यों ही मुश्ताक अली गवाह को उपस्थित होने के लिए आवाज पड़ी, बूढ़े बाबू ने फलैग से अली का नाम पढ़ा, ब्यान वाला पन्ना निकाला और बड़े अदब से मिसल स्पैशल पी.पी. के आगे रख दी।

ज्ञान सिंह कई दिनों से मिसल को रट्ट रहा था। ब्यान का अक्षर-अक्षर उसको याद था। फिर भी रस्मी कार्यवाही पूरी करने के लिए उसने ब्यान पर नजर डालनी शुरू की।

पुलिस के अनुसार मुश्ताक अली पिछले तीस साल से शहर में पहरेदारी करता था। शहर की सड़कों और गलियों से अवगत था। सड़क पर घूमने वाले अजनबी को वह चाल से ही पहचान लेता था।

घटना वाले दिन उसकी डयूटी अस्पताल वाले इलाके में थी। रात के ग्यारह बजे के करीब दो आदमी उसको मिले थे। तेज कदमों से वह अस्पताल के अहाते की ओर जा रहे थे। एक की बगल में बोरी थी। बोरी में कुछ लपेटा हुआ था।

खंभे की रोशनी में पहरेदार ने दोनों को घेर लिया। 'कहां से आए हो? किधर जाना है?' इस तरह के सारे रस्मी सवाल उसने पूछे थे। एक ने अपना नाम पाला और दूसरे ने मीता बताया था। वे रेलगाड़ी से उतर कर आए थे। उन्होने धानकों की बस्ती में जाना था।

पहरेदार को तसल्ली हो गयी। गाड़ी का समय था। देखने में भी वे धानकों के ही लड़के लगते थे। जिस दिशा की ओर जा रहे थे, उधर चोरी होने की संभावना नहीं थी।

बस्ती में दिन में कुछ नहीं मिलता, रात को क्या मिलना था? पहरेदार ने बिना रोक-टोक उनको अस्पताल की ओर जाने दिया था।

उस रात पहरेदार को जो व्यक्ति मिले थे, वे वही थे, जो आज दोषियों के कटघरे में खड़े थे। जिस बोरी में से बंटी की लाश मिली थी, वह भी वही थी, जो इन में से एक ने अपनी बगल में दबा रखी थी।

यह गवाह मुद्दई पक्ष के लिए बहुत अहम् था। किन्तु था यह समिति का पक्षधर। पहले भी यह समिति के कब्जे में रहा था। अब भी 'होम' से आया था।

ज्ञान सिंह का अनुभव कहता था कि सफाई पक्ष का नमक खाने वाला गवाह मुद्दई पक्ष के हक में कभी नहीं भुगतता। फिर भी आशा की एक किरण उस को दिखाई दी थी।

पुलिस और पहरेदार एक सिक्के के दो पहलू थे। एक की दूसरे के बिना गति नहीं होती। पुलिस ने पहरेदार से संदिग्ध व्यक्तियों की मुखबरी लेनी होती थी और बदले में पहरेदार ने सुरक्षा। पहरेदार के सिर पर पुलिस का हाथ न हो तो चोर-उचक्के शाम तक उस का काम तमाम कर दें। ज्ञान सिंह को आशा थी, पहरेदार समुद्र में रह कर मगरमच्छ के साथ बैर मोल नहीं लेगा।

आशा-निराशा से घिरा स्पैशल पी.पी. मुश्ताक अली का ब्यान करवाने लगा।

ज्ञान सिंह की आशा निष्फल हो गयी।

मुश्ताक अली मुकर जाता तो कोई अनहोनी बात न होती। उसका ब्यान पुलिस की कहानी में नया मोड़ ले आया था। यह सब के लिए चिंता का विषय था।

कटघरे में खड़े दोनों दोषियों को अली बचपन से जानता था। जब वे चोरियां किया करते थे, तब कई बार पहरेदार के हाथ लगे थे। पहले वह उनकी खुद पिटाई करता, फिर पुलिस के हवाले करता था। यदि उस रात वे उसको मिले होते या उन्होंने कोई अपराध किया होता तो अली उनको बच कर न जाने देता।

कुछ अरसे से वे अपराध त्याग चुके थे। हलाल की रोटी खाने वालों को सड़कें मापने की जरूरत नहीं पड़ती।

सच पूछो तो उस रात पाले मीते की बजाय पुलिस की जीप उस इलाके में चक्कर काटती रही थी। पहले जब भी कभी पुलिस पहरेदार को मिलती तो 'सब अच्छा है' कि रिपोर्ट लेती थी। उस दिन जीप पहरेदार से किनारा करती रही। आखिरी चक्कर में जीप पशु अस्पताल गई और काफी देर वहां रुकी रही।

उन दिनों शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। किसी अनजान व्यक्ति का सड़कों पर घूमने का सवाल ही पैदा नहीं होता। न उस रात पाला मीता उसको मिले थे, न पुलिस को उसने कोई ब्यान दिया था।

अली को शक था कि यह लाश पुलिस ने वहां फेंकी थी।

मरे-मुकरे का कोई इलाज नहीं होता। फिजूल के सवाल पूछकर ज्ञान सिंह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।

सफाई पक्ष का काम ऐसे ही हो गया।

फौरन अगले गवाह को बुलाया गया।

अगला गवाह तारा मसीह था, जो अस्पताल का चौकीदार था। वह 'अबजरवेशन होम' से आया था। उस द्वारा बोली जाने वाली भाषा का कयास भी ज्ञान सिंह भलीभांति लगा सकता था।

पुलिस ब्यान के अनुसार उस रात चौकीदार ने दो संदिग्ध-व्यक्तियों को अस्पताल के उजाड़ कमरों में से निकलते देखा था। चौकीदार ने उनका पीछा किया था। हाथापाई हुई थी। आदमी तो भाग गए किन्तु निशानी पीछे छोड़ गए। एक का बटुआ गिर गया था और दूसरे की पगड़ी। बटुए में से मीते की फोटो निकली थी। पगड़ी की पहचान रंगरेज़ ने की थी। वह पाले की थी।

मुद्दई पक्ष के लिए यह गवाह भी बहुत अहम था। अपने ब्यान से तो यह मुकरेगा ही,कहीं यह भी अली की राह पर न चल पड़े। ज्ञान सिंह को यही चिन्ता थी।

जिला अटार्नी स्पैशल पी.पी. की पीठ थपथपा रहा था। यह गवाह सरकार के पक्ष में भुगतेगा, यकीन दिला रहा था।

सख्त पहरे के बावजूद भी पुलिस उस से होम में संपर्क स्थापित कर चुकी थी। गवाह को समझाया भी गया था और डराया भी। यदि वह सही भुगत गया तो सरकार की ओर से ईनाम मिलेगा, मुकर गया तो हथकड़ी।

उसको इस केस में उलझाना बहुत आसान था।

वह अस्पताल का चौकीदार था। रात को पहरा देना उसकी डयूटी थी। चौकीदार के हाजिर होते हुए अस्पताल में लाश कैसे आयी? चौकीदार खुद कातिल था या कातिलों से मिला हुआ था।

चौकीदार को प्रेरित करने वाले उसके अफसर को भी कचहरी में बुलाया गया था। अफसर की उपस्थिति में वह भला पुलिस ब्यान की पुष्टि क्यों नहीं करेगा?

हुआ वही, जिसका ज्ञान सिंह को डर था। तारा मसीह ने न धमकियों की परवाह की, न अफसर की उपस्थिति की।

बल्कि उसने ठोक बजाकर मुश्ताक अली द्वारा सृजित कहानी की पुष्टि करनी शुरू कर दी।

घटना वाले दिन दोषियों की बजाय पुलिस अस्पताल आयी थी। चौकीदार को जागता देख कर वह घबरायी थी। चाय बनाने के बहाने चौकीदार को वहां से भेज दिया गया था। जब तक वह चाय बना कर लाया, पुलिस जा चुकी थी। चौकीदार का माथा तभी ठनक गया था। पुलिस उसको फंसाने के लिए कहीं कुछ फेंक ही न गयी हो? उसने इधर-उधर तलाश की। उसको कमरे के एक कोने में पड़ी बोरी अनजानी सी लगी थी। किन्तु मसीह ने बोरी की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।

पुलिस की जीप जाने के घंटा बाद ही वहां पहरा लग गया। पुलिस ने खुद ही शोर मचाया, ''बंटी की लाश मिल गई, बंटी की लाश मिल गई।''

चौकीदार ने कोई कोताही नहीं की थी। न वहां कोई अनजान व्यक्ति आया था, न उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई थी। न किसी का बटुआ गिरा था, न पगड़ी।

तारा मसीह के ब्यान से ज्ञान सिंह के मन से भ्रम मिट गया। सफाई पक्ष के वकील न नये थे, न अनाड़ी। वे बड़ी सूझ बूझ से केस लड़ रहे थे। मुद्दई की जूतियों से मुद्दई के सिर को ही पीट रहे थे।

मुर्दा बोले कफन फाड़े। समझे समझाए गवाह से और प्रश्न पूछना खतरनाक सिद्ध हो सकता था। मुट्ठी को बंद ही रहने देना चाहिए था।

अगले सारे गवाह संघ के अपने थे। ईंट जैसे पक्के।

उन के सही भुगतने से दोषियों को सजा होने की संभावना हो सकती थी। ज्ञान सिंह उन गवाहों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगा। सौ फीसदी सरकार के हक में भुगतने वाले पहले गवाह का नाम राम सरूप था।

वह बरामदगी का गवाह था।

गिरफ्तारी के बाद दोषियों की पूछताछ उसके सामने हुई थी। पूछताछ के दौरान पहले पाले ने इकबाल किया था। वह राड जिस से बंटी मारा गया था, उसने शहर के बाहर वाले भट्ठे के खंडहर में छुपा रखी थी। उसके बारे में केवल उसको पता था। निशानदेही करके बरामद करवा सकता था।

फिर ज़ेर-हिरासत पुलिस, पाले ने वह राड बरामद करवाई थी। वह राड आज अदालत में हाजिर थी।

इसी तरह मीते ने ब्यान दिया था। बंटी की वह वर्दी जो अपहरण के समय उसने पहन रखी थी, मीते ने प्लास्टिक के कागज में लपेट कर अपने घर के आंगन में दबा रखी थी

फिर पुलिस राम सरूप के साथ मीते के घर गई थी। मीते **ने** बताई हुई जगह से वर्दी बरामद करवाई थी। वर्दी को राम सरूप ने बंटी की होना शिनाख्त किया था।

रटे रटाए ब्यान को उसी तरह दोहराने में राम सरूप को कोई समस्या आई थी।

सफाई पक्ष की ओर से जिरह प्यारे लाल ने करनी थी।

प्यारे लाल का अधिक जोर यह सिद्ध करने पर लगना था कि आने वाले सारे गवाह 'इंटरैस्टड विटनैस' थे। इंटरैस्टड विटनैस ऐसे गवाह को कहा जाता है, जिस की वफादारी इन्साफ के साथ कम बल्कि उस पक्ष के साथ ज्यादा होती है, जिस की ओर से वह गवाही देने आया होता है। फौजदारी केसों में ऐसे गवाहों की ज्यादा अहमियत नहीं रहती।

पहले क्रम के सारे प्रश्न इसी उद्देश्य को मुख्य रख कर पूछे गए। सब प्रश्नों का उत्तर राम सरूप को हां में देना पड़ा।

यह ठीक था कि वह युवा संघ का प्रधान था। युवा संघ की नीव **लाला** जी ने रखी थी। युवा संघ बंटी के अपहरण होने से लेकर अब तक पूरी तरह इस केस के साथ जुड़ा रहा था। बच्चे को जल्दी बरामद किया जाए, पहले इस मुद्दे को लेकर संघ ने शहर में हड़तालें करवायी, जलसे किए और

जलूस निकाले। पाले मीते की गिरफ्तारी पर संघ ने जश्न मनाया। अब संघ मुकद्दमे की पैरवी कर रहा था। पहले पहल दोषियों को फांसी लगाने की मांग लेकर कचहरी में नारेबाजी भी होती रही थी।

दूसरी पारी के प्रश्नों ने यह साबित करना था कि राम सरूप इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए झूठ बोला था।

पाले से बरामद हुई राड के बारे में अधिक छानबीन की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर पहले ही साबित कर चुका था कि बरामद हुई राड वह नहीं थी जिससे बंटी को चोट मारी गयी थी।

मीते से वर्दी बरामद हुई दिखाकर पुलिस यह साबित करना चाहती थी कि असली कातिल वही थे। कातिलों का वर्दी उतारने का उद्देश्य बच्चे की शिनाख्त छुपाना था।

किन्तु समझदार पुलिस और चुस्त गवाह यह भूल गए थे कि असली वर्दी पहले ही लाली जी के घर पहुँच चुकी थी।

रामसरूप का मुखौटा उतारने के लिए प्यारे लाल व्यंग्य भरे सवाल पूछने लगा।

प्रश्न– "स्कूल जाता बच्चा एक वर्दी पहनता है या दो?''

उत्तर– ''एक''

प्रश्न– "क्या यह ठीक है कि बंटी के अपहरणकर्ताओं ने बंटी का बस्ता, वर्दी और एक चिट्ठी, एक भगौने के नीचे छुपा कर लाला जी के घर के आगे रखी थी?"

उत्तर – 'हाँ'

प्रश्न – 'अर्थात बंटी की वर्दी तो उस पहले दिन ही बरामद हो गयी थी। मीते के पास दूसरी वर्दी कहां से आई?"

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए राम सरूप के माथे पर पसीने की बूंदे टपकने लगीं। उसका शरीर कांपने लगा। आंखों के आगे दिन में तारे नाचने लगे। राम सरूप को लगा जैसे उसका ब्लड प्रैशर एक दम बढ़ गया है। किसी भी समय उसका सिर फट सकता है।

राम सरूप का उत्तर सुनने के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। लगता था जैसे कुछ पलों के लिए वक्त रुक गया हो।

'बोलो भाई...। हां या न में उत्तर दो।" जज गवाह को ज्यादा देर खामोश रहने की इजाजत नहीं दे रहा था।

'इस बारे में मुझे क्या पता? मुझे तो इतना पता है कि यह वर्दी बंटी की है।''

कुछ देर खामोश रह कर भी जब राम सरूप को कोई उचित जवाब न सूझा, तो उसने ज्ञान सिंह वाला फार्मूला आजमाया था। ब्यान समझाते हुए ज्ञान सिंह को बताया था कि, जिस प्रश्न का उत्तर गवाह

को ठीक आता हो वह दे। जिस प्रश्न का उत्तर न आता हो या जो प्रश्न भ्रम में डालता हो,ऐसे प्रश्न के जवाब को 'याद नहीं' कह कर टाल दिया जाए।

आगे प्यारे लाल भी पीरों का पीर था। भलमानसी से पीछा छोड़ने वाला नहीं था।

दूसरी वर्दी कहां से आई, इस बारे में रामसरुप को अच्छी तरह पता था। किसी ओर ने नहीं, राम सरूप ने खुद यह वर्दी लाला जी के घर से खिसकाई थी। वर्दी हासिल करके नाजर सिंह ने छाती ठोक कर कहा था, वर्दी की बरामदगी दिखा कर एक को तो बच्चू बना दूंगा।

उस समय राम सरूप को क्या पता था कि कचहरी में उस को बच्चू बनना पड़ेगा।

रामसरूप के मुंह से ऊट-पटांग उत्तर सुनकर ज्ञान सिंह का दिल धक धक करने लगा। उसने यह केस प्रसिद्धि पाने के लिए लिया था। लगता था कालिख का टीका माथे लगेगा।

पुलिस के हक में खड़े होने वाला दूसरा गवाह देस राज बर्तनों वाला था। वह भी लाला जी के भक्तों में से था।

प्यारे लाल गफूर मियां वाला फार्मूला देसराज पर भी लागू करना चाहता था। शायद वह भी गीता पर हाथ रखकर झूठ न बोले। लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की नसीहतें देने वाला खुद कुमार्ग पर पड़ेगा, इस की प्यारे लाल को आशा न थी। गीता पर हाथ रखते हुए एक पल के लिए वह झिझका। फौरन सम्भल गया। फिर टेप रिकार्ड की तरह वह ब्यान सुनाने लगा।

लाला जी के घर के आगे रखा भगौना देसराज की दुकान से बिका था। खरीदने वाले ने भगौने पर अपना नाम खुदवाया था। खरीददार पाला था। पाला देस राज का पुराना ग्राहक था। पहले वह देस राज के पास चोरी का माल बेचा करता था। यह भगौना पाले ने बंटी के अपहरण होने से दो दिन पहले खरीदा था। भगौने पर उकेरे नाम से देसराज ने पहले भगौने की शिनाख्त की, फिर खरीददार की।

जिरह में देस राज को मानना पड़ा कि उसकी थोक की दुकान थी। वह इन्कम टैक्स देता था। सेल टैक्स भरता था। पीतल के बर्तनों पर सेल टैक्स लगता था। जिस चीज पर सेल टैक्स लगता हो, उसका बिल काटना पड़ता था। इस भगौने को पाले को बेचने संबंधी देसराज ने न कोई बिल काटा था, न ऐसी किसी बिक्री का जिक्र उस की बही में था।

'बिल क्यों नहीं काटे गए? इन्दराज क्यों नहीं हुए?" इसका उत्तर देसराज के पास नहीं, प्यारे लाल के पास था।

देस राज जिस दिन भगौना बेचने की बात कर रहा था, उस दिन वह इस शहर में हाजिर नहीं था। देस राज बर्तन खरीदने जगाधरी गया हुआ था। वहाँ वह दो दिन रहा था। प्यारे लाल ने उन फर्मों के नाम बताए और बिलों की नकलें पेश कीं, जहाँ से उसने माल खरीदा था। सेल टैक्स के वह फार्म भी पेश किए, जो उसने जगाधरी की फर्म को दिए थे और जिन पर उसके दस्तखत थे।

देस राज को झूठा साबित करने के लिए और भी सबूत पेश किए गए।

पहले पहल इस केस की तफतीश मनवीर सिंह थानेदार ने की थी। पैसे बटोरने के लिए उसने प्रैस और बर्तन वालों को थाने बुलाया था। मनबीर सिंह ने देस राज का ब्यान कलमबंद किया था। उस समय देस राज ने जगाधरी जाने का बहाना बना कर अपना पीछा छुड़ाया था। यदि यह भगौना पाले ने खरीदा था तो देस राज ने उस समय उसका नाम क्यों नहीं लिया?

बर्तन वालों ने मनवीर के अन्याय के विरुद्ध जलूस निकाला था। उसके विरुद्ध शहर में पोस्टर लगे थे। पोस्टरों में औरों के अतिरिक्त देसराज के भी हस्ताक्षर थे। यदि भगौना उसी के पास से बिका था तो उसने मनबीर को पैसे क्यों दिए? पाले का नाम क्यों न लिया?

किसी भी प्रश्न का देस राज के पास उत्तर नहीं था।

निराश होकर वह उस घड़ी को कोसता रहा, जिस पल उसने गवाही देने के लिए हां की थी।

कमला प्रिंटिग प्रैस वाले कमल प्रसाद ने भी पुलिस की कहानी की ही ताईद करनी थी।

जिन लैटर-पैडों पर दोषियों ने धमकी पत्र लिखे थे, वे पैड उसी की प्रैस में छपे थे। पैड मीते ने छपवाए थे। पैड छपवाने के लिए उसने पिस्तौल का प्रयोग किया था।लोगों को धमकी पत्र लिखकर फिरौती वसूलने वाले बीसियों संगठन बने हुए थे। कोई इन का कहना न माने, ये गोली मार देते थे।

डरते कमल प्रसाद ने भी कागज छाप दिए। आतंकवादियों से डरते पहले वह चुप रहा। गिरफ्तारी के बाद उसने मीते को पहचान लिया।

कमल प्रसाद से जिरह करने की बारी मोहन जी की थी।

कमल प्रसाद ने माना, कई सालों से वह सेवा समिति का प्रधान चला आ रहा था। लाला जी द्वारा लगाए हर कैंप में वह मुखिया होता था। सेवा समिति द्वारा छापे जाते सब विज्ञापन उसी की प्रैस से छपते थे। सेवा समिति से वह कोई पैसा नहीं लेता था।

प्रैस का मालिक होने के नाते वह काऊंटर पर बैठता था। कंपोज करना या मशीन चलाना उसके बस का रोग नहीं था। वर्करों के होते इस की जरूरत भी नहीं थी।

यह पैड कम्पोज किसी और वर्कर ने किया था और छापा किसी और वर्कर ने था। इसकी जिल्दसाज़ी तीसरी जगह हुई थी।

सारे काम के लिए कम से कम दो घंटे का समय तो लगा ही होगा।

यह पैड किस वर्कर ने कम्पोज किया? किस वर्कर ने छापा? मीता किस समय आया? इतना समय वह कहां बैठा रहा? इतने व्यक्तियों को अकेला कैसे डराता रहा? यदि वह धमकी देकर चला गया था, तो किसी ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी?

किसी भी प्रश्न का कमल प्रसाद के पास संतोषजनक उत्तर नहीं था।

उसने बस एक ही रट लगाए रखी, ''हम डरे हुए थे।''

कमल प्रसाद को यह भी याद नहीं था कि पैड को बढ़िया कागज लगाया गया था या घटिया? पैड दो रंगो में छापा था याएक में? किसी ब्लाक का प्रयोग हुआ या नहीं? सारे पैड के लिए एक ही तरह का कागज लगा था या भिन्न-भिन्न?

स्मृति ताजा करवाने के लिए उसको अदालत वाली मिसल दिखायी गयी। मिसल के साथ लगी चिट्ठियों की उस से जांच करवायी गयी।

प्रश्नों की झड़ी एक बार फिर लगायी गयी। यह ठीक था कि मिसल के साथ लगी चिट्ठियाँ दो तरह के पैड पर लिखी गयी थी। एक पैड का कागज बढ़िया था और दूसरे का घटिया। बढ़िया कागज वाले पैड की स्याही भी उत्तम थी और छपी भी दो रंगों में थी। इस पैड पर छपे जत्थेबंदी के चिन्ह को छापने के लिए ब्लॉक का प्रयोग किया गया था।

दूसरा पैड एक रंग में छापा गया था और उसकी स्याही घटिया थी।

जब कमल प्रसाद से यह पूछा गया कि कौन सा पैड उस की प्रैस में छपा था तो फौरन उसने दूसरी किस्म के पैड पर अंगुली रख दी।

यही सच था। यह वही पैड था,जो नाजर सिंह ने उससे छपवाया था। बेगार के कामों में न कागज बढ़िया लगता है, न स्याही।

धमकियां लिखने के लिए असली दोषियों ने बढ़िया पैड का प्रयोग किया था। घटिया पैड पर धमकियां पुलिस ने बाद में लिखवायी थी। यह तथ्य हस्त विशेषज्ञ पहले ही साबित कर चुका था। अब सोने पर सुहागा हो गया था।

केस की आखिरी कड़ी में वह गवाह भुगतना था, जिसके सामने दोषियों ने बंटी को अपहरण करने की साजिश रची थी।

यह तथ्य राधे श्याम चाय वाले ने साबित करना था। राधे की दुकान ट्रक यूनियन के सामने थी। बचा-खुचा अनाज इकट्ठा करने आया पाला अक्सर उसकी दुकान पर आता था। मीते का ठेला भी वहां से गुजरता था। वह भी राधे की कड़क चाय का शौकीन था।

बंटी का अपहरण होने से एक दिन पहले,मुंह अंधेरे वे दोनों उसकी दुकान पर आए थे। अंतिम कैबिन में बैठ कर उन्होंने चाय मंगवायी थी। चाय देने गए राधे ने उनकी बातें सुनी थी। वे किसी बच्चे का अपहरण करके पैसे बटोरने की योजना बना रहे थे।

राधा बाल-बच्चों वाला था। वह इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था। बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी।

राधे श्याम की पृष्ठभूमि के बारे में सफाई पक्ष जानता था।

जहां वह दुकान करता था, वह जगह म्यूनिसपैलिटी की थी। दुकान करने से पहले वह हलवाई की दुकान पर नौकरी करता था। राम लीला के दिनों में चाय उसी हलवाई की दुकान से जाती थी। चाय देने राधा जाया करता था।

लाला जी को राधे पर रहम आ गया। पहले राधे को, राम लीला ग्राउंड में तख्तपोश रख कर, चाय की दुकान लगाने की इजाजत दी गयी। फिर कमेटी के प्रधान के पास सिफारिश करके यह जगह एलॉट करवायी गयी। इस तरह लाला जी ने राधे को नौकर से मालिक बनाया। वह लाला जी का अन्ध-भक्त बन गया। लाला जी के लिए वह कुएं में छलांग लगाने को भी तैयार था। झूठी गवाही देना तो मामूली बात थी।

यह भी ठीक था कि उस के पास दस बारह मुलाजिम काम करते थे। पन्द्रह बीस ग्राहक हर समय दुकान पर बैठे रहते थे। राधे श्याम को तो भट्ठी ही जकड़े रखती थी। ग्राहकों को चाय पकड़ाने का उसके पास समय कहाँ?

'फिर उस दिन वह चाय पकड़ाने क्यों गया?'' राधे के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था।

राधा झूठ बोल रहा था। उसकी दुकान में कोई साजिश नहीं रची गयी। राधे का झूठ साबित करने के लिए मोहन जी सबूत पेश करने लगा।

जिस दिन साजिश रची गयी, उस दिन पाला इस शहर में मौजूद नहीं था। उस दिन वह पटियाला गया हुआ था।

जीवन आढ़ती का कोई रिश्तेदार राजेन्द्रा अस्पताल में भर्ती था। उसका पता लेने जाना था। पाले ने साथ का फायदा उठाया। कई दिनों से उसकी आंखों में सख्त दर्द था।

आंखों के विभाग के मुख्य डॉक्टर ने उसकी आंखे टैस्ट की थीं और अपने हाथ से दवाई वाली पर्ची लिखी थी।

पाले का रोग गंभीर था। उसको मैडीकल कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने पेश किया गया था। कॉलेज मे दो दिन उसके रोग से संबंधित लैक्चर होता रहा था। इन दो दिनों में वह दिन भी शामिल था, जिस दिन बंटी का अपहरण हुआ था।

इस तथ्य की पुष्टि के लिए मोहन जी ने अस्पताल की पर्ची, मुख्य डॉक्टर का सर्टिफिकेट और विद्यार्थियों के हल्फिया ब्यान पेश किए।

इन बारीकियों का राधे श्याम को क्या पता था? वह अनपढ़ था। हो सकता है साजिश एक दो दिन आगे पीछे रची गई हो।

फिर तो यह भी हो सकता है कि बातें करने वालो में पाले की बजाय गामा और मीते ही बजाय कोई नत्था हो। राधे के उत्तर पर चिढ़े और उसका मजाक उड़ाने के लिए तत्पर मोहन जी ने व्यंग्य किया।

''हां, यह भी हो सकता है,'' वकील के समझाए अनुसार पैंतरा बदलने की कोशिश करता राधा कुछ और ही कह गया। राधे के इस उत्तर से कचहरी में हंसी फैल गयी। जब बातें करने वाले पाला मीता नहीं थे, तो झंझट ही खत्म हो गया। सफाई पक्ष को और ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं थी।

इस हंसी मजाक के साथ आज की कार्यवाही समाप्त हो गयी।

कुर्सी छोड़ने से पहले जज ने दोनों पक्षों का धन्यवाद किया। उनकी सूझबूझ से ही माहौल मित्रतापूर्ण बना रहा था।

सरकारी वकीलों के चेहरे उतरे हुए थे। मुंह लटकाए वे अदालत से बाहर जाने लगे।

सफाई पक्ष के वकीलों के चेहरों पर रौनक थी।

उत्साह से भरे समिति के वर्करों ने कोर्ट रूम पर धावा बोल दिया।

कोई वर्कर मोहन जी को चूमने लगा, कोई प्यारे लाल की पीठ थपथपाने लगा, कोई गुरमीत को बांहों में भरने लगा। बधाइयाँ कबूलते बाबा जी की छाती भी गज भर चौड़ी हो गयी थी।

पाले मीते की किसी को सुध नहीं थी। हथकड़ियों में जकड़े, अदालत के एक कोने में खड़े वे वकीलों के मुंह से कुछ सुनना चाहते थे।

गवाहों ने क्या गवाही दी? सफाई पक्ष ने क्या बहस की? मुकद्दमे का रुख किस तरफ था? सब कुछ आंखों से देख कर और कानों से सुनकर भी उनको कुछ समझ नहीं आया था।

समिति के वर्करों के उत्साह से ही वे अंदाजा लगा रहे थे। जरूर केस उनके पक्ष में गया होगा। फिर भी वे अपने वकीलों के मुंह से कुछ सुनना चाहते थे।

पाले ने एक दो बार आवाजें भी लगाईं, किन्तु वे काक-रौर में गुम हो गयी।

पुलिस की वैन अदालत के आगे रुकी।

सिपाही दोषियों को ले जाने के लिए जल्दी करने लगे।

दोषियों की मिन्नत पर दो चार मिनट और इंतजार किया गया। जब फिर भी किसी ने उनकी जात न पूछी तो खींच कर उनको गाड़ी में डाल दिया गया।

पाले मीते के इस तरह निराश होकर लौटने का एहसास समिति को उस समय हुआ जब उन को ले जाने वाली वैन आंखों से ओझल हो गयी।

खुशियों का जश्न फौरन बंद किया गया।

प्यारे लाल जेल जाए। उनके साथ मुलाकात कर के खुशखबरी सुनाए। यह प्रबंध किया जाने लगा।

27

मुद्दई पक्ष की गवाही खत्म होने पर मुलजिमों के ब्यान लिखे गए। फिर दोषियों को सफाई पेश करने का मौका दिया गया।

साधारण केस होता तो सफाई पक्ष को दस्तावेज इकट्ठे करने और गवाहों से संपर्क करने के लिए कम से कम महीने का समय मिलता। लटकता-लटकता यह सालों में तब्दील हो जाता। किसी भी पक्ष को फैसले की जल्दी न होती। सफाई पक्ष को सजा का डर होता। मुद्दई पक्ष को दोषियों के बरी होने का। जज सौ पन्नों का फैसला लिखने से कतरा रहा होता।

इस केस में स्थिति विपरीत थी। सारे पक्ष केस को जल्दी निपटाने पर तुले हुए थे।

सजा करवाने वालों की गिनती बरी करवाने वालों से कई गुणा ज्यादा थी। केस का लटकते रहना समिति के लिए खतरनाक था। सफाई के गवाह मुकरवाए जा सकते थे। सरकार द्वारा जज तक पहुंच की जा सकती थी। सरकार कोई और हथकंडा भी अपना सकती थी।

केस बहुत कमजोर हो चुका था। सजा होने की संभावना नहीं थी। समिति का भला फैसला जल्दी करवाने में ही था

संघ वालों के भी हाथ खड़े थे। उनकी जत्थेबंदी फिर बिखरने लगी थी।और खींचतान करनी मुश्किल थी। झूठ की पोल खुल चुकी थी। संघ के समर्थक गवाह कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहे थे। अभी मुख्य मंत्री की गद्दी कायम थी। उसकी निजी दिलचस्पी के कारण दोषियों को सजा हो सकती थी और गद्दी से उतरते ही वे बरी हो सकते थे।

इस केस के कारण शहर में तनाव रहता था। प्रशासन इस तनाव से बहुत दुखी था। जब से यह मामला गर्म हुआ था, कई अफसर मुअत्तल हो चुके थे। कइयों को घर बैठना पड़ा था। तबादले की तलवार हर समय सिर पर लटकती रहती थी।

प्रशासन सांडों की भिड़ंत में फंसा महसूस करता था।

एक तरफ संघ था, जिस की पीठ पर सरकार थी। दूसरी तरफ समिति थी, जो किसी भी हद तक जा सकती थी। जिस हिसाब से समिति ने रिकार्ड इकट्ठा किया था और सरकारी गवाहों से निपटी थी, उस से समझदार अफसरों को अपना दामन बचाए रखने का सबक मिला था।

प्रशासन चाहता था, केस का फैसला जल्दी हो। दोषी बरी हों या सजा हो, उनकी बला से। आगे केस हाई कोर्ट में चलना था। जलसे जलूस वहां होने थे। जिला अधिकारियों का पीछा छूटना था।

जज का विचार भी ऐसा ही था। उस पर भी चारों ओर से दबाव पड़ रहा था। एक तरफ सरकार द्वारा इशारे हो रहे थे। दोषियों को सजा करो। दूसरी और समिति का खुफिया विभाग उसका पीछा कर रहा था। मोता सिंह कैदियों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। डरता न किसी को मिलता था, न किसी के पास जाता था। वह फोन तक नहीं करता था। क्या पता समिति सुन रही हो।

अभी तक चाहे किसी ने मोता सिंह तक पहुंच नहीं की थी फिर भी उसको चौबीस घंटे डर बना रहता था। हाई कोर्ट के किसी जज ने फोन कर दिया तो वह क्या करेगा? वह जल्दी से जल्दी इस झंझट से निकलना चाहता था।

जब मिया-बीवी राजी तो क्या करेगा काज़ी की तरह सब पक्षों की सहमति से सफाई के लिए एक हफ्ते की पेशी डाली गयी।

बंटी कत्ल केस को यदि राजनीतिक रंगत न चढ़ी होती तो जज ने सप्ताह की तारीख भी नहीं देनी थी। मुद्दई पक्ष के सबूत बंद होते ही जज ने दोषियों को घर दौड़ जाने का हुक्म सुना देना था। एक दो या चार पांच ने नहीं, इस केस में तो सारे के सारे गवाहों ने केस का बेडा बिठा दिया था।

समय की नजाकत को पहचानता जज खामोश रहा था। सफाई देनी है या नहीं, इस का फैसला सफाई पक्ष पर छोड़ दिया गया था।

सफाई देनी है या नहीं? यदि हां, तो कौन सी? इस नुकते का फैसला करने के लिए लीगल सैल की मीटिंग हुई थी।

प्यारे लाल सफाई देने के हक में नहीं था। जब दोषियों के खिलाफ कुछ साबित ही नहीं हुआ तो सफाई किस नुक्ते पर की जाए? जज के इशारे को समझना चाहिए था। हफ्ते की तारीख डालने का उसका यही मतलब था। आप सफाई बन्द करो। मैं दोषी बरी करूँ। सफाई के गवाह तलब करके समय और पैसा नष्ट नहीं करना चाहिये।

अगली पेशी पर सफाई की जगह बहस होनी चाहिए थी।

गुरमीत सिंह दुश्मन को कमजोर समझने के पक्ष में नहीं था। सैल को राजनैतिक केसों के फैसलों के इतिहास को याद रखना चाहिए था। भुट्टों को फांसी लगाते समय फौजी अदालतों ने कानूनी पाबंदियों की परवाह नहीं की थी। प्यारे लाल को चोपड़ा बच्चों के कत्ल केस की कहानी भी याद होगी। रंगे और बिल्ले को राजनैतिक गुस्से का शिकार होना पड़ा था। इन्दिरा कत्ल केस तो कल की कहानी है। इसलिए जहाँ तक हो सके सफाई पक्ष को अपने हाथ मजबूत कर लेने चाहिए थे।

सफाई पक्ष के हाथ मजबूत करने के लिए मोहन जी ने अपनी सेवाएं पेश की।

यदि मुद्दई पक्ष ने झूठे सबूत तैयार किये हैं तो सफाई पक्ष को भी तैयार करने चाहिएँ।यदि सैल चाहे तो मोहन जी किसी भी दोषी को, किसी भी दिन, किसी भी अस्पताल में दाखिल या किसी जेल में बंद दिखा सकता है। मनमर्जी की पंचायतों से पिछली तारीखों में मनचाहे प्रस्ताव पारित करवा सकता है। डाक खाने से दी गई तारों, करवायी गयी रजिस्ट्रियों के सबूत ला सकता है।

गुरमीत मोहन जी से सहमत नहीं था। सैल का पलड़ा भारी था। वह असलियत भी सामने लाएगा और सच का दामन भी नहीं छोड़ेगा।

अदालतें व्यक्तियों से ज्यादा कागजों पर विश्वास करती हैं। सैल दस्तावेजों का ढेर लाएगा।

अपने हक के कुछ दस्तावेज सैल पहले ही पेश कर चुका था। कुछ दस्तावेज उसने और पेश करने थे।

उन में अहम थी वह मिसल, जिस के माध्यम से समिति ने थाने पर छापा मरवाया था। इस मिसल के द्वारा वारंट अफसर ने यह साबित करना था कि दोषियों की गिरफ्तारी से एक दिन पहले जब उसने थाने पर छापा मारा था, तब छापे के समय समिति के कार्यकत्ताओं के साथ-साथ उसको पाला मीता भी थाने में बैठे मिले थे।

इस तथ्य की पुष्टि के लिए समिति द्वारा कुछ गवाहों को भी भुगताना पडना था।

गवाहों की गवाही को परखने के लिए अदालत की अपनी ही कसौटी थी। गवाही की सच्चाई को गवाह के रुतबे के अनुसार परखा जाता था। क्लर्क की बजाय गजटिड अफसर, मजदूर की अपेक्षा मिल मालिक और ऋणी की बजाय साहूकार की गवाही को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता था।

कानून की इस कमजोरी का सफाई पक्ष ने ख्याल रखा था। उस की ओर से गवाह ऊँचे रुतबे वाले ही भुगताए जाने थे।

मोहन जी को वह केस याद था जिस में एक डिप्टी कमिशनर ने सफाई में भुगत कर केस का पासा पलट दिया था।

उस केस में फर्म के एक हिस्सेदार ने दूसरे हिस्सेदार का कत्ल किया था। कत्ल होटल जैसे सार्वजनिक स्थान पर हुआ था। चश्मदीद गवाह बीसियों थे। गवाह की गवाही भी जोरदार थी और कत्ल का मकसद भी स्पष्ट था। हिसाब-किताब के कारण हिस्सेदारों में झगड़ा था। तू तू मैं मैं पहले भी कई बार हुई थी। मारधाड़ पहली बार हुई थी। कातिल के पास लाइसैंसी पिस्तौल था। उसी पिस्तौल से मृतक को मारा गया था।

जब बरी होने के सारे राह बन्द हो गए, तो समझदार वकील को एक ही राह मिला था। कातिल का एक दोस्त राजस्थान में कहीं डिप्टी कमीशनर लगा हुआ था। यदि वह सफाई में भुगत जाए तो बचाव हो सकता था।

दोस्ती की खातिर डिप्टी कमीशनर आया था। सौगंध खा कर उसने झूठ बोला था, कत्ल वाली रात उसका दोस्त उसके पास राजस्थान में था। वारदात वाली जगह वहाँ से पांच सौ मील दूर थी। हवाई जहाज द्वारा वहां पहुंचना हो तो भी सम्भव नहीं था।

जज को एक आई.ए.एस. अफसर की गवाही झुठलानी मुश्किल हो गयी। मामूली सी बात की खातिर इतने बड़े अफसर को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? यह कानून भी कहता था और जज का दिल भी।

डिप्टी कमीशनर के ब्यान ने दोषी की हथकड़ियां खुलवी दीं।

कानून का पेट भरने के लिए सैल ने सामाजिक रुतबों वाले गवाह भुगताने शुरू किए।

इस क्रम का पहला गवाह जीवन आढ़ती था।

वह पांच लाख की आसामी था। लाखों रुपये इंकम टैक्स भरता था। न उसने चार पांच सौ के लिए झूठ बोलना था, न झूठी सौगंध खा कर नरक का भागी बनना था।

मीते की तरह पाला भी सुधर चुका था। वह जीवन की दुकान पर मजदूरी करता था। साजिश और अपहरण वाले दिन वह उस के साथ पटियाला गया हुआ था। बाद में भी निधड़क हो कर दुकान पर काम करता रहा था।

जब धरपकड़ शुरू हुई तो डरता पाला उसके पास आया। जीवन ने उसको उस समय के सरकारी वकील गुरमीत के माध्यम से थाने पेश किया था।

उस तथ्य की पुष्टि गुरमीत ने कटघरे में खडे हो कर की थी।

काम काज के लिए गुरमीत जब थाने जाता था तो पाले के साथ-साथ मीते को भी मिलता था। थानेदार से दोनों को छुड़वाने की सिफारिश करता था। किसी न किसी बहाने रिहाई टलती रही थी।

इन गिरफ्तारियों के विरोध में ही उसने त्यागपत्र दिया था।

बाबा गुरदित्त सिंह भी पीछे नहीं रहा था।

बंटी के कातिलों को ढूँढने के लिए पुलिस ने जो अत्याचार आरम्भ किया था, उसको रोकने के लिये बाबे को गिरफ्तारी देनी पड़ी थी।

जब बाबा पुलिस हिरासत में था तब और संदिग्धों के साथ-साथ बाबे ने पाले मीते को भी थाने बैठे देखा था। बाबे की उन से बातीचत भी हुई थी।

समिति के पास भुगताने के लिए बहुत से गवाह थे, किन्तु बाबे को भुगता कर उसको लगा जैसे हाथी के पैर में सब का पैर आ गया था।

28

स्पैशल पब्लिक प्रासिक्यूटर तीन दिनों से बहस की तैयारी कर रहा था। पूरी माथा पच्ची के बावजूद भी केस पकड़ में नहीं आ रहा था।

कई बार उसके मन में आया, क्यों न सरकारी वकील के असली फर्ज निभाए जाएं। क्यों न अदालत को साफ-साफ कह दिया जाए कि केस में कुछ नहीं। दोषियों को बरी कर दिया जाए।

फौरन ही वह मन बदल लेता। मुख्य मंत्री का मुंह मुलाहजा, अपनी वकालत का भविष्य और हालात मांग करते थे कि वह अपने नैतिक कर्त्तव्य को छिक्के पर टांग कर दोषियों को सजा करवाए। हर तरह से मुख्य मंत्री की पगड़ी बचाए।

दोषी बरी हो गए तो मुख्य मंत्री की सब से ज्यादा बदनामी होनी थी। विरोधी पक्ष उसके भिगो-भिगो कर जूते लगाएगा। सरकार करीब साठ हजार रुपया ज्ञान सिंह को नकद दे चुकी थी। इतना उस पर और खर्च चुकी थी। यदि दोषी बरी ही करवाने थे, तो ज्ञान सिंह जैसे सफेद हाथी की क्या जरूरत थी। यह काम कोई भी सरकारी वकील कर सकता था।

ज्ञान सिंह का अपना मान सम्मान भी दाव पर था। सरकार ने उसकी योग्यता पर भरोसा किया था। यदि दोषी बरी हो गए तो उसकी बेइज्जती होनी थी।

केस स्वीकार करते समय ज्ञान सिंह ने गंगा नगर वाला महंगा सिंह बनने का सपना देखा था।

एक बार गंगानगर की एक पार्टी से बठिंडा में कत्ल हो गया। मरने वाले का मामा बठिंडा का प्रसिद्ध वकील था। बठिंडा का कोई भी वकील दोषियों के साथ खड़े होने की जुरर्त न कर सका। केस लड़ने के लिए दोषी अपना वकील गंगानगर से लाने लगे। महंगा सिंह दोषियों को बरी करवाने में कामयाब हो गया। फौरन उसकी पैठ बन गयी। बठिंडा से वह संगरूर पहुंच गया और संगरूर से पटियाला। आज कल सारे पंजाब में उसका सिक्का चलता था। वह मुंह मांगी फीस लेता था। इच्छा से केस चुनता था।

यदि ज्ञान सिंह हार कबूल कर गया तो उसको नए केस तो क्या मिलने थे, पुराने भी हाथ से चले जाने थे।

ज्ञान सिंह ने यदि महंगा सिंह बनना है तो उसको दोषियों को सजा करवानी ही पड़ेगी।

किन्तु सजा हो तो किस तरह?

ज्ञान सिंह को केस के हक में एक नुक्ता मिलता,तो विरोध में बीस नुक्ते खड़े हो जाते।

हर बार उसको बहस नए सिरे से तैयार करनी पड़ती।

समस्या यह थी कि यह एक 'ब्लाइंड मर्डर केस' था। बच्चे के अगवा होने और दोषियों की गिरफ्तारी के बीच करीब महीने का अन्तर था। चमश्दीद गवाहों की अनुपस्थिति के कारण केस हालात पर आधारित गवाही पर खड़ा था। हालात बनाती पुलिस ने कदम-कदम पर गलती की थी। सरकारी वकीलों ने भी आंखें बन्द करके मक्खी पर मक्खी मार दी। ज्ञान सिंह मुर्दे में जान डाले तो किस तरह?

चिढ़े ज्ञान सिंह ने कई बार मुख्य मंत्री के नाम चिट्ठी लिखी। कसूरवार पुलिस अफसरों और सरकारी वकील के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की।

जैसे ही गुस्सा ठंडा होता, वह चिट्ठी फाड़ देता।

गौर से देखता,तो सब बेकसूर लगते।

पहले पुलिस पर दबाव डाला गया। दोषियों को बंटी के भोग तक गिरफ्तार करो। असली दोषी न मिले तो ये पकड़ लिए गए।

फिर हुक्म हुआ, नब्बे दिन के अन्दर अन्दर चलान पेश करो।

हुक्म की तामील करने के लिए फटाफट सबूत तैयार किये गए। तफ्तीशी के पास यह प्रमाणित करने का वक्त ही नहीं था कि तथाकथित षडयन्त्र वाले दिन दोषी शहर में मौजूद था या नहीं।

आरम्भिक तफ्तीश किसी और थानेदार ने की थी। पहली वर्दी बरामद होने का मिसल में कहीं जिक्र नहीं था। नए तफ्तीशी को पहली वर्दी का सपना कहां से आता?

भगौना जब देस राज की दुकान से बिका ही नहीं, तो उस की बही में बिक्री का जिक्र कहां से होता?

फिर दोषी हुआ तो कौन?

ज्ञान सिंह भी सरकार का पक्ष लेता आया था। केस जीतने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। यदि दोषी फिर भी बरी हो गए तो इस का यह मतलब तो नहीं कि ज्ञान सिंह नालायक था।

इस तरह सोचता ज्ञान सिंह पहले अफसरों को दोषी ठहरा देता, फिर स्वयं ही दोष मुक्त कर देता।

ज्ञान सिंह का अधिकतर अनुभव सफाई पक्ष की की ओर से पेश होने का था। वह इसी दृष्टि से सोचने का अभ्यस्त था। शायद इसीलिए उसको केस में गुण कम और अवगुण अधिक दिखाई दे रहे थे।

अपनी तसल्ली के लिए ज्ञान सिंह ने जिला अटार्नी को बुला लिया। वह सरकारी पक्ष पेश करने का माहिर था।

गवाहों की कारगुजारी पर जिला अटार्नी काफी खुश था।

ऐसे केसों में कुछ गवाह मुकर ही जाया करते थे। कुछ गवाह इधर उधर भी हो जाते थे। कुल मिला कर गवाहियों कानून के हर नुक्ते का पेट भरती थी।

मसलन! जिला अटार्नी के संताष दिखाने पर हैरान हुए ज्ञान सिंह ने जब उदाहरण पूछा तो जिला अटार्नी स्पष्टीकरण देने लगा।

'सरकारी पक्ष का पहला कर्त्तव्य जुर्म का उद्देश्य साबित करना था। भुगती गवाहियों से पाले मीते का उद्देश्य स्पष्ट होता था। यह कुकर्म उन्होंने फिरौती वसूल करने के लिए किया था।''

'कोई सबूत?'

''दोषियों के हाथों से लिखी चिट्ठियां।''

"बिल्कुल झूठ। "जिला अटार्नी के जवाब पर चिढ़े ज्ञान सिंह के मुंह से एक दम निकला।

"मीता मशहूर जेब कतरा है। बीस पचास हजार की जेब काट लेना उसके बाएँ हाथ का खेल है। पाला नामी चोर है। किसी की अगूंठी चुरा लेता तो भी चार पांच हजार कमा लेता। अढ़ाई हजार की मामूली रकम के लिए उनको इतना बड़ा जोखिम मोल लेने की क्या जरूरत थी? फिर यह भी सिद्ध हो चुका था कि असली चिट्ठियां उन्होंने लिखी ही नहीं।"

''नहीं जनाब! पंजाब में जैजा माहौल चल रहा है, उसमें जेबें काटनी और चोरियां करनी मुश्किल हुई पड़ी हैं। जगह-जगह पुलिस का पहरा है। यह चोरी कहां करें? जेबें कहां काटें? ऐसे पेशेवर मुलजिमों ने अपने धंधे बदल लिए हैं। अब इन्होंने फिरौती वसूल करने जैसे जुर्म करने शुरू कर दिए हैं। तभी दिनों-दिन अमीर लोगों का अपहरण करके फिरौती वसूल करने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं।"

"यदि फिरौती ही वसूल करनी थी तो लाख दो लाख मांगते ।"

'यही तो इनकी चालाकी है। इन्होंने जान बूझ कर कम राशि मांगी थी। पता था छोटी रकम जल्दी मिल जाएगी। यह लाला जी की बदकिस्मती थी कि चिट्ठी पुलिस के हाथ लग गई। नहीं तो रकम पहुंच जाती और बच्चा बच जाता। यदि यह कुकर्म किसी आतंकवादी संगठन का होता तो उन्होंने लाख ही मांगना था। यही नुक्ता हमारे पक्ष में जाता है।'' अपने तर्क के साथ ज्ञाना सिंह को सहमत होता देखकर जिला अटार्नी का साहस बढ़ने लगा।

'एक नुक्ता और भी। कत्ल के पीछे यदि कोई आतंकवादी संस्था होती तो बच्चे को गोली न मारती? ये मामूली मुलजिम हैं। इन के पास कीमती हथियार थे ही नहीं। बच्चा उठा तो लिया किन्तु लौटाना मुश्किल हो गया। बच्चे को सही सलामत घर लौटाते तो पकड़े जाते। पीछा छुड़वाने का एकमात्र राह कत्ल था। सो इन्होंने कर दिया।''

''जो कुछ आप ने कहा यह सच हो सकता है, किन्तु इस बारे में मिसल में कोई सबूत है?'' ज्ञान सिंह दलील से ज्यादा तथ्य को पहल देता था।

"किस को नहीं पता जनाब कि आतंकवादी गतिविधियों के कारण पंजाब के लोग डरे हुए हैं। किसी का सगा बाप भी यदि आंखों के सामने कत्ल हो जाए, वह भी गवाही नहीं देता। इस केस में

गवाह डराए धमकाए गए। यह तथ्य मिसल में आ चुके हैं। गवाह क्यों मुकर गए? अदालत स्वयं जुडीशियल नोटिस ले लेगी।''

''डी.ए.साहिब! हमें अदालत में बहस करनी है। हर दलील की पुष्टि के लिए तथ्यों का हवाला देना पड़ता है। हवाई किले बनाने की बजाय धरती पर खड़े होकर बात करो।''

जिला अटार्नी के लम्बे चौडे भाषण से उकताए ज्ञान सिंह के पास उसको डाँटने के सिवा कोई चारा नहीं था।

''तथ्य तो जनाब फिर ऐसे ही हैं। सीधी स्पष्ट गवाही तो हमारे पक्ष में एक भी नहीं। हमें कानूनी नुक्तों का ही सहारा लेना पड़ेगा।''

शर्मसार हुआ जिला अटार्नी एक दम झाग की तरह बैठने लगा।

''मुझे तो कोई नुक्ता नजर नहीं आता।''

''कानूनी नुक्ता है जनाब! दोनों दोषी दस नम्बरी हैं, दोनों पर बीसियों मुकद्दमे चल रहे हैं। कई-कई बार सजा काट आए हैं। एक जेब कतरा है, दूसरा चोर। इन जुर्मों में पैसा आसानी से बन जाता है। ऐसे सैंकड़ों उदाहरण मौजूद हैं, जिन में पहले दोषी जुर्म करना छोड़ गए, किन्तु जब कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी तो फिर से जरायम पेशा बन गए। ऐसे ही हमारे दोषियों के साथ हुआ। दोषियों के बुरे चाल चलन का नुक्ता हमारे पक्ष में जाता है।''

''भले आदमी, इस दलील का फायदा हम से अधिक सफाई पक्ष को होगा। हमारे गवाहों का चाल चलन दोषियों से ज्यादा संदेहजनक है।जिन गवाहों का चाल चलन ठीक था, वे लाला जी के भक्त निकले।'' ज्ञान सिंह को कोई नुक्ता जंच नहीं रहा था।

"पुलिस की दोषियों से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस को इन पर झूठा केस डालने की क्या जरूरत थी?'' आखिर में जिला अटार्नी स्पैशल पी.पी. को यह घिसी पिटी दलील सुनाने लगा।

''पुलिस को इस तरह करने की सख्त जरूरत थी। इस जरूरत का जिक्र सफाई पक्ष ने जगह-जगह किया है। हम ने यह दलील दी तो सफाई पक्ष को मुख्यमँत्री को केस में घसीटने का अवसर मिल जाएगा। उनका केस के साथ लगाव साबित करने के लिए ज्ञान सिंह की नियुक्ति का उदाहरण दिया जाएगा।''

इसके सिवा जिला अटार्नी को कुछ नहीं सूझ रहा था।

ज्ञान सिंह को जब कुछ भी अच्छा न लगा तो जिला अटार्नी भी खीज गया। अजीब था स्पैशल पी.पी.। जिला अटार्नी की हर दलील को रद्द करता जा रहा था। और बहस किस तरह की होती थी। बसह में यही कुछ तो होता है। जिला अटार्नी तो इसी तरह बहस करता था। दोषी सजा भी होते थे। ज्ञान सिंह उससे और क्या चाहता था?

ज्ञान सिंह की दलीलों ने जिला अटार्नी का 'ब्रेनवाश' कर दिया। उसका मनोबल गिर गया। उसको महसूस होने लगा जैसे सचमुच केस में कुछ नहीं था।

भंडारी वकील भी सरकारी पक्ष में था। क्यों न उसके दिमाग को भी परख लिया जाए। शायद वह कोई नयी बात कर सके।

भंडारी को बुलाया गया।

'जहां तक केस का संबंध है इसमें कुछ भी नहीं। दोषी बरी होने ही हैं। यदि आप चाहें तो दोषियों को सजा हो सकती है।''

बेहिचक अपनी हार कबूल करता भंडारी, ज्ञान सिंह केस जीतने के लिये कितना उतावला है, यह जानने की कोशिश करने लगा।

''वाह भंडारी साहिब! मैं केस जीतना क्यों नहीं चाहूंगा? मैं यहां आया ही इसी मकसद से हूँ।'' भंडारी का सुझाव जानने के लिए ज्ञान सिंह उतावला होने लगा।

'फिर सुनो। कानून और दलील के सिवा दोषियों को सजा करवाने के और बहुत से राह हैं।''

अगली बात ज्ञान सिंह अपने आप ही समझ गया।

भंडारी बिल्कुल ठीक कहता था।

कल वह बहस समाप्त नहीं करेंगे। बहस को अगले दिन तक लटकाया जाएगा।

रात को वह चंडीगढ़ जाएगा। सारी स्थिति मुख्य मंत्री को समझाएगा। नये राह सुझाएगा।

दोषियों की सजा का इंतजाम हो चुका था। मिसल और कानून की किताबें दूर फेंक कर वह ऐसे खर्राटे मारने लगा जैसे घोड़े बेच कर सोया हो।

29

फैसला बहस के तीन दिनों बाद सुनाया जाना था। यह तीन दिनों का समय सब के लिए उतेजना से भरा था। जहां भी दो व्यक्ति इकट्ठे होते, इस केस के चर्चे छिड़ जाते। वकीलों को तो जैसे कोई काम ही नहीं था। बार रूम में बैठे वकील दिखावे के लिए तो सैल के वकीलों की मेहनत की दाद देते, मन में उनकी सफलता पर चिढ़ते।

सीनियर वकीलों को कुछ ज्यादा ही चिंता थी। कल के आए छोकरे आज सिर पर चढ़ने को तैयार थे। एक नहीं, दो नहीं पूरे तीन-तीन वकील स्थापित होने लगे थे।

कुछ वकील इस कामयाबी का सेहरा मोहन जी के सिर बांधते। गवाहों के पैरों तले की जमीन उसी ने खिसकायी थी। यदि गवाहों के पैर न निकालते तो कुछ हासिल न होता।

रातों रात मोहन जी सीनियर वकील बन गया था। अब वह कहता फिरता था, छोटी अदालतों से बड़ी अदालतों में काम करना आसान है। नए सारे सैशन केस उसने अपने पास रख लिए। दोषियों के बरी होते ही उसके हौंसले बुलंद हो जाएंगे। फिर सैशन कोर्ट में भी मोहन जी, मोहन जी हुआ करेगी।

कुछ वकील केस का छुपा रुस्तम गुरमीत को समझते थे। वह बोलता कम और काम ज्यादा करता था। केस जीतने में उसका पुलिस में रसूख सब से ज्यादा काम आया था। सिपाही से लेकर डिप्टी तक उसके समर्थक थे। केस की जिमनियां, ब्यानों की नकलें, असली नकली चिट्ठियों के सैट यदि समय पर न मिलते तो केस का रुख दूसरी ओर होना था।

जिस वकील की मदद पुलिस करती हो, उसको सफलता की सीढ़ी चढ़नी क्या मुश्किल थी? अब जब गुरमीत ने वकालत करने का मन बना ही लिया था तो फौजदारी वकीलों को किसी और जगह की तलाश करनी चाहिए थी।

कल तक शराबी-कबाबी और निकम्मा समझा जाता प्यारे लाल भी एक दम ध्रुव तारे की तरह चमकने लगा था। बहस जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उसी ने निभाई थी। एक-एक नुक्ते को उसने जिस अंदाज से पेश किया, उस से सीनियर से सीनियर वकील भी प्रभावित हुआ था। बहस के दौरान उसने ऐसे अनेकों सवाल उठाए, जिनका सरकारी पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब मांगते हुए उस की प्रश्न भरी आंखे जब ज्ञान सिंह की ओर उठती, तब ज्ञान सिंह का माथा पसीने से भर जाता और शर्म से वह सिर झुका लेता।

बहस सुन रहे हर श्रोता को यही महसूस होता था, जैसे दोषी सौ फीसदी निर्दोष थे। यही बढ़िया बहस की निशानी थी। अदालत से बाहर आकर ज्ञान सिंह को भी प्यारे लाल की पीठ थपथपानी पड़ी थी।

लोगों ने उसकी योग्यता को मान्यता देनी शुरू कर दी थी। आज कल उसका केबिन पहले की तरह बेरौनक नहीं रहता था। कुछ-कुछ केसों में उसके वकालतनामें लगने लगे थे।

पाले मीते के बरी होते ही उसका झंडा सब से ऊपर होना था।

समझदार मुंशियों ने उसके भविष्य को भांप लिया था। अभी तक न गुरमीत ने मुंशी रखा था न प्यारे लाल ने। कुछ पुराने मुंशी उनके इर्द-गिर्द मंडराने लगे थे। कुछ चुस्त मुंशियों ने एक एक, दो दो केस दिला कर उनको फुसलाना भी शुरू कर दिया था।

कई समझदार सायलों ने भी गुदड़ी के लाल पहचान लिए। कुछ फैसलों की प्रतीक्षा करने लगे। पाले मीते के बरी होते ही उन्होंने लिफाफे उठाकर उनके पास आ जाना था। वायदे तो वे पहले ही करने लगे थे।

इस सारी उथल-पुथल को देख कर प्यारे लाल के मन में लड्डू फूटने लगते। वैसे उसको यकीन था कि फैसला उनके पक्ष में होगा। फिर भी कई बार मन डोल जाता। कप और होंठों के बीच फासले वाली अंग्रेजी कहावत उसको डराने लगती।

प्रतीक्षा की हर घड़ी उसको एक युग जितनी लगती। कचहरियों के भेदी बहस के दौरान ही समझ जाते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा। जज का मूड जानने के लिए प्यारे लाल भी बेचैन हो रहा था। पाले मीते की जिन्दगी के साथ-साथ उसके भविष्य का भी फैसला होना था।

अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए कभी वह मोहन जी के मुंशी के पास जा बैठता।

"केस लीगल सैल ही जीतेगा।'' दावाा करता मुंशी शर्त लगाने तक को तैयार हो जाता।

"आपने देखा तो था, जज गवाहों को कैसे चारों पैर उठा कर पडा था। ये कैसे हुआ? वह कैसे हुआ? इस्तगासा पक्ष को मिमियाने के सिवा कभी कुछ सूझा था? हमसे जज ने थोड़े से स्पष्टीकरण मांगे थे। हर स्पष्टीकरण से उसकी संतुष्टि हो जाती थी। जज के मन में पैदा हुई शंकाओं का फायदा सफाई पक्ष को ही जाएगा। नहीं?"

प्यारे लाल मुंशी के तर्क से सहमत तो होता किन्तु उस का दिल न टिकता। लछमन दास उसका अपना मुंशी था। वकील की तरह मुंशी का मन भी केस की सफलता के साथ जुड़ा हुआ था। उसको चारों तरफ हरा-हरा दिखाई देना ही था।

भाने नम्बरदार ने भी अपने बाल कचहरी में ही सफेद किए थे। उसने भी सारी बहस सुनी थी। सायलों को उस पर परमात्मा जैसा भरोसा था। बहस सुनकर जिस तरह वह कहा करता था, फैसला अकसर उसी तरह हुआ करता था।

चाहे नम्बरदार भंडारी के केबिन में बैठता था। उसी का नमक खाता था, फिर भी प्यारे लााल को यकीन था कि वह उस से झूठ नहीं बोलेगा।

कभी प्यारे लाल भाने के पास जा बैठता।

"यह केस तो भतीजे तुम्ही जीतोगे। ठेला भर कर किताबों का जो ले कर गया था। हमारा वकील तो तीन किताबें ही लेकर गया था। वह भी बिना दिखाए वापिस ले आया। जिस के केस में दम होगा, वही किताबें ले कर जाएगा। जिस के पक्ष में कानून होगा, भतीजे फिर केस भी वही जीतेगा।"

नम्बरदार की ज्यादा किताबों वाली दलील प्यारे लाल को कम ही अच्छी लगती। सौ सुनार की और एक लुहार की तरह कई बार एक ही किताब सौ किताबों जितना काम कर जाती थी। तीन किताबें लाने वाला पक्ष सरकारी था। सरकार ने किताबें दिखा-दिखा कर कौन सा सायल पर प्रभाव डालना था। यह नाटक प्राइवेट वकीलों को करना पड़ता है। चाहे प्यारे लाल ने दिखावा नहीं किया था, फिर भी किताबों की गिनती फैसले का आधार नहीं बन सकती।

दूध का दूध और पानी का पानी तो सीनियर वकील ही कर सकते थे। कई सीनियर वकीलों ने केस की हर सुनवायी का गौर से अध्ययन किया था। उन में से एक धीर भी था।

धीर के पास जाते हुए प्यारे लाल को कुआंरी लड़कियों की तरह शर्म आती थी। उसको लगता था, वकील सोचेगा कि प्यारे लाल का दिमाग सांतवें आसमान पर है। अपनी तारीफ सुनना चाहता है। असलियत यह नहीं थी। वह तो फैसला जानना चाहता था। फैसले के रुख के बारे में जानना चाहता था।

कैंटीन में धीर को अकेला बैठा देख कर प्यारे लाल ने मन कड़ा किया और उसको घेर लिया।

"लाला जी, यदि फैसले गुण अवगुण के आधार पर हों, फिर बात ही क्या। फैसला करने से पहले जज बहुत कुछ देखता है। पैसा, सिफारिश, पक्ष का रुतबा और अपनी इज्जत। मैरिट की बारी अन्त में आती है। ईमानदार जजों ने इंसाफ को बेईमान जजों से ज्यादा भट्ठी में झोंक रखा है। उसको एक ही खतरा बना रहता है। दोषी बरी करने से कहीं उसकी इज्जत न चली जाए। लोग यह न कहें जज ने पैसे लेकर दोषी बरी कर दिए। मुझे तो इस गोरखधंधे की सारी उम्र समझ नहीं आयी। सजा वाले केस बरी हो जाते हैं बरी वाले केस सजा। जितनी देर जज के मुंह से हुक्म नहीं निकलता, उतनी देर कुएं में ईंट ही समझो।"

धीर की खरी-खरी बातों से प्यारे लाल का दिल धक-धक करने लग गया।

इस कड़वे सच को निगलना प्यारे लाल के लिए मुश्किल हो गया।

राय तो आखिर राय होती है। जिस का जैसा अनुभव, उसकी वैसी ही खट्टी मीठी राय। सोचता प्यारे लाल कयासों का पीछा छोड़ कर यथार्थ के पीछा करने लगा।

जज का स्टैनों एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सारी असलियत जानता था। अदालत के सारे दरवाजे बंद करके जज दो दिनों से उसको फैसला लिखवा रहा था।

कल थका टूटा स्टैनो जब रिटायरिंग रूम से बाहर निकला तो प्यारे लाल ने उसको घेर लिया।

'अभी पहला हिस्सा ही लिखवाया है। केस के रुख का अगले हिस्से से पता लगेगा।" स्टैनो ने अभी इतना सा भेद ही खोला था कि इतने में भंडारी का मुंशी आ धमका।

सिगरेट बीड़ी पिलाने के बहाने वह स्टैनो को अपनी केबिन की ओर खींचने लगा।

प्यारे लाल से मुंशी का स्टैनो पर ज्यादा जोर था। प्यारे लाल को पहली बार काम पड़ा था। मुंशी उसको हर रोज कमाई करवाता था।

मुंशी और स्टैनो की अच्छी पटती थी। एक शिकार फंसाता था और दूसरा मारता था।

''जो मैने कहा ठीक कहा। मुझ पर यकीन करो।'' मुंशी के साथ जाते स्टैनो ने प्यारे लाल को एक बार फिर यकीन दिलाया था।

बदनामी से बचने के लिए मुंशी स्टैनो को भंडारी की जगह शिंदे वकील के केबिन में ले गया।

पहले सिगरेटों की डिब्बी फूंकी गयी। स्टैनो जब फिर भी कुछ न बोला तो बोतल मंगवायी गयी।

बोतल देखकर प्यारे लाल की आशा का दीपक बुझ गया। पहले पैग से स्टैनो ने शराबी हो जाना था। शराबी होकर उसने ऊटपटांग बोलना था। बेगार पर बेगार डालनी थी। बेगार पूरी न हो सकी तो नुकसान करना था।

प्यारे लाल को कान लपेट कर चले जाने में ही भलाई लगी थी।

प्यारे लाल के पीछा छोड़ जाने से मुंशी ने सुख की सांस ली

'बंटी कत्ल केस में क्या हो रहा है?" आधी बोतल पीकर, दो घंटे बर्बाद करके भी जब स्टैनो ने कोई राह न दी, तब खीजकर मुंशी ने खुद बात चलाई।

"देवी की सौगंध। जज ने अभी तथ्य लिखवाए हैं। जितनी देर बहस नहीं लिखवाता, कुछ पता नहीं लगता।"

'तुम्हारी इच्छा।' स्टैनो की सौगंध को नजरअंदाज करके मुंशी ने रोष प्रकट किया।

जब स्टैनो ने फिर भी राह न दी तो क्रोधित मुंशी ने बाकी बचती शराब को गिलासों में डाला, फटाफट पिया और घर जाने के लिए खड़ा हो गया।

''तुम यूं ही गुस्सा कर गए। मैं सच कह रहा हूं।" स्टैनो रूठे मुंशी को मनाने का यत्न करने लगा।

स्टैनो का अभी कुछ नहीं बना था। वह उठने के मूड में नहीं था।

मुंशी के मंझधार में डुबो कर चले जाने पर स्टैनो पछताने लगा। मुंशी के लालच में वह प्यारे लाल को भी हाथ से निकाल चुका था।

जेब से पीने वाला स्टैनो भी नहीं था।

प्यारे लाल का कमरा कौन सा दूर था। गिरता-पड़ता वह प्यारे लाल के पास पहुंच गया।

प्सारे लाल ने उसको दारू से नहला दिया। फैसले के बारे में बताने के लिए उसके पास फिर भी कुछ नहीं था।

दूसरे दिन भी ढाक के तीन पात थे।

जज का मन स्थिर नहीं था। कभी वह सजा वाला फैसला लिखवा देता और कभी बरी वाला। फिर सारे पन्ने फाड़ देता।

स्टैनो को कल सुबह कोठी बुलाया गया था। जज ने उस से वादा किया था रात को वह अपना मन बना लेगा। कल हर हालत में फैसला डिक्टेट करवाएगा।

कल भी आ जाएगी। आह भर कर सब्र का घूँट भरने के सिवा प्यारे लाल कुछ नहीं कर सका था।

30

बेचैन प्यारे लाल सारी रात करवटें लेता रहा। कभी आंख गती भी तो कचहरी के सपने आने लगते। जज दोषियों को सजा कर रहा होता, कभी बरी। कभी प्यारे लाल की वाह वाह हो रही होती, कभी निन्दा।

बहस हुए दो दिन हो गए थे। स्टैनो कहता था जज ने अभी तक मन नहीं बनाया। प्यारे लाल को यह बहाना ठीक नहीं लगा था। यह कौन सा अफीम, शराब का केस था, जो दिल किया चार पन्ने लिखवा दिए। यह उलझनों से भरा कत्ल का केस था। जज को कम से कम सौ पन्ने लिखने पड़ने थे। इतना बड़ा फैसला। लिखना हो तो जज को मन कई दिन पहले बनाना पड़ता था।

प्यारे लाल को स्टैनो पर शक था। उसने स्टैनो की मुट्ठी गर्म नहीं की थी। इसलिए वह झूठ बोल रहा था।

यह भी हो सकता है दोषियों को सजा होनी हो। स्टैनो डर गया हो। समिति कहीं पहले ही शोर न डाल दे। जज के खिलाफ मोर्चा न लगा ले। ऐसे हो गया तो स्टैनो का क्या बनेगा?

सच्चाई जानने का इच्छुक प्यारे लाल सुबह जल्दी ही तैयार हो गया।

कचहरी जाने के लिए उसने वह राह चुना जो जज की कोठी के आगे से निकलता था।

स्टैनो का स्कूटर कोठी के आगे खड़ा देखकर प्यारे लाल को कुछ राहत महसूस हुई। स्टैनो ने झूठ नहीं बोला था।

प्यारे लाल का दिल कोठी के आगे धरना लगाने को किया। वह स्टैनो से खुशखबरी सुन कर ही कचहरी जाए।

किन्तु यह शेखचिल्ली वाले सपने थे। स्टैनो का इंतजार कचहरी बैठकर ही हो सकता था।

खुशी-गमी में डोलता प्यारे लाल कचहरी आ बैठा।

गुरमीत पहले से ही आया बैठा था। पीछे बाबा जी भी आ गये। ताजा दम होने के लिए वह कैंटीन में जा बैठे।

शहर से लेकर रूस तक के जीवंत मसलों पर बहस होने लगी।

"क्यों गुरमीत फैसले के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? "प्यारे लाल पर एक ही धुन सवार थी। घुमा-फिराकर वह बातचीत को इसी विषय पर ले आता।

"यदि फैसला कानून मुताबिक हुआ तो हम जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे।' फैसले के बारे में गुरमीत के विचार स्पष्ट थे।

"और ज्यादा संभावना दूसरी तरह के फैसले की है। "बाबा भी प्यारे लाल को किसी भ्रम में नहीं रहने देना चाहता था।

"फैसला कानून मुताबिक क्यों नहीं होगा? जज बड़ा भलामानुस है। कानून को नजरअंदाज क्यों करेगा? तुम देख लेना, फैसला मिसल मुताबिक होगा। "प्यारे लाल को हर वह व्यक्ति बुरा लगता था जो केस हारने की बात करता था। वह बाबा हो या गुरमीत।

"इस केस में न जज महत्वपूर्ण है, न कानून। फैसला सरकार की इच्छा अनुसार होना है।" गुरमीत चाहता था आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वयं को पहले ही तैयार कर लिया जाए। जितनी ज्यादा वे आशा रखेंगे, बाद में उतना अधिक निराश होंगे।

"यदि फैसले का पहले ही पता था तो ये महाभारत क्यों लड़ा? क्यों गवाहों की मिन्नतें की? क्यों सारी-सारी रात आंखे खराब की?" मेहनत का फल हाथ से जाता देख प्यारे लाल से सहन नहीं हो रहा था।

"उदास न हो। हमारी जीत पाले मीते के सजा या बरी होने से नहीं जुड़ी हुई। हमारी मंजिल दूर है। मुकद्दमा बेशक हम हार जाएं, जीत फिर भी हमारी होगी। हमने लोक राय निर्मित की है। एक न्याय पसंद बार के क्या कर्त्तव्य होते हैं? लोगों को यह दिखाया है।" गम की गहराई में उतरते जा रहे प्यारे लाल को गुरमीत संभालने का यत्न करने लगा।

प्यारे लाल अभी भी दुविधा में फंसा हुआ था। बाबे और गुरमीत की बातों से लगता था, वे केस हारेंगे। प्यारे लाल का मन कहता था वे केस जीतेंगे।

ऐसी दुविधा में स्टैनो की महता और भी बढ़ गयी थी। याद करते ही जादू के जिन्न की तरह वह उनके सामने आ खड़ा हुआ।

इस बार कुछ बताने की उत्सुकता स्टैनो को थी। उसकी उत्तेजना बहुत प्रबल थी। जज की कोठी में क्या हुआ? इस का ब्यौरा देते हुए वह यह भी भूल गया कि वह कैंटीन जैसी सार्वजनिक जगह पर खड़ा था। स्टैनो की ओर से की गई बात को पंख लग सकते थे और यह पंख स्टैनो के लिए घातक सिद्ध हो सकते थे।

बिना अच्छे बुरे की परवाह किये स्टैनो मन का गुब्बार निकालने लगा।

स्टैनो निश्चित समय पर कोठी पहुंच गया था। जज पहले ही तैयार बैठा था। उसका चेहरा शांत था और मन एकाग्र। ज्यों ही जज ने फैसला लिखवाना शुरू किया, घंटी बज गयी। अर्दली ने आए मेहमान का नाम जज के कान में बताया। चाहे मेहमान अनपढ़ गंवार लगता था, फिर भी उसको विशेष महत्व दिया गया। आदर के साथ उसको ड्राइंग रूम में बिठाया गया। बहुत धैर्य से उसकी बात सुनी गयी।

मेहमान कुछ जरूरी कागज और एक निजी चिट्ठी देने आया था। पहले स्टैनो ने सोचा वह जज का रिश्तेदार होगा, किन्तु जब जज की एकाग्रता भंग हो गई तो स्टैनो को संदेह होने लगा।

मेहमान के जाते ही जज की फैसले से पकड़ जाती रही। कभी कुछ लिखवा देता, कभी कुछ।

घंटा माथापच्ची करके भी जब कोई परिणाम न निकला तो जज ने स्टैनो से माफी मांगी। जज उसको फालतू में तकलीफ दे रहा था। जज का मन विचलित हो गया था। मन ठिकाने आया तो वह फैसला हाथ से लिख लेगा। फैसला न लिखा गया तो और तारीख डाल देगा।

कोठी से वापिस लौटते स्टैनो का संदेह पक्का हो गया। मेहमान कोई साधारण आदमी नहीं था। वह कुछ जाना पहचाना लगा था।

अब तक स्टैनो मेहमान को पहचानने में सफल हो चुका था।। वह जस्टिस शिंगारा सिंह का पी.ए. था। दो साल पहले जब शिंगारा सिंह इंस्पैक्शन पर आया था तो स्टैनो की उस से मुलाकात हुई थी।

पी.ए. का भेष बदलकर आने का कारण स्पष्ट था। वह जस्टिस शिंगारा सिंह का कोई गुप्त संदेश लेकर आया था। संदेश इसी केस से संबंधित था। भेष समिति के डर से बदला गया था।

स्टैनो के विचारनुसार कुछ बुरा घटित होने वाला था।

समिति को सचेत कर के, स्टैनो ने मुफ्त कानूनी सहायता के इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल दी थी।

अब क्या किया जाए? सोच विचार करने के लिए वे कैंटीन से उठकर प्यारे लाल के केबिन में जा बैठे। उन्होंने विचार विमर्श शुरू किया ही था कि जीवन आढ़ती आ धमका। उस के पास बुरी खबर थी।

चंडीगढ़ से फोन आया था। वहां के वर्करों ने ज्ञान सिंह की गतिविधियों पर नजर रखी थी।

शहर से आकर ज्ञान सिंह सीधा मुख्यमंत्री की कोठी गया था। उस के साथ भंडारी वकील और संघ का एक वफद भी था।

बाद में मुख्य मंत्री ने शिंगारा सिंह को तलब किया था। फिर उनके बीच कोई खिचड़ी पकी थी।

फैसला चंडीगढ़ में लिखवाया गया था। वह टाइप हो कर, शिंगारा सिंह के पी.ए. के माध्यम से शहर भेजा जा रहा था।

हो सके तो पी.ए. को शहर में घेरा जाए। फैसला छीन लिया जाए।

चंडीगढ़ वालों ने हाईकोर्ट में अर्जी दे दी थी। केस मोता सिंह की अदालत से तब्दील किया जाए। किन्तु फैसला किस ने लिखा है? कहां टाइप हुआ? इस तरह के सबूत अभी हाथ नहीं लगे थे। खोज जारी थी।

दरख्वास्त की सुनवायी कल होनी थी। कोई सबूत मिल गया तो केस कल ही तब्दील हो जाएगा। नहीं तो बंदी तो मिल ही जाएगी।

एक दरख्वास्त निम्न अदालत में भी दी जाए। मोता सिंह को दरख्वास्त के फैसलों तक निणर्य सुनाने से रोका जाये।

संदेश सुनते ही सब के चेहरों पर मुर्दनी छा गयी। शिंगारा सिंह का दूत हाथ से निकल चुका था। तुरन्त कार्यवाही के तौर पर केवल दरख्वास्त ही दी जा सकती थी।

यह किस्सा सुनकर प्यारे लाल की फैसला सुनने की उत्सुकता ही जाती रही।

31

मोता सिंह को यकीन दिलाया गया था। होने वाले फैसले का राज उसके और शिंगारा सिंह के बीच ही रहेगा।

किन्तु समिति की ओर से आई अर्जी और शहर में हो रहे सख्त सुरक्ष प्रबंधों से लगता था जैसे होने वाले फैसले की भनक दुनिया भर को लग गयी थी।

अपने ज़मीर के विरुद्ध फैसला सुनाने का उसका यह पहला अवसर था।

पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया था।

उसको पता था। उसका अडियल रवैया उसको महंगा पड़ रहा था। वह समाज और भाईचारे से अलग-थलग पड रहा था।

एक-एक करके रिश्तेदार उस से नाता तोड़ते जा रहे थे। वे कहते थे, मोता सिंह को अपने पद का अहंकार है। अब उसने रिश्तेदारों से क्या लेना है?

एक एक करके अफसर भी नाराज हो गए। कहते थे,यह हरीशचन्द्र बना बैठा है। छोटे बड़े किसी की भी परवाह नहीं करता।

मोता सिंह को सचमुच किसी की परवाह नहीं थी। सिफारशी मुंह फुलाते थे तो फुला लें। रिश्तेदार रूठते थे रूठ जाएं। वह बिना सिफारिश वालों का गला कैसे घोंट दे?

किन्तु आज उसको दो मासूमों का गला घोंटना पड़ रहा था। अपने जमीर के विरुद्ध फैसला सुनाने के लिए मन बनाता मोता सिंह अजीब दुविधा में फंसा हुआ था। अपने बागी जमीर पर काबू पाने के लिए कभी वह किसी तर्क का सहारा लेता और कभी किसी का।

सब से शक्तिशाली तर्क उस पर शिंगारा सिंह द्वारा किए गए एहसानों का था।

मोता सिंह बड़ा जमीदार जरूर था किन्तु बड़ा वकील नहीं था। उसके रिश्तेदार बड़े-बड़े अफसर थे। कोई एस.एस.पी. और कोई डी.सी.। उनके सहारे मोता सिंह को काम मिलता था। उन के सहारे वह मुकद्दमे जीतता था। फिर भी उसका नाम चोटी के वकीलों में शामिल नहीं होता था।

उसकी आमदनी भी बंधी हुई नहीं थी। जब रिश्तेदार नजदीक तैनात होते तो आमदनी का ग्राफ आसमान छूने लगता, जब वे दूर निकल जाते तो ग्राफ नीचे गिरने लगता।

इस अनिश्चितता से तंग आया मोता सिंह कोई कारोबार शुरू करने के बारे में सोच ही रहा था कि मामा की लाटरी निकल आयी। शिंगारा सिंह हाई कोर्ट का जज बन गया।

कुर्सी संभालते ही मामे ने भानजे की पीठ थपथपाई। एडीशनल सैशन जज की नौकरियां निकलें सही, पहला स्थान भानजे के लिए सुरक्षित होगा।

ऐसे ही हुआ। अगले साल मोता सिंह जज बन गया।

मामे ने भानजे के लिए बहुत कुर्बानियां दी थीं।

मामे के हिस्से में एक पोस्ट आयी थी।

वह चाहता तो इस का मूल्य वसूल कर सकता था। दस बीस लाख जेब में डाल सकता था।

वह चाहता तो किसी नेता को खुश कर देता। मंत्री पद की राह आसान हो जाती।

वह चाहता तो अपने किसी बॉस की शाबाशी पा लेता। सुप्रीम कोर्ट के जज पद के लिए एक वोट पक्की कर लेता।

किन्तु शिंगारा सिंह ने मोता सिंह के सिर पर हाथ रखा था।

अब मोता सिंह इस हाथ को कैसे झटक दे?

यह कुर्सी मोता सिंह को कभी भी अपनी नहीं लगी थी। इस का असली मालिक उसको शिंगारा सिंह ही लगता था। उसके मुंह से वही हुकम निकलेगा जो, अगर शिंगारा सिंह इस कुर्सी पर बैठा होता, तो उसके मुंह से निकलता।

शिंगारा सिंह के हुक्म का पालन करके मोता सिंह सकून पाना चाहता था। खुद पर कियेएहसान का बोझ कुछ हल्का करना चाहता था।

मामा ने भानजे को पहली बार सवाल डाला था।

आगे मामे की मजबूरी थी। जल्दी ही उसने रिटायर हो जाना था। उसके लिए मुख्य मंत्री को खुश करना बहुत जरूरी था। खुश हुआ मुख्य मंत्री उसको सुप्रीम कोर्ट भेज सकता था। कोई जांच कमीशन बिठाकर उसको चेयरमैन बना सकता था। गर्वनरी, अम्बैसडरी के लिए सिफारिश कर सकता था। मिठाई बटी, तो हिस्सा मोता सिंह को भी मिलना था।

उसकी तरक्की का केस अटका पड़ा था। मोता सिंह से एक नम्बर सीनियर जज का रिकार्ड खराब था, किन्तु हाई कोर्ट के जजों का एक दल उसकी मदद कर रहा था। वह दल उसको 'इग्नोर' नहीं होने दे रहा था। विरोधी दल उसको प्रमोट नहीं होने देता था। तीन सालों से यही झगड़ा चला आ रहा था। ऊपर वाले जज का कोई फैसला हो तो मोता सिंह का नम्बर आए।

दोषियों को सजा होने से शिंगारा सिंह की सरकार-दरबार में महत्व बढ़ना था। उस के हाथ मजबूत होने थे। मजबूत हुए शिंगारा सिंह ने मोता सिंह की तरक्की के लिए अड़ जाना था। मोता सिंह को यदि साधारण तरक्की नहीं देनी तो विशेष तरक्की तो मिले। यदि इंदिरा को मारने वाले सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जजों को विशेष तरक्की मिल सकती है तो मोता सिंह को क्यों नहीं? वह भी तो उनके ही नक्शे कदम पर चला था।

कहां एडीशनल सैशन जज। महज एक डिगनीफाइड क्लर्क।कहां सैशन जज, जिले का मालिक।

कुछ देर के लिए जिले की मलकियत का नशा मोता सिंह को भ्रमित करता रहा।

किन्तु समिति की आरोपों से भरी दरख्वास्त ने मोता सिंह को झिंझोड़ दिया। शिंगारा सिंह और सैशन जज के पद से उसका मोह भंग होने लगा।

सारी रात मोता सिंह बेचैन रहा। निर्दोषों के खून से हाथ रंगने से कैसे बचा जाए? इस बारे में सोचता रहा था।

सब से सही और पवित्र राह गुरमीत वाला था।

गुरमीत ने अपनी अन्तर्आत्मा की आवाज सुनी थी। उसने रबड़ की मोहर बनने की बजाय नौकरी छोड़ना बेहतर समझा था।

गुरमीत की अपेक्षा मोता सिंह को नौकरी छोड़नी आसान थी। गुरमीत सिंह आर्थिक रुप से उसी नौकरी पर निर्भर था। मोता सिंह को न आर्थिक समस्या थी, न पारिवारिक। जायदाद उस के पास बहुत थी। दोनों लड़के पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर लग गए थे। इकलौती बेटी कनाडा में विवाहित थी। यदि गुरमीत नौकरी की बजाय सच को प्राथमिकता दे सकता था, तो मोता सिंह क्यों नहीं?

मोता सिंह गुरमीत नहीं बन सकता था। आर्थिक स्थिति सब कुछ नहीं होती, रुतबा भी तो महत्व रखता है। कहां मामूली सी नौकरी। कहां शहनशाहों जैसा सैशन जज का पद। आगे पीछे फिरती पुलिस। जी हजूरी करते सेठों, सरदारों का झुरमुट। हाथ जोड़ कर खड़े दोषी। यह नशा कहाँ रखा पड़ा है।

फिर तरक्की ही तरक्की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गर्वनरी। और भी बहुत कुछ।

यदि मोता सिंह जज न होता तो उसके बेटे-बेटियां न इतने बड़े रूतबे पर पहुंच सकते थे, न इतने बड़े घर ब्याहे जाते। यदि उसने नौकरी छोड़ दी तो समधी क्या कहेंगे? रिश्ता जोड़ते समय रिश्तेदारों ने उसकी जमीन थोड़ा देखी थी, रुतबा देखा था।

मोता सिंह ने अपनी कुर्सी भी बचानी थी, मामा की इज्जत और अपना जमीर भी। उसको कोई उचित राह ढूंढना चाहिए था।

पहला इज्जत वाला राह यही था कि समिति द्वारा दी गई दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए। फैसले को टालने की बजाय वह मुकद्दमा ही टाल दे।

न्याय पालिका का सदाचार भी यही मांग करता था। जज की इज्जत कुंआरी लड़की की तरह होती है। शक का वहम भी निष्पक्षता को कलंकित कर देता है। जब किसी पक्ष को जज की निष्पक्षता पर शक हो, तो वह फैसले की बजाय केस तब्दील कर देता है।

साधारण हालात होते तो मोता सिंह ऐसे ही करता। केस तब्दील करने से बल्कि उसकी इज्जत बढ़ जाती।

इस समय फैसला टालना खतरे से खाली नहीं था। जल्दी फैसले की अपनी इच्छा हाई कोर्ट पहले ही जाहिर कर चुका था।

केस तब्दील होने पर हाई कोर्ट ने मोता सिंह पर शक करना था। मोता सिंह डर गया था।लालच में आ गया। दोनों हालातों में उसकी और शिंगारा सिंह की पैठ खराब होनी थी।

केस तब्दील करने से मोता सिंह को मानसिक संतुष्टि मिल जाएगी, किन्तु दोषियों को कोई फायदा नहीं होना था।

निम्न अदालत की क्या मजाल थी कि वह उच्च अदालत की इच्छा के विरुद्ध जा सके। केस जहां भी जाएगा वहाँ कोई मोता सिंह जैसा बैठा होगा। दोषियों को जब सजा ही होनी है तो मोत सिंह ही क्यों न कर दे?

दोषियों को फायदा कम सजा देकर पहुंचाया जा सकता है। पाले मीते जैसे दोषियों को बख्शा नहीं जाता। लोगों को यह जता कर सरकार अपनी इज्जत बनाए रखना चाहती थी।

लोगों के मन दोषियों को उम्र कैद करवा कर भी जीते जा सकते थे। सजा का मकसद समाज को गुनाहगारों से मुक्त करवाना था। पाले मीते को उम्र कैद होने से भी समाज को राहत मिल सकती थी।

अच्छा हो अगर मोता सिंह फांसी की बजाय उम्र कैद की सजा सुना दे। इस तरह मोता सिंह निर्दोषों के कत्ल के जुर्म से भी बच जाएगा और सरकार की भी रह जाएगी। इस सजा से दोषियों को

भी लाभ पहुंचेगा। फांसी की सजा होने से हाई कोर्ट को फौरन सुनवायी करनी पड़ेगी। फौरन सुनवायी हुई तो नतीजा निम्न अदालत वाला ही रहेगा।

उम्र कैद के साथ अपील की सुनवायी आठ दस साल के लिए टल जाएगी। यह मिसल भी बाकी मिसलों के ढेर के नीचे दब जाएगी। जब तक इसकी बारी आएगी, करोड़ों गैलन पानी पुल के नीचे से निकल चुका होगा। न मुख्य मंत्री के नीचे कुर्सी होगी, न शिंगारा सिंह के नीचे। कोई कुर्सी पर हुआ भी तो उस के पास इस केस के लिए वक्त नहीं होगा। उस समय तक हजारों नए मसले उठ खड़े हो चुके होंगे। लोग बंटी और पाले मीते को भूल चुके होंगे। तब तक और सैकड़ों निर्दोषों के कत्ल हो चुके होंगे। लोग किस-किस पाले का पीछा करेंगे?

फिर फैसला मैरिट के आधार पर होगा। फैसला मैरिट के आधार पर हुआ तो सख्त से सख्त जज भी इनको सजा नहीं कर सकता।

इस तरह दोषियों को बरी हुए देखकर किसी न किसी दिन मोता सिंह अपने मन के बोझ से मुक्त हो जाएगा।

ज्यों ही मोता सिंह टाइप हुए फैसले में रद्दोबदल करने की हिम्मत बटोरता, त्यों ही शिंगारा सिंह के पी.ए. की ताड़ना आड़े आ जाती।

"साहिब का फरमान है। फैसला ज्यों का त्यों लागू होना चाहिए। "यदि दूध देना ही है तो मेंगने क्यों घोली जाएं?

मोता सिंह वही करेगा जो उसको हुक्म हुआ है।

रात मोता सिंह ने मन कड़ा कर लिया। किन्तु अब जब वह इन्साफ की कुर्सी पर बैठने जा रहा था तो उस का मन फिर से डोल गया।

अदालत जाने से पहले मोता सिंह महाराज की हजूरी में पेश हुआ। चित एकाग्र करके उसने अरदास की।

"हे वाहेगुरु! हाई कोर्ट के जजों के दिल में मेहर डाल। दोषियों की दरख्वास्त मंजर कर। अपने इस सेवक को नरक का भागी होने से बचा।"

परमात्मा पर डोरी छोड़कर मोता सिंह कुछ राहत महसूस करने लगा।

32

गड़बड़ की संभावना देखते हुए सारे शहर में सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए थे।

सुरक्षा बलों ने रात ही जज की कोठी को घेर लिया था। गेट से लेकर छत तक पहरा लगा दिया गया था।

कोठी से कचहरी तक के एक किलोमीटर के रास्ते के चप्पे चप्पे पर सिपाही खड़ा था।

जज को कचहरी ले जाने के लिये विशेष प्रबंध किया गया था। एक काले शीशों वाली बुलेट प्रूफ कार में जज ने बैठना था। दो हथियारबंद कमांडो ने उसके दाएं-बाएं होना था। कार के आगे पायलट जीप और पीछे एस्कार्ट गाड़ी होनी थी।

कचहरी के परिसर में दफा एक सौ चवालिस लगा दी गई थी। कृपाण, लाठी तो क्या किसी वृद्ध को लाठी तक परिसर में ले जाने की आज्ञा नहीं थी।

कचहरी में सायलों से ज्यादा भीड़ सुरक्षा जवानों की थी। कुछ वर्दी में थे। उससे कई गुणा अधिक सादे कपड़ों में थे।

सुरक्षा प्रबंधों की देखभाल के लिए डिप्टी खुद परिसर में मौजूद था। लाठी चार्ज, अश्रु गैस, रबड़ की गोलियों से लेकर असली गोलियों तक का प्रबंध किया गया था।

सिविल अधिकारी भी पीछे नहीं रहे थे। दो फायर ब्रिगेड और दो एंबुलैंस तैयार खड़े थे। जिला मैजिस्ट्रेट ने सारे अधिकार एस.डी.एम. को सौंप दिए थे। आवश्यकतानुसार उसको हर तरह का हुक्म देने की छूट थी।

एस डी एम ने जीप पर लाउस्पीकर लगवा लिया था। वाकी टाकी और वायरलैस सिस्टम तैयार था। आवश्यकता पड़ने पर वह जिला मैजिस्ट्रेट से ले कर शहर में तैनात हर सिपाही से संपर्क कर सकता था। फौरन कार्यवाही के लिए वह परिसर में मौजूद था।

यह सारी नाकटबाजी मोता सिंह को पसंद नहीं आयी थी। इस दिखावे से न्यायपालिका का सम्मान कहां हो रहा था? अपना रोष उस ने जिला प्रशासन के पास प्रगट किया था।

प्रोटैस्ट के तौर पर मोता सिंह ने सरकारी गाड़ी में चढ़ने से इंकार कर दिया। आम दिनों की तरह अपने स्कूटर पर कचहरी जाएगा।

उसको समझाने जिला मैजिस्ट्रेट खुद आया था।

सख्त सुरक्षा प्रबंध प्रशासन की मजबूरी थी। प्रशासन को दोनों पक्षों से खतरा था।

मोता सिंह को प्रशासन की यह दलील निर्मूल लगी थी। संघ कोई खतरा खड़ा करने की स्थिति में नहीं था। खतरा समिति से हो सकता था। सख्त सुरक्षा प्रबंधों का मतलब समिति से सचेत होना था।

समिति से सचेत होने का मतलब दोषियों को सजा होना था।

मोता सिंह का गाड़ी में बैठना जरूरी था। उसने मन चाहा फैसला सुनाना होता, तो स्थिति साधारण जैसी होती। अब फैसला ऊपर से आया था। इस बारे में समिति को पता लग चुका था। गुस्से में आयी समिति जज को नुकसान पहुंचा सकती थी।

मजबूरी वश जज को कार में बैठना पड़ा।

कार में बैठे जज को अजीब-अजीब ख्याल आने लगे। वह स्वंय को पाले मीते से भी बुरी स्थिति में महसूस करने लगा। स्वयं को पुलिस हिरासत में समझाने लगा। उसको लगा जैसे सरकारी पिस्तौल उसकी कनपटी के पास तना हुआ था। जैसे वह पिस्तौल उसको सरकारी बोली बोलने के लिए मजबूर कर रहा था।

कुछ पलों की पुलिस हिरासत ने मोता सिंह को युगों जितनी गुलामी का एहसास करवा दिया। वह फिर से अपनी अन्तर्आत्मा के अनुसार फैसला सुनाने के लिए तड़पने लगा।

हाई कोर्ट मिलने वाली बंदी की आशा रख कर जज ने कुर्सी संभाल ली।

पहले दोषियों को कचहरी में लाया गया।

धड़कते दिल, भरे मन और गीली आंखों के साथ मोता सिंह ने दोषियों की ओर देखा।

दोनों के चेहरे जर्द पीले थे। सख्त बालों वाली दाढ़ी बिखरी हुई थी। आंखें अन्दर को धंस गई थीं और जबड़े बाहर को निकल आए थे। काले स्याह होंठो पर पपड़ी जमी हुई थी। शरीर सूख कर कांटा बन गए थे।

इन हड्डियों के ढांचों को भारी भरकम बेड़ियों और उल्टी हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था।

दोनों दोषियों की आंखे बन्द थीं। उनके होंठ तेजी के साथ फड़क रहे थे। जैसे वे किसी पाठ का जाप कर रहे हों।

लगता था जैसे वे जल्दी में थे। जैसे फैसले तक उनको अपने पाठ के पूरा होने की आशा नहीं थी। जैसे उनको होने वाले फैसले का पता था। जैसे वे मौत के साथ बातें कर रहे थे। जैसे कुछ ही पलों के बाद उन्हें पागल हो जाना था।

एक बार दोषियों ने आंखे खोलीं। पागलों की तरह उन्होंने कुर्सी पर बैठे दूसरे ईश्वर की ओर ताका। फौरन उन्होंने आंखे बन्द कर लीं जैसे कबूतर को बिल्ली का भ्रम हुआ हो।

ये क्या सोच रहे होंगे? मोता सिंह उनकी मनोदशा का अंदाजा लगाने लगा।

शायद वे परमात्मा से पूछ रहे हों। निर्दोषों को सजा करके मोता सिंह भी एक जुर्म करेगा। फिर सजा की बजाय उसको तरक्की क्यों मिलेगी?

इस 'क्यों' का मोता सिंह को कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। जवाब ढूंढने की बजाय वह मिसल के पन्ने पलटने लगा।

कुछ देर बाद दोनों पक्षों के वकील भी अदालत में आ गए।

अंतिम फैसले से पहले सफाई पक्ष की दरख्वास्त पर फैसला होना था।

सरकारी पक्ष की ओर से जिला अटार्नी और सफाई पक्ष की ओर से प्यारे लाल आया था।

गुरमीत ने आज काला कोट नहीं पहना था। वकील की बजाय आज उसने समिति के कार्यकर्ता के कर्त्तव्य निभाने थे।

सारी स्थिति के स्पष्ट हो जाने के बावजूद भी प्यारे लाल के दिल के किसी कोने में अभी भी आशा की ज्योति जग रही थी।शायद चंडीगढ़ वाले वर्करों को भ्रम हुआ हो। न टाईप हुआ फैसला कहीं से आ सकता है, न जज लिखा लिखाया फैसला सुना सकता है। शायद मोता सिंह का जमीर जाग पड़े। शायद स्वार्थ की बजाय इंसाफ की मर्यादा उस पर हावी हो जाए।

इस तरह से सोचता प्यारे लाल काला कोट पहन कर दरख्वास्त पर बहस करने आया था।

सफाई पक्ष की दलील थी,कुछ दिन के लिये फैसला टालने पर सरकारी पक्ष को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इन चार दिनों में फैसले ने कोई बदल थोड़ा जाना था। बस सफाई पक्ष की तसल्ली हो जानी थी।

फैसला आगे डाले जाने पर सरकारी पक्ष को सख्त एतराज था। सरकार को खुफिया रिपोर्ट मिली थी। फैसले वाले दिन भारी गड़बड़ होने की आशंका थी। दोषियों को सजा हुई तो समिति गड़बड़ करेगी। बरी हुए तो संघ। सरकार ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए थे। लाखों रुपए खर्चे थे। बार-बार ऐसे प्रबंध नहीं किए जा सकते।

अदालत जो चाहे फैसला सुनाए, किन्तु सुनाए आज ही।

वैसे जिला अटार्नी को एडवोकेट जनरल का कल ही फोन आ गया था। हाई कोर्ट द्वारा बंदी नहीं दी जाएगी। फैसला आगे न पड़ने दिया जाए। सफाई पक्ष ज्यादा दबाव डाले तो फैसला दोपहर तक रुकवा लिया जाए। तब तक हुए फैसले की सूचना जज तक पहुंचा दी जाएगी।

सरकारी पक्ष के मशविरे पर फैसला दोपहर तक टाल दिया गया।

हाई कोर्ट में ऐसी दरख्वास्तों पर सुनवाई ग्यारह बजे तक हो जाया करती थी। बंदी मिल गई तो लम्बी तारीख डाल दी जाएगी, न मिली तो निर्णय सुना दिया जाएगा। इस समय के दौरान दोनों पक्ष अपने अपने सूत्रों से हुए फैसले की सूचना ले लें।

जिला अटार्नी को ग्यारह बजे ही सूचना मिल गयी। दरख्वास्त नामंजूर हो गई थी। सफाई पक्ष को अच्छी खासी डांट पड़ी थी। सफाई पक्ष हर जज पर दोष लगाने का आदी हो गया था। इस तरह हाई कोर्ट जज बदलने लगे तो फैसले कैसे होंगे?

जिला अटार्नी को यह भी बताया गया कि फोन के द्वारा जज को भी सूचित किया जा चुका था। फिर भी यदि जरूरत पड़े तो जिला अटार्नी बिना झिझक अपना हल्फिया ब्यान दे दे। जिला अटार्नी किसी भी हथकंडे का प्रयोग करके फैसला आज ही करवाए।

हल्फिया ब्यान टाइप करवा कर, जिला अटार्नी दोपहर होने का इंतजार करने लगा।

दोपहर तक सारे शहर में खबर फैल गयी। आज बंटी कत्ल केस का फैसला होना है।

समिति ने स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने साथ में एक खबर और जोड़ दी। दोषियों को फांसी की सजा होगी। फैसला मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से भेजा है।

अजीबो-गरीब केस का अजीबो-गरीब फैसला सुनने के लिए लोग समूहों में कचहरी की ओर चल पड़े।

समिति के वर्कर भी लोगों के साथ मिलकर कचहरी पहुंच गए। दफा चवालीस के अन्तर्गत धर पकड़ से डरे वे इधर उधर बिखर गए। कोई किसी वकील के पास जा बैठा, कोई किसी अर्जीनवीस के पास।

संघ के सारे वर्कर कचहरी पहुंचे हुए थे। न उनको पुलिस का डर था, न पुलिस को उन से। उन को बिना रोक टोक घूमने की छूट थी।

दोषियों को सजा होनी थी। राम सरूप चाहता था, इस खुशी में लड्डू बांटे जाएं।

इस सुझाव पर पुलिस को सख्त एतराज था। पुलिस के यत्नों के बावजूद भी समिति के कुछ वर्करों द्वारा कचहरी में हथियार ले आने की संभावना बनी हुई थी। संघ ने संयम से काम न लिया तो कोई भी घटना घट सकती थी।

हथियारों की बात सुनकर भंडारी अन्दर तक कांप गया। उस को अपना पाला मारने लगा। भंडारी ने अदालत में वकालत कम की थी और बाहर ज्यादा। वह कई बार मुख्य मंत्री को मिल चुका था। स्पैशल पी.पी. लगाने का सुझाव उसी का था। उसी के सुझाव पर फैसला चंडीगढ़ से टाइप होकर आया था। उसी की कोशिशें के कारण पाले मीते को सजा होने लगी थी।

भंडारी की निजी दिलचस्पी के कारण समिति पहले ही उससे नाराज थी। आज कचहरी खचाखच भरी हुई थी, भलेमानुसी से पुलिस इतने लोगों को काबू नहीं कर सकती थी। समिति वालों ने भंडारी पर हमला कर दिया तो वह किस की मां को मौसी कहेगा।

भंडारी को अपने किए का पछतावा हुआ। उसको भी मोहन जी की तरह अपनी गतिविधियां मुकद्दमे तक ही सीमित रखनी चाहिए थीं। अब भलाई किसी न किसी बहाने अदालत से टल जाने में थी।

खाने का समय था।

पहले भंडारी लंच के बहाने चला गया। फिर घर से फोन कर दिया। उसके पेट में दर्द है, कचहरी नहीं आ सकेगा।

भोजन का समय समाप्त होते ही फिर कार्यवाही शुरू हो गई।

दरख्वास्त के रद्द होने की सूचना दोनों पक्षों के वकीलों और दोषियों को मिल चुकी थी। अब जज फैसला सुनाने की लिए स्वतंत्र था।

फैसला सुनाने से पहले जज ने दोनों पक्षों के वकीलों और दोषियों को पास बुलाया।

इस से पहले कि फैसले का कोई शब्द जज के मुंह से निकलता, अदालत के बाहर जुड़ी भीड़ में से किसी ने नारा लगाया।

फिर नारों से आसमान गूंजने लगा।

धीरे-धीरे गुत्थी सुलझी। नारेबाजी समिति द्वारा हो रही थी। बाबे की कड़कती आवाज़ माहौल को जोशीला बना रही थी। अंदर होने वाला फैसला पहले ही बाहर सुनाया जा रहा था।

पुलिस ने पोजीशनें संभाल लीं। धरपक़ड शुरू हो गयी। पुलिस की ललकार और समिति के नारे साफ सुनायी देने लगे। रीडर, स्टैनो, अर्दली और जिला अटार्नी सहित अदालत में हाजिर व्यक्तियों कः दिल धड़कने लगे। बाहर हो रहे शोर शराबे से स्पष्ट था, बाहर कुछ भी हो सकता था।

सब को अपना-अपना फिक्र था। फैसला हो और वे सुख शांति से घर पहुंचने का इंतजाम करें।

"प्यारे लाल जी, माफ करना। मैं आपके सायलों को बरी नहीं कर सका। सरकार का पलड़ा भारी था।"

फैसला सुनाते जज के हाथ और आवाज दोनों कांपने लगे।

'सजा के बारे में कुछ कहना है?" जाब्ता पूरा करने के लिए जज ने सफाई पक्ष से अगला सवाल किया।

प्यारे लाल पहले ही गुस्से से बौखलाया हुआ था। इस औपचारिकता से उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जोश और क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा।

जज का फैसला जैसे बाहर खड़े लोगों के कानों में भी पड़ गया था। समिति के वर्कर रोष में आ गए। पुलिस घबरा गयी। लाठी चार्ज होने लगा।

"जो ऊपर से लिखकर आया है वही सुना दो।"

प्यारे लाल के मन से जब न्यायपालिका के प्रति बचा खुचा विश्वास उठ गया,तो उसने भी सख्त रवैया अपना लिया।

"यह अदालत की तौहीन है।" जिला अटार्नी को प्यारे लाल के इस कटाक्ष पर सख्त एतराज था।

"बिल्कुल नहीं। अदालत वह होती है जिस के हाथ में इंसाफ का तराजू हो। जिस अदालत के तराजू का एक ही पलडा हो और वह भी सरकारी, ऐसी अदालत को मैं अदालत ही नहीं मानता। जब यह अदालत ही नहीं, इस की इज्जत कैसी?"

प्यारे लाल पूरी दृढ़ता से अपने शब्दों पर अड़ा रहा। मोता सिंह ने कानों में तेल डाल लिया। मन ही मन उसने प्यारे लाल को शाबाशी दी। प्यारे लाल सच कह रहा था।

बाहर भीड़ काबू से बाहर हो रही थी। अश्रु गैस का धुआं कोर्ट रूम तक पहुंचने लगा।

"जज साहिब, जल्दी करो। भीड़ काबू से बाहर होती जा रही है। कार्यवाही पूरी करो और बाहर निकलो।"

अचानक डिप्टी कोर्ट रूम में आ धमका। उसके हाथ में भरा हुआ पिस्तौल था।

"मैंने गाड़ी रिटायरिंग रूम के आगे लगा दी है। फटाफट बैठो। आप भी डी.ए. साहिब।"

डिप्टी बौखलाया हुआ था तो स्थिति खतरनाक ही होगी।

डिप्टी की चेतावनी सुनकर अदालत के स्टाफ को भी हाथों पैरों की पड़ गयी। जज और डी.ए. के लिए गाड़ी हाजिर थी। परंतु उन्होंने अपनी रक्षा स्वयं करनी थी।

"यह बड़ा संगीन जुर्म है। मामूली सी रकम के बदले एक मासूम बच्चे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ऐसे खौफनाक जुर्म की सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिये। परंतु मैं इन पर रहम करता हुआ इन्हे उम्र कैद की सजा सुनाता हूँ। मोता सिंह अपनी अर्न्तात्मा को पूरी तरह से कुचल नहीं पाया था। साहस बटोर कर उसने ऊपर से आये निर्णय में कुछ फेर बदल कर दिया था।

भरे गले से मोता सिंह ने फैसला सुनाया और कांपते हाथों से कागजों पर हस्ताक्षर किए। अन्तिम अक्षर डाल कर उसने पैन का निब तोड़ा और फिर टूटे पैन को फेंक दिया।

इन दिनों निब तोड़ने की परम्परा नहीं थी। पहले मोता सिंह ने कभी ऐसा नहीं किया था। आज पहली बार उसको अपनी कलम पर गुस्सा आया था।

बाहर रबड़ की गोलियां चलने लगीं। किसी भी समय फायर खुल सकता था।

बाकी के कागज मोता सिंह ने रीडर के हवाले किए। भारी कदम उठाता वह स्वयं डिप्टी के बराबर जा खड़ा हुआ।

वे बाहर खड़ी जीप की ओर बढ़ने ही लगे थे कि एक भारी काली वस्तु उनके पैरों में आ गिरी।

सब घबरा गए। मोता सिंह की चीख ही निकल गयी थी। मोता सिंह ने गौर से देखा। यह काला कोट था जो उन पर फेंका गया था।

मोता सिंह ने उस दिशा की ओर देखा, जिधर से कोट आया था। यह कोट प्यारे लाल का था। वह काली टाई भी उतार कर फेंक चुका था। इन काली चीजों से पीछा छुड़ाकर प्यारे लाल भीड़ की ओर जा रहा था।

एक बार मोता सिंह का दिल किया, वह कोट उठाकर सीने से लगा ले। यह वर्दी की तौहीन थी।

दूसरे ही पल वह रुक गया। वर्दी की इस से बड़ी तौहीन उस ने स्वयं की थी। मोता सिंह को अपना कोट अपने कंधों पर रखने का भी अधिकार नहीं रहा था।

मोता सिंह कोट से एक ओर होकर निकलना चाहता था, लेकिन डिप्टी के पास इतना समय नहीं था।

कोट को कुचलता हुआ डिप्टी आगे निकल गया। कुचले जा रहे कोट को देखकर मोता सिंह का मन भर आया। खाकी वर्दी ने काला कोट कुचल दिया था।